खण्ड-378, अंक-8
मंगलवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1908
(9 सितम्बर, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 378 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	3-101
सदन में मतदान होने पर तटस्थ रहने वाले सदस्यों का उल्लेख कार्यवाही में प्राविधान किये जाने का सुझाव तथा दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित करने वाले व्यक्ति को पीटने वाले रक्षक को दंडित किये जाने की मांग	..	105-106
श्री राजेन्द्र सिंह के लोकदल से कथित निष्कासन के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	106-107
श्री काजी कलीमुर्रहमान के कांग्रेस (जे) से कथित निष्कासन के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	107
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	107-111
जनपद बलिया में चैनछारा में कटान रोकने हेतु ठोकर के निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	111-112
निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर, पीलीभीत में भयंकर बाढ़ का प्रकोप होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	112
उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्त स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अर्हकारी परीक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	112-113
नई दिल्ली स्थित "उत्तर प्रदेश भवन" के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग एवं भवन की जर्जर दशा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	113
चुनार, मिर्जापुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	113
नगरपालिका सम्भल (मुरादाबाद) में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में गबन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	114
जनपद मेरठ में सरधना व बागपत की सीमा पर कृष्णा नदी पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	114-115
कार्य सूची में कार्य-स्थगन प्रस्ताव को सदन न छापे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	..	115-120

विषय		पृष्ठ-संख्या
नियम 301 के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं स्वीकार किये जाने के लिए अनुरोध	..	120–121
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	..	121–126
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव...(स्वीकृत)..		126
वित्त(बिक्री-कर), अनुभाग-2 की विज्ञप्ति....(सदन के पटल पर रखी गयी)	..	126
अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय से सम्बन्धित घटनाओं की जांच आयोग का प्रतिवेदन..(सदन के पटल पर रखा गया)	..	126–127
संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986..(सदन के पटल पर रखा गया)	..	127
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986..(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	127–128
डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर के बन्द छात्रावास को पुनः खुलवाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	128–136
जिला अलीगढ़ में मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	136–142
सहारनपुर में नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	142–146
उत्तर प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के ग्रेडर हुड यूनियन के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	146–149
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं पर टैक्स लगाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	149–150
जिला देवरिया में लोकदल कार्यकर्त्ता श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	156
दिनांक 17–3–86 को श्री काशी सिंह ऐरी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	..	157–158
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986..(पारित)	..	158–162
कार्य सूची की मद संख्या 20 तथा 21 को स्थगित किये जाने की सूचना	..	162
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986..(पारित)..		162
भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986..(पारित)	..	162–189

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)..	189
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) ..	189–198
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 को अंगीकृत किये जाने का संकल्प..(स्वीकृत).. ..	198–201
संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 के अनुसमर्थन का संकल्प..(स्वीकृत) ..	201–202
दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना ..	202–204
नस्थियां ..	205–212

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 9-9-1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अरुण प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
कृष्ण रावत, कुमारी (लखनऊ)
केशरी सिंह, कर्नल (बस्ती)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
नारायण हरि शर्मा, श्री (अलीगढ़)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मान बहादुर सिंह, श्री (गोण्डा)
राम पाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम सागर राव, श्री (बहराइच)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अन्य महाविद्यालयों की सम्बद्धता

** 1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन ने जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्थापना का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या होगा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित इस विश्वविद्यालय के स्वरूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती जनपद में स्थित महाविद्यालयों के सम्बद्धता पर भी कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या जनहित में छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये उसे गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध रखने की घोषणा शासन करेगा ?

उच्च शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

जी हां ।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय के स्वरूप तथा महाविद्यालयों की सम्बद्धता का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

श्रीमन्, जब जौनपुर विश्वविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था उस समय यह भी घोषणा उन्होंने किया था कि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती जनपदों में स्थित महाविद्यालयों को इसे नये पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जायेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के महाविद्यालयों की सम्बद्धता जौनपुर से होगी तो अत्यन्त कठिनाई होगी । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई फैसला किया है, क्या इन कठिनाइयों को देखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही इनको सम्बद्ध करने के निर्णय के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने बहुत ही माननीय सदस्य, शाही जी को यह बतलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि अभी केवल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है । इसका क्या स्वरूप होगा और सम्बद्धता क्या होगी जैसा कि माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की कि इसका स्वरूप क्या होगा तथा सम्बद्धता क्या होगी, यह सब अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री अशोक बाजपेई—

मान्यवर, प्रदेश में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनसे सम्बद्ध महाविद्यालय 200–200 कि0 मी0 की दूरी पर हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इन विश्वविद्यालयों की सीमाओं का पुनर्सीमन करने की कृपा करेंगे जिससे निकट के ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जा सके ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बलिया और आजमगढ़ की चर्चा की थी तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय को वहां से हटाकर जौनपुर में क्यों स्थापित किया जा रहा है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

माननीय, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने जानना चाहा है तो यह कहना गलत है कि हमारी प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वहां पर विश्वविद्यालय की चर्चा की थी। माननीय, उन्होंने बलिया में शेरे बलिया जंगली बाबा शिक्षण संस्थान का शिलान्यास अवश्य किया था। वहां पर मुख्य मंत्री जी भी थे। उन्होंने बलिया में यूनिवर्सिटी आदि की घोषणा नहीं की थी।

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

माननीय, किसी भी विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में क्या इस पर विचार करने की कृपा करेंगे जिन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करेंगे उन महाविद्यालयों की संख्या और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इन सब बातों को ध्यान में रखकर सम्बद्धता का निर्णय लिया जायेगा, क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

माननीय, जो माननीय सदस्य ने सम्बद्धता और क्षेत्र के बारे में प्रश्न किया है, मैं बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को यदि माननीय सदस्य देखें तो उसके अनुच्छेद-2 में किया हुआ है कि विश्वविद्यालय का क्षेत्र क्या होगा। इसके लिए ऐक्ट में एमेण्डमेण्ट करना होगा। अभी यह सब चीजें विचाराधीन हैं।

श्री मित्रसेन--

माननीय शाही जी ने जिस बात पर चिंता व्यक्त की है उस पर माननीय मंत्री जी गौर नहीं कर रहे हैं। जनपद जौनपुर पूर्वांचल के पश्चिम पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि देवरिया, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ के आस-पास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि विश्व विद्यालय जौनपुर में न खोलकर बलिया के आस-पास खोला जाये। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। एक संस्था है "शेरे बलिया चित्तू पाण्डेय जंगली बाबा शैक्षणिक संस्थान" जिसका प्रधान मन्त्री ने शिलान्यास किया था, कोई घोषणा नहीं की थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी अपने उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, इन बातों पर विचार नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जौनपुर में सम्भावित विश्वविद्यालय कब तक खुल जावेगा। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यदि यह विश्वविद्यालय रेजीडेंसियल विश्वविद्यालय नहीं होगा तो कुछ महाविद्यालय इससे सम्बद्ध किये जायेंगे। और कुछ विश्वविद्यालयों का क्षेत्र काटा जायेगा तो इसका परिसीमन कब तक हो जायेगा।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, पहला प्रश्न यह है कि कब तक विश्वविद्यालय खोला जायेगा तो इसकी जो प्रक्रिया है वह पूर्ण होनी है। जब कोई विश्वविद्यालय खोला जाता है तो उसकी कुछ प्रक्रियायें पूरी करनी होती हैं। एक तो जो एक्ट है उसमें एमेण्डमेण्ट करना होता है, एरिया डिफाइन करने के लिए दूसरे यू० जी० सी० और भारत सरकार को अनुमति लेनी होती है। अगर आप देखें तो हमारे संसाधन सीमित होते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय कब तक खोलेंगे ? कौन से महाविद्यालय उससे सम्बद्ध रहेंगे और उसके क्षेत्र के परिसीमन की क्या नीति होगी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, हमने घोषणा किया है । हम ही खोलेंगे । 1978 में आपका शासन था । तब आपने भी पूर्वांचल में विश्वविद्यालय खोलने का विचार किया था आप खोल नहीं सके । माननीय सदस्य ने यह पूंछा कि कब तक खोला जायेगा । इसके लिए पूर्ण प्रयास किया जा रहा है । जौनपुर में तीन जगह जमीन देखी गई है । साइट सेलेक्शन के लिए हमारे अधिकारी और वहां के सांसद आदि वहां गये थे । जमीन का चयन हो जायेगा । दूसरा मैंने कहा है जब कि ऐक्ट एमेण्डमेण्ट हो जायेगा, यू० जी० सी० व भारत सरकार की परमीशन मिल जायेगी उसके बाद निर्णय लेकर खोल दिया जाएगा । सम्बद्धता और परिसीमन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि प्रधान मन्त्री ने बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा नहीं की थी । हम बलिया के रहने वाले हैं । हमारी बात को सही माना जाये । वहां पर जो प्रचार किया गया उसमें साफ-साफ शब्दों में कहा गया कि प्रधानमन्त्री बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना करने आ रही हैं । बलिया के लोग सोच रहे थे कि यहां विश्व-विद्यालय खोला जायेगा फिर बलिया में विश्वविद्यालय न खोलने का क्या कारण है ? मन्त्री जी को बता दूं कि जौनपुर बनारस से 56 किलोमीटर दूर है, बलिया जौनपुर से 175 किलोमीटर और बनारस 150 किलोमीटर पर है । दूरस्थ स्थान पर जहां पढ़ायी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है वहां विश्व-विद्यालय न खोलकर जौनपुर में विश्व-विद्यालय खोलने का क्या कारण है ? क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि पूर्वांचल में बलिया में विश्वविद्यालय खोलेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि बलिया में क्या विश्वविद्यालय खोल रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, दोनों जगह खोलने में इनको क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी एक ही जगह खोल लें तो बहुत है ।

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी—

मान्यवर, चूंकि बलिया और आजमगढ़ दोनों जगहें विरोधी पार्टियों के गढ़ हैं, क्या इसीलिए उनके हितों की उपेक्षा की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस बात को सही मानकर कि लाखों लोगों के बीच में स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि हम बलिया में एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जो शिलान्यास की बात है, वह उन्होंने एक छोटी सी शिक्षण संस्था का शिलान्यास किया था, लेकिन उसी मीटिंग में जहां पूरे पूर्वांचल के लाखों लोग थे, तमाम अधिकारी थे और प्रदेश मंत्रि-

मण्डल के अनेक सदस्य थे, उनके बीच में स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की थी कि बलिया में एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। यही नहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए सन् 1978 में उत्तर प्रदेश और बिहार के दोनों मुख्य मंत्रियों ने भी संयुक्त रूप से बलिया में इस बात की घोषणा की थी कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना बलिया में ही होगी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी बलिया में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे और चूंकि जौनपुर में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा माननीय मंत्री जी कर चुके हैं तो जौनपुर में एक प्रौढ़ शिक्षा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री जो भी थे, उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी मैं यह शासन की ओर से सूचित कर रहा हूं। उत्तर दे रहा हूं। वहां उन्होंने केवल एक संस्थान का शेरे बलिया जंगली बाबा जितू पाण्डेय शिलान्यास किया था और ऐसी कोई बात नहीं थी जो चौधरी साहब ने कही। जो राज्य शासन ने विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिया है उसके अनुसार जौनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

श्रीमती शशि शर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि परिसीमन तय करते समय क्या इतनी कृपा करेंगे कि देवरिया के विद्यालयों को जौनपुर न एफिलिएट किया जाय क्योंकि जौनपुर से विश्वविद्यालय से इनको अटैच कर देने पर इनको बहुत कठिनाई होगी। क्या इस बात को ध्यान में रख कर उनको भविष्य में जौनपुर विश्वविद्यालय से न सम्बद्ध करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मुझे केवल इतना ही कहना है कि सम्बद्धता और परिसीमन दोनों पर विचार हो रहा है, इससे अधिक और क्या कह सकता हूं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में देखें कि प्रश्न की मूल भावना यह है कि एक तो जौनपुर की जगह पूर्वांचल में दूसरी जगह विश्व विद्यालय खोला जाय और दूसरे इससे गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ को जौनपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न किया जाय। मान्यवर, इसमें इन्होंने जो प्राक्प भेजा है तो दिमाग में इसका कोई नक्शा तो होगा ही कि विश्वविद्यालय खुलने पर उसकी आउट लाइन क्या होगी ? अगर विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी विश्व विद्यालय खुले और जहां कहीं भी खुले यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप स्पष्ट आश्वासन देंगे कि भौगोलिक स्थिति और छात्रों और अभिभावकों की स्थिति को देखते हुए जौनपुर में अगर विश्वविद्यालय खुलता है तो उससे सम्बद्ध नहीं होंगे, क्या यह आश्वासन देंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा परिसीमन और सम्बद्धता शासन के विचाराधीन है। जैसे ही कोई निर्णय ले लिया जायेगा, वह आपके समक्ष आयेगा। संशोधन भी आपके द्वारा ही होगा। आपको फिर विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब बलिया में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की थी उस समय कांग्रेस के तमाम नेता व

अधिकारी मौजूद थे । तब से वहां की जनता आस लगाये हुए है कि यहां विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और उसी आधार पर लोक सभा के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को समर्थन भी दिया । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा है लोग संघर्षरत हैं, क्या बलिया में विश्वविद्यालय की स्थापना पर शासन विचार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपके काफी साथी लोग वही सवाल कर चुके हैं । वही प्रश्न आप दोहरा रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शासन ने जौनपुर में विश्व-विद्यालय की स्थापना के साथ-साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है ? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती यह तीनों जिले जौनपुर से लगभग 250 कि0 म0 की दूरी पर हैं, इसको देखते हुए क्या शासन के समक्ष महात्मा बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर में बुद्धा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, स्वरूप और परिसीमन के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय का स्वरूप आवासीय करने का शासन ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या कुशीनगर में बुद्धा विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, गोरखपुर वाली जो बात कही गयी, उसके स्वरूप पर विचार किया जा रहा है । जो आपने दूसरी बात कही उसका अभी कोई विचार नहीं है ।

बाम आर्गेनिक केमिकल लि0, ग्राम-भरतिया गजरौला, मुरादाबाद के जल-प्रदूषण की रोकथाम

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बाम आर्गेनिक केमिकल लि0, ग्राम भरतिया गजरौला, जिला मुरादाबाद का विषाक्त पानी ट्रीट किया हुआ तथा बिना ट्रीट किया हुआ बगद नदी में डाला जा रहा है जिससे कि नदी का पानी विषाक्त हो गया है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

वन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)—

जी नहीं । यह जल विषाक्त नहीं बल्कि प्रदूषित है । पूर्व में उत्प्रवाह का निस्तारण बगद नदी में किया जा रहा था परन्तु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति अस्वीकार करने एवं निर्देश देने के उपरान्त उद्योग द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उत्प्रवाह को रोक कर एनरोबिक लैगून्स से होकर ऐरोबिक लैगून्स में एकत्र कर शुद्धीकरण किया जा रहा है । वर्तमान में उद्योग द्वारा उत्प्रवाह को बगद नदी में निस्तारण नहीं किया जा रहा है । उद्योग ने अक्तूबर, 1986 तक सम्पूर्ण शुद्धीकरण की व्यवस्था का आश्वासन दिया है । यदि इस अवधि में कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया तो उद्योग के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह जो संदर्भित फैक्ट्री है इनके द्वारा प्रदूषित जल नदी में डाला

जा रहा है। जिस समय यह फैक्ट्री लगायी गयी होगी उस समय भी प्रदूषण बोर्ड ने शर्तें रखी होंगी और उन्होंने आश्वासन दिया होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फैक्ट्री कब लगी ? जो उत्तर में अक्तूबर 1986 तक सम्पूर्ण शुद्धीकरण की व्यवस्था के आश्वासन की बात कही गयी है, इसके बीच में भी कब-कब आश्वासन दिये गये ? इतने वर्षों के बाद भी आज तक शुद्धीकरण नहीं किया गया। इसलिये उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई और कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने शुद्धीकरण का आश्वासन दिया था। शुद्धीकरण के संयंत्र लगाने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है और इसमें लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का खर्च आता है। फैक्ट्री ने पिक-अप से लोन लिया था और उद्योग विभाग ने भी कहा कि उन्हें लोन मिल रहा है, इसलिये उसका इन्तजार करते रहे। संयंत्र लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। अक्तूबर तक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। यदि अक्तूबर तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो उनके खिलाफ तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। किस वर्ष में फैक्ट्री लगी थी और उस फैक्ट्री को लाइसेन्स देने से पहले, आपके पर्यावरण अधिनियम में यह आवश्यक भी है कि जो इसमें प्रदूषित पानी होगा, उसका हम शुद्धीकरण करके आगे छोड़ेंगे। क्या उस समय उनसे इस प्रकार की गारन्टी ली गई थी, यदि हां, तो आज तक उसे आप लागू नहीं करवा पाये तो फिर आज तक उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही क्यों नहीं चलाई गई ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम संयंत्र लगायेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पानी नदी में जा रहा है और प्रदूषण हो रहा है। उस समय उन्होंने टैंक बना लिये।

श्री जयदीप सिंह बरार—

जब उन्होंने फैक्ट्री लगायी थी, तो क्या उनसे गारन्टी लाइसेन्स देते समय पानी को ट्रीटमेंट करके प्रवाहित करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने ट्रीटमेंट का कार्य नहीं किया। आज तक उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री जफर अली नकवी—

उन्होंने मान्यवर, आश्वासन दिया कि हम संयंत्र तुरन्त लगवायेंगे। 1981 से हमारे यहां ऐक्ट शुरू हुआ है। इस संयंत्र पर डेढ़ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। पिक-अप से लोन लिया था। जिसमें कुछ समय लग गया। हमारा काम उद्योगों को बन्द करने का नहीं है बल्कि प्रदूषण को कम करने का है।

श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने संयंत्र लगाने का आश्वासन दिया था और सम्भवतः वह संयंत्र स्वीडन से आने वाला था। उसकी खरीद हेतु माननीय उद्योग मंत्री जी वहां पर तशरीफ ले गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह संयंत्र आया कि नहीं ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, वह संयंत्र आ गया है। अक्तूबर म उसकी कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, एक सवाल के लिए सभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है । माननीय मंत्री जी ने केवल एक कागजी उत्तर पढ़ा है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह संस्थान बड़े प्रभावी लोगों का है, जिनका राजनैतिक दबाव भी है । यह मेरा आरोप है । मैंने स्वयं देखा कि अभी भी अनट्रीट किया हुआ पानी प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो चुकी है । इस हिसाब से देखा जाय तो डेढ़ करोड़ की संयंत्र की जो वैल्यू बताई गई है, वह कुछ भी नहीं है । मैं साफ-साफ मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि शुद्धीकरण किया जा रहा है और इस समय नदी में पानी डाला नहीं जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इस संस्थान का पानी कहां डाला जा रहा है ? क्या यह सही है कि उसका निकास आगे जाकर बगद नदी में गिरता है ? इससे जानवर मारे जा रहे हैं और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं रह गयी है ? यह पानी, उत्तर के अनुसार, अगर नदी में नहीं जा रहा है, तो कहां जा रहा है ?

श्री जफर अली नकवी--

इसमें दो प्रक्रियायें होती हैं-- एन-रोबिक लैगून्स और ऐरोबिक लैगून्स । इसमें गड्ढे बनाये जाते हैं और उसमें पानी इकट्ठा होता है, इससे 80-90 प्रतिशत जीवाणु समाप्त हो जाते हैं । दूसरी प्रक्रिया को ऐराबिक लैगून्स कहते हैं । इस प्रक्रिया में, जो जीवाणु रह जाते हैं । वे समाप्त किये जाते हैं । सारा पानी लैगून्स में इकट्ठा हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है । अक्तूबर, 1986 तक इसमें संयंत्र लग जायेगा ।

श्री अशोक बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि अक्तूबर, 1986 तक शुद्धीकरण संयंत्र लगा दिया जयेगा । कई बार शासन ने लिखा और निरन्तर वे आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन आज तक शुद्धीकरण का संयंत्र लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । अगर अक्तूबर, 1986 तक शुद्धीकरण संयंत्र पूरी तरह से नहीं लगायेंगे, तो क्या इनका लाइसेन्स निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मैंने इससे पहले भी कहा कि अक्तूबर में अगर प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही के आदेश तुरन्त जारी कर दिये जायेंगे ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

प्रदूषित जल जो फैक्टरी से निकलता है, इसे रोकने के लिये वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाया जाता है । यह काफी महंगा है, जैसा बताया गया एक डेढ़ करोड़ रु० का है । बहुत सी फैक्टरियों ने प्रदूषण बोर्ड से बचने के लिये छोटे-छोटे 30-40 लाख रु० की लागत के वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाय हैं । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे कि यह ठीक से जल प्रदूषण को रोक रहा है और अब कोई प्रदूषण नहीं होगा तथा यह कि यह प्लान्ट उपयुक्त प्लान्ट है ?

श्री जफर अली नकवी--

बोर्ड के चेयरमैन और 17 सदस्य हैं, जो मौके पर जाकर जांच करके सर्टीफिकेट देते हैं । वे सर्टीफिकेट देंगे कि सही है या नहीं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि फैक्ट्री ने एन-रोबिक और ऐरोबिक दो लैगून्स बनाये हैं । कैमीकल प्लान्ट में जीवाणुओं का तो प्रश्न ही नहीं है, इसमें तो रासायनिक पदार्थ होंगे, जो लैगून्स से समाप्त नहीं हो

सकते । यह भी जानना चाहूंगा कि जब यह लेगून्स बन दिये गये हैं तो नदी में पानी जाना बन्द भी हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि सारा जल भूमिगत जल में चला जायेगा, जिसका कि प्रदूषण समाप्त भी नहीं कर पायेंगे । क्या आप इस चीज को देखेंगे कि कच्चे लेगून्स से चूंकि समस्या भयानक रूप धारण करने जा रही है, अतः फैक्टरी को अविलम्ब बन्द करने के आदेश जारी करेंगे जब तक कि वह प्लान्ट न लगा ले ?

श्री जफर अली नकवी--

इस पर रिसर्च करने के बाद जो कार्यवाही हो रही है, उससे हम सन्तुष्ट हैं । अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि यह कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं है, तो बता दें कि क्या हो सकता है, उसके आधार पर पूरी कार्यवाही करा लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि आजकल प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं ? क्या किसानों की भूमि का जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलायेंगे फैक्टरी मालिकों से ?

श्री जफर अली नकवी--

इस सम्बन्ध में जो नुकसान हुआ है, वह प्रस्ताव कर दें, उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि वह नवयुवक हैं, स्थिति को देख कर उत्तर दें । मैं मौके पर गया और देखा कि फैक्टरी से जो प्रदूषित पानी निकलता था तो बगद नदी में मिलता था तो वहां के नागरिकों ने एक बांध बना दिया है । अब उस बांध के बनाने का परिणाम यह हुआ कि बहुत दूर तक उससे पानी फैल गया है और वाटर लागिंग हो रही है जिसके कारण समस्या और भी भयंकर हो रही है । कई दिनों से वहां पर फैक्ट्री के गेट पर लोग सतत प्रदर्शन कर रहे हैं । इस पानी के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि नष्ट हो रही है । जैसा कि अभी डाक्टर जौहरी ने पूछा कि उस प्रदूषण बोर्ड का चेयरमैन कौन है, यही प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि उस बोर्ड का कौन चयरमैन है ? दूसरी बात आपने कहा है कि पानी को शुद्धीकरण करके दिया जा रहा है, तो क्या उस पानी की आप अपने स्तर से टेस्टिंग करायेंगे और देखेंगे कि क्या केमिकल का असर समाप्त हो गया है ? तीसरे क्या आप मुख्यालय से तत्काल किसी अधिकारी को भेज कर दिखवाने की कृपा करेंगे कि बांध बनने के कारण जो वहां पानी के फैलने की समस्या उत्पन्न हो गयी है तो उसे कैसे रोका जाय और इस पानी से जो किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि नष्ट हुई है उन किसानों को आप मुआवजा देने का कष्ट करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

माननीय सदस्य की सभी बातों को हम स्वीकार करते हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पीलीभीत में बीसलपुर-बरेली मार्ग पर सड़क निर्माण हेतु कृषकों से अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*1—श्री तेज बहादुर गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में बीसलपुर-बरेली मार्ग पर देवहा नदी का पुल बन जाने से इस सड़क का कुछ भाग नया बनाना पड़ा था जिसमें कृषकों की उनकी जमीन जो सड़क में ली गयी थी उसका अब तक कोई मुआवजा न दिये जाने का क्या

कारण है और अब मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री सीताराम निषाद)—

जी हां ।

सड़क हेतु ली गई भूमि के सम्बन्ध में अभिनिर्णय घोषित न हो पाने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

श्री तेज बहादुर गंगवार—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सड़क 1983 में बननी प्रारम्भ हुई थी और इसको चलते हुए तीन वर्ष व्यतीत हो गये हैं लेकिन अभी तक किसानों से जो इसके लिये उनकी जो भूमि अधिगृहीत की गयी थी, उन काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है । तो अब जब भी आप उनके मुआवजे का पेमेन्ट करेंगे तो क्या उसके साथ उसका ब्याज भी शामिल करेंगे ? क्या आप इस प्रकार का आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद—

उक्त सड़क के लिये जो भूमि काश्तकारों से अधिगृहीत की गयी थी उसके मुआवजे के लिये प्रतिकर की धनराशि 21-3-86 को जमा कर दी गयी है । विशष भूमि अध्याप्ति नियम के अन्तर्गत नोटीफिकेशन की कार्यवाही 25-8-86 को कर दी गयी है और अब शीघ्र ही मुआवजे की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री तेज बहादुर गंगवार—

इसके लिये आप कोई तारीख निश्चित करेंगे कि कौन से महीने में और कौन सी तारीख तक उनको इसका भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री सीताराम निषाद

इसके लिये धनराशि जमा कर दी गयी है, अब कोई विलम्ब नहीं है और न कोई देरी होने का सवाल है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सड़क बनायी गयी है उसके लिये भूमि का कब्जा आपने काश्तकारों से कब लिया और जब आपने उनकी जमीन ले ली और बदले में उनको कुछ नहीं दिया और जब वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गय तो क्या उनको आप मुआवजे के साथ तीन वर्षों का ब्याज भी देंगे ?

श्री सीताराम निषाद—

21 अगस्त, 1984 को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी थी और कागजात भेजे गये थे । उस पर कुछ आपत्ति आ गयी और वे वापस कर दिये गये जिसके कारण से विलम्ब हुआ है । सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था जिससे कि यातायत की असुविधा न हो क्योंकि यह क्षेत्रीय जनता की और वहां के विधायकों की मांग थी । जान-बूझ कर इसमें कोई विलम्ब नहीं किया गया है, उनको वैधानिक मुआवजा दिया जायेगा ।

इसलिये कोई अतिरिक्त मुआवजा दिया जाय, इसका कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री हरीशचन्द, हरीश जी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, मेरी सूचना को सत्य मान कर कि 10-10 और 12-12 वर्ष हो गये हैं, जब कि निर्माण कार्य हुआ, जिसमें किसानों की जमीन ली गयी और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, इसके साथ ही साथ राजस्व रिकार्ड से उनका नाम नहीं काटा गया है, जिससे उनको लगान भी पड़ता है । मैं बताना चाहता हूं कि नरकटवा, डड़िया संकरा और असोगवा

बांध, जो 1976 में बने हैं, उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है और माननीय मन्त्री जो कहते हैं कि अध्याप्ति की कार्यवाही जारी है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही जारी रहते अंतरिम मुआवजा देने पर विचार करेंगे और मुआवजे की धनराशि के भुगतान के लिये कोई समय सीमा बांधने पर विचार करेंगे ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह जो अध्याप्ति की कार्यवाही है, वह एक संवैधानिक कार्यवाही है । उसमें जो समय लगता है, उसके अनुसार जब पूरी कार्यवाही हो जायेगी, तब ही भुगतान किया जायेगा । माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, उसको मैं दिखवा लूंगा और शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करा दूंगा ।

श्री मैनजर सिंह --

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि 3 साल पहले जो भूमि कब्जे में ली गयी थी और उसका मुआवजा नहीं दिया गया है, किसानों ने तो जो उस समय लोन लिया था उस पर उनको ब्याज देना पड़ा तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो मुआवजे की धनराशि अब दी जायेगी वह ब्याज के साथ दी जायेगी । क्या माननीय मन्त्री जी इस मांग को स्वीकार करेंगे ।

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी सही नहीं दे रहे हैं । उन्होंने कहा कि मुआवजे की धनराशि जमा कर दी गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मुआवजे की धनराशि जो जमा की गयी है, वह रजिस्ट्रेशन के रेट से जमा की गयी है या बजारू रेट से जमा की गयी है । किसानों की जमीन अधिग्रहीत कर ली गयी और सड़क उस पर बन गयी, तो क्या आप लगान से उनको मुक्त करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, मुआवजे के रेट का जो प्राविधान है, वह यह है कि अस्थायी रूप से जो जमीन ली जाती है, उसका मुआवजा लगान का 12 गुना या 3 वर्ष के लगान की जो अधिकतम राशि होगी, वह दी जायेगी और स्थायी रूप से लेने पर बाजारू रेट से मुआवजा का भुगतान किया जाता है । यही प्राविधान है और उसी के अनुसार भुगतान किया जाता है, तो माननीय सदस्य ने जो लगान माफी का प्रश्न उठाया है, उसका प्रश्न नहीं उठता है ।

*2--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[दिनांक 5-9-86 को सदन में वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त] ।

राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में सेवा निवृत्त/अनाधिकृत व्यक्तियों के कब्जे का विवरण

*3--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में कितने आवास सेवा निवृत्त अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं ? क्या सरकार ऐसे आवासों को खाली कराकर उन्हें आवास हेतु प्रतीक्षा सूची के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सीताराम निषाद--

महानगर सचिवालय कालोनी में प्राप्त सूचना के अनुसार 37 आवास सेवा निवृत्त/अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में हैं ।

आवासों को नियमानुसार रिक्त कराये जाने आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शारदानन्द अंचल --

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें वास्तविकता छिपाई गई है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उक्त खाली कराये जाने वाले आवास 37 नहीं बल्कि 39 हैं जिनको हटाया जाना है ? दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनके द्वारा दिये गये उत्तर की सूची में बी-6 तथा बी-83 भी शामिल है ? यदि नहीं, तो गलत सूचना देने वाले लोगों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, बी-6 और बी-83 के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है । इनके सम्बन्ध में तो इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । जिन 37 के बारे में जानकारी है, उनके नम्बर बता सकता हूं । माननीय सदस्य ने जिन नम्बरों के बारे में जानकारी दी है उसको मैं अलग से दिखवा लूंगा।

(श्री शारदानन्द अंचल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय अंचल जी, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप बोलें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ स्थित सरकारी आवास गुलिस्तां कालोनी, राज भवन कालोनी, बटलर पैलेस कालोनी में कितने ऐसे व्यक्ति निवास कर रहे हैं जिनको मकान आवंटित नहीं किये गये हैं ? क्या इन कालोनीज में सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त भी अन्य लोगों को मकान आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो वे कौन सी श्रेणी के लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न से इसका ताल्लुक नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, ताल्लुक है । इसलिये ताल्लुक है कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री जी की स्वीट बिल में दुनिया भर के ब्रोकर्स घूम रहे हैं लेकिन मकान माननीय विधायकों को और सम्वाददाता को नहीं मिल पाते हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इन सरकारी आवासों में किस श्रेणी के आवासों की व्यवस्था है और कितने लोग अनधिकृत रूप से इन आवासों में रह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास प्रतीक्षा सूची में कितने अधिकारियों के नाम हैं और वे कितने समय से प्रतीक्षा सूची में लम्बित पड़े हैं । साथ ही आप यह भी बतायें कि कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको सेवा निवृत्त हुये 10 साल से ऊपर हो गय हैं और वे कब्जा किये हुये हैं ? उनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की है ? जो प्रतीक्षा सूची में हैं उनको कब तक आप मकान आवंठित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये तो मंत्री जी को सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं इस समय राज्य सम्पत्ति विभाग के पास कुल 14,504 आवास हैं और जो प्रतीक्षा सूची में कर्मचारी हैं उनकी संख्या 1619 है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये राज्य सम्पत्ति विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। डालीबाग में 32 आवास कनिष्ठ अधिकारियों के लिये निर्मित किये जा चुके हैं। डालीबाग तथा बटलर पैलेस में अधिकारियों के आवासीय योजना है, गोमतीनगर में 8 एकड़ जमीन आवासीय योजना के लिय क्रय की गयी है, अलीगंज में सैक्टो क/एस में 100 मकान दो मंजिला क्रय किये गये हैं, टिकैतराय योजना में श्रेणी दो के 120 आवास तथा चतुर्थ श्रेणी के 132 तीन मंजिला क्रय किये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

रायल होटल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये प्रथम श्रेणी के आवास 16, इंदिरानगर में आवास विकास परिषद् से खरीदे गये एम0 आई0 जी0 मकान ऊपर की मंजिल में 40 मकान।

(व्यवधान)

इस तरह से अन्य योजनायें हैं जहां आवास दिये जायेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि जो अधिकारी सेवा-निवृत्त हो गये हैं और उनको 10 साल हो गये हैं वे अनधिकृत कब्जा किये हुये हैं उनको हटाने की कार्यवाही करेंगे और उनकी संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सूचना हो तो दे दीजिये।

श्री सीताराम निषाद—

यह तो सारे के सारे आवासों के बारे में है इसके लिये अलग से सूचना मंगानी पड़ेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सचिवालय कालोनियों में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या एवं निर्धारित मानक के अनुसार किराये की वसूली

*1—श्री कौशिक रमाशंकर—

(अनुपस्थित)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 7वें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि मोतीझील, नैपियर रोड, रामनगर, ऐशबाग सचिवालय कालोनियों में कितने राजपत्रित अधिकारी रह रहे हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि विभाग के पास श्रेणीवार आवासों की नितान्त कमी के कारण ही एक विशेष श्रेणी के आवासों को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, अधिकारियों को आवंटित किया जाता है तथा विभिन्न प्रकार का किराया लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकारी आवासों को सुविधा के अनुसार ही किराया निर्धारण करने की सरकार की कोई योजना है ?

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय इन कालोनियों में 10 राजपत्रित अधिकारी रह रहे हैं।

यद्यपि विभाग के पास आवासों की कमी है फिर भी यह सही नहीं है कि इसी कारण एक विशेष श्रेणी के आवासों को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित किया जाता है।

किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्धित आवास का किराया उनके मासिक परिलब्धियों का 10 प्रतिशत अथवा आवास का मानक किराया जो भी कम होता है, वसूल किया जाता है। कालोनियों में विभिन्न श्रेणी के आवासों का मानक किराया, आवासों में दी गयी सुविधा के अनुसार ही विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।

सामान्य प्रबन्धक, श्री सुदामा प्रसाद राज्य चीनी निगम इकाई धुधली, गोरखपुर का विरुद्ध द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

*2--श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि माननीय विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित दिनांक 23-4-86 को एक पत्र इस आशय का दिया था कि सामान्य प्रबन्धक श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई धुधली (गोरखपुर) अपराधी लोगों को मिल में भर्ती कर या किराये पर रखकर उनकी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं? क्या यह सही है कि क्षेत्राधिकारी पुलिस नौतनवां ने इस सम्बन्ध में कोई जांच रिपोर्ट भी हाल में विभागीय अधिकारियों को भेजी है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है एवं रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी?

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

जी हां।

क्षेत्राधिकारी नौतनवां ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2-5-86 को प्रेषित की थी जिसमें अपराधी तत्वों का मिल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप मे होना पाया गया किन्तु श्री जनार्दन प्रसाद ओझा माननीय सदस्य की हत्या की साजिश प्रमाणित नहीं हुई।

अपराधी तत्व होने के कारण पांच कर्मचारियों को नौकरी से दिनांक 23-7-86 को निकाल दिया गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय विधायक ओझा जी का मूल पत्र क्या है और क्या यह सच है कि माननीय सदस्य ओझा जी ने अपने शिकायती पत्र में इन 5 के अलावा अन्य लोगों को भी बताया था और कहा था कि जिनको देखकर वह पहचान सकते हैं। तो जांच के समय माननीय सदस्य ओझा जी का साक्ष्य न लेने का क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, यह बात माननीय सदस्य की सत्य है कि उन्होंने कहा था कि इन 5 के अलावा अन्य लोगों का भी अपराधिक इतिहास है। जब जांच की गयी तो केवल 5 वहां पर ऐसे श्रमिक निकले जिनका अपराधिक इतिहास मिला जो क्षेत्राधिकारी ने रिपोर्ट दी उसके आधार पर 5 दैनिक भोगी श्रमिकों को निकाल दिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मैं केवल यह कह रहा हूं कि उनका मूल पत्र क्या है और जांच के समय उनका साक्ष्य क्यों नहीं लिया गया?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मूल पत्र तो बहुत लम्बा है लेकिन माननीय सदस्य ने जो बात उठाई उसमें 5 के अलावा और भी थे वह मैं स्वीकार करता हूं लेकिन जब जांच हुई तो 5 लोगों का अपराधिक इतिहास मिला।

श्री गौरी शंकर भइया--

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री ओझा जी के मूल प्रश्न में साफ लिखा है कि जो वहां

का जनरल मैनजर है वह अपराधिक तत्वों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में इसलिये रखता है कि इनको जान से मरवाया जा सके या गायब किया जा सके । इसलिये श्री ओझा जी की सूचना को सही मानकर या हम जो सूचना देते हैं उसको सही मानकर ऐसे जनरल मैनेजर के विरुद्ध जिसने माननीय सदस्य पर हमला करवाया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जांच के समय यह सत्य नहीं पाया गया कि उस जनरल मैनेजर ने हमला करवाया । लेकिन माननीय सदस्य की भावना का कद्र करते हुए जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जनरल मैनेजर का कंडक्ट ठीक नहीं है, अतः जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को लिख दिया है कि उनको वहां से हटाया जाय ।

श्री विक्रम दित्य पांडेय--

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने शिकायत किया कि हमारी जानमाल का खतरा है और श्री ओझा जी को भी इसी तरह का खतरा है किन्तु मंत्री जी को पत्र पढ़ने का समय नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्होंने अपनी जान-माल के खतरे की सूचना आपको दिया है और उस पर आपने अभी तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है और न प्रश्न से सम्बन्धित है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य प्रबन्धक ने जिनकी भर्ती किया है वह 5 व्यक्ति अपराधिक तत्व निकले हैं, मैं जानना चाहता हूं कि नियमों को तोड़कर जो यह भर्ती किया है तो इस अनियमितता के खिलाफ क्या कार्यवाही किया है ? दूसरा प्रश्न है कि जो सेवानिवृत्त श्रमिक हुए थे उनके वारिसों की दरख्वास्तें आयीं थीं तो उनको न लेने के क्या कारण थ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जिला प्रशासन ने निगम का सामान्य प्रबन्धक के कंडक्ट, व्यवहार की सम्पूर्ण जांच करके रिपोर्ट दे दिया है और लिख दिया गया है चीनी निगम को कि इसमें कोई एक्शन लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी एक मन्त्री जी की हैसियत से जवाब दे रहे हैं, मेरी समझ से वह कह रहे हैं कि लिख दिया गया है चीनी निगम को कि उनका स्थानान्तरण कर दें । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप स्वयं प्राग्दर्शन में इस बात को मानते हैं कि उनका कंडक्ट ठीक नहीं था, और 5 अपराधिक तत्वों को भर्ती किया था श्रमिकों के वारिसों को भर्ती नहीं किया, इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ अन्य शिकायतें भी हैं, एक तो आपने जांच करवाई तो श्री ओझा जी से साक्ष्य नहीं लिया, एक तो यह अनियमितता किया, जब प्राग्दर्शन में पाते हैं कि कंडक्ट ठीक नहीं है तो उनको निलम्बित करके कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? चीनी निगम को क्यों लिखा जबकि आप स्वयं उनको निलम्बित कर सकते हैं । तो उनको निलम्बित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश चीनी निगम से जानकारी उपलब्ध कर ली जायेगी और माननीय सदस्य को बता दिया जायेगा । मान्यवर, जिला प्रशासन ने उनके बारे में न सिर्फ स्थानान्तरण की संस्तुति की बल्कि पूरा उनका जो कंडक्ट है, कार्य प्रणाली ठीक नहीं है यह कहा गया है । श्री ओझा जी का

साक्ष्य नहीं लिया गया तो कोई बात नहीं चूंकि इंक्वायरी रिपोर्ट तो सब्मिट हो गयी है। मैं समझता हूं कि श्री ओझा जी उससे संतुष्ट होंगे।

चूंकि सीधा सरकार का नियन्त्रण किसी भी कारपोरेशन पर नहीं होता, कारपोरेशन स्वायत्तशासी है इसलिए शासन ने चीनी निगम को लिखा है। उत्तर प्रदेश चीनी निगम जो जानकारी उपलब्ध करायेगा माननीय सदस्य को वह जानकारी करा दी जायेगी। सीधे सरकार निलम्बन की कार्यवाही नहीं कर सकती है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, क्षेत्राधिकारी ने जांच की और 2/5 को अपनी रिपोर्ट दे दी। 5 लोग क्रिमिनिल्स पाये गये जो नौकरी कर रहे थे। ढाई महीने बाद उन 5 आदमियों को नौकरी से निकाला गया है। जो व्यक्ति सेवा-निवृत्त हो गये थे या जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हो गयी थी उनके आश्रितों को काम देने के लिये सुदामा प्रसाद डकैत के पास कोई जगह नहीं थी लेकिन क्रिमिनल्स को उसने अनावश्यक रूप से नियुक्त किया था और उनको ढाई महीने बाद निकाला गया है। तो इसकी जवाबदेही किस पर है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश चीनी निगम की मिल है। मैंने अभी सम्मानित सदन को बताया कि सरकार सीधे उसमें कार्यवाही नहीं कर सकती है। निगम को लिखा गया है। आगे जानकारी ली जायेगी कि निगम ने उस पर आगे क्या कार्यवाही की है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप मेरी मदद करें, उत्तर नहीं आ रहा है। मान्यवर, 2-5 को क्षेत्राधिकारी ने रिपोर्ट किया कि 5 आदमी क्रिमिनल्स हैं जो मिल में गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं। दो बार माननीय ओझा जी पर कातिलाना हमला हुआ है। ढाई महीने बाद वह क्रिमिनल्स हटाये गये हैं। जब यह सवाल विधान सभा में आया तब हटाये गये हैं। सुदामा प्रसाद डकैत शासन को रिपोर्ट करता है कि यहां कोई जगह नहीं है तो फिर इन लोगों के लिए जगह कहां से हो गयी। माननीय सदस्य के जीवन की रक्षा का सवाल है। इसको माननीय मन्त्री जी को कोई चिन्ता नहीं है। कह रहे हैं कि चीनी निगम को लिखा गया। माननीय मन्त्री जी मुस्करा रहे हैं तो ऐसे अवसर पर तो गम्भीरता रखिये। आपने ओझा जी के जीवन की रक्षा के लिये क्या व्यवस्था की है? गोरखपुर जनपद वैसे ही बदनाम है, माननीय वीर बहादुर सिंह के राज्य में और बदनाम हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ओझा जी की सुरक्षा के लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जो ओझा जी कहेंगे वह मुनासिब व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, जिन व्यक्तियों की वहां पर नियुक्ति की गयी वह अपराधी थे और उनकी अनियमित तरीके से नियुक्ति की गयी। उनको वेतन दिया गया। तो जो उन व्यक्तियों को वेतन दिया गया उसकी रिकवरी सुदामा प्रसाद से कर ली गयी है। यदि नहीं, तो रिकवरी न करने का क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

उत्तर प्रदेश चीनी निगम से पूंछ लिया जायेगा और माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आपकी इजाजत से दो मिनट घटना पर प्रकाश डालूंगा।

मान्यवर, यह तो एक कम्पलेंट अप्रैल की थी। अप्रैल को जो हमारी शिकायत थी, उस पर जांच हुई, पांच व्यक्ति दोषी पाये गये। उन पांचों लोगों का मैं नाम जानता हूं, बाकी लोगों का नाम नहीं जानता हूं देख कर पहचान लूंगा। यह मैंने शिकायती-पत्र में लिखा था। इनके अतिरिक्त मो0 इदरीश, राकेश चन्द्रा, अमर श्रीवास्तव, अनिल चतुर्वेदी का नाम मुझे बाद में पता चला तथा अन्य और कई लोग हैं जिनके नाम का अभी तक मुझे पता नहीं चला। ये सारे लोग शातिर बदमाश हैं। उसके बाद 17 जुलाई को जब मैं घर से माता श्राद्ध करने के बाद घुघली आ रहा था, तो 1 बजे रात में मेरी कार पर हमला हुआ। पुलिस सी0 ओ0 का रिपोर्ट 2-5-86 के बाद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीन महीने बीत चुके, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्य मन्त्री को तार दिया और प्रशासन को पत्र लिखा, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। 23/24 की रात को गोरखपुर शहर की पुलिस ने मिल परिसर में वान्टेड क्रिमिनल की सुराग रसी पर छापा मारा और मैनेजर के घर पर छापा मारा, फिर 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर शहर से घर 25/26 की रात में पुनः छापा मार कर पांच दूसरे अपराधियों को गिरफ्तार किया। अब ये पांच दूसरे अपराधी लोग गिरफ्तार हुए, तो उन्होंने बयान दिया कि मुझे श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को मारने के लिए जनरल मैनेजर ने रखा है। जिनकी गिरफ्तारी तीन महीने बाद हुई। नये शातिर बदमाश जो थे, उन्होंने बयान दिया था कि हमें श्री जनार्दन प्रसाद ओझा को मारने के लिए यहां पर रखा गया है। 23 तारीख को जांच वाले अपराधियों को सेवा पृथक् की सूचना गलत है। ये 25 तारीख तक काम करते रहे हैं। सेवा रजिस्टर सीज कर जांच कराया जा सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी के खिलाफ गलत बयानी की सूचना देता हूं। क्या मान्यवर, जब हमारी लाश का पोस्टमार्टम होगा, तब माननीय मन्त्री जी को एहसास होगा? वे इन अपराधियों को केवल मुझे जान से मारने के लिए रखा गया था। इस भ्रष्ट जनरल मैनेजर के खिलाफ एक दर्जन पत्र मैंने शासन को लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी वजह से वह हमसे नाराज होकर वे मुझे जान से मरवाने की साजिश में लग गया। 29 तारीख को 2 लाख रु0 का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का केबिल पुलिस ने मिल से बरामद किया, जिसे जनरल मैनेजर ने खरीदा था, चोरी से मिल का सामान बाहर भेजते हुए पकड़ा गया। वह 379, आई0 पी0 सी0 का मुलजिम बना है। वह इसके पहले भी साढ़े चार साल तक गम्भीर आरोपों में सस्पेंड रहा है। इतने सारे गम्भीर अपराध होने के बावजूद भी उसे निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह शासन को जिम्मेदारी नहीं है? उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के एक ऐसे अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही की जाय, जिसके खिलाफ ऐसे मामले शासन के संज्ञान में आ चुके हों। दो लाख रु0 के चोरी का तार बरामद होने के बावजूद भी अभी तक उसे जेल नहीं भेजा गया। क्या यह शासन की जिम्मेदारी नहीं है? 1982 में शासनादेश हुआ था कि जो अधिक सेवा-निवृत्त हो गये हैं, उनके वारिसान को मिल में रखा जाय। इसी बात पर हमारी उनकी लड़ाई हुई थी। जो मर गये हैं या सेवा-निवृत्त हो गये हैं, उनके वारिसान को भर्ती नहीं किया जा रहा है और शातिर बदमाशों को भर्ती किया जा रहा है। तो मैं विनम्रतापूर्वक माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट एवं अपराधी अधिकारी जो शासन देश की खुली अवहेलना भी कर रहा है, उसे निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है? उसे तत्काल निलम्बित करके जेल भेजने में आपको क्या परेशानी है? इसका जवाब माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, अभी मैंने विनम्र निवेदन किया कि यह मिल उत्तर प्रदेश चीनी निगम से सम्बद्ध है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सीधे कार्यवाही करने की शासन की असमर्थता है। मैं माननीय ओझा जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें आवश्यक कार्यवाही तेजी से होगी, ताकि वहां पर नियमानुसार काम चले और नियमानुसार भर्ती हो। जो जनरल मैनेजर ने गलती की है, उसमें आवश्यक कार्यवाही तेजी से की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय सदस्य का मामला है। मैं चाहूंगा कि इसमें तेजी से कार्यवाही हो, ताकि जो माननीय सदस्य की शिकायत है वह दूर हो जाय। मैंने जो निर्देश दिए वह आपको सुना दिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, उस अधिकारी को तुरन्त निलम्बित न करने के क्या कारण हैं? उस अधिकारी के निलम्बन के आदेश दिलवा दीजिए।

[मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

लखनऊ–कानपुर रोड पर बाराविरवा से सुभाष नगर (भोलाखेड़ा) मोहल्ले के सीवर लाइन से जोड़ने की मांग

*1—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी द्वारा दिनांक 5–9–85 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना जिसका उत्तर नगर विकास राज्य मन्त्री के अर्द्ध शासकीय–पत्र संख्या 5323/9–10–85–84–ए0 यू0–85/नगर विकास अनुभाग–10, दिनांक 23 नवम्बर, 1985 द्वारा दिया गया है, के सन्दर्भ में नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ–कानपुर रोड पर बाराविरवा से सुभाष–नगर (भोलाखेड़ा) मोहल्ले को सीवर लाइन से जोड़ने का कार्य वर्ष 1986–87 तक पूर्ण कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

जी नहीं।

लखनऊ-कानपुर रोड पर मेन सीवर लाइन न होने के कारण प्रश्नगत क्षेत्र को सीवर लाइन से जोड़ना वर्ष 1986–87 में सम्भव नहीं है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि लखनऊ–कानपुर रोड पर मेन सीवर लाइन न होने के कारण प्रश्नगत क्षेत्र को सीवर लाइन से जोड़ना वर्ष 1986–87 में सम्भव नहीं है। मान्यवर, सुभाषनगर (भोलाखेड़ा), जितने भी मोहल्ले हैं वहां बहुत ज्यादा पानी का भराव और कीचड़ का जमाव है, जिससे लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ–कानपुर रोड पर मेन लाइन कब तक बनेगी? क्या विभाग के समक्ष कोई मेन लाइन बनाने की योजना है? दूसरी बात, स्थल निरीक्षण में बाराविरवा की 20 किलोमीटर की सड़क टूटी पाई गई तो क्या माननीय मंत्री जी उसको बनवाने की कृपा करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सीवर लाइन की कोई योजना विभाग के समक्ष नहीं है। जब बनेगी तो इसको देख लिया जाएगा। दूसरी बात सड़क के बारे में कही, तो इसके बारे में प्रश्न में कुछ नहीं पूछा गया है वैसे अगर आप कहते हैं, तो इस पर विचार कर लेंगे।

आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में शासन की नीति

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस स्वीकृत करने के प्रश्न पर आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध नियमावली, 1962 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। राज्य सरकार की नीति है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सीमित आधार, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही लाइसेंस दिये जायें।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश में शांति-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सीमित आधार, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही लाइसेंस दिये जायें। माननीय, क्या माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि लाइसेंस पर रोक लगाने के आदेश जारी करने के बाद भी क्या प्रदेश में जिलाधिकारियों को लाइसेंस दिए गए हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी हां।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो आदेश दिए गये हैं वह कब दिये गये हैं और इन आदेशों का औचित्य ? क्या है

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, 16-12-85 को आदेश दिये गये हैं और प्रदेश के सभी माननीय सदस्य इससे परिचित हैं। प्रदेश का आज जो हाल चल रहा है उसको देखते हुए विवेक से सोचा गया कि और प्रदेश की शान्ति व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए और बाकी बातों को देखते हुए यह समझा गया कि जो आम तरीके से लाइसेंस दिए जा रहे थे वह अब नहीं दिए जायेंगे। इसमें रोक नहीं लगाई गई है कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं उस पर लाइसेंस दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

माननीय, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले सत्र में भी यह प्रश्न किया गया था कि जिन परिवारों में पुराने लाइसेंस हैं और उनके गार्जियन मर गये हैं या शारीरिक रूप से वह अयोग्य हैं और अपने बच्चों के नाम, आश्रितों के नाम लाइसेंस दिलाना चाहते हैं तो कहा गया था कि वह लाइसेंस दिये जायेंगे लेकिन जिला प्रशासन के पास इस प्रकार के आदेश नहीं पहुंचे हैं, क्या इसको निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

माननीय, जहां तक यह प्रश्न है कि मृतक लाइसेंसी के उत्तराधिकारी को लाइसेंस दिया जाय तो इस तरह के आदेश दिये जा चुके हैं। माननीय, मृतक लाइसेंसी के परिवार को लाइसेंस मिलता है, इसमें छूट है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, अभी मंत्री जी ने बताया कि एक केटेगरी बनायी गयी है और यह निर्देश दिये गये हैं कि उस केटेगरी के अनुसार लाइसेंस दिये जायं, वह केटेगरी क्या है और दूसरा प्रश्न है कि प्रदेश में तमाम अवांछनीय तत्वों के पास आज भी लाइसेंस मौजूद है कारबाइन से लेकर राइफल, बन्दूक तक एल0 एस0 आर0

तक है उनको आप अभी तक नहीं करा पा रहे हैं और बहुत से लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिये हैं उनके स्टे को आप वैकेट भी नहीं करा पा रहे हैं। मान्यवर, अवांछनीय लोगों के पास लाइसेंस हैं और सामान्य नागरिकों को आप लाइसेंस देंगे नहीं तो इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने का क्या कारण है और कौन-सी केटेगरी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, एक केटेगरी है कि मृतक लाइसेंसी के उत्तराधिकारी को, दूसरी है विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों और संसद सदस्यों को, तीसरी है कस्टम और सेन्ट्रल इक्साइज के अधिकारियों और इंसपेक्टर आदि को जो छापा डालने और तस्करों को पकड़ने के लिए जाते हैं, चौथी है गुणावगुण के आधार पर अन्य वर्गों के लोगों को छूट प्रदान की जाती है, जैसे किसी के यहां डकैती पड़ गयी और आदमी मारा गया तो चौथी केटेगरी में ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके यहां डकैती पड़ जाती है या लूट हो जाती है या हत्या हो जाती है। यही 4 केटेगरी हैं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या लाइसेंस देने के लिए पहले अपने घरों में डकैती हम लोग डलवायें, इसका जवाब दें ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि जिन लोगों के घर में डकैती पड़ रही है अथवा जिस गांव में डकैती पड़ रही है उस गांव में एक भी लाइसेंसी हथियार नहीं है और वहां भी जिला प्रशासन किसी को नये लाइसेंस देने का कार्य नहीं कर रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या उस गांव में या जिस गांव में एक भी हथियार नहीं है और डकैती की घटना हो चुकी है वहां पर और जिनके यहां डकैती पड़ चुकी है उनके यहां पर लाइसेंस दिलाने के लिए आप राजाज्ञा जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, राजाज्ञा जारी है कि जिन लोगों के यहां डकैती पड़ी है उन लोगों को लाइसेंस दिये जायेंगे। यह छूट वाली केटेगरी में है। यह हर जिलाधिकारी को आदेश है, यह पहले भेजा जा चुका है।

श्री अचल सिंह--

मान्यवर, क्या सम्मानित विधायकों को लाइसेंस जारी करने के आदेश दे दिये गये हैं, क्या उनकी भी जांच दरोगा द्वारा करायी जायेगी और दूसरा प्रश्न है कि सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देश देंगे कि अगर विधायक ने मांग की है तो उसको लाइसेंस देना अनिवार्य है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, हर मायने में विधायक अपने सामाजिक जीवन में एक खुली किताब है, मैं समझता हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान्यवर, विधायकों को मिलता है और यदि कोई दिक्कत है तो उसका आपराधिक इतिहास होगा।

श्री शारदा प्रताप--

माननीय, जैसा कि मेरी निश्चित् जानकारी है कि माननीय सांसदों, माननीय विधायकों को और जिन लाइसेंसियों की मृत्यु हो जाती है उनके उत्तराधिकारियों को लाइसेंस दिया जाता है। माननीय, उसी तरह जिन लोगों के यहां मर्डर होता है, डकैती होती है, अगर उस गांव में लाइसेंस नहीं है तो क्या ऐसे लोगों को लाइसेंस देने के आदेश माननीय मंत्री जी करेंगे और दूसरा सवाल यह है कि जो लोग एक जगह के रहने वाले हैं, अपना पता छिपाकर दूसरी जगह से लाइसेंस लेते हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा एक प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । आप बैठें ।

(व्यवधान)

टाउन एरिया, कोयरीपुर, सुल्तानपुर को स्टैण्ड पोस्टों द्वारा जलापूर्ति

*3--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया, कोयरीपुर में जल निगम द्वारा पेय जल के समाधान के लिए जो नलकूप लगाया गया है उससे टाउन एरिया के अन्तर्गत पेय जल समस्या को देखते हुए पानी दिया जा रहा है ? क्या टाउन एरिया के अन्तर्गत पानी सप्लाई के लिए नलों की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

जी हां । टाउन एरिया कोयरीपुर में जलापूर्ति 18 स्टैण्डपोस्टों द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिम्भावली डिस्टलरी, गाजियाबाद द्वारा फैल रहा जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्देश

*4--श्री कनक सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि सिंभावली डिस्टलरी, जिला गाजियाबाद के शीरे के पानी से जमीन के अन्दर पीने के पानी में भारी प्रदूषण फैल गया है तथा उक्त फैक्ट्री का पानी लगभग 50 एकड़ में हर समय भरा रहता है ? क्या यह भी सही है कि इससे फैलता प्रदूषण आस-पास के गांवों को भी प्रदूषित करने लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार डिस्टलरी को पक्के टैंक बनाने के लिये आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिम्भावली डिस्टलरी का उत्प्रवाह कच्चे लैगून्स में शुद्धिकरण हेतु भरा जाता है । इससे उद्योग के परिसर के आस-पास प्रदूषण की समस्या विद्यमान है । उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अपने उत्प्रवाह के निस्तारण की सहमति उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगी गई थी जिसे बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और उद्योग का पूर्ण शुद्धिकरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

इलाहाबाद में सिविल लाइन के अतिरिक्त कतिपय क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण करने की प्रस्तावित सूची एवं कार्यान्वयन

*5—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के क्षेत्र सिविल लाइन्स के सौन्दर्यीकरण के अतिरिक्त क्या राजापुर, नेवादा, बेलीगांव, नयापुरा, स्टैनली रोड मेंहदौरी, रसूलाबाद, चिल्ला, गोविन्दपुर, सादियाबाद, बघाड़ा, सलोरी, चांदपुर, दारागंज, बक्शी खुर्द आदि मुहल्लों के सौन्दर्यीकरण की भी कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या योजनायें हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इन मुहल्लों का भी सौन्दर्यीकरण करायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं । इन मुहल्लों में आवश्यकतानुसार महापालिका द्वारा कुछ कार्य कराये जा रहे हैं तथा कुछ प्रस्तावित हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

धनाभाव के कारण सौन्दर्यीकरण सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 205 पर ।)

जनपद सहारनपुर के तहसील हेड क्वार्टरों पर स्थित मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय

*6—श्री राम सरन—

क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की किन-किन तहसील हेड क्वार्टरों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं और किन-किन तहसील हेड क्वार्टरों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं हैं ? क्या मंत्री जी उन तहसील हेड क्वार्टरों पर भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करेंगे जिनमें नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सहारनपुर में तहसील सदर, रुड़की, देवबन्द एवं हरिद्वार में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित हैं। केवल तहसील नकुड़ जो जिला मुख्यालय से 25 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि जब तक नकुड़ में न्यायालय भवन, आवासिक भवन एवं हवालात आदि का निर्माण नहीं हो जाता है मुंसिफ न्यायालय स्थापित करना सम्भव नहीं है ।

दिल्ली-आगरा, राष्ट्रीय मार्ग पर रोड गश्त व पिकेट चेकिंग के समय पुलिस एवं बदमाशों में हुई मुठभेड़ का मामला न्यायालय के विचाराधीन

*7—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि 7 मार्च, 1986 को सी0 ओ0, छाता ने अपनी जीप को मय पुलिस बल के साथ मथुरा-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर पिकेटिंग व गश्त के लिए भेजा था, जिससे छाता के पास ही चौराहे पर कुछ बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी ? यदि हां, तो जीप में सवार पुलिस कर्मियों पास कौन-कौन से हथियार थे और मुठभेड़ करने वाले व्यक्तियों का अपराध इतिहास क्या था ? क्या उक्त राष्ट्रीय मार्ग की गश्त एवं पिकेटिंग के लिए एक विशेष पुलिस दस्ता एस0 पी0 मथुरा के अधीनस्थ कार्य करता है ? यदि हां, तो उस दिन उक्त घटना के समय पर दस्ते की पोजीशन क्या थी ? क्या शासन पूरे प्रकरण की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-3-86 को सायंकाल क्षेत्राधिकारी छाता निरीक्षण हेतु थाना छाता गये थे। थाना छाता की गाड़ी खराब होने के कारण प्रभारी निरीक्षक थाना छाता के अनुरोध पर क्षेत्राधिकारी ने अपनी जीप थाना क्षेत्र में स्थित दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय मार्ग के रोड गश्त व पिकेट की चेकिंग के लिये सब इन्स्पेक्टर श्री राम औतार जयन्त को दे दी। जैसे ही जीप छाता टाउन में तिराहा रोडवेज बस स्टैण्ड पर पहुंची तो कुछ व्यक्ति सड़क के बीचोबीच आपस में खींचातानी, झगड़ा व हाथापाई कर रहे थे। सब इन्स्पेक्टर ने गाड़ी रोक कर और उतर कर उन व्यक्तियों को झगड़ा करने से रोका, तभी सभी ने एक राय होकर सब इन्स्पेक्टर पर हमला कर दिया। साथ में गये आरक्षी तथा जीप ड्राइवर द्वारा उसे बचाने का प्रयास करने पर उन्हें भी पीटा गया, जिससे सभी पुलिस कर्मियों को चोटें आईं।

जीप पर सवार पुलिस बल के पास केवल डण्डे थे। हमलावर पांच अभियुक्तों में से केवल झब्बो उर्फ राजपाल के विरुद्ध दो तथा शेर सिंह एवं बच्चू के विरूद्ध केवल एक-एक अहस्तक्षेपीय अपराधों की रिपोर्ट पूर्व में पंजीकृत होना पाया गया।

जी हां, राष्ट्रीय मार्ग की गश्त एवं पिकेटिंग हेतु विशेष पुलिस दस्ता जनपद मथुरा में है। प्रश्नगत घटना के समय यह दस्ता छटीकरा के निकट था।

इस प्रकरण की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग से कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया, क्योंकि प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

दूनी गंगोली हाट (पिथौरागढ़) के मे0 शिवालिक सीमेंट्स लि0 में कुमाऊं मण्डल विकास निगम की सहभागिता

*8—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दूनी गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) में स्वीकृत मे0 शिवालिक सीमेंट्स लि0 में कुमाऊं मण्डल विकास निगम की सहभागिता कितने प्रतिशत पूंजी निवेश की है? क्या यह सही है कि निगम द्वारा उक्त कम्पनी के पक्ष में रु0 1,37,800 भूमि प्रतिकर के रूप में जमा किया जाना एवं एक कारखाने का आवंटन किया जाना निगम के प्रतिशत शेयर के अनुकूल नहीं है? यदि हां, तो इस अनियमित निवेश का आवंटन के लिए जिम्मेदार निगम अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

26 प्रतिशत

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*9—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[6वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम नरेश सिंह, निवासी खाले का पुरवा, मजरा सराय परसण्डा, जिला बाराबंकी के ऊपर हुए कातिलाना हमले की जांच एवं आरोप पत्र

*10—श्री भगौती सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश सिंह, निवासी ग्राम खाले का पुरवा, मजरा सराय परसंडा, थाना सतरिख, जिला

बाराबंकी पर 19-5-85 को बंदूक और हथगोला से हमला हुआ था जिसकी रपट उक्त थाने में नहीं लिखी गयी तथा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस आशय का तार दिया गया किन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां तो कृपया यह भी बतायेंगे कि श्री राम नरेश सिंह द्वारा दिनांक 13-1-86 और 14-2-86 को स्थानीय थाने में दर्ज करायी गयी रपटों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

दिनांक 19-5-85 को श्री रामनरेश सिंह, निवासी ग्राम खाले का पुरवा, मजरा सराय परसण्डा, थाना सतरिख, जिला बाराबंकी ने बन्दूक व हथगोले से हमला करने के सम्बन्ध में कोई सूचना, थाना सतरिख पर अंकित नहीं कराई। श्री रामनरेश सिंह का एक तार दिनांक 22-5-85, थाना सतरिख पर प्राप्त हुआ था जिसमें लगाये गये आरोप जांच से असत्य पाये गये थे।

श्री राम नरेश सिंह द्वारा दिनांक 13-1-86 को पंजीकृत कराये गये अ0 सं0-17/86, धारा 435 भा0 द0 वि0 में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 25-3-86 को प्रेषित की गई।

दिनांक 14-2-86 की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 25-3-86 को चिक गर दस्तन्दाजी संख्या 36/86, धारा 427 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया है, विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दिनांक 12-8-86 को न्यायालय भेजा गया है।

प्रदेश में पत्रकारों की स्वतंत्रता व सुरक्षा को अक्षुण्य रखने की व्यवस्था की मांग

*11--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की स्वतंत्रता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों को भारतीय दण्ड विधान में उल्लिखित लोक सेवक का वर्ग देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्तम्भ पत्रकारों की आजादी का अक्षुण्य रखने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*12--श्री विजाकर विक्रम सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

झांसी जिले के विकास खण्ड बामौर के पेयजल संकट को दूर करने हेतु शासन की नीति

*13--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि झांसी जिले के विकास खण्ड बामौर के पेयजल संकट को दूर करने हेतु कोई स्थायी योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेन--

जी हां।

शासन की नीति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों को इन्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है, जहां हैण्ड पम्प सफल या सम्भव नहीं होते वहां अन्तिम विकल्प के रूप में पाइप द्वारा जल सम्पूर्ति की जाती है।

*14--श्री विजय सिंह राणा--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

श्री आई0 डी0 राम, सहायक आयुक्त, बिक्रीकर के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

*15--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 696, दिनांक

7 जनवरी, 1986 जो श्री आई0 डी0 राम, सहायक आयुक्त, बिक्रीकर के बारे में था, मुख्य मंत्री जी को तारीख 7 जनवरी, 1986 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है क्या वह जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच करायी जा रही है जिससे माननीय सदस्य को अलग से पत्र द्वारा अवगत करा दिया जायेगा ।

*16—श्री सूर्य प्रताप शाही--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

गन्ना विकास परिषद्, बिलासपुर द्वारा आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत किये गये व्यय का विवरण

*17—श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में गन्ना विकास परिषद्, बिलासपुर द्वारा कितनी लम्बाई की कौन सी सड़कों का निर्माण किस स्तर तक किया गया ? उक्त सड़कों पर परिषद् द्वारा व्यय किये गये धन पर निर्धारित अनुपात में चीनी मिल, बिलासपुर तथा राज्य सरकार द्वारा अभी तक कितना-कितना अंशदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार अविलम्ब अपना तथा सहकारी चीनी मिल बिलासपुर के लिए नियमानुसार निर्धारित अंशदान देने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विगत पांच वर्षों (1981-82 से 1985-86 तक) गन्ना विकास परिषद्, बिलासपुर द्वारा कुल 5·70 कि0मी0 पेन्टेड रोड, 0·90 कि0मी0 खडंजा तथा 3·20 कि0मी0 इन्टरकोट तक का कार्य कराया गया है । विवरण संलग्न है । आयोजनागत योजना के रूप में अन्तर-ग्रामीण सड़कों एवं पुलियों के निर्माण की योजना शासन द्वारा वर्ष 1972-73 में स्वीकृत की गई जिसमें आधा व्यय लाभान्वित संस्थाओं, अर्थात् गन्ना-विकास परिषदों/गन्ना यूनियनों द्वारा वहन किये जाने तथा शेष आधा व्यय शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया । वर्ष 1973-74 से आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत उक्त योजना के लिए धनाभाव के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । परन्तु उक्त योजना की उपयोगिता को देखते हुये परिषद् द्वारा पेन्टेड रोड पर किए गये प्रश्नगत पांच वर्ष की अवधि में कुल व्यय लगभग 8,98,452 रु0 में से शक्कर विशेष निधि द्वारा लगभग 3,79,190 रु0 की सहायता प्रदान की गयी ।

उक्त योजनान्तर्गत निर्धारित पैटर्न के अनुसार चीनी मिल द्वारा उपर्युक्त सड़कों के निर्माण में किसी अंश के दिये जाने की बाध्यता नहीं थी फिर भी चीनी मिल द्वारा 1,72,999 रु0 की सहायता दी गई ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 207 पर ।)

किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानन्द जिला खीरी के निर्माण हेतु अर्जित भूमि का भूस्वामियों को मुआवजा का भुगतान

*18—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर खीरी हेतु अधि-ग्रहीत भूमि में खड़े वृक्षों को भू-स्वामियों को न काटने देने या वृक्षों का मुआवजा

न दिये जाने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर जिला खीरी के निर्माण हेतु अर्जित भूमि पर स्थित वृक्ष तथा जंगल/झाड़ी में से गाटा संख्या 282 व 283 के वृक्ष/जंगल झाड़ी को छोड़कर शेष का प्रतिकर भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है ।

गाटा संख्या 282 व 283 का मामला न्यायालय में विवादास्पद होने के कारण भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला समिति बस्ती द्वारा राप्ती नदी पर पक्के पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित

*19--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आई0 पी0 गुप्त, विशेष सचिव, सा0 नि0 वि0 ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0 741 सी0 एम0 ई0/23-सा0 नि0 अनु0-1134 (1) ई-85 सा0 नि0 अनुभाग-11, दिनांक 16 अक्तूबर, 1985 द्वारा उन्होंने प्रश्नकर्ता को यह लिखा है कि राप्ती नदी के सिगार जोत घाट पर पैन्टून पुल तथा चन्द्रद्वीप घाट पर बानो नदी पर पाइनसेतु जिला सेक्टर के कार्यों के अन्तर्गत आते हैं उन्होंने इन प्रस्तावों को जिलाधिकारी बस्ती को भेज दिया है ? यदि हां, तो जिला योजना की किस बैठक में इस पर विचार किया गया और क्या कार्यवाही की ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला समिति की दिनांक 14 जून, 1986 की बठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया । उक्त बैठक में राप्ती नदी पर पक्के पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया तथा कुआनों नदी पर पाइल सेतु का अनुपोदन नहीं किया गया ।

अन्य जनपदों की भांति ललितपुर को भी आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जाने संबंधी शासन की नीति

*20--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद डाकू ग्रस्त क्षेत्र घोषित हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जनपद में जनता की आत्म सुरक्षा के लिये बन्दूकों के लाइसेन्स देने की नीति उदार बनायेंग ? लाइसेन्स दिये जाने का शासन का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बन्दूक लाइसेन्स धारी को एक वर्ष में 25 कारतूस उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो प्रति वर्ष उक्त कारतूसों की मात्रा बढ़ाने का शासन का कोई विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी, हां ।

अन्य जनपदों की भांति ललितपुर में भी आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा गुणावगुण के आधार पर आग्नेयास्त्र लाइसेन्स दिये जाने पर विचार किया जाता है । चूंकि उक्त अधिनियम एवं नियमावली केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं, अतः आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स सम्बन्धी नीति निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाते हैं ।

प्रदेश की शांति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सीमित आधार पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्स दिये जाते हैं ।

प्रदेश में बन्दूक लाइसेन्स धारकों को एक वर्ष में अधिकतम कारतूस रखने की मात्रा 100 कारतूसें हैं । इसे बढ़ाने का शासन का कोई विचार नहीं है, क्योंकि उक्त मात्रा किसी व्यक्ति की आत्मसुरक्षा हेतु पर्याप्त है ।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले के विकास खंड बामौर में पेय जल संकट से निपटने हेतु हुये परिव्यय की जानकारी की मांग

1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले के विकास खंड बामौर में वर्ष 1985-86 में पेय जल संकट से निपटने हेतु अस्थाई व्यवस्थाओं में शासन द्वारा किस मद में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह भी बतायेंगे कि किन ग्रामों में टैंकर द्वारा पेय जल उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक पर क्या व्यय आया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2—श्री विजय सिंह राणा—

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

उत्तर प्रदेश पुलिस में मुस्लिम सम्प्रदाय के कर्मियों की संख्या एवं प्रतिशत

3—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मुस्लिम सम्प्रदाय के कर्मियों की संख्या क्या है तथा उनका पुलिस बल में जन संख्या के आधार पर कितना प्रतिशत है ? उनमें से कितने पुलिस अधीक्षक जिला हैं तथा कितने प्रभारी निरीक्षक वर्तमान में हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश पुलिस में मुस्लिम सम्प्रदाय के कर्मियों की संख्या 9121 है । इनका पुलिस बल में जनसंख्या के आधार पर 6·51 प्रतिशत है । इनमें से दो पुलिस अधीक्षक जिला हैं तथा 7 प्रभारी निरीक्षक हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के अतिरिक्त किसी सम्प्रदाय विशेष का पुलिस में आरक्षण न होना

4—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी राजाज्ञा या शासनादेश है जिसके अन्तर्गत किसी सम्प्रदाय विशेष की पुलिस में भर्ती पर निश्चित प्रतिशत तक की भर्ती प्रतिबन्धित है ? क्या इसके अन्तर्गत मुस्लिम सम्प्रदाय भी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण के अतिरिक्त किसी सम्प्रदाय विशेष का पुलिस में भर्ती हेतु कोई निश्चित प्रतिशत का प्रतिबन्ध नहीं है । मुस्लिम सम्प्रदाय भी इसमें सम्मिलित है ।

भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी (श्री फकीरे लाल) के निलम्बन के मामले पर विचार

5—श्री सरजू प्रसाद सरोज—

क्या वित्त एवं नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व सहायक

विकास अधिकारी सांख्यिकी (श्री फकीरे लाल) को आर्थिक ब ध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने दिनांक 1-4-81 को अपरिहार्य कारणों से निलम्बित किया था जिसकी सभी जांच कार्यवाहियां पूरी हो जाने के उपरान्त भी आज तक निर्णय नहीं हो पाया जबकि नियमानुसार कोई भी निलम्बित 6 माह से अधिक नहीं चलाया जा सकता है ? यदि हां, तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

चूंकि मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तिम निर्णय लेना सम्भव नहीं है । माननीय न्यायालय के आदेश से श्री फकीरे लाल खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं ।

बिक्रीकर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

6--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2025, दिनांक 12-6-85 वर्ष 1985-86 में बिक्रीकर संग्रह का लक्ष्य 700 करोड़ रुपया की बजाय 1000 करोड़ रखने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पत्र पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मांगी लाल शिवलाल बाजपेयी, नयागंज, कानपुर द्वारा करापवंचन और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती-पत्र

7--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर नयागंज में सर्वश्री मांगी लाल शिव लाल बाजपेयी के बिक्रीकर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के बारे में शासन ने अर्ध शा0 प0 सं0 एस0टी0-2-5268/दस-16(75)/71, दिनांक 31-7-84 से आयुक्त, बिक्रीकर से रपट मांगी गयी है ? यदि हां, तब माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायत में भ्रष्टाचार के क्या-क्या आरोप लगाये गये थे एवं आयुक्त, बिक्रीकर ने अपनी जांच रपट में क्या पाया और शासन को रपट कब भेजी ? विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । उक्त पत्र में श्री मांगी लाल शिव लाल बाजपेयी के शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में आख्या मांगी गई थी ।

शिकायती-पत्र में किराना व्यापारियों द्वारा बिक्रीकर अधिकारियों के सहयोग से करापवंचन और भ्रष्टाचार के सामान्य आरोप लगाये गये थे । उसमें न तो किन्हीं विशिष्ट व्यापारियों द्वारा करापवंचन की बात की गई थी और न किसी विशिष्ट अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख था ।

शिकायती-पत्र अपूर्ण पते से प्राप्त हुआ था । उसमें शिकायत की सामान्य प्रकृति की थी । अतः उस पर कोई जांच पड़ताल किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

गंगा प्रसाद बेनी प्रसाद, शिव प्रसाद वर्मा रोलिंग मिल शीतला प्रसाद मोहन लाल मिर्जापुर के विरुद्ध कराप-वंचन के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच

8--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि गंगा प्रसाद बेनी प्रसाद, शिव प्रसाद, वर्मा रोलिंग मिल शीतला प्रसाद मोहन, लाल मिर्जापुर बर्तन उद्योग मिर्जापुर द्वारा बिक्रीकर बंचन के बारे में शासन ने अ0 शा0 पत्र संख्या एस0 टी0-2-170 वि0 स0-दस-11 (57)/84, दिनांक 5-12-84 से आयुक्त बिक्रीकर से रपट मांगी है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त बिक्रीकर ने इस कर बंचन की शिकायत पर शासन को क्या रपट भेजी ? क्या कर बंचन का मामला पाया गया ? यदि हां, तब करदाताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा जांच कराई जा रही है । जांच पूरी होने पर यदि करापवंचन पाया जाता है तो व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

देहरादून जनपद में ईट भट्ठों के मालिकों द्वारा किये गये करापवंचन के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जांच एवं आवश्यक निर्देश

9--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि देहरादून जनपद में ईंट निर्माता भट्ठों के मालिकों द्वारा की जा रही बिक्रीकर की चोरी की शिकायत के बारे में शासन ने पत्र संख्या एस0 टी0-2-1233/दस-11 (16)-84, दिनांक 3-5-84 द्वारा आयुक्त बिक्रीकर से रपट मांगी है ? यदि हां, तब मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? आयुक्त ने अपनी जांच रपट कब भेजी और जांच में क्या पाया गया तथा करवंचक व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शिकायत पत्र में उल्लिखित व्यापारियों से सम्बन्धित भट्ठों के विषय में जांच कराई गई । आयुक्त बिक्रीकर से जांच रिपोर्ट शासन को 6-9-86 को प्राप्त हुई । इस रिपोर्ट के अनुसार इन कर अपवंचक व्यापारियों के समय-समय पर सर्वेक्षण किये गये हैं जिनका उपयोग कर-निर्धारण आदेश पारित करते समय किया जायेगा । एक भट्ठे के व्यापार स्थल से कुछ हिसाब-किताब भी अभिग्रहीत किये गये हैं जिससे प्रत्यक्षतः कर अपवंचन प्रकाश में आता है । अभिग्रहीत कागजात की जांच की जा रही है और इनमें पाये गये तथ्यों का उपयोग करके यथा-समय कर-निर्धारण किया जायेगा । भट्ठा व्यापारियों के मामलों में ईंटों की बिक्री उचित रूप से निर्धारित करने के सम्बन्ध में आयुक्त बिक्रीकर द्वारा जुलाई, 1986 में सभी अधिकारियों को मार्गदर्शक निर्देश भी जारी किये गये हैं ।

लखनऊ निशात गंज में स्वीकृत पुल निर्माण के प्रस्तावित लक्ष्य में विलम्ब का कारण

10--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ-निशातगंज में पुल की स्वीकृति मई, 1984 में की गयी थी और इस

पर 126 करोड़ रुपया का खर्चा अनुमानित था और पुल को अक्तूबर, 1985 में जनता को भेंट करने की घोषणा सेतु निगम के एक प्रवक्ता ने 5-7-85 को किया था ? यदि हां, तब माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1985 तक पुल पूरा न होने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि प्रारम्भ में इस पुल पर पूरे पांच माह तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो काम न होने के क्या कारण थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत पुल 1.26 करोड़ रु0 का स्वीकृत था ।

पुल को अक्तूबर, 1985 तक पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित था । निशातगंज की ओर अन्तिम कूयें के नीचे पुराने पुल की नींव का कुछ भाग अप्रत्याशित रूप से आ जाने के कारण उसको तोड़ने में अत्यधिक समय लगा, जिस कारण पुल के पूर्ण होने में देर हुई । पुल की स्वीकृति के तुरन्त बाद स्थल चयन, परिकल्पना एवं मिट्टी की जांच हेतु बोरिंग का कार्य किया गया । तदोपरान्त सेतु का निर्माण कार्य वर्षा ऋतु समाप्त होते ही अक्तूबर म प्रारम्भ कर दिया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री बाबूराम के विरुद्ध अनियमितातओं की जांच आख्या

11--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री बाबू राम के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा घपलों की जांच के लिये राजस्व परिषद के अध्यक्ष को जांच का काम सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता श्री हरि नारायण दुबे के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

12--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता श्री हरिन रायण दुबे के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और घपलों की जांच के लिये राजस्व परिषद् के अध्यक्ष को जांच का काम सौंपा गया है ? यदि हां, माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होगी ।

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शीघ्र पूरी किये जाने की सम्भावना है ।

वाराणसी, कानपुर व लखनऊ में बिक्रीकर विभाग द्वारा अंग्रेजी शराब, देशी शराब व ताड़ी के ठेकेदारों द्वारा पंजीयन की आयुक्त बिक्रीकर से मांगी गयी आख्या

13--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित

अता0 प्रश्न संख्या 18 के संदर्भ में वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन ने इस बारे में अर्ध शासकीय पत्र संख्या ए0 टी0- -4913/दस-85, दिनांक 26-8-83 व अ0 शा0 प0 सं0 एस0 टी0-2-1192/दस-1003 (6)/82, दिनांक 28-2-85 से आयुक्त बिक्रीकर से रपट मांगी है ? क्या आयुक्त ने अपनी रपट शासन को भेज दी ? यदि नहीं, तब क्यों ? रपट न भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

आयुक्त बिक्रीकर से आख्या प्राप्त हुई थी, जिस पर उनसे कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी गई है जो प्रतीक्षित है ।

फर्रुखाबाद के वनस्पति घी के व्यापारी
फर्म अशोक कुमार एण्ड सन्स
के विरुद्ध बिक्रीकर विवेचना
सम्बन्धी जांच आख्या

14-श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद के वनस्पति घी के व्यापारी फर्म अशोक कुमार एन्ड सन्स के द्वारा बिक्रीकर विवेचना के बारे में आयुक्त बिक्रीकर ने पत्र सं0 अ0 (वि0 अनु0 श) मु-4 पर्स 8384-1270(1)/बिक्रीकर, दिनांक 28-3-85 से अपनी अन्तरिम रपट शासन को भेजी है ? यदि हां, तब माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त ने अपनी अन्तरिम रपट में क्या भेजा और क्या जांच पूरी हो गयी ? क्या अधिकारी ने पंजीयन के सम्बन्ध में मुख्यालय से जारी परिपत्रों में दिये गये निदेशों का पालन किया ? यदि नहीं, तब क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में उल्लिखित संख्या और दिनांक का कोई पत्र बिक्रीकर आयुक्त से प्राप्त नहीं हुआ । किन्तु इसी विषय पर उनसे पत्र संख्या-स0 आ0(वि0 अनु0 शा0)-मु-4-फर्रु0 83-84-1270(1)/बि0 क0, दि0 26 3-85 प्राप्त हुआ है । इस पत्र में कोई अन्तरिम रपट नहीं भेजी गई बल्कि केवल यह सूचित किया गया कि जांच आख्या प्राप्त होने पर शासन को भेज दी जाएगी । इस सम्बन्ध में अभी कोई जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है । अतः यह कहना संभव नहीं है कि जांच में तथ्य क्या पाये गए ।

सेवा निवृत, संयुक्त सचिव, सचिवालय
सेवक श्री ब्रह्म स्वरूप पाण्डेय
के विरुद्ध भ्रष्टाचार के
सम्बन्ध में शिकायती पत्र
पर जांच

15-श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 521, दिनांक 7-12-85 ता0 31-5-85 को सेवा निवृत होने वाले संयुक्त सचिव सचिवालय सेवक श्री ब्रह्म स्वरूप पाण्डेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्यवाही न करने तथा पेंशन व ग्रेचुटी में कटौती न करने के संबन्ध में ता0 7-12-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में मांगी गयी जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक दी जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का एक पत्र सं0 521, दिनांकित 5 दिसम्बर, 1985 प्राप्त हुआ है ।

श्री पाण्डेय के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही जांच अभी लम्बित है । अतः उक्त पत्र द्वारा वांछित सूचना दिया जाना जनहित में नहीं है ।

थाना पचूगंज के थानाध्यक्ष द्वारा श्री मोहावल निवासी जनपद मिर्जापुर की पुत्री के हत्यारों के बचाने के बारे में पत्र पर कृत कार्यवाही

16–श्री यदुनाथ सिंह––

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री मोहावल पुत्र रामदास, मौजा खलियारी, थाना पचूगंज, जनपद मिर्जापुर का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24–12–85 थाना पचूगंज, के थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थी की पुत्री के हत्यारों के बचाने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित––

जी हां । मामले की जांच कराई गई । जांच से विदित हुआ कि स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों द्वारा थाने पर सूचना होने के पश्चात् लगातार प्रार्थी की पुत्री अमरावती को बरामद करने की कोशिश की गयी व अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया जिसके फलस्वरूप अभियुक्त अदालत में हाजिर हुआ । घटना के सम्बन्ध में धारा 363/366 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग जो घटनास्थल के निरीक्षण के उपरान्त धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 में तरमीम किया गया है, में विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

सा0 नि0 वि0 अस्थाई राष्ट्रीय मार्ग खंड नं0 2, लखनऊ के मुख्य लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

17–श्री यदुनाथ सिंह––

क्या सा0 नि0 मंत्री को ज्ञात है कि अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खंड नं0–2, सा0 नि0 वि0 लखनऊ के मुख्य लिपिक के विरुद्ध श्री शारदानन्द अंचल विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 31–12–85 जो सचिव, सा0 नि0 वि0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं पर जांच अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी राष्ट्रीय मार्ग खंड–2, लखनऊ द्वारा की गयी ।

समस्त आरोप निराधार पाये गये । प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्री कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायती–पत्र पर कृत कार्यवाही

18––श्री यदुनाथ सिंह––

क्या वित्त मन्त्री जी को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 646, दिनांक 30–12–1985 एक बिक्रीकर अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम भूखंड खरीदने के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 30–12–1985 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायत पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

माननीय विधायक का पत्र सं0 646, दिनांक 27–12–1985 प्राप्त हुआ है लेकिन पत्र दिनांक 30–12–1985 प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त पत्र पर कार्यवाही विचाराधीन है

आयुक्त बिक्रीकर के विभागीय परीक्षा दल द्वारा आबकारी ठेकेदारी की पत्रावलियों की जांच की कार्यवाही

19—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 95 के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय वित्त मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या 650, दिनांक 30-12-1985 जो माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 30-12-1985 को प्राप्त हुआ है, के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विभागीय निर्माण इकाई, इटावा के कार्य अधीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

20—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 7वें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-95 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1985 तथा सचिव सा0 नि0 विभाग को पत्रांक एम-1-व/260-93/सी0 एम0-2/85 में उल्लिखित शिकायत पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा फर्म प्राग आइस एण्ड आयल मिल बनाम आयुक्त बिक्रीकर के मामले में दिये गये निर्णय

21—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रिव्यू प्रार्थना-पत्र इन सेल्स टैक्स रिवीजन सं0 3 आफ 1982 फर्म प्राग आइस एण्ड आयल मिल बनाम आयुक्त बिक्रीकर में अपना निर्णय दिनांक 18-4-1983 को दिया है और आयुक्त बिक्रीकर के द्वारा दायर रिव्यू प्रार्थना-पत्र को खारिज किया है ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से आयुक्त बिक्रीकर के द्वारा इस तरह दाखिल रिव्यू प्रार्थना-पत्र की भर्त्सना की है ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । सर्वश्री प्राग आइस एण्ड आयल मिल बनाम आयुक्त बिक्रीकर के रिवीजन संख्या 6 आफ 1982 से सम्बद्ध रिवीजन संख्या 3 आफ 1982 में उच्च न्यायालय ने दिनांक 5-7-1982 को यह निर्णय दिया था कि उक्त व्यापारी के 1972-73 के मामले में बिक्रीकर अधिकारी (ए) को कर-निर्धारण का कोई अधिकार नहीं था । इस मामले में बिक्रीकर अधिकरण ने विभाग के पक्ष में निर्णय दिया था । तत्कालीन स्थायी अधिवक्ता ने, जो अब माननीय उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति हैं, यह अनुभव किया कि उच्च न्यायालय ने आयुक्त बिक्रीकर के आदेश दिनांक 31-10-1977 को, जिसके द्वारा उक्त व्यापारी के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त (कर-निर्धारण) के स्थान पर बिक्रीकर अधिकारी, खंड-3 को कर-निर्धारक अधिकारी नियुक्त किया गया था, ध्यान में नहीं लिया और

फलतः उन्होंने राजस्व हित में उक्त निर्णय के विरुद्ध रिव्यू प्रार्थना-पत्र दाखिल करना उचित समझा ।

चूंकि रिव्यू प्रार्थना-पत्र न्यायालय के आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है, स्थायी अधिवक्ता ने शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वतः ही प्रार्थना-पत्र दाखिल कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । अपने दिनांक 18-4-1983 के निर्णय में उच्च न्यायालय ने यह भी संवीक्षा की थी कि प्रश्नगत रिव्यू प्रार्थना-पत्र गलत धारणा पर दिया गया (मिस-कन्सीव्ड) था । चूंकि तत्कालीन स्थायी अधिवक्ता ने राजस्व हित म सदाशय से रिव्यू प्रार्थना-पत्र दायर किया था, इसमें कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

उपायुक्त (शा०), बिक्री-कर, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

22--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र संख्या 644, दिनांक 20-12-85 जो अलीगढ़ के उपायुक्त (शा०), बिक्री-कर के बारे में है, माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 30-12-85 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है क्या वह जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबंकी, फर्म नेशनल ट्रेडर्स के बिक्री-कर सम्बन्धी-पत्र पर सूचना

23--श्री यदुनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 6ठें मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 123 के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 699, दिनांक 7-1-86 माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 7-1-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है क्या वह जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, किन्तु इसी विषय पर पत्र संख्या 699, दिनांक 6-12-85 प्राप्त हुआ था ।

पत्र में उठायें गये बिन्दुओं पर सूचना निम्न प्रकार है--

रेलवे रिकार्ड के अनुसार सर्वश्री नेशनल ट्रेडर्स, बाराबंकी के नाम से वनस्पति घी का व्यापार केवल वर्ष 1984-85 में किया गया और माल का आयात डिलीवरी के दिनांक के अनुसार 14-11-84 से 15-2-85 के बीच किया गया । इस बीच 18,928 टिन वनस्पति घी का आयात किया गया । लखनऊ और बाराबंकी के वनस्पति घी के व्यापारियों द्वारा खरीद की जो सूची दी गयी उसकी जांच खरीद के परचों से की गयी । चूंकि वनस्पति घी एक पदीय कर योग्य है, स्थानीय खरीद होने पर बाद की बिक्री-कर मुक्त होती है । प्रत्येक मामले में यह जांच किया जाना सम्भव नहीं है कि खरीद स्थानीय की गयी है किन्तु यदि करापवंचन का कोई संकेत मिलता है तो जांच की जाती है । ऐसा कोई आधार नहीं था कि लखनऊ और बाराबंकी के सभी वनस्पति व्यापारियों की खरीद की जांच विक्रेता व्यापारी से की जाय । इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत व्यापारी द्वारा केवल 1984-85 में ही व्यापार किया गया था, अतः ऐसी कोई जांच नहीं की गयी । वर्ष 1984-85 का कर निर्धारण बाद

अभी अनिस्तारित हैं और जिन मामलों में खरीद की सूचना प्राप्त हो रही है उनमें आवश्यक जांच करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत व्यापारी द्वारा करापवंचन की सूचना प्राप्त होने पर 18-3-85 को बिक्री-कर अधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर श्री बृज किशोर गुप्त, श्री नन्द किशोर गुप्त, शास्त्री मार्केट के पीछे निबहरा, सराउगी, बाराबंकी को फर्म का मालिक मानते हुए 18.40 लाख रु0 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है जिसकी अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है। सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27-2-85 को एरिया राशनिंग अधिकारी ने दर्ज कराई थी जिसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

बिक्री-कर अधिकारी, बाराबंकी द्वारा किए गये राजस्व की हानि के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

24--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 698, दिनांक 7-1-86 बाराबंकी के बिक्री-कर अधिकारी द्वारा राजस्व की हानि के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 7-1-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है क्या वह जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फर्म पंजाब ज्वेलर्स बनाम आयुक्त, बिक्रीकर के मामले में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्रोत्तर की जानकारी

25--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिविजन सं0 927 आफ 1978 फर्म पंजाब ज्वेलर्स बनाम आयुक्त, बिक्रीकर में निर्णय दिनांक 29-10-79 को दिया है और करदाता के औचित्य को स्वीकार करके हर्जा-खर्चा के 300 रु0 दिलाए हैं ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 700, दिनांक 7-1-86 इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 7-1-86 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लिखित जानकारी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो उक्त जानकारी कब तक दी जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

26--श्री यदुनाथ सिंह--

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सा0 नि0 वि0 शाहजहांपुर में कार्य पर अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

27--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक 24-7-84 को राज्य मंत्री सा0 नि0 वि0, जनपद शाहजहांपुर गए थे तो विभागीय अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे और वहां के खण्ड में कार्यरत श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव मुख्य लिपिक को निर्देश दिए गए थे ?

यदि हां, तो क्या निदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 738 कैम्प मि0-4/84, दिनांक 26-7-84 में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिए गए ? यदि हां, तो क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

कोई निर्देश नहीं दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

14 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये थे, जिसमें से 7 व्यक्तियों का अवकाश स्वीकृत किया गया तथा 7 कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी :

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में पी0 आर0 डब्लू0 पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

28--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में पी0 आर0 डब्लू0 पर कार्यरत समस्त प्रोजेक्टों के कितने कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया ? यदि हां, तो पृथक करने का क्या कारण है और इन प्रोजेक्टों पर अब कितने कर्मचारी पी0 आर0 डब्लू0 पर कार्यरत हैं ? प्रोजेक्टों का कार्य किस प्रकार के लेबरों से कराया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

66 व्यक्तियों को 1 निर्माण कार्य की समाप्ति और प्रशासनिक कारणों से उन्हें सेवा से पृथक किया गया । अब उन प्रोजेक्टों पर पी0 आर0 डब्लू0 के माध्यम से 1635 व्यक्ति कार्यरत हैं । प्रोजेक्टों का कार्य मुख्यतः पी0 आर0 डब्लू0 के माध्यम से अकुशल, अर्ध-कुशल व कुशल श्रमिकों से कराया जा रहा है ।

28अ--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इन प्रोजेक्टों पर मस्टर रोल पर भी कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कितने टेक्निकल कर्मचारी हैं और कितने नान-टेक्निकल हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, टेक्निकल एवं नान टेक्निकल कर्मचारियों का विवरण एकत्रित किया जा रहा है ।

राजकीय निर्माण निगम में पी0 आर0 डब्लू0 एवं मस्टर रोल में जनपद इलाहाबाद, ऊंचाहार एवं अलीगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति

29--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में पी0 आर0 डब्लू0 एवं मस्टर रोल में जनपद अलीगढ़ ऊंचाहार एवं इलाहाबाद में कार्यरत 300 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो उनके समाप्त करने का क्या कारण था ? क्या उन्हें विभाग में पुनः सेवा में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

निर्माण निगम की अलीगढ़ एवं ऊंचाहार स्थित इकाइयों में परियोजनाओं का कार्य लगभग समाप्त हो जाने के कारण पी0 आर0 डब्लू0 एवं मस्टर रोल पर कार्यरत 61 व्यक्तियों की सेवायें समाप्त

कर दी गई। इलाहाबाद स्थित किसी भी इकाई में छटनी नहीं हुई। कथित व्यक्तियों को पुनः सेवा में रखने के विषय पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में वर्णित व्यवस्थाओं के आधार पर निगम द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मिर्जापुर में अनपरा तापीय परियोजना पम्प हाउस राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत कर्मचारियों की छटनी

30--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर में अनपरा तापीय परियोजना पम्प हाउस राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत लगभग 124 दैनिक भोगी 5 वर्षों से 10 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रबन्ध निदेशक द्वारा निकाला गया है ? यदि हां, तो इनमें कितने टेक्निकल व नान-टेक्निकल हैं और कितने वर्ष की सेवा पूर्ण की है ? सेवा से पृथक करने का क्या औचित्य एवं आधार था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम द्वारा अनपरा तापीय परियोजना, पम्प हाउस के कर्मचारियों को नहीं निकाला गया किन्तु सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक द्वारा परियोजना का कार्य समाप्त होने के कारण इनकी सेवाओं की आवश्यकता न रह जाने के कारण इनकी छटनी की गई।

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) के अन्तर्गत आशुलिपिक के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश

31--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सा० नि० वि० मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) में कितने ऐसे आशुलिपिक हैं जिनके विरुद्ध विभागीय जांच पूर्ण हो गयी है एवं निर्धारित अवधि में नियमानुसार निर्णय लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत केवल एक आशुलिपिक के विरुद्ध विभागीय (अनुशासनिक) जांच की जा रही थी जिसमें अनुशासनिक जांच के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नियमानुसार निर्णय लेकर सम्बन्धित आशुलिपिक की दो वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोक कर दण्डित किया गया है।

31 (अ)--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 7-3-77--कार्मिक-1/79, दिनांक 21 दिसम्बर, 79 को पैरा-3 के (1) (2) में तथा 7/8-1972-कार्मिक-1, दिनांक 30 जुलाई, 1977 के पैरा 8 के अनुपालन में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में इंगित शासनादेश निलम्बित कर्मचारियों के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु जारी किये गये हैं। उक्त आशुलिपिक निलम्बित नहीं थे, अतः उनके मामले में प्रश्नगत शासनादेश लागू नहीं माने जा सकते।

32--श्री यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम कर्मचारी यूनियन रेणुकोट, मिर्जापुर द्वारा दिये गये ज्ञापन में मुख्य आरोप एवं जांच

33--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सा० नि० मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम

कर्मचारी यूनियन रेणु कोट सिर्जापुर ने ता0 3-10-85 को निगम में हो रही धांधली व चोर बाजारी के सम्बन्ध में एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ज्ञापन में क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ? क्या उन आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य-मुख्य आरोप निम्नवत् हैं, जिनपर जांच कराई गई है :--

(1) श्री वी0 वी0 गर्ग, अपर परियोजना प्रबन्धक द्वारा 1600 बोरी सीमेन्ट का घोटाला ।

(2) श्री राम शक्ल सिंह, जिसे सीमेन्ट ढुलाई का ठेका मिला था और काफी कार्य करने के बाद जिसकी मृत्यु हो गई, उसके द्वारा जमा करायी गई सिक्योरिटी आदि की हजारों रुपये की धनराशि का फर्जी भुगतान किया गया, दिखाया जाना ।

(3) अधिकारियों द्वारा निगम के मैटिरियल का दुरुपयोग ।

(4) करोड़ों रुपये की मशीनरी तथा गाड़ियों का ठीक प्रकार से रख-रखाव न किया जाना ।

(5) गलत कार्यों पर पर्दा डालने के लिए 40 प्रतिशत कार्य बाकी रहते हुए, 124 व्यक्तियों की छटनी किया जाना ।

श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव मुख्य लिपिक आ0 रा0 भा0 खंड-2 लखनऊ के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

34--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री को ज्ञात है कि श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य लिपिक, आ0 रा0 भा0 खण्ड नं0-2 लखनऊ का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर पत्र संख्या 1287-सी0 जेड0 ई0/टी0 सी0 जेड (3)-68/85, दिनांक 18-11-85 से किया गया ? यदि हां, तो उसे निरस्त करने का क्या कारण तथा औचित्य था ? क्या इनका स्थानान्तरण पुनः किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य लिपिक का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें उच्च वेतनमान स्वीकृत होने के कारण मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग की सहमति से राष्ट्रीय मार्ग के ही खण्ड नं0-1 लखनऊ में तैनाती के आदेश दिये गये थे ।

उपर्युक्त स्थानान्तरण के बाद मुख्य अभियन्ता की सहमति से श्री श्रीवास्तव को पूर्व खण्ड में ही रोक कर उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया । चूंकि जिनके स्थान पर श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण हुआ था, उनका स्थानान्तरण निरस्त हो गया, अतः वह पद रिक्त न रह जाने के कारण श्री श्रीवास्तव का उस पद पर किया गया स्थानान्तरण भी निरस्त किया गया ।

इनका पुनः स्थानान्तरण करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महामन्त्री, उत्तर प्रदेश सा0 नि0 वि0 आशुलिपिक संघ का कथित-पत्र

35--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सा0 नि0 वि0 मन्त्री को ज्ञात है कि महामन्त्री, उत्तर प्रदेश सा0नि0वि0 आशुलिपिक संघ का पत्र संख्या 1, संघ

दिनांक 30-1-85 प्रमुख अभियन्ता सा0नि0 विभाग को मिला है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डिप्टी ए0 पी0 विशेष जांच दल, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

36--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 861, दिनांक 27-1-86 लखनऊ के विशेष जांच दस्ते में तैनात एक डिप्टी एस0 पी0 के बारे में ता0 27-1-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तब माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है वह जानकारी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो कब तक दी जावेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां।

दिनांक 23-1-86 का पत्र दिनांक 27-1-86 को प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत बिन्दुओं पर जानकारी की गई है। वह परीक्षणाधीन है। जांच अन्तिम होने पर ही जानकारी देना सम्भव है।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फर्म अग्रवाल वुडेन प्रोडक्ट्स बनाम आयुक्त, बिक्रीकर के मामले में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्र

37--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सेल्स टैक्स रिवीजन संख्या 398 व 399 आफ 1948 फर्म अग्रवाल वुडेन प्रोडक्ट्स बनाम आयुक्त, बिक्रीकर में दिनांक 12-3-85 को निर्णय दिया है और निर्णय करदाता के पक्ष में दिया है? यदि हां तब माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 862, दिनांक 27-1-86 माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिनांक 27-1-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांग गयी है क्या यह जानकारी दे दी गयी है? यदि नहीं, तब कब तक दी जावेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

जी नहीं, किन्तु माननीय सदस्य का पत्र संख्या 862, दिनांक 23-1-86 अवश्य प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित मामले में मूल कर निर्धारण आदेश 28-11-81 और 20-9-82 को पारित किये गये थ जिसमें वडेन बंटन को टिम्बर प्रोडक्ट के अधीन मानते हुए कर निर्धारण किये गये थे। बाद में इस आधार पर कि उक्त वस्तु पर कम दर से कर लगाया गया है, व्यापारी को धारा 21 में नोटिस दी गई। उसके पश्चात् 26-7-83 के आदेशानुसार उडेन बंटन, केसिंग बोर्ड आदि की बिक्री पर वर्ष 1978-79 में 6,810·31 रु0 कर तथा वर्ष 1979-80 में रुपये 4,902·56 कर तथा रु0 750 अतिरिक्त कर निर्धारित किये गये। मूल कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 21 तथा 10-ख दोनों ही में कार्यवाही की जा सकती थी और बिक्रीकर अधिकारी ने धारा 21 में कार्यवाही किया जाना उचित समझते हुए तदनुसार कार्यवाही की। धारा 21 के आदेशों के विरुद्ध व्यापारी द्वारा अपील की गई, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई। इस अपीलीय आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा द्वितीय अपील की

गई, जिसे ट्रिब्यूनल ने स्वीकार करते हुए मामले को कर निर्धारण अधिकारी को इस अभिमत के साथ प्रति प्रेषित कर दिया कि उडेन वंटन पर टिम्बर की प्रविष्टि के अधीन कर देय है। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के इस निर्णय के विरुद्ध व्यथित होकर द्वारा दायर रिवजन स्वीकार करके धारा 21 में लगाए गए 0 6,810.31 तथा 5,652·56 रु0 के करदायित्व को समाप्त कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करना उचित नहीं समझा गया। चूंकि इस मामले में सभी कार्यवाही कर निर्धारक अधिकारी ने विधि के अधीन की थी, यह प्रश्न सगत नहीं है कि धारा 21 के अधीन कार्यवाही न करके धारा 10 ख के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस मामले में यह भी नहीं कहा जा सकता कि राजस्व हानि हुई अथवा उसके लिए कोई अधिकारी दोषी है।

लखनऊ में डाक्टरी की जाली डिग्रियां देने वाली फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध कृत कार्यवाही एवं जांच

38—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ता0 9-1-86 के लखनऊ पुलिस ने देश में हजारों लोगों को डाक्टरों की जाली डिग्रियां देकर लाखों रुपया कमाने वाले फर्जी संस्थाओं का भंडाफोड़ किया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 863, दिनांक 27-1-86 उनको ता0 27-1-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तब माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन-जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है क्या यह जानकारी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो अब कब तक दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-1-86 को लखनऊ पुलिस द्वारा श्री अशोक कुमार चौधरी पुत्र श्री श्रीकृष्ण चौधरी एवं श्री स्वयंवर शर्मा पुत्र श्री भगवान दीन लोहार तथा श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र श्री बाबू राम श्रीवास्तव को धारा 420/464/465/466/468/470/471, 473 474/476/197 भा0 दं0 वि0 व धारा 3/4/6 इंडियन मेडिकल डिग्री ऐक्ट व धारा 5/6 यूनाइटेड प्रोविंसेज इंडियन मेडिकल ऐक्ट 1939 के अन्तर्गत धोखा धड़ी व जालसाजी से जाली डिग्रियां देने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था।

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था।

उक्त अभियोग में तीनों नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 5-3-86 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इस मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई है। जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही पत्र में इंगित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाना सम्भव होगा।

कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में कार ड्राइवर एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध के आरोप पत्र न्यायालय में विलम्ब से भेजे जाने की जांच

39—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ का एक सिपाही 7-11-84 को साढ़े 9 बजे रात्रि को शराब के नशे में धुत कार नं0 यू0 एस0 एक्स 8259 चला रहा था और हजरतगंज के दरोगा श्री एम0 एल0 खान ने उसको यातायात अधिनियम की धारा 117 के अंतर्गत गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो उसकी चालानी रपट न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां कब दाखिल की गयी थी ? क्या यह सही है

कि यह रपट एक वर्ष ढाई मास के बाद मियाद के बाहर दाखिल की गयी थी और सिपाही दोष मुक्त हो गया है ? यदि हां, तो देरी से दाखिल करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? उसके प्रति क्या कार्यवाही का गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार 7-11-84 को साढ़े दस बजे रात कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में मोटरकार नं0 यू0 एस0 एक्स 8259 में सवार ड्राइवर व अन्य 6 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 147/452/352/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था। विवेचना में उक्त कार के ड्राइवर कांस्टेबिल के विरुद्ध धारा 117 एम0 व्ही0 ऐक्ट का अपराध बनना पाया गया।

उक्त ड्राइवर के विरुद्ध आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी से अभियोजन चलाये जाने की औपचारिक अनुमति मांगी गयी थी। इस बीच उक्त कान्स्0 ड्राइवर के जी0 आर0 पी0 लखनऊ से पी0 ए0 सी0 झांसी में स्थानान्तरित हो जाने के कारण अभियोजन की अनुमति समयावधि के अन्दर प्राप्त न हो सकी एवं आरोप पत्र दिनांक 20-1-86 को न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक को इस प्रकरण में जांच कराकर उत्तर-दायित्व निर्धारित करने एवं दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

40--श्री यदुनाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मेरठ पुलिस की न्यायालय में सबूत न पेश करने के सम्बन्ध में दायित्व निर्धारण का जांच

41--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मेरठ पुलिस ने ता0 31-1-79 को कुरुक्षेत्र निवासी सजान को एक कनस्तर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया था और अभियुक्त का बयान ता0 31-1-81 को दर्ज किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर0 एस0 राठी ने चार वर्ष तक पुलिस द्वारा सबूत न पेश करने के कारण सजान को बरी कर दिया है ? यदि हां, तो सबूत प्रस्तुत न करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार, यह सही है कि प्रश्नगत मामले में पुलिस द्वारा सबूत न पेश करने के कारण सम्बन्धित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न जांच के अधीन है।

जांच उपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में फर्म कमल ट्रेडर्स के पंजीयन के बारे में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

42--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 882 दिनांक 3-2-86 लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खण्ड-3 में वर्ष 1984-85 में फर्म कमल ट्रेडर्स के पंजीयन के बारे में

माननीय मुख्य मंत्री जो को दिनांक 3-2-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं किन्तु इसी विषय पर माननीय सदस्य को पत्र संख्या 882 दिनांक 23-1-86 प्राप्त हुआ है। इस पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर बिक्रीकर आयुक्त से सूचना प्राप्त की गयी जो निम्न प्रकार है :--

करदाता ने वर्ष 1984-85 से 1986-87 के लिए पंजीयन प्रार्थना-पत्र 30-7-84 एवं 21-8-84 को दिया था। प्रार्थना-पत्र पर करदाता के फोटो और हस्ताक्षर को श्री प्यारे लाल, ओथ कमिश्नर ने सत्यापित किया था। यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि वे कानपुर के निवासी थे या नहीं। यह सही है कि संबंधित खंड अधिकारी लखनऊ आने से पूर्व कानपुर में कार्यरत थे किन्तु इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि उक्त ओथ कमिश्नर से उनका पूर्व परिचय था अथवा नहीं। व्यापारी का सर्वेक्षण पंजीयन के बाद किया गया था और यह पाया गया कि व्यापारी किराये के कमरे में स्थित व्यापार स्थल से व्यापार कर रहा था। पंजीयन के समय 10,000 रु0 की जमानत ली गयी थी जो डिप्टी कलेक्टर (संग्रह), बिक्रीकर, कानपुर द्वारा सत्यापित की गयी थी। इसी कारण कानपुर के खंड अधिकारी से नहीं पूछा गया। व्यापारी द्वारा वर्ष 1984-85 में रूप पत्रों के साथ 804.90 रु0 कर जमा किया गया था और फार्मों के प्रयोग का विवरण भी उसके द्वारा दाखिल किया गया था। व्यापारी को सितम्बर, 1984 में 3 बार दो-दो, अक्तूबर, 1984 में एक बार दो, नवम्बर, 1984 में 2 बार में कुल 15 और दिसम्बर, 1984 में 5 फार्म 31 तथा दिसम्बर, 1984 में 5 फार्म "सी" जारी किये गये थे जिन्हें जारी करते समय अधिकारी संतुष्ट थे कि व्यापारी ने उचित कर जमा कर दिया है और पहले दिये गये फार्मों का विवरण भी दाखिल कर दिया है। वर्ष 1984-85 के लिए अस्थाई कर निर्धारण आदेश पारित करके 72,000 रु0 की मांग निकाली गयी है जिसकी वसूली की कार्यवाही चल रही है। व्यापारी का इस समय कोई पता नहीं चल रहा है।

श्री हृदय नारायन सिंह, फर्म हैवी इंजीनियरिंग कं0 रामापुरा, वाराणसी का नियमानुसार भुगतान के निर्देश

43--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री हृदय नारायन सिंह मालिक फर्म हैवी इंजीनियरिंग कं0, रामापुरा, वाराणसी के वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान को रोके जाने के बारे में पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को मिला है जिसको उनके संयुक्त सचिव ने पत्र संख्या 1-व/1-49 सी एम-2/85, दिनांक 4-1-86 को सचिव आवास एवं नगर विकास को भेज दिया है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां। प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है। विकास प्राधिकरण को भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये। प्राधिकरण द्वारा लगभग 3,30,854.16 रु0 का अंतरिम भुगतान किया जा चुका है।

44--श्री यदुनाथ सिंह--

[दिनांक 2-9-86 को अता0 प्र0 सं0 113 द्वारा उत्तरित]

श्री एस0 एम0 जमाल बिक्रीकर अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा किये गये राजस्व की हानि के सम्बन्ध में आरोप-पत्र

45--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 883, दिनांक 3-2-86 इलाहाबाद के बिक्रीकर अधिकारी श्री एस0 एम0 जमाल के द्वारा राजस्व हानि के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनांक 3-2-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ के पंजीकृत राइफल क्लब के पदाधिकारी एवं व्यय व्योरा का विवरण

46--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ जनपद में राइफल क्लब भी है ? यदि हां, तो क्या यह पंजीकृत है तथा कौन-कौन पदाधिकारी वर्ष 1984-85 व 1985-86 में रहे ? क्या यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शस्त्रधारी को लाइसेंस नवीनीकरण के समय 18 रुपया चन्दा देना पड़ता है ? यदि हां, तो 1984 व 1985 में कितना चन्दा मिला और इसका क्या उपयोग हुआ ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी हां, लखनऊ राइफल क्लब का पंजीकरण कराया गया है । वर्ष 1984-85 व 1985-86 में जिला मजिस्ट्रेट पदेन अध्यक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, पदेन उपाध्यक्ष, नगर मजिस्ट्रेट, पदेन सचिव तथा प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) कोषाध्यक्ष रहे ।

प्राप्त सूचनानुसार यह सही नहीं है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शस्त्रधारी को लाइसेंस के नवीनीकरण के समय 18 रु0 चन्दा देना पड़ता है । ऐच्छिक आधार पर क्लब के सदस्यों से वर्ष 1984-85 में 15162·00 रु0 व वर्ष 1985-86 में 15078·00 रु0 सदस्यता शुल्क 6 रु0 प्रति वर्ष की दर से प्राप्त हुआ । व्यय का व्योरा निम्नवत् है :--

मद	1984-85	1985-86
अंशकालिक कर्मचारियों का वेतन व भत्ता	3081·60	4373·90
नवीनीकरण/ सम्बद्धता शुल्क	511·50	511·50
लेखन सामग्री/ अन्य प्रासंगिक व्यय	601·10	259·00
योग ..	4194·20	5144·40

जनपद लखनऊ में ग्राम पल्का के प्रधान श्री फसीउद्दीन को रिवाल्वर के लाइसेंस स्वीकृत करने का औचित्य

47--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ जनपद के ग्राम पल्का के मौजूदा प्रधान श्री फसीउद्दीन ने ता0 25-10-85 को शस्त्र प्रार्थना-पत्र दिया था और ता0 5-11-85 को लाइसेंस स्वीकार हो गया और ता0 6-11-85 को शस्त्र खरीद भी लिया गया ? यदि हां, तो इनकी सिफारिश किसने की थी ? क्या यह भी सही है कि इन पर धारा 107 से लेकर धारा 147 तक के कई मुकदमें विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इनको रिवाल्वर का लाइसेंस देने का क्या आधार था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद लखनऊ में ग्राम पल्का के प्रधान श्री फसीउद्दीन द्वारा रिवाल्वर के लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांकित 25-10-85 श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी, भूतपूर्व विधायक की संस्तुति सहित प्राप्त हुआ था । पुलिस द्वारा जांच कराने के उपरान्त श्री फसीउद्दीन को दिनांक 5-12-85 को लाइसेंस स्वीकृत किया गया, परन्तु लाइसेंसी अभी तक शस्त्र क्रय नहीं कर सका है ।

यह सही है कि श्री फसीउद्दीन के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 संहिता की कार्यवाही की गई व भा0 दं0 संहिता की कतिपय धाराओं के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत हुए थ । इस आशय की सूचना लाइसेंसिंग अधिकारी को न दिये जाने के प्रश्न पर सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाहीं करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

आयुक्त विक्रीकर द्वारा भवनों के पंजीयन हेतु नकद रुपया निकालने के सम्बन्ध में प

48--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1470, दिनांक 1 अगस्त, 1984 आयुक्त बिक्रीकर द्वारा 1978 में राम सागर मिश्र नगर में भवनों के पंजीयन हेतु नकद रुपया निकालने के बारे में तारीख 2 अगस्त, 1984 को मिला है ? यदि हां, तो मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

49--श्री काशी सिंह ऐरी--

[दिनांक 26 अगस्त, 1986 को अता0 प्र0 सं0 11 द्वारा उत्तरित]

पिथौरागढ़, जनपद में रेशम/टसर उद्योग केन्द्रों व क्षेत्रफल तथा कार्यरत कर्मचारियों/मजदूरों का विवरण

50--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न 186 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में उल्लिखित रेशम/टसर उद्योग कार्य किन-किन स्थानों में चलाया जा रहा है ? इनका क्रमशः क्षेत्रफल तथा कर्मचारियों/मजदूरों की संख्या क्या-क्या है ? इन केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय लोगों को इन उद्योगों में प्रोत्साहित करने के लिये 1 मई, 1986 व उसके बाद क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पियौरागढ़ जनपद में रेशम/टेसर उद्योग के सम्बन्ध में चलाये जा रहे केन्द्रों, उनके क्षेत्रफल तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों/मजदूरों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	केन्द्र/फर्म का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	कर्मचारियों की संख्या	श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5
	अ--रेशम--			
1	लन्थूड़ा	7·5	6	311
2	सिलौली	7·5	2	144
3	विण	3.0	2	50
4	जुजराली	5·0	1	23
5	डीडीहाट	5·0	2	52
6	मुवानी	2·0	2	50
7	चिलियागांव	वाह्य केन्द्र	1	दैनिक श्रमिक नहीं लगाये गये हैं।
8	बलमरा	तदेव	1	
	योग ..	30 एकड़	17	630
	ब--ओक टेसर--			
1	फुटसिल	वाह्य केन्द्र	1	63
2	मुन्सयारी	तदेव	1	48
	योग	2		111

इन केन्द्रों के माध्यम से 1 मई, 1986 के बाद लगभग 20 स्थानीय कीटपालकों को कीटपालन सम्बन्धी प्रशिक्षण, शहतूत उद्यानों का रख-रखाव हेतु कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है।

इसके अतिरिक्त 500 कि0 ग्रा0 शहतूती रेशम कोया एवं 20,000 टसर कोया उत्पादन करने के लिये भी कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है।

51—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में युवा वर्ग के पलायन की कथित समस्या

52—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे युवा वर्ग के पलायन को सरकार स्वीकार करती है ? यदि हां, तो इस गम्भीर प्रवृत्ति का आंकलन किस प्रकार किया जाता है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 में माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर में ऐसा कोई संकेत नहीं है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के युवा वर्ग के पलायन की बात स्वीकार की गई हो । यह सही है कि शिक्षा व रोजगार के श्रेष्ठतर साधनों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति तथा मानव समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रव्रजन (माइग्रेशन) होता रहा है । पर्वतीय क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इस सामान्य प्रवृत्ति को विशेष समस्या मानने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में फलों के बीमा करने के सम्बन्ध में योजना

53—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के संदर्भ में बताने कि कृपा करेंगे कि अभी तक पर्वतीय संभागों में फसल बीमा लागू न करने के क्या कारण हैं ? मैदानी क्षेत्रों में फसलों की तरह उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में फलों के बीमा करने के संबंध में दिनांक 1 मई, 1986 व उसके बाद क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सभी पर्वतीय जनपदों में धान तथा गेहूं की फसल पर फसल बीमा योजना लागू है ।

चालू वर्ष में फलों के बीमा योजना लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार के श्री एस0 के0 दास, उप सचिव, तथा श्री जोशी, मैनेजर, जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया, दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ दिनां 10 अप्रैल, 1986 को इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया । क्षेत्र का भ्रमण कर सेब उत्पादकों से सम्पर्क किया तथा उन्होंने विभाग से सेब के उत्पादक, क्षेत्र उपज ओला, आंधी आदि से क्षति की सूचना प्राप्त की । योजना को यथ शीघ्र लागू कराने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा उपसचिव, भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष में परीक्षण के रूप में बीमा योजना लागू हो जायेगी ।

हल्दी, अदरख आदि मसालों के प्रोत्साहन हेतु योजनायें

54—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि हल्दी, अदरख आदि मसालों के प्रोत्साहन हेतु कौन-कौन सी योजनायें दिनांक 1 मई, 1986 तक स्वीकृत की गयीं ? इस संदर्भ में जनपद पिथौरागढ़ में क्या प्रयत्न किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हल्दी, अदरख आदि मसालों के प्रोत्साहन हेतु औद्यानिक फसलों के व्यावर्तनीकरण की य.जना स्वीकृत की गयी हैं जो वर्तमान मे चल रही है।

उपर्युक्त स्वीकृत योजना पिथौरागढ़ जनपद में भी चलाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विभिन्न औद्यानिक अनुसंधानों के प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था

55—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या माननीय पर्वतीय विकास मंत्री द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अता० प्र० सं० 135 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित फलों में अनुसंधान के लिये कब किस संस्था/वैज्ञानिको को आदेश दिये गये ? इस हेतु कितना धन अवंटन किया गया है ? दिनांक 1 मई, 1986 तक इस कार्य में क्या उपलब्धि रही ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभिन्न औद्यानिक नुसंधानों के साथ-साथ हिसालू, किल्मोड़ा एवं मेहल आदि पर भी अनुसंधान कार्य औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र चौबटिया एवं उससे सम्बद्ध अनुसंधान इकाइयों पर स्थित वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।

सामान्य अनुसंधान कार्यों के अन्तर्गत ही उल्लिखित फलों पर भी अनुसंधान किया गया। इसके लिये अलग से कोई धनराशि नहीं आवंटित की गयी थी।

हिसालू एवं घिंघारू के जो पौधे 1972 में पश्चिमी जर्मनी से मंगाये गये थे उनकी उपयुक्तता अच्छी नहीं पायी गई। मेहल पर फ्रेम बर्किंग कर उसे नाशपाती में परिवर्तित करने में काफी सफलता मिली है। नाशपाती के मूल वृत भी विकसित किये गये है जिनकी उपयुक्तता पर प्रयोग किये जा रहे है।

56—श्री काशी सिंह ऐरी—

[5वें मंगलवार के अता० प्र० सं० 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण की योजना

57—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ वहां के पर्यावरण को स्थायी रूप से स्वस्थ रखने के लिये वृक्षों का प्रजातियों का अत्यन्त महत्व है ? क्या सरकार सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में विशेषकर सीमान्त तहसील मुनस्यारी व धारचूला के उपर्युक्त स्थलों में काश्मीर की तर्ज चिनार वृक्षारोपण की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पर्वतीय क्षत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने तथा पर्यावरण को स्थायी रूप से स्वस्थ रखने के लिये वहां की जलवायु के अनुकूल विभिन्न स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जा रहा है।

चिनार एक विशाल पर्णपाती वृक्ष प्रजाति है। इसके लिये अधिक गहराई की अच्छी जल निकास वाली बलुई मूदा तथा वर्ष भर नमी की अधिक मात्रा आवश्यक है। चूंकि तहसील मुनस्यारी व धारचूला सहित जनपद पिथौरागढ़ की जलवायु इस प्रजाति के अनुकूल नहीं है, अतः इस प्रजाति के लिये बड़ी संख्या में वृक्षारोपण की कोई योजना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के पुराने मन्दिरों की संख्या एवं उनकी सुरक्षा हेतु उठाये गये कदम

58---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में किन-किन स्थलों पर कौन-कौन से ऐसे मन्दिर हैं जिनको निर्मित हुये लगभग 100 वर्ष व्यतीत हो गये हैं ? सरकार ने इन मन्दिरों को पुरातत्वता व संस्कृति श्रोतों की पूर्ण सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में 100 वर्ष से अधिक पुराने 21 मन्दिर अब तक प्रकाश में आये हैं, जिनकी सूची संलग्न है ।

इन मन्दिरों की सुरक्षा हेतु उनके अभिलेखीकरण एवं मन्दिरों की मूर्तियों के रजिस्ट्रेशन व जीर्णोद्धार विषयक कार्यवाही की जा रही है । ग्राम टकना, तहसील चम्पावत स्थित मन्दिर एक हथिया नौला का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है । इनमें से दो मन्दिर ग्राम मंगोलीहाट स्थित प्राचीन देवालय व चम्पावत स्थित बालेश्वर मन्दिर भारत सरकार द्वारा संरक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 209 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के कोटमनिया धरमघर में कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत कस्तूरी मृगों की व्यवस्था एवं व्यय-विवरण

59---श्री काशी सिंह ऐरी---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कोटमनिया धरमघर में स्थित कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना में प्रति कस्तूरी मृगयुगल (नर-मादा) के जलवायु, भ्रमण चारे व अन्य देय खाद्यों हेतु क्रमशः क्या-क्या मानक निर्धारित हैं तथा इन्हीं विषयों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान द्वारा क्रमशः क्या-क्या मानक निर्धारित हैं ? सरकार द्वारा अपने निर्धारित मानक का कड़ाई से पालन करवाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी व भविष्य में की जानी है ?

श्री जफर अली नकवी---

प्रभारी सहायक निदेशक, अमलगेमिटेड यूनिट्स काउन्सिल फार रिसर्च, ताड़ीखेत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में कोटमनिया धरमघर में स्थित कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना में वर्ष 1977 में चार बाड़े बनाये गये थे जो 50×50×10 फीट के निर्मित किए गए परन्तु अब कस्तूरी मृगों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इन्हीं बाड़ों का आकार छोटा किया गया है । चारे व अन्य देय खाद्यों हेतु यहां कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

इन्हीं विषयों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान कहीं पर भी स्थापित नहीं है जहां से कस्तूरी मृगों के भ्रमण, चारे व अन्य देय खाद्यों के सम्बन्ध में मानक निर्धारण की जानकारी प्राप्त हो सके । वन्य जीव इन्स्टीट्यूट-

देहरादून ने भी इस विषय पर सूचना के अभाव का उल्लेख किया है ।

यह संस्थान भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अन्डरटेकिंग संस्थान है और संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक के अनुसार केन्द्र पर स्थित कस्तूरी मृगों के स्वस्थ रख-रखाव इत्यादि के लिए पूर्णरूप से जागरूक है ।

60--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कोटमनिया धरमघर में स्थित कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना को कब से प्रारम्भ किया गया ? इस योजना के संचालक व शोध अधिकारियों के कार्यालय व प्रयोगशालायें कहां-कहां हैं । परियोजना हेतु नियत स्थल से इनकी दूरी क्रमशः कितनी है ? योजना प्रारम्भ से दिनांक 30 मार्च, 1985 तक इसमें कितनी धनराशि वार्षिक रूप में व्यय की गयी ?

श्री जफर अली नकवी—

प्रभारी सहायक निदेशक, अमलगिमेटेड यूनिट्स फार रिसर्च ताड़ीखेत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कस्तूरी मृग अनुसन्धान परियोजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कल्याण मंत्रालय के अधीन गठित "स्वायत्तशासी संगठन" केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद् द्वारा माह अप्रैल, 1971 में स्वीकृत की गई । माह अक्तूबर, 1977 तक यह परियोजना अल्मोड़ा जनपद में स्थित सामा नामक जगह पर चलाई गई । बाद में अल्मोड़ा जनपद के बागेश्वर तहसील के अन्तर्गत महसरी नामक स्थान पर वर्ष 1977 से चल रही है । ताड़ीखेत से केन्द्र की दूरी 165 कि0मी0 है । केन्द्र के प्रभारी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 85 तक सम्पूर्ण व्यय जिसमें कर्मचारियों का वेतन यात्रा कन्टीजेन्सीज इत्यादि सम्मिलित है । लगभग 6,83,000 रुपये (छः लाख तिरासी हजार रु0) केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है ।

कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना का कार्यारम्भ तथा कस्तूरी मृगों की सुरक्षा हेतु उठाये गये कदम, परियोजना के सुदृढ़ीकरण व विस्तार हेतु योजनायें

61—श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के कोटमनिया धरमघर में स्थित कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना का कार्यारम्भ कब से किया गया ? मूल रूप में इसमें कितने कस्तूरी मृग थे ? कितने कस्तूरी मृग इसी परियोजना क्षेत्र में पैदा हुये तथा कितने नर मादा कस्तूरी मृग इस क्षेत्र में छोड़े गये ? कितने कस्तूरी मृगों की परियोजना क्षेत्र में स्वाभाविक या शिकार खेलने में मृत्यु हुई ? सरकार ने इन कस्तूरी मृगों की पूर्ण सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

प्रभारी सहायक निदेशक, अमलगिमेटेड यूनिट्स फार रिसर्च, ताड़ीखेत की सूचना के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में बागेश्वर तहसील के अन्तर्गत स्थित महसरी नामक स्थान पर कस्तूरी मृग अनुसन्धान केन्द्र माह अप्रैल, 1977 से प्रारम्भ किया गया है । प्रारम्भ में इसमें एक मादा कस्तूरी मृग जो अस्थायी रूप से वर्ष 1975 से सामा नामक स्थान पर पाली गई थी, स्थानान्तरित की गई । वर्ष 1981 तक इस क्षेत्र में 10 कस्तूरी शावकों को छोड़ा गया । इस परियोजना में 9 कस्तूरी शावक पैदा हुए । इस केन्द्र पर 5 मृगों की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई ।

कस्तूरी मृग एक संरक्षित प्रजाति है जिसका आखेट पूर्णतः निषेध है । कस्तूरी मृग तथा अन्य वन्य जन्तुओं के सम्बद्ध न

हेतु पर्वतीय क्षेत्र में फूलों की घाटी तथा नन्दा देवी, दो राष्ट्रीय पार्क, गोविन्द पशु बिहार, केदारनाथ पशु बिहार तथा अस्कोट पशु विहार की स्थापना की जा चुकी हैं तथा काचुंला नामक स्थान पर कस्तूरी मृग प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई हैं ।

62--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कोटमनिया धरमघर में स्थित कस्तूरी मृग अनुसंधान परियोजना के लिये कुल कितने क्षेत्रफल जंगल को कब आवंटित किया गया ? क्या इस आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत कोई खती की जाती हैं ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में ? कस्तूरी मृग परियोजना के सुदृढ़ीकरण व विस्तार की कौन-कौन सी योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री जफर अली नकवी--

प्रभारी सहायक निदेशक, अमल गेसेटेड यूनिट्स फार रिसर्च, ताड़ीखेत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कस्तूरी मृग अनुसन्धान केन्द्र परियोजना हेतु 2 एकड़ वनाच्छादित वन पंचायत भूमि निःशुल्क उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी । इस आवंटित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती हैं । कस्तूरी मृग परियोजना के सुदृढ़ीकरण व विस्तार के लिए स्टाकेड संख्या में वृद्धि, तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियों, कस्तूरी मृग से कस्तूरी बिना मृग के मारे हुए निकालना आदि विषयों पर शोध कार्य प्रस्तावित हैं ।

कस्तूरीमृग एक संरक्षित प्रजाप्ति हैं जिसका आखेट पूर्णतः निषेध हैं । वन विभाग द्वारा इसके संरक्षण हेतु पिथौरागढ़ जिले में जुलाई 1986 में अस्कोट कस्तूरी मृग वन्य जीव बिहार घोषित किया गया हैं । चमोली जनपद में कांचूला खरक में वर्ष 80 से कस्तूरी मृग प्रजनन की योजना आरम्भ की गई जिसमें अब तक 7 शावक पैदा हो चुके हैं ।

पी० सी० एस० (जे०) सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों की रिक्तता

63--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों से पी० सी० एस० (जे०) सेवाओं में अनुसूचित जन जाति के लिए निर्धारित कोटा भरा नहीं गया हैं ? यदि हां, तो नवम्बर, 1985 तक उक्त कोटे के कुल कितने पद भरे जाने थे और सरकार कब तक इन पदों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मुंसिफ परीक्षायें, जो वर्ष 1982, 1983 व 1984 में हुई उनसे अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित कोटा नहीं भरा जा सका हैं । नवम्बर, 1985 तक उक्त कोटे के अभ्यर्थियों के लिए कुल 5 पद थे परन्तु चूंकि इस कोटे के अभ्यर्थी आयोग द्वारा आयोजित उपरोक्त वर्षो की प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए अतः आयोग ने उन्हें नियुक्ति के लिए संस्तुत नहीं किया । उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर की जाती हैं । अतः जब तक उक्त कोटे का कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित नहीं होता हैं उसे न्यायिक सेवा में नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं ।

अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन, इलाहाबाद में भाग लिए स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या

64--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 18-19 नवम्बर,

1985 को इलाहाबाद में सम्पन्न स्वतंत्रता सेनानी सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानियों को किन मानकों व किस माध्यम से आमंत्रित किया गया था ? इस सम्मेलन में कुल कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विगत 18–19 नवम्बर, 1985 को इलाहाबाद में सम्पन्न अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानियों को कांग्रेस (ई) द्वारा आमंत्रित किया गया था । स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित करने के मानकों के बारे में सूचना शासन के पास नहीं है । इस सम्मेलन में कितने सेनानियों ने भाग लिया इसकी ठीक सूचना ज्ञात नहीं है परन्तु लगभग 14,790 सेनानियों ने भाग लिया ।

जनपद पिथौरागढ़ के बरड़गाड़–थल स्टेशन मोटर मार्ग के स्टेशन वाले छोर का क्षेत्रफल

65—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नामक स्थान पर बरड़गाड़–थल स्टेशन मोटर मार्ग के स्टेशन वाले छोर पर सड़क का कुल क्षेत्रफल कितना है ? क्या सरकार इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कस्बा के अन्तर्गत व्यस्त मालगाड़ी (ठेला) स्टेशन को विस्तृत बनायेगी ताकि और अधिक गाड़ियां बस (माल व यात्री) वाहन खड़ी हो सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ में प्रश्नगत बरड़गाड़–थल स्टेशन मोटर मार्ग के स्टेशन वाले छोर, जो टर्निंग प्वाइन्ट है, का क्षेत्रफल 0.0225 हेक्टेयर है ।

जी नहीं ।

इस स्थान को विस्तृत करना सम्भव भी नहीं है क्योंकि दोनों ओर नजदीक मकान बने हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ के बरड़गाड़–थल मोटर मार्ग का सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण

66—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील डीडीहाट में थल नामक स्थान पर बरड़गाड़–थल मोटर मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग को किस संस्था से किस तिथि को किन पूर्व शर्तों या नियमों पर कितनी धनराशि देने के बाद हस्तांतरित की गयी ? हस्तान्तरण करते समय इस सड़क की कुल लम्बाई तथा स्टेशन वाले छोर का कुल क्षेत्रफल कितना था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग किसी संस्था से सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया । यह मार्ग पूर्व में 1960–61 में श्रमदान द्वारा बनाया गया था व किसी संस्था के अधीन नहीं था । उक्त मार्ग को सुधार कर लेपन स्तर तक कार्य की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 2–1–84 द्वारा प्रदान की गई थी जो पूर्ण कर दिया गया है ।

मार्ग की कुल लम्बाई 341 मीटर है तथा इतने हिस्से पर ही कार्य किया गया है । बस स्टेशन वाले छोर, जो टर्निंग प्वाइन्ट है, का क्षेत्रफल 0.0225 हेक्टेयर है ।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, हल्द्वानी, नैनीताल के कार्यालय में प्राप्त मेजरनामा पर नियमानुसार कार्यवाही

67—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के महा–

मन्त्री श्री खड़क सिंह बगड़वाल द्वारा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका हल्द्वानी जनपद नैनीताल, को दिनांक 29-7-85 को कार्यालय में एक मेजर नामा दिया गया था ? यदि हां, तो अवैध कब्जों को हटाने के लिए कथित स्थल पर निरीक्षण कर अवैध कब्जा समाप्त करने के लिए दिनांक 1-1-86 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जिलाधिकारी, नैनीताल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-7-85 को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, हल्द्वानी के कार्यालय में एक मेजरनामा प्राप्त हुआ था, जिस पर श्री खड़क सिंह बगड़वाल के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसमें हीरा नगर निवासी श्री एम0 सी0 जोशी द्वारा मकान नम्बर 278/8 में अनधिकृत निर्माण की शिकायत थी। इस विषय पर मोहल्ला हीरा नगर के निवासियों का भी एक मेजरनामा नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई।

जनपद नैनीताल में सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स को वन विभाग से शर्तों के अधीन भूमि का आवंटन एवं वृक्षों को काटने की अनुमति

68—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में लालकुआं में स्थित सेंचुरी पेपर मिल को वन विभाग की ओर से कुल कितनी भूमि कब किन शर्तों के साथ आवंटित की गयी थी ? इस आवंटित भूमि में आवंटन तिथि को किस-किस प्रजाति के कुल कितने-कितने वृक्ष लगे थे ? क्या इन वृक्षों के कटान हेतु कथित मिल ने उचित अनुमति प्राप्त की ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल में सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड को शासनादेश दिनांक 3-12-83 के द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग के लालकुआं ब्लाक के आरक्षित वन से 396.405 एकड़ वन भूमि का आवंटन किया गया था। वन भूमि के आवंटन की शर्तें व प्रतिबन्ध संलग्न† हैं।

आवंटित वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 19,077 वृक्ष निम्न प्रकार खड़े थे :—

प्रजाति का नाम	वृक्षों की संख्या
खैर	7855
शीशम	2550
सागौन	2007
हल्दू	5
तुन	1100
जामुन	46
सिरस	589
घोड़ी	45
युटेल	1883
सेमल	953
एलैन्थस	536
अन्य विविध वृक्ष	1498
योग ..	19,077

उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति मिल द्वारा प्राप्त की गई थी तथा अब तक कुल 19,077 वृक्षों के विरुद्ध पेपर मिल के कर्मचारियों के आवास भवनों के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से

†छापी नहीं गई।

25 एकड़ क्षेत्र में मिल द्वारा तथा 139 एकड़ क्षेत्र में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा 8,354 वृक्षों का पातन किया गया है। मिल द्वारा कथित 396.405 एकड़ वन भूमि में काटे जाने वाले 19,077 पेड़ों की क्षति पूर्ति अन्यत्र स्थान में रोपण लगाने हेतु 7,76,944.00 रुपया विभाग के पास जमा किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को बनाने के लिए पत्थर अथवा ईंट के प्रयोग के सम्बन्ध में शासन की नीति

69—श्री मोला सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांवों व ब्लाकों को जोड़ने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बन रही हैं उसके बुनियादी निर्माण के लिये ईंट की सोलिंग क्यों लगाई जाती है, जबकि पत्थर की सोलिंग 4.5" व उसके ऊपर गिट्टी की सोलिंग 1.5" कुल 6" मोटाई होने के बाद भी मय कुटाई के ईंट के सोलिंग से सस्ती पड़ती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बन रही हैं उसके बुनियादी निर्माण के लिये ईंट की सोलिंग उसी स्थिति में लगायी जाती है जब ईंटों की कीमत पत्थर की सोलिंग से सस्ती पड़ती है अन्यथा पत्थर की गिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है।

प्रदेश में होमगार्ड के गठन का समय एवं अन्य कंडरो के साथ सहा0 कम्पनी कमान्डरों को भी मानदेय एवं ड्यूटी एलाउन्स देने के प्रस्ताव पर विचार

70—श्री शिव नारायण मिश्रा--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड संगठन का गठन किस वर्ष हुआ तथा इसमें कितने पदों तक मानदेय एवं ड्यूटी एलाउन्स का भुगतान किया जाता है ? प्रदेश में कितने जनपदों में सहायक कम्पनी कमान्डर होमगार्ड की नियुक्ति है तथा इनको कितनी भागों में मानदेय भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं किया जाता है तो क्यों ? क्या सहायक कम्पनी कमान्डरों को भी मानदेय देने की कोई योजना शासन के अन्तर्गत विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में होमगार्ड संगठन का गठन वर्ष 1963 में हुआ था तथा इसमें अवैतनिक कम्पनी कमाण्डरों, प्लाटून कमाण्डरों तथा होम गार्ड्स स्वयं सेवकों को मानदेय एवं ड्यटी एलाउन्स भुगतान किया जाता है। प्रदेश के 50 जनपदों में सहायक कम्पनी कमाण्डर नियुक्त हैं। इन्हें कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि शासन के आदेश से सहायक कम्पनी कमाण्डरों को दिनांक 1-4-1964 से मानदेय का भुगतान समाप्त कर दिया गया था। सहायक कम्पनी कमाण्डरों को पुनः मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव शासन के परीक्षणाधीन है।

बादशाह नगर कालोनी में अन्तरिम अवधि तक आवंटित आवास को रिक्त कराने का मामला एवं अवशेष किराये की वसूली

71—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बादशाह नगर कालोनी में आवास सं0 एल-6/2 अक्तूबर, 1981 में चार मास की अंतरिम अवधि के लिये आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह आवास अभी तक उक्त अध्यासी से खाली नहीं कराया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । आवास को रिक्त कराये जाने हेतु नियमानुसार वाद दायर किया गया है और अन्तिम निर्णय होने पर आवास रिक्त कराया जायेगा ।

72-श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आवास के अध्यासी से 8,454 रु0 की धनराशि वसूलने के आदेश हुए थे ? तो किन परिस्थितियों में इस धनराशि को वसूलयाबी रोक दी गयी है ? क्या इसकी जांच करवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार 8,254.40 रु0 की धनराशि वसूली के आदेश दिये गये थे । अवशेष किराये की वसूली हेतु भी नियमानुसार वाद विहित प्राधिकारी के न्यायालय में दायर किया गया है । न्यायालय से अन्तिम निर्णय हो जाने के उपरान्त अवशेष किराये की वसूली की जायेगी ।

नैनीताल में ग्राम दुमुवांदूगा (शाशमहल) काठगोदाम में निर्मित नई कलोनी में स्थित कच्ची सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित किया जाना

73--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल अन्तर्गत ग्राम दुमुवादूंगा (शीश महल), काठ गोदाम में बनी नई बस्ती में 13 फिट चौड़े व लगभग 400 फिट लम्बे मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 18-8-82 को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका हलद्वानी, जनपद नैनीताल को प्रत्यावेदन दिये जाने व वर्ष 1983 में उपरोक्त मार्ग निर्माण हेतु भूमि नई कालोनी निवासियों द्वारा नगरपालिका को विधिवत् हस्तान्तरित किये जाने एवं कालोनी वासियों द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल को दिनांक 10-11-83 व 9-6-85 तथा 19-9-85 एवं आयुक्त, कुमायूं मंडल, नैनीताल को दिनांक 17-2-84 तथा 19-9-85 को लिखे गये पत्रों पर दिनांक 1 मई, 86 व उसके बाद क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम दमुवादूंगा (शीशमहल), काठगोदाम में निर्मित नई कालोनी में स्थित कच्ची सड़क, जिसकी लम्बाई 140 मीटर (460 फिट) है, का पालिका द्वारा इलाके के निवासियों के प्रत्यावेदन पर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 221 के अन्तर्गत दिनांक 1 मई, 86 के पश्चात् सार्वजनिक मार्ग घोषित किया जा चुका है ।

जनपद अल्मोड़ा में लक्ष्मी आश्रम मोटर मार्ग की स्वीकृति का समय एवं बजट तथा लाभान्वित क्षेत्र

74--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम के लिये 3 कि0 मी0 लम्बी मोटर मार्ग का निर्माण कब, कितने धनराशि से, पूरा किया गया ? इस निर्माण कार्य हेतु प्राथमिक एवं अन्तिम अनुमोदन, कब किस अधिकारी ने किये थे ? इस मोटर मार्ग से किन-किन ग्रामों को लाभ हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद अल्मोड़ा में प्रश्नगत कौसानी-लक्ष्मी आश्रम मोटर मार्ग (पहुंच मार्ग) के निर्माण की स्वीकृति 9.00 लाख रु0 की अनुमानित लागत पर शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 1983 द्वारा प्रदान की

गई है। मार्ग पर पड़ने वाली आरक्षित वन भूमि वन विभाग से न मिलने के कारण उक्त कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। मार्ग का निर्माण हो जाने से कौसानी बाजार की जनता तथा मार्ग के कि0 मी0 3 में स्थित ऊनी गृह उद्योग आदि लाभान्वित होंगे।

जनपद अल्मोड़ा के लक्ष्मी आश्रम द्वारा अवैध घृणित कुकृत्यों के विरोध में कथित जन आन्दोलन

75--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या माननीय गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में कौसानी के निकट लक्ष्मी आश्रम के द्वारा लगातार अवैध घृणित असामाजिक कुकृत्यों के विरोध में जुलाई, 1981 में निकटस्थ गांव के लोगों ने आन्दोलन किया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं।

किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

76--श्री काशी सिंह ऐरी--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट-वाराकोट मोटर मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान की मांग

77--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या माननीय स0 निर्माण मंत्री महोदय को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में लोहाघाट-वाराकोट मोटर मार्ग के 1972-73 में निर्माण के समय ग्राम फर्तोला के निवासियों के कुल कितने क्षेत्रफल खेत व बगीचे में क्षति हुई ? इस निर्माण में दिनांक 1 मई, 86 तक किस दर से कुल कितने प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इसका तुरन्त सांबधि जमा ब्याज सहित भुगतान करने हेतु क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पिथौरागढ़ के जिला शिल्पकार संघ का नौ सूत्रीय कार्यक्रम का ज्ञापन पत्र

78--श्री काशी सिंह एरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 817/86, दिनांक 9-5-86 के साथ जनपद पिथौरागढ़ के जिला शिल्पकार संघ, पिथौरागढ़ का पर्वतीय नियोजन एवं कारीगरों की समस्या विषयक 9 सूत्रीय कार्यक्रम का ज्ञापन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन नौ सूत्रीय सुझावों पर दिनांक 1 मई, 86 व उसके बाद सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्यों का विधिक नामांकन

79--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या पर्यावरण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा कि यह शासनादेश सं0 4781/45-3 (4) प्रदू-/84-85, दिनांक 4-10-85 को गठित किया गया है, में उन आठ सदस्यों को नामांकित करने का औचित्य क्या है जो

स्वयं ऐसे स्थानीय निकायों के प्रशासक हैं, जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, अथवा ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं जिनके नियंत्रण में स्वयं प्रदूषण करने वाले उद्योग हैं ? क्या माननीय मंत्री जी अविलम्ब ऐसे सदस्यों को हटाकर उनकी जगह ऐसे सदस्य नामांकित करेंगे जो प्रदूषण कर्त्ताओं से किसी तरह भी सम्बन्धित न हों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पांच सदस्य, जो स्थानीय निकायों के प्रशासक हैं, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4(2) (सी) के अन्तर्गत शेष एक सदस्य धारा 4(2) (डी) तथा दो सदस्य धारा 4(2) (ई) के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्य नामांकित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा किया गया नामांकन विधिक दृष्टि से उपयुक्त है।

प्रदेश में कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र की कुल आय का प्रतिशत

80--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 से लेकर वर्ष 1982-83 तक प्रदेश की कुल आय में कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र की कुल आय 1970-71 के भावों पर 58·4 प्रतिशत से घटकर 51 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर 58·4 प्रतिशत से घटकर 42·8 प्रतिशत रह गई है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नवीनतम जानकारी के अनुसार इस समय कृषि क्षेत्र की आय प्रदेश की कुल आय का कितना प्रतिशत है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी नहीं। प्रदेश की आय के अद्यतन अनुमानों के अनुसार वर्ष 1970-71 से लेकर वर्ष 1982-83 तक प्रदेश की कुल आय में कृषि (पशुपालन सहित) खंड की आय का अंश 1970-71 के भावों पर 58·4 प्रतिशत से घटकर 50·2 प्रतिशत (पुनरीक्षित) तथा प्रचलित भावों पर 58.4 प्रतिशत से घटकर 41·6 प्रतिशत (पुनरीक्षित) रह गया है। इस समय वर्ष 1984-85 के उपलब्ध त्वरित अनुमानों के अनुसार कृषि (पशुपालन सहित) खंड की आय प्रदेश की कुल आय का 1970-71 तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 50·2 तथा 38·7 प्रतिशत है।

प्रदेश में कृषि अथवा उससे सीधे सम्बन्धित कार्यों पर आश्रित जनसंख्या

81--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नियोजन मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 से लेकर वर्ष 1984-85 तक प्रत्येक वर्ष प्रदेश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि अथवा उससे सीधे सम्बन्धित कार्यों (एलाइड-एक्टिविटीज) पर आश्रित था ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

किसी भी आर्थिक कार्य पर आश्रित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना के माध्यम से एकत्र नहीं किये जाते हैं बल्कि व्यवसायवार (कृषि एवं उससे सम्बन्धित, विनिर्माण तथा सेवायें) केवल कर्मकारों की संख्या ही जनगणना के माध्यम से एकत्र की जाती है। आश्रित जनसंख्या के आंकड़े नहीं एकत्रित किये जाते हैं।

82--श्री जयदीप सिंह बरार--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादकता, उत्पादन तथा भावों पर मूल्य का अनुपात

83--जयदीप सिंह बरार--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1970-71 से लेकर वर्ष 1982-83 तक प्रत्येक वर्ष 1970-71 के भावों पर कितनी-कितनी रही ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादकता औद्योगिक उत्पादन तथा उस 1970-71 के भावों पर मूल्य क्या-क्या रहा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जानकारी नवीनतम किस वर्ष तक उपलब्ध है तथा वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जनगणना 1971 एवं 1981 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) में लगे व्यक्तियों (कर्मकारों) की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1970-71 में 1941 रु0 तथा 1970-71 के भावों पर 1980-81 में 2110 रु0 अनुमानित की गयी है ।

केवल पंजीकृत औद्योगिक क्षेत्र में लगे व्यक्तियों (कर्मकारों) की प्रति व्यक्ति आय 1970-71 के भावों पर निम्न प्रकार रही :--

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रु0) (1970-71 के भावों पर)
1	2
1970-71	4724
1971-72	4669
1972-73	4595
1973-74	4527
1974-75	3672
1975-76	4500
1976-77	4459
1977-78	4257
1978-79	4940
1979-80	4552
1980-81	4005
1981-82	3589
1982-83	4972
1983-84	5857

पंजीकृत औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1970-71 के भावों पर औद्योगिक उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति (कर्मकर) उत्पादकता के अनुमानित मूल्य निम्न प्रकार हैं :--

वर्ष	वर्ष 1970-71 के भाव पर 19070-71 के भावों पर औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य (अनुमानित) (करोड़ रु0)	पंजीकृत क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का अनुमानित मूल्य (रु0)
1	2	3
1970-71	910·07	22999
1971-72	890·90	24151
1972-73	873·14	22662

1	2	3
1973–74	855·39	21295
1974–75	922·29	20321
1975–76	1147·71	24355
1976–77	1290·91	25058
1977–78	1302·96	23165
1978–79	1484·34	26386
1979–80	1369·85	23979
1980–81	1238·55	19323
1981–82	1461·48	22135
1982–83	2118·08	31354
1983–84	2181·80	36936

सूचना वर्ष 1983–84 तक के लिये ही उपलब्ध है जो ऊपर दे दी गयी है ।

प्रदेश के कृषि क्षेत्र तथा उससे सम्बन्धित कार्यों में लगी जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय उत्पादकता एवं भाव का अनुपात

84--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करगे कि वर्ष 1970–71 से लेकर वर्ष 1982–83 तक प्रदेश के कृषि क्षेत्र तथा उससे संबंधित कार्यों (एलाइडएक्टिविटीज) में लगी हुई जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय 1970–71 के भावों तथा प्रचलित भावों पर प्रति वर्ष कितनी–कितनी थी ? उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादकता तथा प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन तथा उसका 1970–71 के के भावों पर मूल्य क्या-क्या रहा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जानकारी नवीनतम किस वर्ष तक उपलब्ध है तथा वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

निदेशक, आर्थिक बोध एवं संख्या से प्राप्त सूचना के अनुसार कृषि क्षेत्र तथा उससे सम्बन्धित कार्यों (एलाइड एक्टिविटीज) मे लगे कर्मकारों को सूचना केवल जनगणना वर्षों के लिये उपलब्ध है जिनके आधार पर प्रति कर्मकार आय अनुमान निकाले गये हैं । जनगणना 1971 तथा 1981 से उपलब्ध कर्मकारों की संख्या के अनुसार प्रदेश कृषि क्षेत्र तथा सम्बन्धित कार्यों (एलाइड एक्टिविटीज) में वर्ष 1970–71 के लिये प्रति कर्मकर कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र की शुद्ध आय 1197 रु0 अनुमानित की गयी । वर्ष 1980–81 में 1970–71 के भावों पर प्रति कर्मकर आय 1275 रु0 तथा प्रचलित भावों पर यह 2887 रु0 अनुमानित की गयी है । इसके अतिरिक्त केवल जनगणना वर्षों के लिये वर्ष 1970–71 के भावों पर प्रति कर्मकर कृषि उत्पादन का सकल मूल्य वर्ष 1970–71 मे 1317 रु0 तथा 1980–81 मे 1408 रु0 था । परन्तु वर्ष 1971 एवं 1981 की जनगणना में कर्मकरों की परिभाषा एवं क्षेत्र विस्तार में कुछ भिन्नता होने के कारण उक्त दोनों वर्षों के आंकड़े पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं है ।

जल निगम द्वारा बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की योजना का विवरण

85—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत जल निगम द्वारा जनपद बरेली मे विकास खंड शेरगढ़ एवं मीरगंज मे इस योजना के प्रारम्भ होने से 31 जनवरी, 1986 तक किन–किन ग्रामों में कितने–कितने हैंड पम्प लगाए गए

हैं और इन हैण्ड पम्पों में से कौन-कौन से हैंड पम्प इस समय खराब पड़े हैं ? इन खराब हैंड पम्पो को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जल निगम द्वारा जनपद बरेली में विकास खन्ड शेरगढ़ में 50 ग्रामों में 121 हैंड पम्प एवं विकास खंड मोरगंज के 25 ग्रामों में 47 हैंड पम्प 31 जनवरी, 1986 तक लगाये गये हैं जिनका विवरण संलग्न† है ।

इन हैन्ड पम्पों में से 8 हैन्ड पम्प खराब हैं जिनका विवरण संलग्न है । इन खराब हैंड पम्पों को सितम्बर, 1986 तक ठीक करा दिया जायेगा ।

86--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के पुरवा व मौरावां कस्बों की सड़कों व मार्गों के निर्माण में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत

87--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा व मौरावां कस्बों की सड़कों व मार्गों पर वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि खर्च होनी थी और कितनी खर्च हुई है ? क्या यह सही है कि पुरवा व मौरावां में निर्मित सड़कों के निर्माण में घटिया इटों से, मानक से कम चौड़ी सड़क बना कर मिट्टी डाल दी गई है एवं इस आशय की शिकायतें प्रशासक टाउन एरिया पुरवा व मौरावां की जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा माह अप्रैल, 1986 में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव के सहरावां रोड निर्माण में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर छानबीन

88--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सा० नि० वि० मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के बनी सहरावां रोड के निर्माण में हो रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र पत्रांक 221/86, दिनांक 24 मार्च, 1986 उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मामले की छानबीन की जा रही है ।

उन्नाव जिले के हिलौली लउवा मार्ग पर कार्य की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य

89--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली-लउवा सम्पर्क मार्ग पर वर्ष 1985-86 में कितना कार्य स्वीकृत था और कितना पूरा हुआ है ? क्या यह सही है कि ग्राम लउवा के पास उक्त मार्ग पर एक पुलिया बनाने का प्रस्ताव था जिस पर आज तक कार्य नहीं प्रारम्भ हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत मार्ग पूर्व वर्ष 1984-85 मे ही 5 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी, पुलिया व खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत था, जिसमें से पूरी लम्बाई में मिट्टी व पुलिया का कार्य तथा 2 कि० मी० लम्बाई में खड़न्जे का कार्य मार्च, 1986 तक पूर्ण हो चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

†छापी नहीं गई ।

उन्नाव जिले की गुलरिहा–मौरावां रोड के विस्तार योजना के स्वीकृति का समय एवं निर्माण कार्य

90––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की गुलरिहा–मौरावां रोड के 2 कि0मी0 पेन्टेड रोड विस्तार की योजना कब स्वीकृत हुई थी ? मार्ग समय पर न बन पाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

कार्य मार्च, 1986 में स्वीकृत किया गया ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है, परन्तु जिला सेक्टर के कार्यों को पूर्ण करने में सामान्यतः 2 से 3 वर्ष का समय लगता है ।

उन्नाव जिले के हिलौली संदाना की क्षतिग्रस्त सड़क पर खड़ंजे से मरम्मत

91––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इसी क्षेत्र की हिलौली–संदाना सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं है और उसकी पुलिया टूटी हुई है और बारिश में क्या उक्त मार्ग बन्द हो जायेगा ? क्या यह सही है कि इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 14 मई, 1986 पत्रांक 316/86 मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी नहीं । वर्ष 1985–86 की बाढ़ में इस मार्ग का लगभग 100 मीटर भाग कि0 मी0 3 में क्षतिग्रस्त हो गया था और इसी लम्बाई में सड़क एक जगह कट गई थी । वहां पर ह्यूम पाइप डालकर मार्ग को यातायात योग्य कर दिया गया था तथा क्षतिग्रस्त खड़ंजे की मरम्मत भी कर दी गई थी । इस समय मार्ग पर यातायात सुगमता से चल रहा है ।

92––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

[दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव जिले के थानाध्यक्ष, असोहा के विरुद्ध शिकायती–पत्र पर कृत कार्यवाही

93––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या गृह मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उन्नाव जिले के [illegible] थाने के थानाध्यक्ष द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों व स्वयं प्रश्नकर्ता को आतंकित करने की कोशिशें इसलिए की जा रही हैं कि थानाध्यक्ष के बी0 क्लास के हिस्ट्रीशीटरों से नाजायज सम्बन्ध हैं तथा असोहा के थानाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के सख्त निर्देश के बावजूद एक बी0 क्लास के हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और हिस्ट्रीशीटर को उत्तेजित किया कि विधायक उसे फांसने के लिये थानाध्यक्ष पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 9 मई, 1986 पत्रांक 304 व दिनांक 14 मई, 1986 पत्रांक 308 पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से यह सही नहीं पाया गया कि थानाध्यक्ष, असोहा का बी0 क्लास के हिस्ट्रीशीटरों से सम्बन्ध है एवं उनके द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों एवं स्वयं प्रश्नकर्ता को खतरा पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं । थाना क्षेत्र में केवल एक ही बी0 क्लास का हिस्ट्रीशीटर श्री नारायण उर्फ पुत्तन पुत्र स्व0 श्री जयदयाल तिवारी, निवासी ग्राम जबरेला, एच0 एस0 नं0 4,

मजारिया हैं । इस हिस्ट्रीशीटर के वर्तमान में शान्त रहने तथा बैधानिक निगरानी रखे जाने के कारण पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने के आदेश नहीं दिये गये ह । उक्त हिस्ट्रीशीटर को किसी के विरुद्ध उत्तेजित करने की बात जांच से प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न मे संदर्भित पत्र प्राप्त हुये जिन पर क्षेत्राधिकारी से जांच कराई गई । ग्राम जबरैला के अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में थाना असोहा पर अ0 सं0 35/86, धारा 436/323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराकर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया ।

उन्नाव जिले के थाना असोहा के पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने की शिकायत तथा कान्सटेबिल छोटे लाल द्वारा काशी पासी को पीटे जाने की कथित घटना

94--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा थाने के पुलिस कर्मियों पर नवम्बर, दिसम्बर 1985 में ग्राम गढ़ी करमली में बलात्कार किये जाने की शिकायत दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो इस अपराध की तफशीश से क्या नतीजे निकले ? क्या यह सच है कि जांच अधिकारी ने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रारम्भिक में घटना को सच पाया एवं उक्त कर्मियों के तत्काल स्थानान्तरण की सिफारिश की थी ? यदि हां, तब 7 माह बाद भी उनके स्थानान्तरण को न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार उन्नाव जनपद के थाना असोहा के दो कान्सटेबिलों के विरुद्ध दिनांक 28 अक्तूबर, 1985 को ग्राम गढ़ी करमली की निवासिनी श्रीमती राम कुमारी के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उन्नाव पर मु0 अ0 सं0 107/85, धारा 452/376 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ था ।

इस अभियोग की विवेचना से घटना की पुष्टि न होने के कारण विवेचक द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी । यह सही नहीं पाया गया कि जांच अधिकारी ने सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्रारम्भिक में घटना को सच पाया एवं पुलिस कर्मियों के तत्काल स्थानान्तरण की सिफारिश की थी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

95--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिस कर्मियों में से एक छोटे लाल के विरुद्ध हरिजन समाज सेवी को अपमानित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र 6 फरवरी, 1986, डी0 आई0 जी0, लखनऊ को मिला है ? एवं इसी पुलिसकर्मी द्वारा काशी पासी के पीटे जाने की शिकायत मार्च 86 भी शासन के संज्ञान में है और 18 मार्च, 86 को माननीय राज्य मंत्री गृह को पुलिस सिपाहियों के उत्पात व 18 मार्च, 86 को ही डी0 आई0 जी0 लखनऊ रेन्ज को इसी सिपाही द्वारा छात्रों को थाने में बन्द करने व रिश्वत लेकर छोड़ने की शिकायत सम्बन्धी पत्र क्या मिले हैं ? यदि हां, तो उक्त पूरे प्रकरण व दर्जनों शिकायतों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? और जांच के क्रम उ0 प्र0 के मुख्य सचिव के डी0 ओ0 1133/43-2-14/2 (29)-83 प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन, दिनांक 26 अप्रैल, 1984 का पालन करते हुये प्रश्नकर्ता से भी आवश्यक पूछताछ क्या की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी से कराई गई जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये । कान्सटेबिल छोटे लाल, थाना असोहा के विरुद्ध काशी पासी को पीटे जाने से सम्बन्धित कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है ।

दिनांक 14 मार्च, 1986 को बाजार कालू खेड़ा, थाना असोहा में शान्ति भंग की सम्भावना पर झगड़ा करते हुये कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 मार्च, 1986 पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ था । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी एवं जांच के दौरान प्रश्नकर्ता से नियमानुसार पूछतांछ की गयी थी । जांच से गिरफ्तारी के वाकयात सत्य पाये गये थे परन्तु रिश्वत की बात सही नहीं पाई गई ।

उन्नाव जिले के थाना असोहा के पुलिस कर्मियों द्वारा ग्राम कांधा, रमना व उम्मेदखेड़ा की जनता को पीड़ित करने के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

96—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बताएंगे कि उन्नाव जिले के थाना असोहा के ग्राम कांधा, रमना व उम्मेदखेड़ा के समाम निवासियों को पुलिस सिपाहियों व एक स0 इ0 ने शराब के नशे में होली के अवसर पर पीटा था ? क्या पीड़ितों को लेकर असोहा के ब्लाक प्रमुख कांग्रेस (इ0) के नेता व प्रश्नकर्ता पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से इसी आशय का शिकायती पत्र लेकर दिनांक 29 मार्च, 1986 को मिले थे ? क्या यह भी सही है कि एस0 पी0, उन्नाव ने क्षेत्राधिकारी पुरवा को उसी दिन जांच हेतु भेजा था, एवं थानाध्यक्ष असोहा ने कांधा ग्राम में जांच कर रहे क्षेत्राधिकारी पुरवा के समक्ष ब्लाक प्रमुख को अपमानित किया था और क्षेत्राधिकारी ने थानाध्यक्ष से इस अनुशासनहीनता का जवाब देने का नोटिस दिया था। यदि हां, तो थानाध्यक्ष, उक्त स0 इ0 व पुलिस कर्मियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त काण्ड में केवल पुलिस सिपाहियों को ही दंडित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार होली के अवसर पर थाना असोहा, जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा शराब के नशे में ग्राम कांधा, रमना, उम्मेदखेड़ा के निवासियों को मारने-पीटने का आरोप आंशिक रूप से सही पाया गया । घटना के सम्बन्ध में पीड़ितों को लेकर असोहा के ब्लाक प्रमुख कांग्रेस (इ0) के नेता व प्रश्नकर्ता दिनांक 29 मार्च, 1986 को पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से मिले थे और उसी दिन क्षेत्राधिकारी पुरवा को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जांच से मामले में आंशिक रूप से सत्यता पाये जाने पर एक आरक्षी एवं एक उप निरीक्षक को दोषी पाया गया। फलस्वरूप आरक्षी को निलम्बित कर दिया गया और दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । जांच के समय क्षेत्राधिकारी के साथ ग्राम कांधा के ब्लाक प्रमुख भी उपस्थित थे किन्तु थानाध्यक्ष से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई और न ही क्षेत्राधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष को अनुशासनहीनता के सम्बन्ध में कोई नोटिस दिया जाना ज्ञात हुआ है । यह कहना सही नहीं है कि इस काण्ड में केवल सिपाहियों को ही दंडित किया गया है ।

श्रीमती महादेवी पत्नी स्व0 ऊर्धा पुलिस कर्मी को पेन्शन देने के सम्बन्ध में पत्र

97--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती महा देवी पत्नी स्व0 ऊर्धा पुलिस कर्मी को पेन्शन देने विषयक श्री राम चन्द्र शर्मा, स0 पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 डी0 जी0-चार-1015 (181)-85, दि0 लखनऊ सितम्बर 20, 1985 पर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव शहर में उन्नाव-कानपुर लिंक मार्ग के मध्य कुछ असरदार लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

98--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव शहर म उन्नाव-कानपुर लिंक मार्ग के कि0मी0 2.620 से 2.750 के मध्य कुछ असरदार लोगों ने सा0 नि0 वि0 की जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकान खोल ली है ? क्या इसी सम्बन्ध में डी0 एम0, उन्नाव को दि0 15-1-86 को श्री राम किशोर द्विवेदी का शिकायती पत्र मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री युग राम पाण्डेय, प्राइमरी शिक्षक, पमेधिया, उन्नाव की गिरफ्तारी एवं आरोप पत्र

99--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुलिस धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के तहत फर्जी चालान करती है। यदि नहीं, तो थाना असोवन निवासी ग्राम पमेधिया के प्राइमरी शिक्षक युगराम पाण्डेय को अपने भतीजे के साथ डाक्टरी रिपोर्ट लेकर थाने में दिनांक 29 मार्च, 1986 को पहुंचने की सूचना क्या आमद नकल रपट नं0 26 पर दि0 30 मार्च, 1987 को दर्ज दिखाई गई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि एस0 पी0 उन्नाव को उनके अवैध रोके जाने का टेलीग्राम भी किया गया था ? यदि हां, तब 31 मार्च, 1986 को प्राइमरी शिक्षक के पास से कट्टे की बरादमगी क्या फर्जी नहीं है ? क्या यह भी सही है कि पुलिस उनको अब भी परेशान कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-3-86 को युगराम पाण्डेय, निवासी ग्राम पमेधिया, जिला उन्नाव अकेले ही थाना असोवन पर डाक्टरी रिपोर्ट के साथ उपस्थित हुए थे, जिसकी आमद थाने पर नकल रपट-26 दिनांक 30-6-86 पर अंकित है।

दिनांक 31-3-86 को समय 7-30 बजे पूर्वान्ह, थाना असोवन पुलिस द्वारा युगराम पाण्डेय को एक तमन्चा देशी 12 बोर एवं 2 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज के साथ बन्दी बनाया गया था। युगराम पाण्डेय के लड़के द्वारा एक टेली-ग्राम दिनांक 31-3-86 समय 11-05 बजे पूर्वान्ह उक्त गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को दिया जाना

पाया गया । श्री युगराम पाण्डेय शिक्षक होते हुए भी एक अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं विवेचना से आरोप सिद्ध होने पर दिनांक 7-8-86 को आरोप पत्र न्यायायालय प्रेषित किया गया, जो न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में खाना बनाने वाले कर्मचारी का कुल वेतन

100--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या कारागार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में खाना बनाने वाले कर्मचारी (कुक) का कुल वेतन सब जोड़ कर सिर्फ 150 रु0 मासिक ही है ? यदि हां, तो इस भीषण महंगाई के दौर में सिर्फ 150 रु0 दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । दिनांक 1-7-86 से इनको 325 रु0 प्रतिमास की दर से नियत वेतन स्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन्नाव के शाहगंज में सत्ती तालाब के जल भराव की समस्या का निराकरण हेतु स्वीकृत अनुदान

101--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या नगर विकास मंत्री यह जानकारी कृपया देंगे कि उन्नाव शहर के मो0 शाहगंज में सत्ती तालाब के जल भराव की समस्या से निपटने हेतु कितना बजट स्वीकृत हुआ है ? यह धनराशि कार्यदायी संस्था को कब दी गई है ? क्या यह सही है कि बजट का दुरुपयोग किया गया है और वहां कोई काम नहीं हुआ है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

उन्नाव शहर के मोहल्ला शाहगंज में सत्ती तालाब के जल भराव की समस्या के निदान हेतु 5 लाख रु0 की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को शासनादेश संख्या-6713/9-दस-174 (3)-85, दिनांक 25 जनवरी, 1986 द्वारा स्वीकृत की गयी है

जी नहीं । तुरन्त राहत हेतु साइफन में जमी सिल्ट की सफाई व उससे आगे बहाव के अवरोधों को दूर करने तथा एक नाले के आंशिक निर्माण पर उक्त धनराशि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है ।

नगरपालिका, उन्नाव के अधिशासी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां

102--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

कृपया नगर विकास मंत्री जी यह जानकारी देंगे कि नगरपालिका, उन्नाव के अधिशासी अधिकारी ने वर्ष 1985-86 में कितनी नियुक्तियां की हैं ? यह नियुक्तियां किन पदों पर की गई हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

वर्ष 1985-86 में नगर पालिका, उन्नाव में 12 सफाई कर्मचारियों तथा 2 चपरासियों की नियुक्तियां की गई हैं ।

नगरपालिका उन्नाव के सार्वजनिक निर्माण विभाग में मजदूरों से अनियमित कार्य लिए जाने की जांच

103--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि नगरपालिका, उन्नाव के सार्वजनिक निर्माण विभाग में सिर्फ एक स्थायी गैंग है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस गैंग के पांच मजदूरों में से एक से नगरपालिका की कार ड्राइवरी दूसरे से जिलाधिकारी के बंगले की घास का रख-रखाव, तीसरे से एक अति0 मैजिस्ट्रेट के घर का काम, चौथे से नगरपालिका के फटकर काम व पांचवे

से वाटरवर्क्स पर ड्यटी करायी जाती है ? यदि नहीं, तो उक्त गैंग ने वर्ष 1985–86 में कौन से काम किए हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ––

जी हां ।

यह सही नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत मजदूरों से घरेलू अथवा फुटकर कार्य कराया जा रहा है । चपरासियों की नियमित नियुक्तियों पर शासन द्वारा लगाई गई रोक तथा नगर–पालिका में उनकी संख्या में कमी के कारण एक गैंग मैन से स्टाफ कार के ड्राइवर का कार्य तथा शेष से अन्य आवश्यक सरकारी कार्य लिया जा रहा है । जलकल में कोई गैंग मैन कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ए0 के0 विष्ट, तत्कालीन जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा स्वीकृत आयुध लाइसेंस

104––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के जिलाधिकारी श्री ए0 के0 विष्ट ने अपने कार्यकाल में कितने आयुध लाइसेंस जारी किए हैं और थाना वार उनकी संख्या क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

श्री ए0 के0 विष्ट, तत्कालीन जिलाधिकारी, उन्नाव के कार्यकाल में स्वीकृत आयुध लाइसेंसों की थानावार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 210 पर)

प्रदेश में जिलानुसार तथा मंडलवार एवं लेपन स्तर तक विभागीय तथा कुल सड़कों का विस्तृत विवरण

105––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलानुसार तथा मंडलानुसार, प्रति लाख जनसंख्या तथा प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर क्रमशः लेपन स्तर तक विभागीय तथा कुल पक्की सड़कों की लम्बाई कितनी–कितनी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या तथा 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर लेपन स्तर तक सड़कों की लम्बाई क्रमशः 46.57 कि0 मी0 तथा 17.54 कि0 मी0 है । इसका जिलानुसार तथा मंडलवार एवं लेपन स्तर तक विभागीय तथा कुल सड़कों का विस्तृत विवरण माननीय सदस्य कृपया माननीय राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में देख सकते हैं ।

जनपद बरेली की तहसील सदर व बहेड़ी तथा रामपुर के कतिपय ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

106––श्री जयदीप सिंह बरार––

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील सदर व बहेड़ी तथा रामपुर में तहसीलानुसार कौन–कौन से 1,000 से ऊपर तथा 1,500 से ऊपर जनसंख्या (1971 की जनगणना) के ग्राम ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रत्येक ग्राम को कब तक पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जनपद बरेली की तहसील सदर व बहेड़ी तथा रामपुर में तहसीलानुसार 1,000 से 1,499 तक तथा 1,500 से ऊपर जनसंख्या वाले कुल 116 ऐसे ग्राम हैं, जिनको अभी तक पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा जा सका है। इसका विस्तृत विवरण माननीय सदस्य माननीय राज्य मन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में देख सकते हैं ।

इन ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन तथा जिला योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

श्री बसन्त लाल गुप्ता, जिला मनोरंजन कर अधिकारी के विरुद्ध करापवंचन कराने की जांच

107—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ के मनोरंजन कर अधीक्षक श्री बसन्त लाल गुप्त के विरुद्ध एटा तथा बाराबंकी में तैनाती के दौरान करापवंचन कराने की जांच चल रही है? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति किन कारणों से कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों तथा इनको दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछरिया—

श्री बसन्त लाल गुप्ता, जिला मनोरंजन कर अधिकारी कभी भी एटा जनपद में नियुक्त नहीं रहे । बाराबंकी में श्री गुप्ता जून, 1980 से जून, 1983 तक नियुक्त रहे थे परन्तु इस अवधि में इनके विरुद्ध करापवंचन कराये जाने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में नजूल पट्टों के नवीनीकरण

108—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि सिविल लाइन्स, इलाहाबाद में समाप्त नजूल पट्टों के स्थान पर नये पट्टों की स्वीकृति हेतु नजूल अनुभाग द्वारा 19 अप्रैल, 1981 को शासनादेश संख्या 1804/9—नजूल—81—373—न/79 जारी किया गया था ? यदि हां, तो उनके अनुसार कितने पूर्व पट्टेदारों ने पट्टे के नवीनीकरण हेतु विवरणी दाखिल किया, कितनों का पट्टा नवीनीकृत किया गया, बाकी का किन-किन कारणों से अभी तक नवीनीकरण नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शासनादेश के अनुसार 158 पूर्व पट्टेदारों ने नया पट्टा लेने हेतु विवरणी दाखिल की थी । समाप्त पट्टों के नवीनीकरण का प्रश्न नहीं था । 3 पूर्व पट्टेदारों को नया पट्टा दिया गया । कुछ पट्टेदारों द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में शासनादेश दिनांक 19 अप्रैल, 1981 के विरुद्ध रिट याचिका प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण विवरणों पर अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई । मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है ।

लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी के आवासों में दरवाजे लगवाने की मांग

109—श्री नेक चन्द्र पान्डेय तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

विधान सभा के वर्ष 1986 के प्रथम सत्र के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (नत्थी घ) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कालोनियों में प्रत्येक आवास में कितने दरवाजे लगाये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा मिली थी तथा क्या सभी भवनों में स्वीकृत मात्रा में दरवाजे ईंट के लगाए गए हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार शेष भवनों में अविलम्ब स्वीकृत मात्रा में दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करके सदन को सूचित करने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ नगर स्थित इन्दिरा नगर कालोनी में शासनादेश संख्या आर0—8725/32—82—2—81, दिनांक 7—1—83 द्वारा बिभिन्न टाइप के आवासों में दरवाजे

लगाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई थी :

	रु0
(1) एल–1 टाइप आवासों में 78 किचेन तथा 78 बाथरूम	63,500
(2) ई–2 टाइप आवासों में 60 किचेन तथा 60 बाथरूम	47,700
(3) एल–2 टाइप आवासों में किचेन 61 तथा 61 बाथरूय	49,700
(4) ई–1 टाइप आवासों में 121 शौचालय	41,650
(5) एल–3 टाइप आवासों में 43 किचेन लॉबी	15,710

उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार समस्त आवासों में दरवाजे लगाये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ में अंकित अपराध सं0 973/81 विवेचना में हुए विलम्ब की जांच

110––श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ में अंकित अपराध सं0 913/81 की विवेचना पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो इस मामले मे विलम्ब होने का क्या कारण है ? यदि विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी लापरवाही से विवेचना ऐसे महत्व–पूर्ण मामले में पांच वर्ष में विवेचना नहीं पुर्ण कर पाई तो विवेचना अधि–कारी का स्थानान्तरण करके दूसरे विवेचनाधिकारी से कब तक पूर्ण करवा लिया जायेगा और आरोप पत्र न्यायालय में कब तक प्रेषित कर दिया जायेगा तथा विवेचनाधिकारी के विरुद्ध विलम्ब करने के लिए कौन सी कार्यवाही की जायेगी और कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

मु0 अ0 सं0 913/81 में दिनांक 17–1–86 को अन्तिम रिपोर्ट लगा कर न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है ।

विभिन्न विवेचकों के स्थानान्तरण पर जाने एवं अभियोग की विवेचना में विवेचकों द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध करने के यथेष्ट प्रमाण एकत्रित करने में विवेचना में विलम्ब हुआ । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नियाज, निवासी ग्राम सहतेमऊ, जनपद फैजाबाद द्वारा ग्राम के रिक्त भूमि पर अनियमित रूप से आम के वृक्षारोपण की जांच

111––श्री भगवती सिंह विशारद––

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री नियाज, निवासी ग्राम सहतमऊ, ग्राम–सभा–रानीपुर, तहसील–बीकापुर, जनपद–फैजाबाद द्वारा वर्ष 1978–79 में वृक्षा–रोपण स्कीम के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभा की रिक्त भूमि पर लगभग 20 आम के वृक्षों का रोपण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन वृक्षों को श्री नियाज के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी––

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि ग्राम समाज की भूमि पर कथित वृक्षों को लगाने के लिये श्री नियाज ने कोई अनुमति प्राप्त नहीं की, जो अनियमित है ।

देवरिया जनपद के स्थान कसया में उप कोषागार खोले जाने की मांग

112--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया नामक स्थान पर उप कोषागार खोले जाने की शासन ने स्वीकृति वित्त वर्ष में प्रदान की है ? यदि हां, तो उसे खोले जाने में विलम्ब के कारण क्या है ? क्या शासन कसया में राजस्व और दीवानी न्यायालयों की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र उप कोषागार खोलने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जनपद के कसया नामक स्थान पर उप कोषागार के स्थापना की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष (1986-87) में प्रदान की गई है किन्तु अभी भारतीय स्टेट बैंक शाखा कसया (देवरिया) में सरकारी लेन-देन हेतु करेंसी चेस्ट की स्थापना तथा उपयुक्त किराये के भवन की व्यवस्था न हो सकने के कारण इसे नहीं खोला जा सका है ।

उपयुक्त भवन की व्यवस्था तथा स्टेट बैंक में करेंसी चेस्ट की स्थापना होते ही उप कोषागार खोल दिया जायगा ।

श्री दीनानाथ, परसपुर, जनपद गोंडा के विरुद्ध दर्ज रिपोर्टों के विवरण की मांग

113--श्री मयंकर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शिवदीन चौबे पुरवा, थाना परसपुर, गोंडा के श्री दीनानाथ पुत्र राम लखन के विरुद्ध सन् 1974 से अब तक कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई हैं तथा उसका विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि 6-6-1984 एवं 6-2-1985 को भी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई ? यदि हां, तो उन पर कौन-कौन धारा लगाई गई है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्री दीनानाथ पुत्र राम लखन, ग्राम शिवदीन चौबे का पुरवा, थाना परसपुर, जनपद गोंडा के विरुद्ध 1974 से अब तक कुल 22 रिपोर्ट अंकित कराई गई है ।

इन अभियोगों में 5 हस्तक्षेपीय तथा 17 अहस्तक्षेपीय हैं । अभियोगों का विवरण निम्नवत् है :--

हस्तक्षेपीय अभियोग

क्रम-संख्या	मु0 अ0 सं0	धारा
1	2	3
1	237/74	324/323/504 भा0 द0 वि0
2	238/74	307 भा0द0वि0
3	20/81	395/397 भा0 द0 वि0
4	79/82	380 भा0द0वि0
5	207/84	382/435 भा0 द0 वि0

अहस्तक्षेपीय अभियोग

1	7/79	352/504/506 भा0 द0 वि0
2	18/79	352/504/506 भा0 द0 वि0
3	162/79	427 भा0द0वि0
4	190/79	352/504/506 भा0 द0 वि0

1	2	3
5	206/79	504/506 भा0 द0 वि0
6	223/79	352/504/506 भा0 द0 वि0
7	224/79	504/506 भा0 द0 वि0
8	225/79	504/506 भा0 द0 वि0
9	195/84	323/504/506 भा0 द0 वि0
10	41/85	323/506 भा0 द0 वि0
11	383/86	504/506 भा0 द0 वि0
12	385/86	427/504/506 भा0 द0 वि0
13	386/86	504/506 भा0 द0 वि0
14	396/86	504/506 भा0 द0 वि0
15	397/86	504/506 भा0 द0 वि0
16	403/86	504/506 भा0 द0 वि0
17	415/86	504/506 भा0 द0 वि0

यह भी सही है कि दीनानाथ के विरुद्ध दिनांक 6-6-1984 को अभियोग सं0 195/84 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 तथा 6-2-1985 को अ0 सं0 41/85 अन्तर्गत धारा 323/506 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर के थाना राबर्टसगंज में दर्ज एफ0 आई0 आर0 की जांच

114--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को मिर्जापुर के थाना राबर्टसगंज में क्र0 सं0-73 पर कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां।

इस अभियोग में 3 अभियुक्त नामजद किए गए जिनमें से एक अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

टिनिच सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, जिला बस्ती के माध्यम से गन्ने का भुगतान

115-श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1985-86 में गोबिन्दनगर शुगर मिल, जनपद बस्ती द्वारा टिनिच गन्ना सहकारी समिति लिमिटेड आया बाजार बस्ती के माध्यम से कितने मूल्य का गन्ना किसानों से खरीदा गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोविन्दनगर शुगर मिल नाम की कोई मिल बस्ती में नहीं है। इस क्षेत्र का सम्बन्ध बस्ती शुगर मिल कं0 लि0, वाल्टरगंज से है जो गोविन्दनगर में स्थित है। दि बस्ती शुगर मिल कं0 लि0, वाल्टरगंज, बस्ती ने पेराई सत्र 85-86 में पेराई कार्य नहीं किया है। अतः उसके द्वारा टिनिच सहकारी गन्न

विकास समिति लि0, टिनिच जिला बस्ती के माध्यम से किसानों का कोई गन्ना क्रय नहीं किया गया है ।

116–श्री रमाकान्त मिश्र––

उक्त के सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त धनराशि में से कितना भुगतान किसानों को कर दिया गया है और शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

उक्त स्थिति में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रतापगढ़ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग तथा नियुक्ति में अनियमितता

117–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ––

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, लालगंज प्रतापगढ़ में वर्ष 1980 में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अब तक नियमित न करने का क्या कारण है ? सरकार उक्त श्रमिकों को कब तक नियमित करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रतापगढ़ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने हेतु दिनांक 13 अक्तूबर, 1985 को एक परीक्षा ली गयी थी जिसमें लालगंज रेंज के उपयुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो पूर्ण योग्यता रखते थे, भी सम्मिलित थे । उक्त परीक्षा में चयन सम्बन्धी त्रुटियां पाये जाने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है । इसी बीच शासन ने जिला चयन समितियां भंग कर विभागीय चयन समितियों के गठन के निर्देश दिये हैं । विभागीय चयन समितियां गठित हो जाने के पश्चात् इस पर पुनः कार्यवाही की जावेगी ।

118––श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ––

उक्त सन्दर्भ में क्या वन मंत्री को कृपा करेंगे कि पुराने कर्मचारियों को निकालकर नए कर्मचारियों को नियुक्त करके अधिकारियों द्वारा अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करते हुए श्रमिकों को उत्पीड़न से बचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

असन्तोषजनक कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य में पर्याप्त रुचि न लेने के कारण अकर्मण्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को राजकीय हित में हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर दैनिक वेतन पर दूसरे कर्मचारी को रखा जाता है । शासकीय हितों की सुरक्षा हेतु कार्मिकों के निम्न स्तर के कार्य के कारण ही उन्हें हटाया जाता है । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बी0 के0 सिंह, जिला समादेष्टा, होम गार्ड्स, सहारनपुर के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

119––श्री शिवनारायण मिश्र––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला समादेष्टा, होमगार्ड, जनपद सहारनपुर उक्त पद पर कब से नियुक्त हैं और उन्होंने कितने स्वयं सेवकों और पदाधिकारियों को पृथक् करने की कार्यवाही किया था ? क्या जनपद-बुलन्दशहर से विभागीय गम्भीर आरोपों के कारण ही इनका स्थानान्तरण

सहारनपुर किया गया ? क्या यह सत्य है कि इनके आतंक एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कु0 सतीश शर्मा, कम्पनी कमाण्डर ने आपको गम्भीर आरोप-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? क्या जांच उपरान्त दोषी अधिकारी को शासनादेश के अनुरूप दण्डित करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री बी0 के0 सिंह, जिला समादेष्टा, होम गार्ड्स, जनपद सहारनपुर में दिनांक 12-7-85 से तैनात हैं । उन्होंने 963 अवैतनिक अधिकारियों स्वयं सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की तथा 951 को संगठन से पृथक किया ।

श्री बी0 के0 सिंह को पांच वर्ष की अवधि पूरी करने के कारण बुलन्द-शहर से स्थानान्तरित किया गया था । वहां से उनके विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हुई थी ।

जनपद सहारनपुर में कु0 सतीश शर्मा नाम की कोई कम्पनी कमान्डर नहीं है । कु0 शान्ती शर्मा नामक महिला कम्पनी कमान्डर अवश्य है, जिन्होंने श्री बी0 के0 सिंह, के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिये हैं । इन शिकायती पत्रों की जांच हो रही है । जांच पूरी हो जाने के पश्चात् दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरि शंकर लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

120—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने माह अगस्त 1985 में श्री हरि शंकर लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खण्ड 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधान भवन के विरुद्ध शिकायती-पत्र देकर यह मांग की थी कि उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेख जब्त कर उनको कहीं दूर स्थानान्तरित कराकर खुली जांच कराई जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मामले में छानबीन की जा रही है ।

विकास प्राधिकरणों को उद्यम ब्यूरो विभाग द्वारा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण उपलब्ध कराने की मांग

121—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास परिषद् की भांति प्रदेश के समस्त शहरी विकास प्राधिकरणों को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण (मानीटरिंग) उद्यम ब्यूरो विभा से कराने की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास एवं नगर विकास विभाग से सम्बद्ध "इन्वेस्टमेन्ट प्लानिंग ऐन्ड मानीटरिंग सेल" द्वारा विकास प्राधिकरणों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जाता है । अतएव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों से ऐसा अनुश्रवण आवश्यक नहीं है ।

122—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

निर्वाचन निदेशालय में सहायक अधिष्ठान अधिकारी के रिक्त स्थायी पद की आपूर्ति की मांग

123--श्री किरन पाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के निर्वाचन निदेशालय के एक अधिकारी ने उक्त निदेशालय में सहायक अधिष्ठान अधिकारी के पद को स्थाई करने संबंधी मार्च, 1981 के शासन के निर्णय को विगत 4 वर्षों से क्रियान्वित नहीं किया ? यदि हां, तो उक्त फैसले को अब तक लागू न करने के संबंध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भारत निर्वाचन आयोग की वर्ष 1982 की संस्तुति, जिसके अनुसार सचिवालय स्तर के पद सृजित होने थे, विचाराधीन हो जाने पर निदेशालय स्तर के पद को स्थायी करने की कार्यवाही स्थगित रखी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना नरसेना, जनपद बुलन्दशहर में कथित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों की जांच

124--श्री किरन पाल सिंह--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 21-11-1985 को चौकी ऊंचा गांव थाना नरसेना, जनपद बुलन्दशहर में अपराध संख्या 302/54 धारा 394/ आई० पी० सी० दर्ज किया गया था परन्तु उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी जगदीश प्रसाद, कन्डक्टर व गवाह खलील अहमद, ड्राइवर ने अपराधियों को न पहचानने के लिए बयान हल्फी अदालत में व पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के यहां दिनांक 21-1-86 को दिए हैं ? यदि हां, तो फिर क्यों स्थानीय पुलिस द्वारा उपरोक्त विवाद में कुर्की की गई है तथा कथित मुल्जिमों को पुलिस क्यों परेशान कर रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, विवेचना के उपरान्त प्रश्नगत अभियोग को भा तीय दन्ड विधान की धारा 323 में परिवर्तित करके अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कुर्की नहीं की गयी और न ही स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है ।

125--श्री किरन पाल सिंह--

[करण 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित होने के कारण निरस्त]

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कथित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की मांग

126--श्री किरन पाल सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 1 नवम्बर, 1985 को ग्राम ढकौली, पो० माला गढ़, जिला बुलन्दशहर के श्री मसूर अली खां का कोई प्रार्थना-पत्र गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 1985 के अपने पत्र के साथ श्री मकसूद खां एवं श्री मंसूर अली खां, ग्राम ढकौली, पो० मालागढ़, जिला बुलन्दशहर, का कोई प्रार्थना पत्र गन्ना आयुक्त को

प्रेषित नहीं किया गया अपितु प्रश्नकर्ता के प्रश्नगत पत्र के साथ सर्वश्री मोहम्मद जमील, मुजफ्फर अली, हसन अली, श्रीमती निसार बानो, सर्वश्री वारिस अली, शाहिद अली, खुरशीद अहमद, ग्राम हकौली, डाकखाना मालागढ़, जिला बुलन्दशहर का प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर गन्ना आयुक्त द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जिला कारागार, बुलन्दशहर को अलीगढ़ में स्थानान्तरण करने की मांग

127—श्री किरन पाल सिंह—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, बुलन्दशहर को अलीगढ़ स्थानान्तरित करने की योजना की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला कारागार, बुलन्दशहर को अलीगढ़ स्थानान्तरित करने का निर्णय पूर्व में लिया गया था, किन्तु इस सम्बन्ध में पुनः विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बुलन्दशहर कारागार तत्काल खाली करवाकर उसके बन्दियों को अलीगढ़ ले जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय हाउसिंग कालोनी, ब्रह्मनगर, पतौरागंज, डालीगंज, लखनऊ के समस्याओं के निराकरण की मांग

128—श्री राम पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के कितने पत्र 1985 से अब तक सचिवालय हाउसिंग कालोनी, ब्रह्मनगर, पतौरागंज, डालीगंज, लखनऊ की समस्याओं से सम्बन्धित प्राप्त हुए ? और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्ता का एक पत्र 6 जून, 1986 में प्राप्त हुआ था, जिसे प्रशासक, नगर महापालिका को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया । कालोनी चूंकि विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तथा विकसित है, अतः उसे लखनऊ नगर महापालिका को हस्तान्तरित किये जाने के विषय में महापालिका द्वारा प्राधिकरण को लिखा गया है ।

129-130—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

ललितपुर जनपद में सड़कों के डामरीकरण हेतु धन की व्यवस्था

131—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में जनता की सुविधा हेतु निम्न सड़कों को शीघ्र बनाकर डामरीकरण किया जावेगा/ पटना से दिदौनियों मार्ग (2) पिपरहट-नारहट मार्ग वाया देवरी (3) मदनपुर-ललितपुर मार्ग से पहाड़ी कलां का मार्ग और ओडी नदी का पुल (4) बानपुर-ललितपुर मार्ग वाया गुगरवारा (5) सोजना-कारी-औरन मार्ग (6) सोजन-मड़ावरा मार्ग (7) बिल्ला-वर्जारा मार्ग (8) महरौनी-नरहट मार्ग (9) डोगर खुर्द गदनपुर मार्ग (10) छामन-कुमहेडी मार्ग (11) धौर्रा-जाखलौन मार्ग (12) धौर्रा-बन्द मार्ग (13) पाली-धौर्रा मार्ग (14) सादुमल-मुसमाड मार्ग ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रस्तावित कार्य जिला योजना से सम्बन्धित हैं । अतः जिला समिति का अनुमोदन एवं जिला योजना के अन्तर्गत धन की व्यवस्था कर लिये जाने के उपरान्त ही उक्त मार्गों का निर्माण सम्भव है ।

ललितपुर जनपद के न्याय पंचायत में काष्ठागार केन्द्र खोलने का विचार

132—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद के प्रत्येक न्याय पंचायत में एक काष्ठागार विस्तार का केन्द्र खोलने का शासन का विचार हैं ? यदि हां, तो उक्त सब डिपो खोलकर किसानों को कृषि हेतु क्या लकड़ी उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । वन उपज की उपलब्धता इतनी नहीं है कि ललितपुर जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत में वन निगम का एक डिपो खोला जाय। फिर भी क्षेत्रीय जनता की मांग को देखते हुए ललितपुर शहर के अलावा महरौली व मंडावरा में वन निगम द्वारा डिपो खोलकर फुटकर बिक्री के माध्यम से ग्राम जनता को काष्ठ उपलब्ध करायी जा रही है ।

श्री मोती चन्द्र गौड़, अधिशासी अभियन्ता की पदावनति के कारणों की जांच

133—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सा0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री मोती चन्द्र गौड़ को पदावनति करके सहायक अभियन्ता बना दिया गया ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध आरोप क्या थे ? और उनको प्रत्यावर्तित किये जाने का क्या कारण था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्री मोती चन्द्र गौड़ तदर्थ/स्थानापन्न रूप से अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनात थे और उन्हें अक्षमता के कारण सहायक अभियन्ता के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है ।

प्रदेश में अच्छे तैराकों को प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था

134 श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अच्छे तैराकों को उत्पन्न करने हेतु नदियों के किनारे बसे मछुआरे युवकों में से चुनाव कराने तथा उनको प्रशिक्षित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या कोई इस प्रकार की योजना बनाई जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मछुआरों के लिए अलग से कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निकट भविष्य में कोई विचार नहीं है ।

राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ एवं खुर्जा में विज्ञान रसायन में व्याख्याता के पद सृजन की मांग

135--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ एवं खुर्जा मे रसायनिक विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के अन्य पालिटेक्निकों की तरह लखनऊ एवं खुर्जा में व्याख्याता रसायन विज्ञान का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन दो संस्थाओं में व्याख्याता रसायन विज्ञान का पद सृजित करके उन पर व्याख्याता को नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां, दोनों संस्थाओं में रसायन विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है । इसके लिए वर्तमान में 550-940 रु0 के वेतनक्रम में पद सृजित हैं और 850-1720 रु0 के वेतनक्रम में व्याख्याता के पद की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, नैनीताल के कोष से फर्नीचर एवं साज-सज्जा की वस्तुओं के खरीद की जांच

136--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या चीनी उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर (नैनीताल) के कोष से तत्कालीन जिलाधिकारी (प्रशासक उपरोक्त फैक्ट्री) के लिये कितने मूल्य का फर्नीचर वार्ड रोब, स्टील आलमारी तथा साज-सज्जा का सामान खरीदा गया था और क्या उपरोक्त फर्नीचर तथा साज-सज्जा सामग्री इत्यादि जिलाधिकारी नैनीताल अथवा उपरोक्त फैक्ट्री के प्रशासक के कार्यालय के स्टाफ रजिस्टर में जमा दर्ज है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1981-82 में बाजपुर सहकारी चीनी मिल, बाजपुर नैनीताल के प्रशासक/जिलाधिकारी, नैनीताल के कार्यालय हेतु 11,845.77 रु0 का निम्नलिखित सामान क्रय किया गया :--

1--टेबिल	एक
2--कुर्सी	एक
3--वार्ड रोब	एक
4--आफिस चेयर	बारह

वर्ष 1982-83 में मिल द्वारा खरीदकर प्रशासक को, कोई सामान नहीं दिया गया है ।

उक्त क्रय किए गये सामान को मिल के माल प्राप्ति रजिस्टर में अंकित कराकर प्रशासक कार्यालय को जारी किया गया है ।

कटेहरी क्षेत्र, जिला फैजाबाद के आम चुनाव में कथित गड़बड़ियों की जांच

137--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा के पिछले आम चुनाव में 129 कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में जनपद फैजाबाद के जिला प्रशासन द्वारा की गई गड़बड़ी के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-3-85 का तत्कालीन जिलाधिकारी फैजाबाद श्री दीनानाथ श्रीवास्तव को सम्बोधित पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में की गयी शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गयी और प्रश्नकर्ता के पत्र में

की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक न्यायाधीश श्री अग्रवाल की रिपोर्ट तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र दिनांक 5-3-85 फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था ।

उक्त शिकायती-पत्र की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी, फैजाबाद ने प्रभारी अधिकारी निर्वाचन से करायी थी । उनकी जांच में शिकायतें तथ्यहीन पाई गई ।

चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक न्यायाधीश श्री अग्रवाल की कोई रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय, फैजाबाद में प्राप्त नहीं हुई ।

जनपद कानपुर में कर्मवीर रामराज्य भारत सोसाइटी समिति नामक संस्था के गतिविधियों की जांच

138--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर में कर्मवीर रामराज्य भारत सोसाइटी समिति नाम की संस्था जिसके प्रधान अध्यक्ष श्री बेनीराम यादव हैं जो समानान्तर प्रशासन चला रही है जिसके अपने थानाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अधिकारी हैं ? यदि हां, तो इस संस्था के बारे में पूरे तथ्य क्या हैं और आरम्भ में ही इसकी गतिविधियों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा सका ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचनानुसार यह सही है कि थाना बिधनू, जनपद कानपुर के श्री बेनीराम यादव एक संस्था कर्मवीर रामराज्य भारत सोसाइटी समिति नामक संस्था चला रहे थे जिसके अध्यक्ष वह स्वयं थे।

दिनांक 18-2-85 को थाना चमनगंज में सूचना प्राप्त हुई कि (कर्मवीर राम राज्य भारत सोसाइटी समिति) उक्त संस्था की ओर से पुलिस बल का गठन किया जा रहा है, शहर के थानों में बांटकर थानाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और म0 नं0 105/242 चमनगंज में थाना कर्नलगंज की स्थापना हुई है । अतः थानाध्यक्ष चमनगंज पुलिस बल के साथ मौके पर गये तो उक्त मकान पर थानाध्यक्ष कर्नलगंज का बोर्ड लगा पाया गया। मकान में मुन्ना लाल उर्फ पप्पू नामक व्यक्ति मिला जिसने बताया कि कर्मवीर रामराज्य भारत सोसाइटी के अध्यक्ष बेनीराम यादव हैं जो 238 या उससे अधिक रुपया लेकर प्रमाण-पत्र देते हैं और उन्होंने ही उसको नियुक्ति दिनांक 3-2-85 को रु0 238 लेकर थाना इंचाज कर्नलगंज के रूप में की है । इस प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उन्हीं के द्वारा थाना इंचार्ज नियुक्त किये गये हैं। उक्त संस्था के पदाधिकारी यह प्रचार करते पाये गये थे कि राज्य की पुलिस को अपदस्थ करके थानाध्यक्षों की नियुक्ति समिति द्वारा की गई है । इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करके जनता के भोले भाले अशिक्षित व्यक्तियों को बहला-फुसलाकर नौकरी का प्रलोभन देकर रुपया ठगा करते थे । इस प्रकार सोसाइटी द्वारा थानाध्यक्ष नियुक्त किये जाने की बात प्रकाश में आई, किन्तु पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी नियुक्त किये जाने के बारे में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया ।

इस संस्था के सम्बन्ध में पूर्व सूचना नहीं थीं इस कारण आरम्भ में ही इसकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका ।

बाराबंकी की तहसीलों में सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा किये जा रहे फर्जी बैनामों की जांच के सम्बन्ध में दिया गया पत्र

139--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सागर, विधायक

सदधौर, बाराबंकी की शिकायत पर श्री प्रेमशंकर, संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन ने अपने पत्रांक संख्या एस0 आर0 4034(1)/दस-500(93)/84 वित्त अनुभाग (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन), लखनऊ दिनांक 24 दिसम्बर, 1984 द्वारा जिलाधिकारी, बाराबंकी तथा निबंधक महानिरीक्षक, उ0 प्र0, इलाहाबाद को बाराबंकी की तहसीलों में सब रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा किये जा रहे फर्जी बैनामों की जांच करने के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो श्री राम सागर, विधायक की शिकायतें क्या थीं तथा उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? जांचोपरान्त जितने बैनामे फर्जी पाये गये ? क्या मुख्य मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, श्री राम सागर, विधायक की प्रश्नगत शिकायत पर जांच करने के लिये जिलाधिकारी, बाराबंकी से कहा गया था । शिकायत पत्र में मुख्य रूप से श्री गजोधर पुत्र पंचम निवासी जियनपुर, परगना सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी की भूमि का फर्जी बैनामा तथा इस प्रकार के फर्जी बैनामे अन्यत्र भी होने एवं तहसील तथा उप निबन्धक कार्यालयों के सांठ-गांठ किये जाने का आरोप लगाया गया था । शिकायत की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बाराबंकी द्वारा करायी गयी है ।

जांच में श्री गजोधर की प्रश्नगत भूमि का बैनामा फर्जी पाया गया । श्री गजोधर द्वारा दिनांक 28-5-85 को थाना कोठी में धारा 420/467, भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत रतन पुत्र पंचम तथा ननकू पुत्र रतन आदि के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई । दिनांक 10-2-85 को पुलिस द्वारा इस मामले में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । उप निबन्धक कार्यालय नबाबगंज में कोई फर्जी बैनामा होना सिद्ध नहीं पाया गया । उप निबन्धक कार्यालय, रामसनेही घाट में पंजीकृत हुये चार बैनामों के सम्बन्ध में चुनौती दी गई है जो पुलिस विवेचना तथा न्यायालय में विचाराधीन हैं । उप निबन्धक कार्यालय, फतेहपुर में एक फर्जी वसीयत-नामा का मामला पकड़ा गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । उप निबन्धक कार्यालय, हैदरगढ़ में एक अन्य फर्जी वसीयतनामें का मामला पकड़ा गया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

रायल होटल, लखनऊ का पुराना भवन गिराने में की गयी लापरवाही के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच

140--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्माण निगम द्वारा रायल होटल, लखनऊ का पुराना भवन गिराने में की जा रही लापरवाही से सरकार को होने वाली लाखों रुपयों की क्षति के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य श्री शारदा प्रताप शुक्ल का 8 मई, 86 का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और शिकायतों के विवरण तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मामले में छानबीन की जा रही है ।

देवरिया जनपद में राज्य चीनी निगम, भटनी पर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान

141--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में राज्य चीनी निगम, भटनी पर वर्ष 1982 से

खशायत वर्ष 1984–85 में गन्ना किसानों व गन्ना ढुलाई का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन–किन को कितनी–कितनी धनराशि बकाया है और उसका कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी नियम लि0, को भटनी इकाई पर वर्ष 1982 से वर्ष 1984–85 तक का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है। गन्ना ढुलाई का इन्हीं वर्षों का जो बकाया है उसका विवरण निम्न प्रकार है––

रु0

1––मोहम्मद अशरफ सिद्दकी 21,242.89

2––श्री आनन्द कुमार सिंह 50.53

3––श्री राम आधार सिंह 15,439.34

4––श्री शिव नक्षत्रधर द्विवेदी 65.39

योग .. 36,798.65

उपरोक्त बकाों का भुगतान शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास कुल कार्यरत रोलर

142––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास कुल कितने रोलर हैं और उनमें से कितने ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि रोलर खराब होने के कारण वर्ष 1985 में बहुत सी निर्माणाधीन सड़कों पर निर्माण कार्य काफी समय तक रुका पड़ा रहा ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास कुल 25 रोड रोलर हैं। इनमें से 18 रोड रोलर मध्य क्षेत्र में तथा 7 रोड रोलर राष्ट्रीय मार्ग के पास हैं। मध्य क्षेत्र के 5 रोड रोलरों की सर्वे रिपोर्ट बनायी जा रही है।

वर्ष 1985 में रोड रोलरों की खराबी के कारण निर्माणाधीन सड़कों पर निर्माण कार्य रुका नहीं रहा।

फैजाबाद जनपद में कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कें

143––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र की कौन–कौन सी सड़कें कितने समय से उनके विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं और उन पर अभी तक कार्य पूरा न हो पाने के लिये कौन दोषी हैं ? क्या यह सही है कि ब्लाक कटेहरी में स्थित श्रवण क्षेत्र सवना तिवारीपुर मार्ग पर मिट्टी तथा पुलिया निर्माण के कार्य का पूरे पैसे का भुगतान किया जा चुका है जबकि मौके पर अभी काफी कार्य शेष है और मार्ग के कुछ भाग के लिये अदालत से स्थगन आदेश भी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

फैजाबाद जनपद में कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1983–84 से लेकर वर्ष 1985–86 तक 46 कार्य स्वीकृत हुए, जिसमें से 16 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 30 कार्य प्रगति पर हैं। इनका विवरण माननीय सदस्य माननीय राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में देख सकते हैं।

ऐसे कार्यों को पूर्ण करने में सामान्यतः 3 वर्ष का समय लगता है। अभी तक लगभग 2 वर्ष का समय हुआ है अतः इन कार्यों के सम्पादन में कोई देरी नहीं हुई है और न ही कोई कार्य पूर्ण कराने के लिए दोषी है।

जी नहीं।

पूरे पैसों का भुगतान नहीं किया गया है। 2 लाख रु0 स्वीकृत लागत के विरुद्ध जुलाई, 1986 तक का खर्चा 1.25 लाख रु0 है। 4 कि0 मी0 स्वीकृत लम्बाई में से 3 कि0 मी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक कि0 मी0 लम्बाई में भूमि अवरोध के कारण कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अदालत से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है।

जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के एम0 ए0 एस0 एकाउन्ट

144--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के सार्वजनिक निर्माण विभाग का एस0 ए0 एस0 (मैटिरयल ऐट साईट एकाउन्ट) आज तक अप-टु-डेट उपलब्ध नहीं है? यदि हाँ, तो सही स्थिति क्या है और अप-टु-डेट एकाउन्ट उपलब्ध न होने के लिये कौन दोषी है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मात्र एक खंड (विभागीय निर्माण इकाई) में छः अवर अभियन्ताओं के एम0 ए0 एस0 एकाउन्ट अद्यावधिक (अप-टु-डेट) नहीं हैं। यह एकाउन्ट बनवाये जा रहे हैं। एकाउन्ट अद्यावधिक न होने के लिए सम्बन्धित अवर अभियन्तागण दोषी हैं।

जनपद फैजाबाद के कनोसा कान्वेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल, फैजाबाद के हेड क्लर्क श्री उमाकान्त चतुर्वेदी के गुमशुदगी का दर्ज रिपोर्ट

145--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में कनोसा कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल, फैजाबाद के हेड क्लर्क (श्री उमाकान्त चतुर्वेदी) दिनांक 14 अगस्त, 1985 से गायब हैं जिसकी लिखित सूचना उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी चतुर्वेदी ने दिनांक 16 अगस्त, 1985 को कोतवाली फैजाबाद में दिनांक 17 अगस्त, 1985 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को दिया था और दिनांक 10 सितम्बर, 1985 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा रिमाइन्डर भी भेजा है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र में दी गई शिकायतों और उन पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दिनांक 16 अगस्त, 1985 को श्रीमती सुमित्रा चतुर्वेदी ने कोतवाली फैजाबाद में तहरीरी सूचना दिया कि उनके पति श्री उमाकान्त चतुर्वेदी जनपद फैजाबाद के कान्वेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 14 अगस्त, 1985 को सुबह 8 बजे घर से स्कूल गये और 3.30 बजे शाम को वापस घर आये। उसके बाद घर से यह कह कर चले गये कि कुछ देर बाद आयेंगे परन्तु तब से घर नहीं लौटे। स्कूल से पता करने पर पता चला कि वे तीन माह की छुट्टी की दरखास्त देकर गये हैं। उपरोक्त सूचना पर थाना कोतवाली फैजाबाद में दिनांक 16 अगस्त, 1985 को एक तस्करा गुमशुदगी पंजीकृत किया गया तथा कोतवाली पुलिस द्वारा श्री उमाकान्त चतुर्वेदी की तलाश शुरू की गई।

श्रीमती सुमित्रा चतुर्वेदी द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया प्रार्थना-पत्र दिनांक 1 अगस्त, 1985 को थाना कोतवाली फैजाबाद में प्राप्त हुआ जिसकी जांच व गुमशुदगी की छानबीन की जा रही है । अभी तक श्री उमाकान्त चतुर्वेदी का पता नहीं चल सका है ।

146—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[तीसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के बख्शी/सचिव के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा जांच

147—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के बख्शी/सचिव के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वहां के श्री विजय कुमार आर्य तथा अन्य नागरिकों का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के दिनांक 20 सितम्बर, 1985 के मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र के साथ शासन को मिल गया है ? क्या यह भी सही है कि परगनाधिकारी, फैजाबाद द्वारा की गई जांच में अधिकांश शिकायतें सत्य पाई गई हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा शिकायतों तथा परगनाधिकारी, फैजाबाद की जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मी प्रकाश द्वारा लखनऊ महायोजना में आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र में दुकानों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में जांच

148—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मी प्रकाश ने वर्ष 1983 में लखनऊ महायोजना में आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र में दुकानों का निर्माण कर लिया था और उनके विरुद्ध श्री आर0 सहाय, स्पेशल जूडीशियल मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 व 20 के अन्तर्गत केस नं0 226/1983 दायर किया गया था किन्तु यह केस इसलिए वापस लेना पड़ा है कि श्री लक्ष्मी प्रकाश का मानचित्र लखनऊ महायोजना के भू-उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों की अवहेलना करके स्वीकृत कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । चूंकि पक्ष को अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध धारा 27 के अन्तर्गत "कारण बताओ" नोटिस दी गई और साथ ही धारा 26 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रासीक्यूट किया गया था इसी बीच पक्ष में एक प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी दुकानें पहले से सन् 1953 से बनी हुई थीं । चूंकि अभी भी दुकानें हैं इसलिये विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ को नान कन्फर्मिंग भू-उपयोग के सम्बन्ध में छूट प्राप्त करने की अनुशंसा पर अध्यक्ष आयुक्त ने नान-कन्फर्मिंग यूज आफ लैण्ड पर स्वीकृत प्रदान की । इस

प्रकार पूर्व में एवीकृत किया गया भवन मानचित्र रेगुलराईज हो गया ।

(4) अतः किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद में गोसाईगंज टाउन एरिया के कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में पत्र

149—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में गोसाईगंज टाउन एरिया के कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में उनको सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 17 जुलाई, 1985 का पत्र सर्वश्री रामानन्द द्विवेदी, देवी प्रसाद, अब्दुल जब्बार तथा रमाशंकर पाण्डे के प्रार्थना-पत्रों के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया कमेटी, गोसाईगंज में स्थायी पद न होने के कारण पदधारकों को स्थायी किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के गोसाईगंज तथा कटरा मोहल्लों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

150—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के गोसाईगंज तथा कटरा मोहल्लों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में उन्हें सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 जून, 1985 का पत्र श्री तवक्कल हुसैन तथा श्री हयात मोहम्मद अन्सारी आदि के प्रार्थना-पत्रों के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा प्रश्नगत शौचालयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने में शासन को कोई कठिनाई है ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को चिकित्सा अवकाश के वेतन का भुगतान

151—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का चिकित्सा अवकाश शेष होने पर भी उनका चिकित्सा अवकाश का वेतन आहरित एवं वितरित नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों के चिकित्सा अवकाश पर रहने के समय चिकित्सा अवकाश के वेतन को नियमानुसार भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राविधानित अवकाश नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा अवकाश देय होने पर स्वकृतोपरान्त चिकित्सा अवकाश की अवधि के वेतन का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाता है ।

परगना व तहसील रायबरेली
पर श्री किस्मत राय द्वारा
नजूल की भूमि हड़पने
व अनधिकृत निर्माण
के सम्बन्ध में पत्र

152--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को श्री महेश शुक्ल, पुत्र अहमदपुर नजूल, रायबरेली का शिकायती-पत्र दिनांक 1 मार्च, 1985 खसरा नजूल, अधिशासी अभियन्ता व भूमि अध्याप्ति अधिकारी के प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त हुआ था ? जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि नजूल सम्पत्ति संख्या 1526, 1527, 1528, 1529 व 1534 स्थित मौजा अख्तियारपुर नजूल (निकट घंटाघर) परगना व तहसील रायबरेली पर श्री किस्मत राय पुत्र कुंज बिहारी लाल दर्जी ने दो मंजिला भवन बनवा लिया है और नजूल सम्पत्ति को हड़प लिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत भूमि नजूल है और वर्ष 1909 के बन्दोबस्त के पहले से ही रेन्ट फ्री ग्रान्ट के रूप में बिना किसी लिखित पट्टे के मंगल दर्जी द्वारा धारित है । इस समय उसके उत्तराधिकारियों का इस पर कब्जा है । अतः भूमि हड़पने व अनाधिकृत निर्माण का कोई मामला नहीं बनता । इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जानी है ।

न्यू श्रीनगर आलमबाग, लखनऊ
की एक गली में मिट्टी
डालकर पटाई के आदेश

153--श्री कौशिक रमाशंकर--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पहले मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 55 के उत्तर सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि गली में जो मिट्टी डाली गयी है वह बहुत ही कम है तथा उस गली का लेविल वहां की अन्य गलियों से बहुत नीचा है जिसके कारण वर्षा ऋतु में अभी भी दो-दो फुट तक पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर उक्त गली में वर्षा ऋतु के पूर्व कम से कम दो फुट और मिट्टी डालकर पटाई के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां । प्रश्नगत गली में मिट्टी डाली गयी थी जो उस क्षेत्र की अन्य गलियों के लेविल के अनुसार ही है । प्रश्नगत गली का लेविल अन्य गलियों से नीचा नहीं है ।

जनपद बहराइच में थाना रिसिया के
थानेदार इंचार्ज श्री गंगा सिंह राठौर
व अन्य पुलिस कर्मियों के
विरुद्ध बलात्कार की दर्ज
रिपोर्ट एवं दिये गये अनु-
स्मारक पत्रों के
विरुद्ध कृत
कार्यवाही

154--श्री विष्णु देव--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में थाना रिसिया के थानेदार इंचार्ज (श्री गंगा सिंह राठौर) के साथ दो अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 6-12-85 को सुमित्रा पुत्री कामता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 323/376 के अन्तर्गत कथित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है ? यदि हां, तो कौन-कौन पुलिस कर्मचारी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दिनांक 6-12-85 को श्रीमती सुमित्रा पुत्री श्री कामता प्रसाद निवासी बेगमपुर गुलहरिया, थाना रिसिया, जनपद

बहराइच के साथ बलात्कार की सूचना पर जांचोपरान्त दिनांक 8-12-85 को थाना रिसिया पर मु0 अ0 सं0 151/85 धारा 376/323, भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

प्रथम सूचना में नामांकित अभियुक्त तत्कालीन थानाध्यक्ष गंगा सिंह राठौर, कां0 ड्रा0 अयोध्या प्रसाद ओझा, कां0 नां0 पु0 श्रवण कुमार मिश्र एवं रामफेरन फालोवर थाना रिसिया, जनपद बहराइच हैं ।

जांचोपरान्त रामफेरन फालोवर को छोड़कर शेष तीनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 17-4-86 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। वर्तमान में वे निलम्बित हैं । रामफेरन फालोवर का कोई आपराधिक कृत्य होना नहीं पाया गया ।

155-श्री विष्णु देव--

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त कथित थाना रिसिया के थानेदार इंचार्ज (श्री गंगा सिंह राठौर) के विरुद्ध मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम आरोपित शिकायत दिनांक 20-10-1985 के उपरान्त अनुस्मारक पत्र दिनांक 11-12-85 शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो उस पर सम्बन्धित दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दिनांक 20-10-85 का शिकायती पत्र एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 11-12-85 प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

156-श्री विष्णु देव--

क्या गृह मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद बहराइच के थाना इंचार्ज (श्री गंगा सिंह राठौर) थाना महसीपुर (पटना) द्वारा अपने पदों के कुप्रभाव से थानान्तर्गत क्षेत्र के श्री चेतराम वर्मा की कुल 7.047 एकड़ कृषि भूमि को अपनी बीवी एवं बहू के नाम नानपारा तहसील में बेनामा कराने के मामले की जांच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (श्री आर0डी0 त्रिपाठी) बहराइच द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट मंत्री जी सदन के पटल पर रखकर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्री गंगा सिंह राठौर, उप निरीक्षक द्वारा वर्ष 1981 में चेतराम वर्मा, निवासी लक्ष्मनपुर गंगापुर, थाना महसीपुर परगना चर्दा, तहसील नानपारा, जिला बहराइच से अपनी मां और पत्नी के नाम 7.047 एकड़ भूमि क्रय की गई थी । इस सम्बन्ध में जांच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्रा द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से परगनाधिकारी नानपारा से कराई गई थी । जांचोपरान्त श्री राठौर को दुश्चरित्र लेख प्रदान किया जा चुका है ।

सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण, कार्यालय, लखनऊ से गायब पत्रावलियों की जांच

157-श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भूमि सीमारोपण कार्यालय से वर्ष 1982 से दो हजार दो सौ बत्तीस महत्वपूर्ण फाइलें रहस्यमय ढंग से अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गायब हुई जिससे सरकार को भारी हानि हुई ? यदि हां, तो शासन ने इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

प्रदेश भूमि सीमारोपण कार्यालय से कोई पत्रावली गायब नहीं हुई है । सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय, लखनऊ से 8232 पत्रावलियां गायब हुई थीं । इस सम्बन्ध में 15 कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है तथा पत्रावलियां पुनः बनाने का कार्य

प्रगति पर है। अब तक 2338 पत्रावलियां फिर से बन चुकी हैं। मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

158--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सीमारोपण कार्यालय से गायब फाइलों को तलाशने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु की गई प्राथमिक सूचना (एफ० आई० आर०) एवं थाने में उसका रजिस्टर भी गायब हो गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

एफ० आई० आर० रजिस्टर गायब होने की सूचना नहीं है।

जिला गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़ में जल निगम की शाखायें

159--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गाजीपुर में जल निगम की कहीं दो, कहीं तीन शाखायें वहां के पाइप लाइन द्वारा जल संप्लूति हेतु पम्पों के अधिष्ठानों एवं सीवरेज सम्बन्धी कार्यों हेतु खोली गयी हैं परन्तु आजमगढ़ जिले में एक ही निर्माण शाखा है जिसे सभी कार्य सौंप दिये गये हैं जिससे वहां जल निगम से सम्बन्धित कार्यों में समुचित प्रगति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 1983 में आजमगढ़ में जो एक और निर्माण की शाखा खोली गयी थी उसे 1984 में प्रकल्प शाखा में परिवर्तित कर दिया गया जिसके पास कोई काम नहीं है और उस पर पचासों हजार रुपया प्रति माह व्यय व बर्बाद हो रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रकल्प शाखा को निर्माण शाखा में परिवर्तित करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

वर्तमान में जनपद आजमगढ़ में जल निगम की दो निर्माण शाखायें कार्यरत हैं।

जनपद आजमगढ़ में निर्माण तथा प्रकल्प विरचन के कार्यभार को देखते हुये एक निर्माण शाखा को वर्ष 1984 में प्रकल्प शाखा में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्तमान कार्यभार को देखते हुए उसे पुनः जून, 1986 में निर्माण शाखा में परिवर्तित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना गुलहरिया, जनपद गोरखपुर के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

160--श्री विष्णु देव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9-1-86 को थाना गुलहरिया, जनपद गोरखपुर के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नकर्ता ने दिनांक 9-1-86 को थाना गुलहरिया, जनपद गोरखपुर के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध श्री परमहंस का शिकायती-पत्र अग्रसारित करते हुए जांच कराने की संस्तुति की थी। जिलाधिकारी गोरखपुर से जांच करायी जा रही है।

थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ के सहायक थानेदार श्री विष्णु कान्त पाण्डेय व पाल मुंशी के विरुद्ध धांधली, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पत्र

161--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ के सहायक थानेदार श्री विष्णु कान्त पाण्डेय व पाल मुंशी को धांधली, भ्रष्टाचार व अत्याचार के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 10-1-86 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम दुबारी में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी की टंकी का निर्माण

162--श्री विष्णु देव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के वि० खं० फतेहपुर भंडाव के ग्राम दुबारी में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी टंकी का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कब पूरा हुआ और कुल कितना व्यय हुआ तथा कब तक स्थानीय जनता को पेय जल उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड फतेहपुर डाव के ग्राम दुबारी में पेयजल व्यवस्था हेतु पानी टंकी का निर्माण कार्य 28-5-84 को प्रारम्भ हुआ, सितम्बर, 1985 में पूरा हुआ और इस पर कुल व्यय रु० 4.355 लाख हुआ । स्थानीय जनता को सितम्बर, 1985 से टंकी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

जनपद आजमगढ़ के थाना घोसी के ग्राम गलेरी कोट में श्री राम अवध लोहार के यहां चोरी की घटना

163--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना घोसी के ग्राम गलेरीकोट में श्री राम अवध लोहार के यहां चोरी की गम्भीर वारदात हुई ? क्या यह सत्य है कि नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस ने पैसा लेकर नहीं की ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि नामजद अभियुक्तों की राह पर ता० 3-1-86 को घोसी थाने के सहायक थानेदार श्री परशुराम गिरि व सत्येन्द्र राम सिपाही ने क्या श्री चन्द्रभान चौहान व रामबचन चौहान, ग्राम गलेरीकोट को अनियमित रूप से पकड़ा और डेढ़-डेढ़ सौ रुपया लिया ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी को चन्द्रभान चौहान आदि का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 10-1-86 के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम दरियाबाद के कपड़ा दुकानदार श्री रामदृक्ष मौर्य के यहां चोरी

164--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना मधुबन के ग्राम दरियाबाद के कपड़ा

दुकानदार श्री रामवृक्ष मौर्य के यहां वि0 2-1-86 को सरेआम चोरी हुई ? यदि हां, तो क्या 3-1-86 को रामवृक्ष मौर्य और उनके दामाद अरछेलाल चौरसिया व रामअवध मौर्य को चोरी के अभियुक्तों से पैसा लेकर धारा 51 में झूठा बन्द किया और मारा पीटा ? क्या इसी प्रकार ग्राम कतकौली के श्री मनकधारी मौर्य व मानिक चन्द के साथ भी किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी को श्री रामअवध मौर्य एवं श्री मनकधारी मौर्य का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ वि0 10-1-86 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोकदल के अध्यक्ष, श्री राम नरेश कुशवाहा की जमीन पर जबरदस्ती निर्माण करा देने के संबंध में पत्र

165--श्री विष्णु देव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-11-85 को उत्तर प्रदेश लोकदल के अध्यक्ष, श्री राम नरेश कुशवाहा की तरफ से पुलिस महा-निदेशक, उत्तर प्रदेश को एक प्रार्थना-पत्र जो श्री द्वारिका प्रसाद थानेदार थाना सिंगहाई, जिला प्रतापगढ़ द्वारा अपने रिश्तेदार कस्बा घोसी के श्री बुद्धिसागर, बाबूलाल पुत्रगण मुरली व अन्य लोगों द्वारा प्रार्थिनी के जमीन पर जबरदस्ती अवैध निर्माण करा देने के सम्बन्ध में था, श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री मुन्नूराम, ग्राम कस्वा घोसी (कटरा), जिला आजमगढ़ का भेजा गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया घोसी, जनपद आजमगढ़ के स्थायी निवासी श्री संवरू द्वारा जमीन पर कथित अवैध निर्माण

166--विष्णु देव--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-9-85 को टाउन एरिया घोसी (कटरा), जनपद आजमगढ़ के स्थायी निवासी श्री संवरू राम पुत्र दौलत राम ने जमीन पर अवैध निर्माण करा लिया है और जिसकी सूचना उसी दिन टाउन एरिया प्रशासन को दे दी गयी ? यदि हां, तो उपर्युक्त अवैध निर्माण हटाने के लिए टाउन एरिया प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

श्री संवरू राम पुत्र दौलतराम द्वारा दिनांक 22-9-85 को टाउन एरिया की सीमान्तर्गत स्थित जमीन पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है और न ही इस आशय की सूचना टाउन एरिया प्रशासन को प्राप्त हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग में स्वागती के पदों पर कार्य करने हेतु साक्षात्कार

167--श्री विष्णु देव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में स्वागती के पदों पर कार्य करने के लिए विगत 10 दिसम्बर, 1984 को जवाहर भवन, लखनऊ में साक्षात्कार हुआ था और उसमें चयनित लोगों की क्रमवार सूची बनाकर उन्हें यथाशीघ्र नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां तो चयनित सूची कितने लोगों की बनी

थी और उसमें अनसूचित जाति के कितने लोग थे व चयनित व्यक्तियों के नाम पते क्या हैं और क्या उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं ? यदि हां, तो अब किस-किस को नियुक्ति की जा चुकी है ? यदि नियुक्ति नहीं की गयी हैं तो इतने लम्बे अरसे के बाद भी नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं तथा नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां, साक्षात्कार हुआ था किन्तु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

स्वागतकर्ता पद की चयनित सूची में 10 व्यक्ति थे जिसमे 4 अनुसूचित जाति के तथा 6 सामान्य जाति के थे । नाम व पतों की सूची संलग्न है ।

संलग्न सूची में दिये गये प्रथम 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी है जिसमें 2 अनुसूचित जाति के तथा 1 सामान्य जाति का व्यक्ति है । शेष व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की गई है क्योंकि पद उपलब्ध नहीं थे । चूंकि प्रतीक्षा सूची नियमानुसार केवल एक वर्ष के लिए ही वैध होती है जो दिनांक 31-12-1985 को समाप्त हो चुकी है, अतः अब नियुक्तियां देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 211 पर ।)

नगरपालिका मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ मे अनियमित कार्यों पर धन अर्जित करने सम्बन्धी आरोपों की जांच

168--श्री विष्णु देव--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका, मऊनाथ भंजन, जनपद आजमगढ़ में अनियमित कार्यों पर धन अर्जित करने सम्बन्धी गम्भीर आरोपों का पत्र बदरुजमा अन्सारी, अध्यक्ष, जनता पार्टी, मऊनाथ भंजन के साथ प्रश्नकर्ता के पत्र तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के दूसरे मंगल के निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 35 पर उन्होंने जो सदन में बयान दिया है, की जांच कराई गयी है, के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी से कब कराई और कौन-कौन से आरोप सिद्ध हुए ? अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जांच सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 12-8-85 को की गई । जांच के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित आरोप सिद्ध पाये गये ।

(1) हैलोजन लैम्प्स के क्रय में नियमानुसार कार्यवाही न किया जाना तथा उनके मूल्य का अनियमित रूप से भुगतान ।

(2) नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करके श्री इन्द्र जीत यादव की चपरासी के पद पर नियुक्ति ।

हैलोजन लैम्पस के क्रय में पाई गई अनियमितताओं के लिये दोषी पाए गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ की हवालात में सहायक थानेदार द्वारा कतिपय व्यक्तियों को डन्डों से पीटने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

169--श्री विष्णु देव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अवध मौर्य, सामाजिक

कार्यकर्ता ग्राम दरियाबाद थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ को 3-1-86 को सहायक थानेदार श्री विष्णु कांत पाण्डेय व पाल मुंशी द्वारा थाने की हवालात मे जूता डंडा लात मुक्के द्वारा मारे जाने व 4-1-86 को श्री मनकधारी मौर्य व मानिक चन्द मौर्य को थाने में बंद करके डंडों से पीटने विषयक प्रश्न-कर्ता का पत्र दिनांक 10-1-86 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि, नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

170--श्री अकबर हुसैन बाबर--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

शारदा शुगर इन्डस्ट्रीज, लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी, श्री डी० सी० पोखरियाल द्वारा दर्ज रिपोर्ट

171--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-4-85 को थाना पलिया कला में धारा 188, 427 भा० द० विधान के अन्तर्गत शारदा शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, पलिया कलां, जनपद खीरी में कार्यरत श्रमिक श्री विजय नारायण बाजपेयी, नारायण दत्त, फागू लाल, अमीर हसन, शिव जतन, सभाजीत उपाध्याय, मुरारी एवं राजकुमार अध्यक्ष यूनियन के विरुद्ध फैक्ट्री गेट के सामने जब सभा करने के कारण मिल के सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई ? यदि हां, तो क्या इस जन सभा का ब्यौरा एल० आई० यू० ने भी दिया है ? यदि हां, तो क्या दोनों में विरोधाभास है ? यदि हां, तो किन बिन्दुओं पर ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

दिनांक 24-4-85 को शारदा शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के सुरक्षा अधिकारी श्री डी० सी० पोखरियाल ने एक रिपोर्ट दिनांक 24-4-85 के अन्तर्गत धारा 188/427/511 भा० दं० वि० के अन्तर्गत (1) सर्वश्री राज कुमार वकील (2) सभाजीत उपाध्याय (3) नारायण दत्त (4) शिव जतन कहार (5) अमीर हसन (6) फागू लाल (7) विजय नरायन बाजपेई (8) मुरारी पुत्र रामपती (9) कृष्ण चन्द्र सिन्हा (10) सत्य नारायन गुप्ता (11) राम शंकर अस्थो (12) दीना नाथ पुत्र चतुर यादव (13) कृपा शंकर शुक्ला (14) विनोद कुमार यादव (15) योगेन्द्र सिंह (16) गंगा सहाय (17) अनिरुद्ध कुमार सिंह (18) जमादार (19) नन्द किशोर तिवारी इत्यादि के विरुद्ध थाना पलिया में पंजीकृत कराया था । इस रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि दिनांक 22-4-85 को लगभग 5.30 बजे शाम श्री राज कुमार सिंह, वकील, अध्यक्ष शारदा शुगर इम्पलाइज यूनियन ने मिल गेट नम्बर 3 के सामने मीटिंग को और बड़ा जोशीला भाषण दिया और कहा कि अगर 20 प्रतिशत बोनस लेना है तो मांगने से नहीं मिलेगा गोली, हड़ताल, तोड़फोड़ से मिलेगा इत्यादि अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने भी उस सभा में इस प्रकार के जोशीले भाषण दिये ।

स्थानीय अभिसूचना ने भी अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में इस घटना का संक्षिप्त उल्लेख किया था । वह रिपोर्ट गोपनीय है । अतएव जनहित में उसका विवरण दिया जाना उपयुक्त न होगा ।

तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री आत्म देव शर्मा के विरुद्ध रिश्वत खोरी और चारित्रिक पतन की शिकायतें

172--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अनुभाग-2 के तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री आत्मदेव शर्मा के विरुद्ध उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किये जा रहे रिश्वत खोरी एवं

चारित्रिक पतन सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई थी और शिकायतों के आधार पर तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव ने उसका स्थानान्तरण चिकित्सा अनुभाग–14 में कर दिया था ? उक्त अनुभाग में धनोपार्जन का अवसर न देख वे लम्बे अवकाश पर चले गये और अपना स्थानान्तरण प्रयास करके सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे संवेदनशील शाखा में करवा लिया ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को उनके चिकित्सा विभाग के कार्यकाल से आज तक किये गये कारनामों आचरण चल एवं अचल सम्पत्ति की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, श्री आत्मदेव शर्मा (अब सेवा–निवृत्त) के चिकित्सा/सार्वजनिक निर्माण विभाग में तैनाती के दौरान, उनके विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी प्रारम्भिक जांच करायी गयी । जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं । अतः सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के महाराजगंज व परतावल कस्बे को टाउन एरिया बनाने पर विचार

173––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के महाराजगंज व परतावल कस्बे को टाउन एरिया बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो दोनों उप नगरों को टाउन एरिया कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ––

जनपद गोरखपुर के महाराजगंज को दिनांक 3–3–86 को टाउन एरिया घोषित किया जा चुका है । परतावल को टाउन एरिया बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गोरखपुर जनपद का स्थान

174––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में गोरखपुर जनपद प्रदेश में सबसे पीछे है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वर्ष 1985–86 में जुलाई, 1986 तक की प्रगति के आधार पर गोरखपुर जनपद का स्थान प्रदेश में 32वां है, जिसे सन्तोषजनक कहा जा सकता है अतः फिलहाल किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आबकारी निरीक्षक, महाराजगंज (गोरखपुर) के विरुद्ध तस्करी करने की कथित रिपोर्ट

175––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा––

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आबकारी निरीक्षक, महाराजगंज (गोरखपुर) के विरुद्ध तस्करी करने की कोई प्राथमिक रिपोर्ट माह अप्रैल, 1985 में थाना कोठी भार (गोरखपुर) में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

आबकारी निरीक्षक, महाराजगंज (गोरखपुर) के विरुद्ध तस्करी करने की कोई प्राथमिक रिपोर्ट माह अप्रैल, 1985 में थाना कोठीभार, गोरखपुर में दर्ज नहीं हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया, घुघली (गोरखपुर) द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में भारी वित्तीय अनियमितता के सन्दर्भ में शिकायती-पत्र

176--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया, घुघली (गोरखपुर) द्वारा कराये गये निर्माण कार्य वर्ष 84-85, 85-86 में भारी वित्तीय अनियमितता के सन्दर्भ में श्री रामाश्रय जायसवाल, सदस्य उत्तर प्रदेश युवा जनता का शिकायती-पत्र दिनांक 13-3-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र में इस बात की जांच की गयी थी कि नीलामी के लिए नियमानुसार विज्ञापन प्रमुख समाचार-पत्रों में दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही ह कि उक्त मांगों की परवाह न करके पुनः कागजी नीलामी कर दी गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन कौन सी कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां ।

जिलाधिकारी द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है ।

सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में संस्तुत किये गये अभ्यर्थी

177--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1974 के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में कितने अभ्यर्थी आयोग द्वारा संस्तुत किये गये थे तथा उनमें किन अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये थे तथा उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह भी सही है कि वह अब भी अपने पदों पर कायम है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, 1974 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी के 21 अभ्यर्थियों को संस्तुत किया गया था । इनमें से एक अभ्यर्थी श्री हरिद्वारी लाल वशिष्ठ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा फर्जी पाया गया । शासन द्वारा इस अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि आयोग द्वारा ही इस अभ्यर्थी का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित-रूप में अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया था । प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

178--श्री राम सजीवन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

थाना रामकोला, जनपद देवरिया के भूतपूर्व थानाध्यक्ष, श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध कथित मुकदमें

179--श्री रणजीत--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के थाना रामकोला के थानाध्यक्ष, श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध किन-किन धाराओं में कितने मुकदमें चल रहे हैं और उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचनानुसार थाना रामकोला, जनपद देवरिया के भूतपूर्व थानाध्यक्ष, श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चल रहा है ।

श्री हरिशंकर सिंह, निवासी जनपद लखीमपुर खीरी की बोई हुई फसल गैर कानूनी व मनमाने ढंग से नष्ट होने के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच

180--श्री रणजीत--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि श्री हरिशंकर सिंह पुत्र श्री नरसिंह राव, निवासी सुमेरनगर, थाना सम्पूर्णानगर, पत्रालय विशेनपुरी, जनपद लखीमपुर खीरी की बोई हुई 15 एकड़ गन्ने, 16 एकड़ लाही, 8 एकड़ गेहूं, 7 एकड़ व 8 एकड़ मसूर गांव के ही विरोधी श्री गुरुदयाल सिंह नागरा पुत्र श्री बक्शीस सिंह वगैरह ने गैर कानूनी व मनमाने ढंग से नष्ट कराया है फलतः श्री हरिशंकर सिंह को लगभग 2 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी व्यक्तियों को दंडित एवं श्री हरिशंकर सिंह को क्षतिपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी से जांच करायी गयी जांच से प्रश्न में उल्लिखित घटना के घटित होने की पुष्टि नहीं हुई । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया कमेटी गौरी बाजार को सड़क एवं नाली के निर्माणार्थ स्वीकृत अनुदान

181--श्री रणजीत--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौरी बाजार की टाउन एरिया का दर्जा मिले 10 वर्ष हो गया परन्तु वहां पर सरकार ने सड़क, नाली तथा शौचालय आदि बनाने पर कभी ध्यान नहीं दिया तथा क्या उसे यह सब बनाने हेतु सरकार से धनराशि उपलब्ध करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

टाउन एरिया कमेटी, गौरी बाजार के सृजन के पश्चात् सड़क नाली आदि बनाने पर सदैव ध्यान दिया जाता रहा है । टाउन एरिया, गौरी बाजार को सड़क एवम् नाली के निर्माणार्थ वर्ष 1985-86 तक रु0 5,89,500 शासन द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है । धन की कमी के कारण टाउन एरिया, गौरी बाजार को शौचालय के निर्माण हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

पुलिस कप्तान, देवरिया के निवास स्थान पर रामदास नामक सुरक्षा प्रहरी की हत्या

182--श्री रणजीत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12/13 मई, 1985 की रात को पुलिस कप्तान, देवरिया के निवास स्थान पर रामदास नामक सुरक्षा प्रहरी को गोली मारकर 2 बजे रात में हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? इस रहस्यमय हत्या का कारण क्या है ? क्या इस हत्याकाण्ड की जांच राज्य अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

का0 190, ए0 पी0 रामदास दिनांक 12/13 मई, 1985 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक, देवरिया के निवास स्थान पर संतरी ड्यूटी पर था, जिसने अपनी मस्कट से स्वयं को गोली मार ली थी । इस मामले की जांच अपराध शाखा,

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी की गई और जांचोपरान्त यह प्रकाश में आया कि उक्त कांस्टेबिल की मृत्यु आत्महत्या करने से हुई है ।

श्री गुरुदयाल सिंह "नागरा" वगैरह ग्राम सुमेरपुर, जिला लखीमपुर खीरी के आयुद्ध लाइसेन्सों के निलम्बन निरस्तीकरण की कार्यवाही

183--श्री रणजीत--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय पुलिस थाना सम्पूर्णानगर जनपद लखीमपु खीरी [illegible] श्री गुरूदयाल सिंह 'नागरा' वगैरह ग्राम सुमेरपुर, पत्रालय बिशेनपुरी, जिला लखीमपुर खीरी के आयुद्ध लाइसेन्सों के निलम्बन/निरस्तीकरण की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन कानून व्यवस्था व जनहित में श्री गुरूदयाल सिंह 'नागरा' वगैरह के आयुद्ध लाइसेन्सों को निलम्बित/निरस्त कर तत्काल जमा कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी को निदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुरूदयाल सिंह "नागरा" के शस्त्र लाइसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण हेतु कोई संस्तुति पुलिस द्वारा नहीं की गई है । उक्त श्री गुरूदयाल सिंह के दो भाइयों के शस्त्र लाइसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट, खीरी के स्तर पर लम्बित है ।

184-186--श्री रणजीत--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

चकराता वन प्रभाग में वन कर्मचारियों द्वारा अवैध निकासी करते हुये पकड़े गये ट्रकों के परमिट करने हेतु कार्यवाही

187--रणजीत--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6/7 फरवरी, 1985 को चकराता वन प्रभाग में वन कर्मचारियों द्वारा अवैध निकासी करते पकड़े गये लाखों रुपये के देवदार व चीड़ प्रकोष्ठ से भरे ट्रक किस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के थे तथा उसके मालिक का नाम क्या है इसके पूर्व करोड़ों की लकड़ी का अवैध निकासी करने वाली इस ट्रान्सपोर्ट को क्या ब्लक लिस्टेड कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, दिनांक 6 फरवरी, 1985 व 7 फरवरी, 1985 को अवैध निकासी करते हुए पकड़े गये दो ट्रक मेसर्स शारदा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, लौगांव, जिला उत्तर काशी के थे । इस कम्पनी के मालिक का नाम श्री कृष्णदेव शारदा है ।

इन ट्रकों के परमिट निरस्त करने हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुरोध किया गया है ।

इन दोनों ट्रकों द्वारा अवैध निकासी करते हुये पकड़े जाने से सम्बन्धित वाद सक्षम न्यायालय के विचाराधीन हैं।

चकराता वन निगम द्वारा कोयले निकासी में एक्सटेंशन एण्ड फायर वाचर फीस

188--श्री रणजीत--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकराता वन निगम द्वारा कोयले निकासी में एक्सटेंशन एण्ड फायर

वेदर फोस 84-85 में किन अधिकारियों के निदेश पर जमा नहीं की गयी तथा सोख्ते की खन्नों पर कायले की निकासी का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनके विरुद्ध एक ट्रक की निकासी चार प्रतियों से करने के बजाय उन चार प्रतियों से चार ट्रक निकाले जाने का मामला 7 फरवरी, 1985 को प्रकाश में आने के बाद उनका स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उन्हें शीघ्र वहां से हटाकर सम्पूर्ण प्रकरण की सी0 आई0 डी0 से जांच करवायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश वन निगम को वर्ष 1984-85 में चकराता लौगिंग प्रभाग में आवंटित सोख्ते की लाटों से उत्पादित कोयले की निकासी निर्धारित अवधि के अन्दर ही पूरी कर ली गयी थी तथा उक्त कोयले की किसी सक्षम अधिकारी (उप वन संरक्षक, चकराता) की अनुमति से की गयी थी । उक्त स्थिति में एक्सटेन्शन ऐन्ड फायर वाचर फीस देय नहीं थी ।

निकासी रवन्ने की चार प्रतियों से चार ट्रकों के निकले जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । अपितु एक रवन्ना की चार प्रतियों से दो ट्रक माल की निकासी का एक मामला फरवरी 85 में अवश्य प्रकाश में आया था जिसमें वन निगम के एक स्केलर श्री बलवन्त सिंह बिष्ट ने रवन्ना की अग्रिम दो प्रतियां स्थानीय व्यक्तियों को बेच दी थी जिन पर वन विभाग के प्रकाष्ठ की अवैध निकासी हुयी । उसी रवन्ने की तीसरी व चौथी प्रति पर उसने वन निगम के प्रकोष्ठ की निकासी दी जो कि वैध थी । पांचवीं प्रति बतौर कार्यालय प्रति के लिये रोक ली गयी थी। जांचोपरान्त दोषी स्केलर की सेवायें समाप्त कर दी गयी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में केस दर्ज करा दिया गया । उक्त स्थिति में सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चकराता वन प्रभाग में बाबर रेंज के रेंजर द्वारा देवदार व चीड़ प्रकोष्ठ की अवैध निकासी

189--श्री रणजीत--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 6/7 फरवरी, 1985 को चकराता वन प्रभाग में बाबर रेंज के रेंजर द्वारा देवदार व चीड़ प्रकोष्ठ की अवैध निकासी करते दो ट्रक पकड़े गये थे जिनका मामला सी0 जे0 एम0 देहरादून की अदालत में चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त रेंजर का नाम क्या है तथा क्या उसे पारितोषिक देने के बजाय उच्चाधिकारी द्वारा कुछ दिन बाद ही उसका स्थानान्तरण कर दिया गया था ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । श्री एन0 के शर्मा जो बाबर रेंज में उक्त अवैध निकासी के समय रेंज अधिकारी थे, के स्थानान्तरण का निर्णय प्रकाष्ठ की अवैध निकासी पकड़े जाने से पूर्व ही दिनांक 2-2-85 को लिया जा चुका था । उनके स्थानान्तरण का अवैध निकासी के उक्त मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री आर0 डी0 गुप्ता अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक के पद का निम्न स्तर में परिवर्तित हो जाने के कारण स्थानान्तरण

190--श्री रणजीत--

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि श्री आर0 डी0 गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक का अक्टूबर 85 में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रशासन से

वाइल्ड में स्थानान्तरण कर दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें पुनः जनवरी, 86 में प्रशासन में स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है ? क्या इन्हें शीघ्र प्रशासन से हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अपर मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) का पूर्व सृजित पद वन संरक्षक (प्रशासन) के निम्न स्तर के पद में परिवर्तित हो जाने के कारण श्री आर0 डी0 गुप्ता, अपर मुख्य वन संरक्षक का स्थानान्तरण अपर मुख्य वन संरक्षक (वन्य जन्तु) के पद पर किया गया था । अतः भ्रष्टाचार के आरोप में स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता । श्री गुप्ता को वन संरक्षक (प्रशासन) के पद पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता । श्री गुप्ता वन संरक्षक (प्रशासन) के पद पर तैनात नहीं हैं अतः स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवधार रेंज, चकराता वन प्रभाग के डी0 एल0 एम0 द्वारा वृक्षों का कथित अवैध कटान

191—श्री रणजीत--

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि देवधार रेंज जिला देहरादून के वन निगम के डी0 एल0 एम0 तथा डी0 एल0 आर0 ने अपने क्षेत्र के वनों को 1984 में ठेकेदारों से मिलकर अवैध रूप से कटवाकर लकड़ियों को निकासी करवा कर वन निगम को करोड़ों की क्षति पहुंचायी है ? क्या वे फरवरी, 84 में पकड़ी गयी अवैध लकड़ी के ट्रकों की जांच रिपोर्ट में भी सामने आये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवधार रेंज चकराता वन प्रभाग में वन विभाग द्वारा आवंटित लाटों में उत्तर प्रदेश वन निगम के चकराता लौगिंग प्रभाग द्वारा वर्ष 1984 में विदोहन कार्य किया गया और वन विभाग द्वारा छापे गये वृक्षों का ही विदोहन किया गया तथा विदोहित माल की निकासी सक्षम वनाधिकारी (उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग) के आदेश से की गई । डी0 एल0 एम0 द्वारा वर्ष 1984 में अपने क्षेत्र के वनों में न तो ठेकेदारों से मिलकर कोई अवैध कटान किया गया और न ही वन निगम को कोई क्षति ही पहुंचाई गई ।

डी0 एल0 आर0 नाम से वन निगम में कोई पद नहीं है । फरवरी, 1984 में वन निगम की लकड़ी की अवैध निकासी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी को निजी पेड़ों की लकड़ी की निकासी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

192—श्री रणजीत—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन की अवैध कटान की शिकायतें करने वाले श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा श्री बसनी कुमार भसीन मुख्तार आम, सम्पूर्णानगर परगना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी को जिला वन विभाग द्वारा वैध निकासी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों व उक्त गैर कानूनी कार्यवाही में सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा श्री बसनो कुमार भसीन मुख्तार आम सम्पूर्णनिगर परगना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी का वनों की अवैध कटान के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। केवल निजी पेड़ों का लकड़ी की निकासी, के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु प्रश्नगत पेड़ों के भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 में विज्ञापित भूमि पर होने के कारण निकासी नहीं दी गई। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः शासन द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी

डा0 आर0 एस0 विश्वकर्मा, का

लेखाधिकारी के पद पर

अनुमोदन के प्रकरण

पर कार्यवाही

193—श्री रणजीत—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूयल 111 के बलेम संख्या 251/एफ/111/80 के सम्बन्ध में दिनांक 16 जून, 1982 के निर्णयानुसार उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी डा0 आर0 एस0 विश्वकर्मा का श्रेणी 2 में स्थायीकरण दिनांक 2 जनवरी, 1970 में होना था? यदि हां, तो माननीय न्यायालय के निणय की अवहेलना करते हुए इनका स्थायीकरण 1 जनवरी, 1974 को क्यों किया गया? क्या शासन इनका स्थायीकरण 1 जनवरी, 1970 से करके दोषी अधिकारी को दण्डित करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। लोक सेवा अधिकरण ने अपने निर्णय दिनांक 16 जून, 1982 द्वारा केवल यह निदेश दिये थे कि श्री विश्वकर्मा के वेतनमान 550-1200 में लेखाधिकारी के पद पर अनुमोदन का प्रकरण लोक सेवा आयोग को शीघ्रातिशीघ्र तथा विलम्बतम आदेश की तिथि के 3 माह के भीतर संदर्भित किया जाय तथा तत्पश्चात् उनके उक्त पद पर स्थायीकरण तथा आगे की पदोन्नतियों पर विचार किया जाय। अधिकरण ने अपने आदेश में स्थायीकरण हेतु कोई तिथि नहीं इंगित की थी। अतः उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री विश्वकर्मा को लेखाधिकारी के पद पर 1 जनवरी, 1974 से स्थायी किया गया। उपर्युक्त को देखते हुये शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस0 एस0 सचदेवा, सहायक

अभियन्ता, नगरपालिका, बुलन्दशहर

की देखरेख में कराये गये

निर्माण कार्य

194—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 एस0 सचदेवा, सहायक अभियन्ता, नगर पालिका बुलन्दशहर के द्वारा वर्ष 1985-86 में किस-किस मद में कितना-कितना धन व्यय किया गया? इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिका, बुलन्दशहर द्वारा श्री एस0 एल0 सचदेवा, सहायक अभियन्ता, नगरपालिका, बुलन्दशहर की देख-रेख में वर्ष 1985-86 में कराये गये निर्माण कार्यों एवं उस पर होने वाले व्यय की मदवार सूची संलग्न† है। श्री सचदेवा द्वारा सीधे कोई व्यय नहीं किया गया है।

95—श्री अर्जुन सिंह यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

†छापी नहीं गई।

लखीमपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर नियुक्ति

196—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि लखीमपुर में (सीतापुर तथा लखीमपुर के लिए) विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी पद पर किसी भी व्यक्ति के आजकल न होने के कारण बहुत मामले, जिनका प्रतिकर बनकर तैयार है, उसका वितरण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो समस्या के शीघ्र निस्तारण हेतु नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखीमपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर श्री महेश नारायण मिश्र, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर को नियुक्ति की जा चुकी है तथा वे 7 मार्च, 1986 से उक्त पद पर कार्यरत हैं।

फैजाबाद के मण्डलायुक्त श्री वी0 के0 दीवान द्वारा फैजाबाद कोषागार के सिंगल लाक एवं डबल लाक का निरीक्षण

197—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के मण्डलायुक्त श्री वी0 के0 दीवान ने मार्च, 1985 में फैजाबाद कोषागार के सिंगल लाक एवं डबल लाक का निरीक्षण किया था जिसमें लगभग एक लाख रुपये का घोटाला पाया गया था और जिलाधिकारी को मुख्य खजांची के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो मुख्य खजांची के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु उल्लिखित निरीक्षण में कोई घोटाला नहीं पाया गया। अतः मुख्य खजांची के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोषागार, फैजाबाद में मुख्य खजांची द्वारा गबन

198—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 85 में श्री नानक चन्द्र गुप्ता के शिकायती-पत्र जो कि आयुक्त फैजाबाद को दिया गया था और आयुक्त ने निदेशक कोषागार को रिफर किया था, में निदेशक कोषागार द्वारा जांच करने पर कोषागार फैजाबाद में लगभग इकसठ हजार रुपये का गबन मुख्य खजांची (जी0 टी0 ए0) द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मुख्य खजांची के विरुद्ध कार्यवाही न कर उनसे उक्त धन फरवरी, 1986 में जमा कराने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त मुख्य खजांची के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निदेशक, कोषागार एवं लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रश्नगत मामले में जांच की गई और मुख्य खजान्ची (जी0टी0ए0) श्री राम राज लाल को दोषी पाया गया। जहां तक मुख्य खजांची से धनराशि जमा कराये जाने का प्रश्न है, यह शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक था। राजकीय कोषाध्यक्ष फैजाबाद का अब स्वर्गवास हो जाने के कारण मुख्य खजांची की सेवायें स्वतः समाप्त हो गई हैं।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में फर्जी बैनामों की शिकायत

199—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विशेष कर पूर्वी जिलों में निरन्तर फर्जी बैनामों (रजिस्ट्री) की भरमार हो रही है ? यदि हां, तो बैनामा (रजिस्ट्री) फोटो के साथ ही कराने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में कोई विशिष्ट मामला इंगित नहीं है । फर्जी बेनामें की शिकायत प्राप्त होने पर महानिरीक्षक, निबन्धन/अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जांच हेतु भेजी जाती है ।

बेनामें के साथ फोटो लगाये जानें का रजिस्ट्रेशन ऐक्ट/नियमावली में कोई प्राविधान नहीं है । व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

स्वर्गीय श्री चेतराम, राजकीय पालीटेक्निक, सी0 बी0 गंज, बरेली के पुत्र श्री मुरारीलाल को चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति

200-डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि श्री चेतराम, राजकीय पालिटेक्निक, सी0 बी0 गंज, बरेली में लैब अनुचर के पद पर कार्यरत थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 16-5-82 को हो गया था जिसके स्थान पर उनके पुत्र श्री बृज मुरारी लाल द्वारा आवेदन किये जाने के बाद भी नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या श्री बृज मुरारी लाल को अपने पिता के स्थान पर शीघ्र नियुक्ति दिला दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्व0 श्री चेतराम के पुत्र श्री बृज मुरारी लाल की चतुर्थ श्रेणी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति कर दी गयी है ।

उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के जनपदीय सम्मेलन में प्रस्तावित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में पत्र

201—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड क्रन्तिदल के (पिथौरगढ़) जनपदीय सम्मेलन प्रस्तावित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-7-85 का पत्र श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित, संयुक्त सचिव के अ0 शा0 प0 सं0 391/28-1-10 (119)/85 पर्वतीय विकास अनुभाग-1, दिनांक 6 फरवरी, 1986 द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र अपर निदेशक (चिकित्सा), पर्वतीय क्षेत्र को भेजा गया है जिन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरगढ़ को पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया है ।

श्री डी0 एन0 सिंह, परगनाधिकारी, ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण की जांच

202—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के परगनाधिकारी श्री डी0 एन0 सिंह दिनांक 2-2-86 को गांव खेरिया शिकमी गोहाना में हरिश्चन्द्र, नायब तहसीलदार व छदामी लाल पर्यवेक्षक कानूनगो व विनय कुमार टी0 ए0 क्लर्क, फरिहा व तीन लेखपालों के साथ गये थे ? क्या यह सच है कि श्री रघुवीर सिंह, उप-प्रधान के इशारे पर परगनाधिकारी ने

श्री सुनहरी लाल की भैंस खुलवाई और छदामी लाल जाटव की पुरानी आबादी की जगह में रास्ता के लिये रघुवीर सिंह व उनके परिवार की सुविधा के लिए जबरिया निशान बीरबल आदि से लगवाये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सही है कि सुनहरी लाल व छदामी लाल जाटव के जानी-माली नुकसान कराने के लिये उनके विपक्षियों को उत्तेजित किया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन द्वारा परगनाधिकारी का स्थानान्तरण करके अभ्यर्थना अनुभाग से जांच करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 2-2-86 को श्री डी० एन० सिंह, परगनाधिकारी, जसराना ग्राम खेरिया शिकमी गोहना में, श्री सुनहरी लाल के प्रार्थना पत्र पर स्थलीय निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय नायब तहसीलदार श्री हरिश चन्द्र सिंह क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक श्री छदामी लाल क्षेत्रीय संग्रह अमीन व क्षेत्रीय लेखपाल के साथ गये थे। श्री विनय कुमार टाडन एरिया क्लर्क परिहा, परगनाधिकारी जसराना के साथ उक्त स्थल पर नहीं थे। स्थलीय निरीक्षण के समय परगनाधिकारी के समक्ष श्री सुनहरी लाल की भैंस खुलवाने श्री छदामी लाल जाटव की आबादी वाली भूमि में से श्री रघुवीर सिंह और उनके परिवार की सुविधा हेतु रास्ता निकलवाने, बीरबल आदि से जबरिया निशान लगवाने तथा श्री सुनहरी लाल व छदामी लाल जाटव के जानी-माली नुकसान कराने के लिए उनके विपक्षियों को उत्तेजित करने जैसी, घटनायें नहीं घटी। अतएव परगनाधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा जांच कराने अथवा उनका स्थानान्तरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उक्त परगनाधिकारी का स्थानान्तरण जिलाधिकारी द्वारा स्वतः तहसील जसराना से तहसील शिकोहाबाद के लिए किया जा चुका है।

श्री निर्मल पाण्डे, बिक्रीकर अधिकारी कानपुर के सम्बन्ध में जानकारी

203--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात हैं कि श्री निर्मल पान्डे कानपुर में वर्ष 82-83 में बिक्रीकर अधिकारी एस० आई० बी० के पद पर और वर्ष 83-84 में खण्ड 16 के बिक्रीकर अधिकारी के पद पर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इनके बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1453, दिनांक 26-7-84 तत्कालीन वित्त मन्त्री को दिनांक 26-7-84 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में माननीय विधायक को अलग से उत्तर दिया जा रहा है।

जनपद सुल्तानपुर के थाना लम्भुआ में नामजद अभियुक्त

204--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना लम्भुआ में दिनांक 26-4-86 को अपराध संख्या 105/86 धारा 307 के अन्तर्गत कितने अभियुक्त नामजद हैं ? क्या इस घटना में किसी को प्राणघातक चोटें आयी ? क्या अराजक तत्वों ने आपस में शराब पी कर अवैध शस्त्रों से गोली चला कर किसी व्यक्ति को घायल किया ? यदि हां, तो यह काण्ड कहां हुआ और कितने अभियुक्त इस काण्ड में वांछित हैं ? क्या यह भी सही है कि पुलिस राजनैतिक हस्तक्षेप से अवैध शस्त्र रखने वालों को बचा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जायगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्नगत अभियोग में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई व्यक्ति नामांकित नहीं है।

विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 26-4-86 को ग्राम सुन्डी, थाना पीपरपुर में प्रवीण कुमार उर्फ पप्पू पुत्र श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह का तिलक था, जिसमें उनके रिश्तेदार व परिचित व्यक्ति सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर व स्थानीय गांव के आमंत्रित व एकत्रित हुए थे।

समारोह में कुछ लोगों ने शराब पी तथा तिलक के समय अपने-अपने शस्त्रों से फायर किये। समारोह में उपस्थित श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी सकवा ने भी बन्दूक से फायर किया जो नशे की हालत में होने के कारण खुद इनके लग गया, जिससे वह घायल हो गये।

इस घटना में कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं पाया गया। अवैध शस्त्र वाली कोई बात प्रमाणित नहीं हुई है। विवेचना जारी है।

थाना लम्भुआ व थाना चांदा में
श्री रमेश चन्द्र सिंह के
विरुद्ध पंजीकृत
अभियोग

205--श्री शिव नारायण मिश्रा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 269/85 राज्य बनाम रमेश सिंह आदि थाना कोतवाली, शहर सुल्तानपुर में जितने अभियुक्त नामजद हैं क्या उनका आपराधिक चरित्र है, क्या उसके अतिरिक्त अन्य किसी बाद में इन लोगों के ऊपर थाना चांदा लम्भुआ, कोतवाली शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है ? यदि हां, तो उन वादों में क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मु0 अ0 सं0 269/85, धारा 332/333 भा0 द0 वि0 में रमेश सिंह आदि नाम का कोई अभियुक्त नहीं है। नामजद अभियुक्त अर्जुन प्रसाद यादव प्रकाश में आये अभियुक्त पाया तथा अनवर अहमद उर्फ मुन्ना के विरुद्ध विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त रमेश सिंह के विरुद्ध थाना लम्भुआ व थाना चांदा में 11 अभियोग पंजीकृत हुये हैं जिनमें 5 मामलों में आरोपए पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

206--श्री राम आसरे वर्मा--

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नगरपालिका, वृन्दावन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का कोटा

207--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री की जानकारी में है कि नगरपालिका, वृन्दाबन में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में (सफाई मजदूरों को छोड़कर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्तमान में यह कोटा कितना है और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

जी हां।

कोटा पूर्ण न होने का कारण यह है कि निर्वाचित बोर्डों के कार्यकाल में आरक्षण कोटे के अनुसार नियुक्तियां नहीं की गई थी। वर्तमान में यह कोटा 2.22 प्रतिशत है। नई नियुक्तियां किये जाने पर लागू शासकीय प्रतिबन्ध के समाप्त होने के उपरान्त तथा सेवा-निवृत्त या अन्यथा रिक्तियां होने पर नई नियुक्तियां करते समय नियमानुसार

आरक्षण कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, कोसी कलां (मथुरा) में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में आरक्षण कोटा

208—श्री सरदार सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री जी को जानकारी में है कि नगरपालिका, कोसी कलां (मथुरा) में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सफाई मजदूरों को छोड़कर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्तमान में यह कोटा कितना है और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने तथा पद रिक्त न होने के कारण कोटा पूरा नहीं हो सका । वर्तमान में तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 9.26 तथा अनसूचित जनजाति का शून्य तथा चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति का 16 और जनजाति का शून्य है । नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध हटने तथा रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार कोटा पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी ।

कतिपय पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका में प्रविष्टि देने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों को प्राप्त अधिकार

209—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस इंसपेक्टर और उसके नीचे के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की चरित्र-पंजिका में प्रविष्टि देने हेतु सन् 1976 में पुलिस अनुभाग-1 द्वारा जिलाधीश और परगनाधिकारी को भी अधिकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

शासनादेश दिनांक 27-9-76 में कतिपय पुलिस कर्मियों की चरित्र-पंजिका में प्रविष्टि देने हेतु नहीं बल्कि उनकी वार्षिक सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र को प्रति-हस्ताक्षरित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया था । इसका अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसके बारे में समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों से सूचना प्राप्त हो जाने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

210—श्री सरदार सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

एम0 एम0 कटियार, बिक्री-कर अधिकारी को अपवंचन विरोधी कार्य के सम्बन्ध में दिया गया पुरस्कार

211—श्री सरदार सिंह—

क्या यह भी सही है कि आगरा में एक अधिकारी को अपवंचन पकड़ने के उपलक्ष में एक घड़ी पुरस्कार स्वरूप दी गयी थी किन्तु अपील स्तर पर इस मामले को सत्य से परे पाया गया ? यदि हां, तो क्या पुरस्कार देने वाले अधिकारी व अयुक्त, बिक्री-कर के खिलाफ कोई कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हां, यह सही है कि एम0 एम0 कटियार, बिक्री-कर अधिकारी खंड-6, आगरा को गत वर्ष कर अपवंचन विरोधी कार्य के सम्बन्ध में एक घड़ी पुरस्कार स्वरूप दी गयी थी । इस अधिकारी ने स्वंश्री पंजाबी ज्वेलर्स, किनारी बाजार, आगरा के मामले में

सर्वेक्षण के समय पाए गये प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर लगभग 31,000रु0 अतिरिक्त कर आरोपित किया था। अपील स्तर से आरोपित कर की पुष्टि नहीं हुई है तथा मामले में अपीलीय निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील दायर कर दी गयी है। अतः अभी किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिक्री-कर मुख्यालय में आयुक्त के स्तर पर दक्षत रोक अथवा प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन

212—श्री सरदार सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी में है कि बिक्री-कर मुख्यालय में आयुक्त के स्तर पर दक्षता रोक अथवा प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अनेक प्रत्यावेदन काफी लम्बे समय से लम्बित पड़े हुए हैं ? जिससे सम्बन्धित अधिकारियों में असन्तोष है ? यदि हां, तो इन प्रत्यावेदनों की संख्या क्या है और कब तक इन पर निर्णय कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा डाले गये छापे

213—श्री सरदार सिंह—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान बिक्री कर आयुक्त के कार्यकाल में कर अपवंचन विरोधी मामले पकड़ने का प्रचार युद्ध स्तर पर करने के बावजूद भी विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा छापों की संख्या में वर्तमान आयुक्त के कार्यकाल से पहले की तुलना में कमी आयी है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हां, वर्ष 84-85 में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा डाले गए छापों की तुलना में वर्ष 85-86 में कमी आयी है क्योंकि इस वर्ष तकनीकी बातों पर पकड़ना कम करके गम्भीर मामले पकड़ने पर बल दिया गया है।

वर्तमान बिक्री कर आयुक्त द्वारा कर अपवंचन विरोधी प्रचार हेतु छपवायी गयी सामग्री व पोस्टर

214—श्री सरदार सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बिक्रीकर आयुक्त ने अपने कार्यकाल में कर अप वंचन विरोधी प्रचार हेतु पोस्टर तथा अन्य प्रकार की सामग्री छपवायी थी। यदि हां, तो इस पर कितना व्यय आया और कितनी सूचनायें इस प्रचार से परिक्षेत्रीय उपयुक्तों को प्राप्त हुई तथा पकड़े गये मामलों में कितनी राशि कर की कितनी चोरियां पकड़ी गयी ? क्या यह सही है कि पकड़ी गयी चोरी से छपाई की धनराशि अधिक थी ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। कर अपवंचन विरोधी प्रचार हेतु तथा बिक्रीकर प्राविधानों तथा तत्सम्बन्धी नियमों से जन साधारण तथा विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने हेतु कार्यालय आयुक्त बिक्री कर द्वारा पोस्टर तथा अन्य प्रकार की सामग्री छपवायी गयी। अखबारों में विज्ञापन छपवाये गये। इस मद में वर्ष 85-86 में कुल व्यय 1,79,845 रुपये किये गये हैं जबकि गत वर्ष इसी मद में 1,80,130 रुपये व्यय किये गये थे। स्पष्ट रूप से इस मद में व्यय गत वर्ष की अपेक्षा कम किया गया है, किन्तु व्यय की जा रही धनराशि से अधिक उपयोगी प्रचार साधन जुटाये गये हैं जिसके

फलस्वरूप वर्ष 85–86 में वर्ष 84–85 की अपेक्षा लगभग 100 करोड़ रुपये बिक्रीकर से प्राप्त होने वाले राजस्व में वद्धि हुई है ।

वर्ष 85–86 में सचल दल इकाइयों तथा चेकपोस्टों पर अनियमित माल अभिग्रहीत करते हुए 7 79 करोड़ राजस्व वसूला गया है जबकि गत वर्ष 7.41 करोड़ रुपये राजस्व वसूला गया था । पकड़े गये मामलों में 3418 ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं जिसमें रेलवे के माध्यम से अनियमित रूप से माल आयात किया जा रहा था । विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयों द्वारा पकड़े गये मामलों में 269.58 करोड़ रुपये का अपवंचित विक्रय धन प्रकाश में आया है जबकि वर्ष 84–85 में विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयों द्वारा पकड़े गये मामलों मे 162 82 करोड़ रुपये अपवंचित विक्रय धन प्रकाश में आया था । स्पष्टतः वर्ष 85–86 में बिक्रीकर में हुई वृद्धि तथा सूचनाओं के आधार पर पकड़े गये मामलों में जो धनराशि एकत्र की गयी है वह प्रचार हेतु किये गये खर्चों से कहीं अधिक है ।

भारत जर्मन कृषि विकास परियोजना के सहयोग के लिये तैयार किये गए अनुबन्ध

215—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में भारत-जर्मन कृषि अनुसंधान/सहयोग के लिए मूल अनुबन्ध कब तैयार किए गए ? किस तिथि से इस परियोजना के अन्तर्गत काम प्रारम्भ हुआ ? इस परियोजना में जर्मनी द्वारा कितनी धनराशि किन-किन मदों में व्यय की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भारत जर्मन कृषि विकास परियोजना के सहयोग के लये मूल अनुबन्ध 31–7–1969 को तैयार किये गये ।

2—इस परियोजना के अन्तर्गत मार्च, 1970 से कार्य प्रारम्भ हुआ ।

3—परियोजना में जर्मनी द्वारा 3.25 करोड़ रु0 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) इन्फ्रास्ट्रक्चर	1 करोड़
(ख) मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट	1 करोड़
(ग) उत्पादन सामग्री	1.25 करोड़
योग ..	3.25 करोड़

राज सीमेन्ट कम्पनी, लोहाघाट (पिथौरागढ़) को फैक्ट्री निर्माण हेतु कथित भूमि का आवंटन

216—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज सीमेन्ट कम्पनी लोहाघाट (पिथौरागढ़) को फैक्ट्री निर्माण हेतु जो भूमि आवंटित की गई है उसी भूमि के आवंटन का प्रकरण केन्द्र सरकार की सलाहकार समिति द्वारा इससे पूर्व एक बार अस्वीकृत किया जा चुका था । यदि हां, तो उक्त कम्पनी को किस आधार पर व किन लीज शर्तों के साथ यह भूमि आवंटित की गई और क्या कम्पनी ने आवंटित भूमि में निर्माण कार्य सम्बन्धी उपबन्धों का परिपालन किया है । यदि नहीं, तो शासन ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जो भूमि राज सीमेन्ट कम्पनी को आवंटित की गयी है, उसकी लीज शर्तों का पालन न करने के कारण, उपायुक्त

पिथौरागढ़, ने अपने आदेश दिनांक 25–11–85 द्वारा लीज निरस्त कर दिया था जिसके विरुद्ध कम्पनी ने आयुक्त के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर किया था। आयुक्त कुमायूं मंडल ने, उपायुक्त के आदेश दिनांक 25–11–85 को त्रुटिपूर्ण ठहराते हुए निरस्त कर दिया है तथा राज सीमेन्ट कम्पनी को औपचारिकताएं पूरा करने हेतु निर्देशित किया है। कम्पनी को गवर्नमेंट ग्रान्ट ऐक्ट के अधीन स्वीकृत की गयी भूमि के संबंध में सरपंच वन पंचायत कसुई डुगरी की ओर से भी आयुक्त कुमायुं मंडल, नैनीताल के न्यायालय में आपत्ति/पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अभी आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है।

सिरकुच पेयजल योजना का निर्माण तथा ग्रामों का पेय जल आपूर्ति

217––श्री काशी सिंह ऐरी––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करगे कि जनपद पिथौरागढ़ से जरगनी–सिरकुच पेय जल योजना का निर्माण कब, कितनी धनराशि से किन–गांवों के लाभ के लिये पूर्ण किया गया ? इस पेय जल योजना के द्वारा कब से किन–किन ग्रामों को नियमित पेय जल आपूर्ति की जाती रही है ? क्या इस हेतु गांवों के गांव प्रधानों के प्रमाण–पत्र विभाग के पास जमा है ? वर्तमान में इस योजना के पुनर्निर्माण के लिये कितनी धनराशि से क्या–क्या कार्य किया जा रहा है। इस योजना से किन–किन ग्रामों को नियमित पेय पानी कब से प्राप्त हो सकेगा।

श्री वीर बहादुर सिंह––

जरगानी सिरकुच पेय जल योजना नाम की कोई योजना नहीं है। विधायक महोदय का तात्पर्य सिरकुच पेयजल योजना से प्रतीत होता है, जो वर्ष 1969–70 में रु0 2·39 लाख की धनराशि से तीन राजस्व ग्राम मनकोट (कोड सं0 557), सिरकुच (कोड सं0 558) भटवारी कोड सं0 555) हेतु पूर्ण की गई थी।

उपरोक्त तीनों राजस्व ग्रामों को वर्ष 1969–70 में पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया था। वर्तमान में सिरकुच ग्राम तथा गडरखोला, कमेड़–पानी एवं मायालेख तोकों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

जी नहीं। उस समय ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। योजना की मरम्मत हेतु 1·024 लाख रु0 की धनराशि से श्रोत, जलाशय, पाइप लाइन आदि की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

शीघ्र ही योजना में सम्मिलित ग्रामों को नियमित पेय जल आपूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ फैजाबाद रोड से शहर के लिए आने वाली लखनऊ रिंग रोड में ली गयी भूमि तथा फसल के प्रतिकर का भुगतान

218––श्री भगवती सिंह––

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, फैजाबाद रोड से शहर के लिए आने वाली लखनऊ नगर रिंग रोड में पड़ी जमीनों तथा फसल का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

लखनऊ फैजाबाद रोड से शहर के लिये आने वाली लखनऊ नगर रिंग रोड में ली गयी भूमि तथ फसल के प्रतिकर के भुगतान हेतु अध्याप्ति निकाय द्वारा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ को वांछित धन उपलब्ध कर दिया गया है।

सदन में मतदान होने पर तटस्थ रहने वाले सदस्यों का उल्लेख कार्यवाही में प्राविधान किये जाने का सुझाव तथा दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित करने वाले व्यक्तियो को पीटने वाले रक्षक को दण्डित किये जाने की मांग

*श्री देव कुमार यादव--

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

मान्यवर, मैं सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, इस सदन में हर सदस्य अपने दल की नीतियों और निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और उसकी कार्यवाही इस सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा होती है, कार्यवाही का अंग होती है। मान्यवर, माननीय सदन में कल अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था। मेरे दल की इच्छा थी कि मैं तटस्थ रहूं, मैं तटस्थ रहा। मैंने मतदान में भाग नहीं लिया लेकिन कार्यवाही में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि तटस्थ रहने वाले सदस्य का भी कार्यवाही में आ जाय। लोक सभा में ऐसा प्राविधान है कि तटस्थ रहने वाले सदस्य का कार्यवाही में आ जाता है लेकिन हमारे सदन की प्रक्रिया में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां भविष्य में भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें। मान्यवर, इस सदन में विभिन्न दलों का, विभिन्न सदस्यों का अलग-अलग रवैया होता है इसलिए भविष्य में ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये प्राविधान होना चाहिये। दूसरा एक निवेदन आपसे है कि सदन में ऐसे भी सदस्य हैं जो मान्यता प्राप्त दलों के नहीं हैं लेकिन उनकी एक निश्चित राय है। कल अविश्वास प्रस्ताव पर ऐसे कुछ सदस्य बोलना चाहते थे परन्तु उनको समय नहीं दिया गया। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किस दल की क्या राय है, अवश्य ली जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यादव जी, आप लिखकर दे दें।

(दर्शक दीर्घा में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर तथा नारेबाजी होने पर)

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हमारे नियमों में व्यवस्था है और आपके द्वारा समय-समय पर जारी किये गये जो कारण हैं, उनमें व्यवस्था है कि आदरणीय सदन और उसकी जितनी भी दीर्घायें हैं वह आपके नियंत्रण में हैं। यह बात सुनिश्चित है। इन दीर्घाओं में अव्यवस्था पैदा करना सदन की अवमानना है। सदन की अवमानना करने वाले को क्या दण्ड दिया जायेगा इसका निश्चय आदरणीय सदन करेगा। चार्जशीट आपके सचिवालय द्वारा दी जायेगी। अभी-अभी मेरे संज्ञान में एक मामला आया, न मेरे संज्ञान में बल्कि सदन के सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में आया कि दर्शकदीर्घा से किसी नौजवान ने अव्यवस्था पैदा की, अनुशासनहीनता की। लेकिन क्या अनुशासनहीनता करने के कारण, जो रक्षक या सिपाही दीर्घा में हैं, उनको दण्ड देने का अधिकार दिया जायेगा, नहीं दिया जायेगा। हम लोगों के सामने उपस्थित रक्षक ने उस व्यक्ति को मारा और बुरी तरह मारा। चार्जशीट देने का अधिकार किसका है, दण्ड देने का अधिकार किसका है? आदरणीय सदन में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायगा और यह सदन दण्डित करेगा। सदन से भिन्न किसी को दण्डित करने का अधिकार नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय देव कुमार यादव जो, आप लिखकर भेज दें, आपका सुझाव नियम समिति को भेज दिया जायेगा। जहां तक गुप्त जी का सवाल है। मैं जांच करूंगा, यह अधिकार सदन को ही है।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। हमारे मित्र देव कुमार यादव जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने कहा कि नियम समिति में भेज देंगे। हमारे नियम स्पष्ट हैं यहां हां या नहीं दो ही की व्यवस्था है। यहां पुरुष और स्त्री दो ही हैं, नपुंसक के लिये कोई स्थान हमारी विधान सभा में नहीं है। इसलिये नियम समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है। न ही मैं न शी में।

श्री अध्यक्ष--

आप सुने में 'न' और 'हां' का उत्तर दे रहा हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

नियम समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है आपने सुन लिया यही बड़ी कृपा की। दूसरी घटना के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी किसी नौजवान ने मारेबाजी की, यह निश्चित रूप से सदन का अपमान है। उस नौजवान के खिलाफ जो उचित विधिक कार्यवाही सदन समझेगा, करेगा। निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन किसी कर्मचारी को जो सुरक्षा कर्मचारी है यह विधान सभा के कर्मचारी हैं, उनको यह हक हासिल नहीं है, कि कोई व्यक्ति अव्यवस्था पैदा कर रहा है तो वह स्वयं उसको दण्डित कर दें, कानून अपने हाथ में लें। जिस कर्मचारी ने उस नारा लगाने वाले को मारा है, वह स्वयं सदन के अपमान का अपराधी है। आप जांच करें और जिन लोगों ने मारा है उनको भी कठघरे में प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष--

पूरी जांच होगी।

श्री सुखपाल पाण्डे--

माननीय अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष--

पाण्डे जी आप बैठे, मुझे महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करनी है। कृपा करके बैठ जायं। मुझे राजेन्द्र सिंह के बारे में निर्णय देना है। राम सरन जी इनको बैठा लें। बैठिये, कुछ नहीं लिखा जायगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देने जा रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह के लोकदल से कथित निष्कासन के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता, विरोधी दल श्री मुलायम सिंह ने अपने पत्र दिनांक 30-6-86 द्वारा यह सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (अलीगढ़) को लोकदल विधान मण्डल दल से निष्कासित कर दिया गया है। इस मामले में श्री राजेन्द्र सिंह से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गयी। अपने स्पष्टीकरण दिनांक 13-8-86 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा है कि उनका निष्कासन नियमानुकूल नहीं है और निष्कासन की सारी कार्यवाही निरस्त भी की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे लोकदल के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं, अतः उन्हें किसी अन्य रूप में सदन में बैठने का निदेश नहीं दिया जा सकता।

पूरे मामले पर गौर करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री राजेन्द्र सिंह ने स्वेच्छा से दल का परित्याग नहीं किया है, अतः उन्हें सदन की सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता।

जहां तक श्री राजेन्द्र सिंह के लोकदल की सदस्यता का सवाल है, मेरे लिये न तो यह मुमकिन है और न मुनासिब कि मैं इस बात की जांच करूं कि राजेन्द्र सिंह के निष्कासन की कार्यवाही नियमों के अनकूल की गई है अथवा नहीं । मैं इस बात की जांच करना भी आवश्यक नहीं समझता कि श्री सिंह के लोकदल से निष्कासन की कार्यवाही अभी लम्बित है अथवा उसे निरस्त कर दिया गया है । यह लोकदल के आन्तरिक विवाद का मामला है और इसका फैसला सक्षम पदाधिकारियों द्वारा अथवा न्यायालय के माध्यम से ही किया जा सकता है ।

जहां तक सदन की कार्यवाहियों के सुचारु रूप से संचालन का सवाल है इतना पर्याप्त है कि विधान मण्डल लोकदल के नेता ने मुझे सूचित कर दिया है कि श्री सिंह उनके दल के सदस्य नहीं रह गये ।

वर्णित परिस्थितियों में यह मुनासिब होगा कि अग्रिम आदेशों तक श्री राजेन्द्र सिंह को निर्दलीय सदस्यों के रूप में सदन में बैठने की सुविधा प्रदान की जाय । संसद में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र सिंह के साथ ही साथ आपको भी इस निर्णय के लिये बधाई देता हूं ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान के कांग्रेस (जे0) से कथित निष्कासन के फलस्वरूप उनकी सदस्यता के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दूसरा निर्णय श्री काजी कलीमुर्रहमान के बारे में है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की दलीय सूची में कांग्रेस (जे0) के पांच सदस्य दिखाये जा रहे थे जिनके नेता श्री कौशिक रमाशंकर थे । इन सदस्यों में भी कुछ आंतरिक विवाद उत्पन्न हो गया है । श्री कौशिक रमाशंकर ने अपने पत्र दिनांक 22-7-86 द्वारा सूचित किया कि श्री काजी कलीमुर्रहमान को विधान मण्डल कांग्रेस (जे) दल से निष्कासित कर दिया गया है । इसके विपरीत श्री काजी कलीमुर्रहमान ने अपने पत्र दिनांक 24-7-86 द्वारा सूचित किया है कि कांग्रेस (जे) विधान मण्डल दल के नेता वह स्वयं हैं और श्री कौशिक अब उनके नेता नहीं रहे ।

दिनांक 26-8-86 को श्री कौशिक रमाशंकर श्री मो0 आकिल, श्री सखावत हुसैन तथा श्री रमाकान्त यादव मेरे कक्ष में आये और उन्होंने मुझे लिखित सूचना दी कि श्री कौशिक ही उनके नेता हैं ।

मैं किसी दल के आन्तरिक विवादों में नहीं पड़ना चाहता । कांग्रेस (जे) के रूप में मान्यता प्रदान करने का अधिकार निर्वाचन आयोग अथवा न्यायालय को ही हो सकता है । जब तक सक्षम प्राधिकारी का निर्णय नहीं हो जाता तब तक विधान सभा की दलीय सूची में श्री काजी कलीमुर्रहमान को निर्दलीय सदस्यों के रूप में दिखाना मुनासिब होगा ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 29(4) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष को यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाय,

मान्यवर, इसके बाद 28(6) देखें "उसमें ऐसे प्रश्नों की तत्वतः पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर उसी सत्र में पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देने से इन्कार कर दिया गया हो।" मैं आज की कार्य सूची की नत्थी (क्ष) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सदन में दिनांक 5-9-86 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त हो गया है। कल शाम को जो एजेण्डे की प्रतिलिपि मिली थी उसमें मेरा प्रश्न था "क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के बेतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों को भारत सरकार ने दिसम्बर, 1985 में कस्टोडियनशिप से वापस कर दिया है किन्तु सम्बन्धित मिल मालिक ने फैक्ट्री अपने स्वामित्व में लेने से इंकार कर दिया है जिससे गन्ना किसानों का लगभग 60 लाख गन्ना मूल्य बाकी रह गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन मिलों के आवंटित क्षेत्र में इस वर्ष गन्ने के फसल क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए इन मिलों का चालू पेराई सत्र में चलाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है 5-9-86 को उसकी मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूं "देवरिया, बेतालपुर (देवरिया) तथा बभनान (गोण्डा) की तीन चीनी मिलों के मालिकों ने इन चीनी मिलों को अभी तक वापस नहीं लिया है। यह ज्ञात हुआ है कि इन तीनों मिलों के सम्बन्ध में मिल मालिकों तथा भारत सरकार के मध्य विवाद उच्च न्यायालय बम्बई तथा कलकत्ता में चल रहा है। फलस्वरूप इन मिलों पर अभी भी भारत सरकार के नियुक्त एवज-कस्टोडियन मिलों की देखभाल कर रहे हैं। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन तीनों मिलों पर कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य तथा श्रमिकों के बकाया का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने का प्रबन्ध करें।" जो मेरा मूल प्रश्न था उसके सम्बन्ध में वक्तव्य में कहीं कोई जिक्र नहीं है। देवरिया, बेतालपुर चीनी मिल के किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया जायेगा ? और उसको चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? मैंने यह 14-8-86 को प्रश्न किया था। सरकार द्वारा समय पर उत्तर न दिये जाने के कारण यह प्राथमिकता पर रखा गया। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाने के लिये आप इसमें व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको देखूंगा।

*श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, बहुत अदब के साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले दिन जब आप उस कुर्सी पर विराजमान हुए थे तो आपने यह फरमाया था कि अगर एक भी सदस्य यह महसूस करेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या मैं इंसाफ करने में कासिर हूं, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री फजलुलबारी--

मुझे अफसोस है कि आप [×××] प्रदेश के अन्दर जो गड़बड़ियां हैं....।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप नहीं किया जा सकता ।

श्री फजलुल बारी--

श्रीमन्, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रदेश की सारी गड़बड़ियों को छोड़कर, जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहां का वक्त बरबाद किया गया ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय, यह तो पीठ पर आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री फजलुल बारी--

एक मामूली से वाकये को लेकर किसी एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की साजिश की गयी उसके बरअक्स प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । आपने उन सवालों को सदन में उठाने का मौका नहीं दिया । इंसाफ की उम्मीद जो उस कुर्सी से की जाती है, वह मिल नहीं पा रही है । आप अपनी उस बात पर कायम रहें जो आपने कही थी । मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां से इन्साफ नहीं मिल रहा है ।

*श्री अचल सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नत्थी "ध" पर प्रश्न संख्या 2 पर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके उत्तर में कहा है कि सम्मानित विधायकों को लाइसेन्स जारी करने के आदेश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं । यदि माननीय विधायक लाइसेन्स चाहें तो उन्हें दे दें । तो मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न ह कि अगर कोई विधायक लाइसेन्स हेतु जिलाधिकारी को आवेदन-पत्र देता है तो क्या उसकी जांच दरोगा से करवायेगा । मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि जिलाधिकारी को यह निर्देश दे दिये जायें कि यदि कोई विधायक लाइसेन्स हेतु आवेदन-पत्र देता है तो दरोगा से उसकी जांच नहीं करवायी जायेगी उन्हें अविलम्ब लाइसेन्स दे दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियम 49 के तहत इस पर चर्चा मांग सकते हैं ।

श्री अचल सिंह--

ठीक है, मैं आपको लिख कर दे दूंगा ।

विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । विधायकों के लिये दारुलशफा आवास में जो व्यवस्था है वहां इस समय गुण्डों और बदमाशों का अड्डा बन गया है जिस "सी" ब्लाक में मैं रहता हूं वहां चार व पांच तारीख को चोरी हुई मैंने इसको रपट की, लेकिन रपट का कोई फल नहीं निकला जिस प्रकार से ये आवास बनाये गये उसमें ऊपरी मंजिल में जाने के लिये इसमें किसी प्रकार का बन्द दरवाजा नहीं लगा है । जब हम सदस्यगण कमरा बन्द करके अन्दर सोते हैं तो सीढ़ियों से बदमाश ऊपर चले आते हैं हम उसे देखते नहीं और रोक नहीं पाते । इस बीच तीन चार रोज से वहां नियमित रूप से लाइट नहीं रही । परिणाम स्वरूप वहां पर गुण्डे आकर रहने लगे । यहां पर कई बार डकैती भी हो चुकी है और कई बार गुण्डे लोगों ने बलात्कार भी किया मर्डर किया ये मामले पहले भी उठाये गये थे । सरकार से उस समय यह उत्तर आया था कि अब हमने वहां पर एक चौकी कायम कर दी है, इसलिये अब इस प्रकार की अशोभनीय घटना भविष्य में नहीं होगी । पुनः चोरी इत्यादि होने लगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है अतः हम आपका संरक्षण चाहते हैं और अनुरोध करते हैं कि वहां पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे माननीय सदस्य विधायक निवास में अपनी जान माल की रक्षा कर सकें और सुव्यवस्था में अपने कार्य को भी ठीक से कर सकें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है । मैं निर्देश देता हूं कि इसका मुनासिब इंतजाम होना चाहिये ताकि माननीय सदस्यगण को कोई शिकायत न हो ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, इस मामले की पूरी जांच करके सुनिश्चित व्यवस्था करवा दी जायेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी करवा दी जायेगी ।

श्री शारदा प्रताप---

मान्यवर, मैं श्री राम आसरे वर्मा जी के ता0 प्र0 सं0 2 के संदर्भ में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्या कोई व्यक्ति चाहे वह छोटा हो या बड़ा किसी जनपद का रहने वाला है । लेकिन दूसरे जनपद से जहां उसका निवास स्थान या घर द्वार नहीं है, से कोई पिस्टल या बन्दूक का लाइसेन्स ले सकता है । क्या यह कोई दण्डनीय अपराध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(श्री काशी सिंह ऐरी के खड़े होने पर)

श्री अकबर हुसैन बाबर---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है बाईं तरफ विपक्ष के लोग बैठे हैं और बाईं ओर सत्ता पक्ष के लोग । कल अविश्वास के प्रस्ताव पर कुछ माननीय सदस्य विपक्ष के और कुछ सत्ता पक्ष के नहीं रहे थे । तो क्या उनके लिये आप कोई तीसरा स्थान बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आपका कहने का मकसद है कि दोनों तरफ बैठ गये थे ।

*श्री काशी सिंह ऐरी---

माननीय पाण्डेय जी द्वारा दारुल-शफा के सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को एक सुझाव देना चाहूंगा, जब हम दारुलशफ के मुख्य द्वार से विधान सभा सचिवालय में प्रवेश करते है तो सभी विधान सभा सदस्यों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा कि गाड़ियां और अन्य ट्रफिक सड़क पर इतनी तेजी से गुजरता है कि सड़क पार करके विधान सभा में प्रवेश अत्यन्त कठिन हो जाता है खासतौर से सुबह 10 बजे के करीब और शाम को जब विधान सभा छूटती है । इससे किसी भी समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है । मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि उसके लिये कोई आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि आने-जाने में कठिनाई न हो और किसी दिन किसी हादसे का सामना न करना पड़े ।

श्री अम्मार रिजवी---

इससे पहले भी यह समस्या सामने आयी थी और इसके दो विकल्प सामन रख गये थे । एक तो यह कि अण्डर-ग्राउण्ड रास्ता बनाया जाय और दूसरा यह कि फ्लाई ओवर के निर्माण की बात थी, लेकिन इसमें समय लग सकता है इससे पहले भी यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था की गयी है कि वहां पर एक ट्रैफिक कांस्टेबिल की पोस्टिंग कर दी गयी है । इसे और सुनिश्चित कर लिया जायेगा जब तक कि स्थायी समाधान समस्या का नहीं होता, यह चीज रहेगी । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं पूर्णतया सहमत हूं कि यह समस्या है । यह समस्या उन तमाम लोगों की है जो बारहबफा की तरफ से इधर आते हैं । इस सिलसिले में एक परमानेन्ट सालयूशन निकाला जायगा और फिलहाल कोई व्यवस्था कर दी जायेगी ।

* श्री राम आसरे वर्मा--

अभी माननीय फजलुलबारी द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, किन्तु आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं आयी । उसी के साथ अपने को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि मैं वर्ष 1977 से अब तक सदन का कार्यवाही बराबर देखता रहा । कुछ परम्परायें ऐसी हैं जो पहले रहीं और आज उनको समूल नष्ट किया जा रहा है । मिसाल के तौर पर निर्दलीय सदस्यों की भूमिका के बारे में कहना चाहता हूं । वर्ष 1977 से 1980 तक निर्दलीय सदस्यों ने काम किया, वर्ष 1980 से 1985 तक एक ग्रुप बनाकर काम किया । यह अलग बात है कि चुनाव आयोग से पार्टी और दल के रूप में मान्यता नहीं मिली, किन्तु आपके स्तर से, जो एक ग्रुप के रूप में सदन और उसके बाहर काम करते रहे हैं, उसके आधार पर अनौपचारिक मान्यता रही है और सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अवसर देते रहे हैं । इस बार पता नहीं क्या कारण है कि नई परम्परायें आ गयीं कि निर्दलीय सदस्यों की भी उपेक्षा की जा रही है । मैं इस पर भी व्यवस्था चाहता हूं कि निर्दलीय सदस्य किसी के सहारे चुनकर नहीं आये न श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर और न चौधरी चरण सिंह के नाम पर चुनकर आये हैं । अगर आये हैं तो अपने काम और व्यक्तित्व के बल पर चुनकर आये हैं । ऐसे लोगों को अगर उपेक्षा का शिकार बनाया जाता है तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

निर्दलीय निर्दलीय ही रहेंगे ।

जनपद बलिया में चैनछपरा में कटान रोकने हेतु ठोकर के निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 की सूचनाओं में 49 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार हुई हैं । श्री विक्रमादित्य पाण्डेय, डा0 बनोध तिवारी, श्री राम आसरे वर्मा श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री यदुनाथ सिंह, श्री भोपाल सिंह तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय --

मान्यवर, बलिया जनपद में ग्राम चैनछपरा, नैनछपरा, राजपुर, इकौना, शिवपुरदोयर एवं अवही के लगभग दस हजार व्यक्ति गंगा की कटान से बेघर हो गये हैं । चैनछपरा में कटान रोकने के लिए बन रहा ठोकर विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है जिससे निकट भविष्य में पांच हजार व्यक्तियों को और बेघर होने की सम्भावना है । बेघर दस हजार व्यक्ति बलिया-बैरियां बांध पर खुले आकाश में रह रहे हैं । इनमें से अधिकांश हरिजन, पिछड़ी जाति के निहायत गरीब लोग हैं जो बसने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं । स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 12 बजकर 50 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए ।)

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान मे लाकर सरकार से मांग करता हूं कि बेघर लोगों को बसाने की व्यवस्था करें तथा चैनछपरा में ठोकर बनाने का आदेश दें ।

निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर, पीलीभीत में भयंकर बाढ़ का प्रकोप होने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनोद कुमार—

मान्यवर, आपके संज्ञान में नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की एक सूचना लाना चाहता हूं कि श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 11 जुलाई, 1986 एवं 18 जुलाई, 1986 को अचानक भयंकर बाढ़ से जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया और हजारों लोग बेघर हो गये तथा लगभग 2,000 एकड़ भूमि शारदा नदी की बाढ़ से कट गई एवं बहुत बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान पहुंचा है । यह बाढ़ वर्षा के पानी से नहीं आयी बल्कि सिंचाई विभाग द्वारा डैम का पानी अचानक छोड़ देने के कारण से आयी थी । जिससे कि उपनिवेश क्षेत्र के लगभग सभी गांव जैसे सिद्ध नगर, शास्त्री नगर, भरतपुर, अशोक नगर, चन्द्र नगर राम नगर, आजाद नगर, कबीरगंज, गौरनिया, गांधी नगर, नहरोसा, गोतम नगर, टाटरगंज, कम्बोज नगर, राघवपुरी तथा सम्पूर्ण भूदान क्षेत्र, गभिपा सराय, रमनगरा, गुंनाज बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । अतः मैं आपके माध्यम से उ0 प्र0 शासन को कटाव रोकने हेतु टाटरगंज, विनोवा नगर, सिद्ध नगर, घाघरघाट, हजारा आजाद नगर तथा नहरोसा मे ठोकरें बनाने की जोरदार मांग करता हूं क्योंकि कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ आजाद नगर आदि की आबादी को भी खतरा पैदा हो गया है । साथ ही साथ अभी मांगों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है । उसकी मरम्मत कराने, सभी तरह की वसूली स्थगित करने, अनुदान, राहत कार्य तथा तकावी देने एवं गिरे हुए मकानों हेतु गृह अनुदान तथा साथ ही साथ जिन लोगों की कृषि योग्य भूमि कट गई है उन्हें अन्यत्र भूमि आबंटित करने की भी मांग करता हूं तथा जनपद में बाढ़ प्रखण्ड स्थापित करने की मांग करता हूं । यदि तुरन्त ध्यान न दिया गया तो शारदा सागर डैम भी कट सकता है । सिंचाई विभाग की गलती से एक साथ इतना अधिक पानी छोड़ने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों तथा राहत कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति कठोर कार्यवाही करने की मांग करत हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उ0 प्र0 सचिवालय में नियुक्त स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अर्हकारी परीक्षा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा ली जाने वाली विशेष अर्हकारी परीक्षा में अपनायी गयी विभेदकारी नीति की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार की एक विशेष अर्हकारी परीक्षा, 1972 में आयोजित की गई थी जिसमें स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों की चरित्र पंजिकाओं के लिए 200 अंक निर्धारित किये गये थे । इस प्रकार उसमें स्वच्छ चरित्र-पंजी वाले स्थानापन्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रवर वर्ग सहायकों को प्रमुखता मिली। इस बार जो विशेष अहंकारी परीक्षा अगस्त तथा सितम्बर, 1986 में आयोजित की गई है, उसमें मेरी जानकारी के अनुसार चरित्र-पंजी पर मात्र 100 अंक निर्धारित किये गये, इस प्रकार जहां एक ओर शासन की यह नीति पक्षपात पूर्ण है, वहीं दूसरी ओर इससे अच्छा चरित्र-पंजिका वाले सहायकों का उक्त परीक्षा में सफल होना संदिग्ध हो जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि वर्ष 1972 की भांति इस बार भी चरित्र-पंजिकाओं पर 200 अंक निर्धारित करा कर सचिवालय के स्थानापन्न अवर वर्ग सहायकों को न्याय दिलाने का कष्ट करें।

नई दिल्ली स्थित "उत्तर प्रदेश भवन" के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग एवं भवन की जर्जर दशा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

महोदय, नई दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश के विधायकों तथा सरकारी अधिकारियों के ठहरने के लिए बनाये गये नवनिर्मित भवन उत्तर प्रदेश भवन के निर्माण में व्यापक अनियमितता और घोटाला किये जाने के कारण मात्र 3 वर्षों के भीतर ही करोड़ों रुपये की लागत से बनाये गये भवन का अग्रभाग कई फीट नीचे धंस गया है और उसकी दीवारों में दरार आ गई है जिससे कभी भी गम्भीर दुर्घटना घटित हो सकती है।

उ0 प्र0 भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और संस्कृति का प्रतीक है। वहां के निर्माण में भारी हेरा-फेरी की गई है और वर्तमान प्रबन्ध भी सन्तोषजनक नहीं है। उ0 प्र0 भवन में सफाई, पेयजल, दूरभाष का भारी संकट है जिससे लोकहित गम्भीर रूप से प्रभावित होता है।

अतः इस अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उ0 प्र0 भवन, नई दिल्ली के निर्माण में किये गये घांधली की ओर कुप्रबन्ध की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील चुनार, मिर्जापुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि पूरे चुनार तहसील में जनपद मिर्जापुर 29 अगस्त से चालीस इन्टर कालेज के छात्र एवं छात्रायें राजकीय महाविद्यालय का 23 सितम्बर को सत्र चालू करने के लिए हड़ताल पर हैं। पिछले सत्र में विधान सभा में परिवहन मंत्री माननीय संजय सिंह, शिक्षा का बजट पेश करते हुए राजकीय महाविद्यालय, चुनार का सत्र जुलाई, 1986 से चालू कराने का आश्वासन दिया था। आस-पास 30-35 कि0 मी0 तक कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। ज्ञातव्य हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनार तहसील में 40 इन्टर कालेज हैं शायद ही इतने इन्टर कालेज किसी तहसील में हों। इस समय छात्र प्रवेश के लिए परेशान हैं। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाकर तुरन्त इसी वर्ष से सत्र चालू करने की अपेक्षा की जाती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगरपालिका सम्भल (मुरादाबाद) में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में गबन होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

महोदय, नगरपालिका सम्भल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साढ़े चार लाख रुपया मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना हेतु प्राप्त हुआ था जो सम्भल नगर के तीन मुहल्लों पन्जू सराय, आलम सराय और हयात नगर पर खड़न्जा निर्माण, प्रकाश व्यवस्था के नाम पर व्यय किया गया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्री राज कुमार शर्मा ने उक्त धनराशि में से डेढ़ लाख रुपये के बजाज कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों से कोटेशन प्राप्त किये तथा जिन कम्पनियों से कोटेशन प्राप्त किये गये थ उनसे विद्युत् उपकरणों एवं सामग्री की सप्लाई नहीं ली गई। इसके विपरीत सम्भल के प्राइवेट ठेकेदार श्री अतुल कुमार गर्ग से साज-बाज करके एलेक्ट्रिक वायर, सोडियम बल्ब एवं हेलोजीन लैम्प लिये गये। जब उक्त मुहल्लों मे लैम्प लगाये गये तो दो तीन दिन में ही लैम्प फ्यूज हो गये जिस पर नगरपालिका सम्भल के प्रकाश निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र रस्तोगी ने इनको चेक कराया तो वे सभी डुप्लीकेट निकले। इससे सम्भल की जनता और खासतौर से मलिन बस्तियों के निवासियों में रोष व्याप्त है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

जनपद मेरठ में सरधना व बागपत की सीमा पर कृष्णा नदी पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद मेरठ के अन्तर्गत तहसील सरधना के ग्राम सूजती, टीकरी, दोघाट आदि ग्रामों का गन्ना रमाला चीनी मिल पर जाता है। इसके अतिरिक्त बड़ौत मन्डी में वहां के किसान अपने माल को ले जाते हैं। लेकिन सरधना व बागपत सीमा पर कृष्णा नदी बहती है जिसमें पुल न होने के कारण वहां के कृषक तथा यात्री अपना माल मन्डी एवं सुगर मिल रमाला में नावों से ले जाते हैं एवं यात्रा करते हैं। इसलिये वहां कृषकों को भारी कठिनाई होती है तथा जनता में रोष एवं असंतोष है। अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि हिम्मतपुर सूजती ग्रामों की सीमा पर कृष्णा नदी पर अविलम्ब पुल बनवाने का कष्ट करें ताकि जनता को राहत मिल सके।

* श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। बस्ती जिले में डीजल का अकाल पड़ा हुआ है। एक-एक डीजल पम्प पर हजारों की भीड़ लगी हुई है, सूखा पड़ा हुआ है और पम्पिंग सेटों के लिये डीजल नहीं मिल रहा है। 850 नलकूप हैं जिनमें से आधे खराब हैं, बिजली नहीं मिल रही है, ट्रान्सफारमर जल गये हैं और उनकी नालियां खराब हैं। और सरकार इसके विपरीत घोषणा कर रही है कि सूखे का युद्ध स्तर पर सामना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जायेगा । बस्ती जिले में नहीं बल्कि फैजाबाद और गोरखपुर मंडल में यही स्थिति है । डीजल की आपूर्ति करने में सरकार असफल रही ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न इससे कहां पैदा होता है ?

श्री सुखपाल पाण्डे--

मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करायें । आप सरकार को निर्देश दें । आज सारे गोरखपुर और फैजाबाद मंडल में अकाल पड़ा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

आप निर्देश दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियम से आयेंग, तभी तो निर्देश दूंगा ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

वहां पर पेयजल की स्थिति बहुत खराब है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पेयजल और बिजली की समस्याओं पर चर्चा लगी हुई है ।

कार्य सूची में कार्यस्थगन प्रस्ताव को सब न छापे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आज ऐजन्डे में कार्य-स्थगन की सूचनाओं का कालम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले मेरी सुन लें तब आप इस बात को उठायें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जब मैं खड़ा हो गया, तब आप अपनी सुनाने लगे । आज कार्य-स्थगन का कालम नहीं छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति का निर्णय हो चुका था । इसलिये छपा नहीं है ... ।

(व्यवधान)

वर्मा जी, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपका निर्देश होगा तो मैं बैठ जाऊंगा । लेकिन आप हमारी तकलीफ तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सुन ली ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों ने एक निर्णय लिया और हम लोग उस निर्णय को जान भी नहीं पाये । हमने कार्य-स्थगन भी भेजी । लेकिन एजेन्डे पर देखने से पता लगा कि इसमें कार्य-स्थगन का कालम नहीं है । तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय से माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष--

हमेशा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय लिये जाते हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी आपत्ति इं नियमों के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति ने कोई फैसला किया । उस फैसले का स्वयं में कोई प्रभाव नहीं रह जाता जब तक कि सदन द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाय । यह ऐजेन्डा कल छप गया और कल कार्य मंत्रणा समिति ने कोई फैसला किया वह सदन में पास नहीं किया गया । उसका ऐजेन्डे में न आना आपत्तिजनक है । यदि यह सदन उस फैसले की पुष्टि कर देता तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं होता । मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रतिपक्ष के लिये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । अगर आज रात को हम तय करते हैं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा और कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है तो कार्य-मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर संशोधन करके यह सदन उस पर विचार कर सकता है । मान्यवर, कानपुर में वकीलों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष हुआ । वहां वकीलों पर पुलिस ने लाठियां चलाई जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी कचहरियों का वकीलों ने बहिष्कार कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात सुन ली ...।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आज लखनऊ के न्यायालय भी बन्द हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के न्यायालय बन्द हैं । न्यायपालिका और वकीलों के बीच रोज झगड़ा हो रहा है । पुलिस अपने अविवेक और अव्यावहारिक कारणों से हमला कर रही है और स्थिति खराब होती जा रही है । कानपुर के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और वकीलों...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी, आपकी बात हो गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वैधानिक आपत्ति मेरी यह है कि कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव और उसका फैसला सदन ने पास नहीं किया, उसे एजेन्ड में छपना चाहिए । इस पर मेरी वैधानिक आपत्ति है ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी के व्यवस्था के सवाल को मैं भी बल देना चाहता हूं । मान्यवर, यह सदन के अधिकारों का अतिक्रमण है । कार्य-मंत्रणा समिति को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारी नियमावली के किसी प्राविधान को उलट-पलट दे या सदन के अधिकार का अतिक्रमण करे । मुझे खेद है कि कार्य मंत्रणा समिति में कुछ ऐसे विरोध पक्ष के लोग भी बैठते हैं जो वहां पर बैठकर सरकार जो चाहती है उसको वे डिटो कर देते हैं । माननीय राम सरनदास जी हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं और लड़ाकू हैं, जझारू हैं लेकिन यहां पर वह कार्य मंत्रणा में वे बोल नहीं पाते हैं । उनका कोई रिश्ता संसदीय कार्य मन्त्री जी से है उनका ससुराल शायद वहां है । संसदीय कार्य मन्त्री जहां उन्हें पहुना कह देते हैं वह गदगद हो जाते हैं । संसदीय कार्य मंत्री जो चाहते हैं उस पर मुहर लगा देते हैं । कार्य मंत्रणा समिति को कोई अधिकार नहीं है कि जो हमारे नियम हैं उनका अतिक्रमण करें । जो बात माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कही कि कार्य सूची में कार्य-स्थगन रहना चाहिये था और यदि कार्य मंत्रणा का सुझाव कार्य-स्थगन के स्थगन का था तो उसे सुझाव के अनुसार हमारे संसदीय कार्य मन्त्री सदन में प्रस्ताव लाते, उनका बहुमत है ही सर्व सम्मति से नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होता तो बहुमत से पास हो जाता। परम्परा है कि कार्य-मंत्रणा के प्रस्ताव पर बहस नहीं होती तो सर्वसम्मति से पास हो जाता। इसलिये मैं चेतावनी देना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जो को भी कहना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्तावों के बारे में जो परम्परा है उसका यदि ऐसा ही व्यवहार रहा तो तोड़ना पड़ेगा। इस सदन को सम्मानित ढंग से चलाने के लिये यदि कार्यमंत्रणा के लोग अपने अधिकारों के अन्दर कार्य नहीं करेंगे तो वे आलोचना के पात्र होंगे, उनके निर्णय पर आपत्ति होगी, विरोध होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि गलती को स्वीकार कीजिये, कहिए कि यह गलती हो गयी है और कार्यसूची में कार्यस्थगन का कालम रखना चाहिये। इस पर खेद प्रकट होना चाहिये।

श्री राम सरन--

माननीय, माननीय मन्त्री जी की तरफ मेरा इशारा किया गया है। मैनेजर सिंह जी तो मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं स्वीकार करता हूं मैं कार्यमंत्रणा समिति का मेम्बर हूं। कभी कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ भी होती है लेकिन कभी-कभी हमें झुकना भी पड़ता है। उन्होंने एक बात कही कि मन्त्री जी मेरे रिस्तेदार हैं, खूबसूरत हैं, वे बालों की सेटिंग भी ऐसी करते हैं कि हम मर ही जाते हैं झुक ही जाते हैं

(व्यवधान)

हुकुम सिंह मेरे रिस्तेदार हैं, यंग हैं उनका मुझे रिश्ते का ख्याल आता ही है। यह मेरी कमजोरी है यह मैं मानता हूं।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय, आज कार्यसूची में कार्य-स्थगन का काल नहीं है। माननीय, निवेदन यह है कि कार्यमंत्रणा समिति ने क्या पास किया वह सदन में आना चाहिये, सदन से उसको स्वीकृति लेनी चाहिये। कार्यमंत्रणा समिति में जसा हमारे नेता लोग बता रहे हैं ऐसा कुछ पास हो नहीं हुआ। इसलिये यह सदन में आना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यों की भावना को देखते हुए आज कार्यस्थगन प्रस्तावों को ग्राह्य करने की कृपा करें। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि ऐसी गम्भीर घटनायें आज आपके सामने आनी हैं जैसे हमारे यहां चम्बल में एक लिफ्ट सिंचाई योजना चल रही है उसमें करोड़ों रुपयों का घपला हो गया है एक इंजीनियर के वहां रहते हुय।

श्री उपाध्यक्ष--

घपले की बात इसमें मत कीजिये, नियम की बात कीजिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

वह योजना जनता शासन काल में साढ़े 6 करोड़ रुपये की बनाई गयी और आज वह साढ़े 32 करोड़ तक पहुंच गयी है। जो ठेके दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यहां पर ठेके की बात नहीं हो रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। वहां जो ठेके दिये जाते हैं वे पैसा लेकर दिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने अपनी बात कह ली, बात यहां पर नियम की हो रही है।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, कार्यमंत्रणा समिति में सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी नामित करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सदन की यह परम्परा रही है कि जो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा फैसला किया जाता है वह सदन में सर्वसम्मति से पारित होता है चूंकि इसमें इस पक्ष और उस पक्ष के लोग बैठकर कुछ निर्णय लेते हैं। मान्यवर, जैसा मैनेजर सिंह जी ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति के फैसले को बदलना होगा, यदि फैसले बदल दिये जाय तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस तरह से सदन क्या व्यवस्थित रूप से चल सकेगा। मैनेजर सिंह ने जो कार्य मंत्रणा समिति पर सुझाव जाहिर किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि कल इसी तरह जब कहा कि बख्शी बीबी महिला ही नहीं हैं, तो यदि कार्य मंत्रणा समिति पर उन्होंने शक किया तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है। मान्यवर, श्री राम सरन को एक कमजोरी का आज पता चला कि वह खूबसूरत लोगों के सामने बैठकर बेबस हो जाते हैं।

मान्यवर, रही बात कार्य स्थगन प्रस्तावों की तो कल रात 9 बजे तक यहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें बहुत सी चीजें आयीं। यदि कल रात के 9 बजे के बाद से इस समय तक कोई ऐसी घटना घटी है जो अविलम्बनीय महत्व की है, जिसका आना जरूरी है, तो मैं अनुरोध आपसे करूंगा कि उसको जरूर ले लें। लेकिन कल 9 बजे रात तक जैसा विरोधी दल बोल रहे थे यदि उस समय तक जो घटनायें घटी हैं वे अविश्वास प्रस्ताव में आ सकती थी, कोई चीज उसमें बाधक नहीं थी और अविश्वास प्रस्ताव में न आने की कोई वजह नहीं थी। कल इमरजन्सी अविश्वास प्रस्ताव था और कार्य मंत्रणा समिति बैठ रही थी, इसलिये कल समिति का प्रस्ताव हम नहीं रख सकते थे इसलिये आज यह प्रस्ताव समिति का रखा गया है। मान्यवर, जब कोई काम किया जाता है तो ऐसी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं जिनसे श्री गुप्त जो परिचित होंगे। जैसे मान्यवर, "पाइन आफ फलश", गोइत ले लिया जाये लेकिन खून न निकले तो यह कोई व्यवहारिक चीज नहीं कही जा सकती है। इसी तरह जब सदन चलाया जाता है तो यह सारी बातें होती हैं। इसलिये मान्यवर, आप से मेरा अनुरोध है कि कल रात 9 बजे से आज तक जो घटनायें घटी हैं जिनका सदन में आना जरूरी है तो उनको जरूर ले लें। यदि नहीं है तो कल तक सारी चर्चायें हो गयी हैं और जो कार्य मंत्रणा समिति ने अपना निर्णय लिया है, जो परम्परायें यहां रही हैं उसके हिसाब से सदन के सामने रखा है और उसी के अनुसार सदन चलाया जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो हमने मूल आपत्ति उठाई थी और जिसका समर्थन सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री मैनेजर सिंह ने किया था, कार्य मंत्रणा समिति के ऊपर कोई टिप्पणी मुझे नहीं करना है बल्कि उसके फैसले पर टिप्पणी करना है कि समिति के फैसले को सदन ने जब तक पारित नहीं किया उसके पहले उसको एजेन्डे में क्यों प्राविधान कर दिया गया, यह मेरी आपत्ति है। यह विधिक आपत्ति है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा यदि कोई ऐसा संदर्भ बताया जाये जो कल रात 9 बजे के बाद से अब तक प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो। तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कल पुलिस ने वकीलों पर जुल्म किया जिससे कानपुर में वकीलों ने आज कचहरी का बहिष्कार कर दिया है। मान्यवर, इस घटना की चर्चा की अविश्वास के प्रस्ताव में नहीं हुई है। वकीलों ने कचेहरी का बहिष्कार आज कर रखा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपने विवेक से फैसला कर दें। संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस पर विचार कर लें और यदि आपको यह महत्वपूर्ण घटना लगती है तो इसमें हमको मौका दें,

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा कि विषय उठा कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपना प्रस्ताव किया और कल सदन में देरी होने के कारण प्रस्ताव नहीं आ पाया। परम्पराओं और नियमावली के अनुसार सदन चलता है और हमेशा व्यवस्थायें मानी जाती रही है और कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को न माना गया हो। सदन हमेशा मानता रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं माना गया है, ऐसा पहले हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

कभी हो सकता है यदि आवश्यक हो अन्यथा नहीं।

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

जहां तक नियम 56 का सवाल है, चूंकि कल अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा था और उसमें तमाम बातें हो सकतीं थीं इसी दृष्टिकोण से नियम 56 को आज निलम्बित किया गया था। माननीय गुप्ता जी ने वकीलों की हड़ताल का सवाल उठाया। गुप्ता जी कल बोले थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस विषय पर नहीं बोला था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोल सकते थे, आपको अवसर मिला था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हड़ताल आज हुयी है। बोला कल था। इस पर कल कैसे बोलना संभव था?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपने गुप्ता जी का नाम लिया। तमाम माननीय सदस्य ऐसे थे जो कल नहीं बोल पाये। वह बोलना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आसन ग्रहण करें। जब मैं खड़ा हूं तो आपको खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये। आप बैठिये।

अगर कोई घटना हो जाती है, महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है तो कभी भी इस पीठ से यह निर्णय दिया जा सकता है, हमेशा उसको सुन लेते हैं कभी मना नहीं करते हैं। इसमें नियम बाधित नहीं होते हैं। जहां तक माननीय गुप्त जी ने जो सवाल उठाया कि एजेंडे में आना चाहिये, तो यह लाइन "नियम 56 की सूचनायें यदि कोई हों" इसको मैं समझता हूं कि यह लिखी जानी चाहिये थी क्योंकि सदन में प्रस्ताव नहीं आ पाया। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, जब तक सदन की अनुमति न हो तब तक यह लाइन लिखी जायगी।

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा कहना है कि आज कार्य सूची जो माननीय सदस्यों के पास पहुंची उससे पहले जो हम लोगों ने नियम 56 में दिया क्या उसको 301 में कनवर्ट किया है आज उन पर आप चर्चा नहीं करा रहे हैं क्योंकि कार्यसूची में नहीं है। मान्यवर, जिन सूचनाओं पर सरकार कार्यवाही कर सकती है और रिपोर्ट दे सकती है उनके ऊपर आप कार्यवाही सुनिश्चित करवा दें। मान्यवर, चंबल डाल योजना जो है वह 6 करोड़ रूपये की योजना थी। इसमें साढ़े 32 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था का प्रश्न करें, दूसरी बात न उठायें ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जो गम्भीर विषय हैं उन पर सरकार को जांच कराने का निर्देश पीठ से जारी कर दें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों के नियम 56 में सूचना दी है उसको नियम 301 में लेकर कार्यवाही कर दीजिये । आज आखिरी दिन है, कार्यवाही करा दीजिये ।

नियम 301 के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं स्वीकार किये जाने के लिये अनुरोध

श्री उपाध्यक्ष--

अभी कहां अन्तिम दिन है । 301 की जो सूचनायें प्राप्त हुयीं थीं वह तो समाप्त हुयीं । आप फिर दे दीजिये ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आज जांच करवाने के लिये कह दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

301 की जो सूचनायें थीं उनको मैंने पढ़वा दिया । उसके अलावा और नहीं ली जा सकती ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, चंबल डाल योजना का पैसा इंजीनियर खा रहे थे और पुलिस भी उस कमीशन में शामिल हो गयी है । जनता के कल्याण की योजना का पैसा अफसर डकार रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, चूंकि एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है, इस परिस्थिति में मैं यह चाहता हूं कि उसको आज विशेष परिस्थिति में मान कर आप सभी सूचनाओं को नियम 301 में स्वीकार कर सरकार को निर्देशित कर दें कि सरकार उस पर कार्यवाही करें । मान्यवर, जब माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि उनको नियम 301 में मान कर उस पर कार्यवाही करवा दी जाय, तो आप उनको पढ़वाइये नहीं, लेकिन उनको नियम 301 में कनवर्ट करके शासन को निर्देशित कर दीजिए कि शासन उस पर कार्यवाही करे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा है, उस पर शासन को कोई आपत्ति नहीं है । उनको सरकार के पास भिजवा दें, उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जब सदन उठता है, तो थोड़ा समय रह जाता है, तो मान्यवर, जितनी नियम 301 की सूचनाएं या कार्य-स्थगन के जितने प्रस्ताव होते हैं, उन पर कुछ न कुछ कार्यवाही वगैरा की जाती है और संसदीय कार्य मन्त्री को कोई एतराज भी नहीं है । इस लिए नियम 301 और कार्य-स्थगन के जितने प्रस्ताव हैं, सबको स्वीकार कर लें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सिवाय 302 के सब यहां पर भेज सकते हैं ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, नियम 56 के अतिरिक्त जितनी सूचनाएं दी गयी हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था दी है कि वे नियम 301 के अन्तर्गत मान ली गयीं हैं, तो मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि वह

कौन-कौन सी सूचनायें हैं और किस-किस माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं ? यह कम से कम मान्यवर बता दें, ताकि इन सूचनाओं से बारे में सदन को तो जानकारी हो जाय कि किन-किन माननीय सदस्यों न कौन-कौन सी सूचनाएं दी हैं । मान्यवर, जिन सूचनाओं को आपने नियम 56 से नियम 301 के अन्तर्गत माना है, उसके बारे में कम से कम सदन को तो जानकारी हो जानी चाहिए। नियम 301 में जिन सूचनाओं को मान्यवर, आपने मान लिया है, उसको सदन में पढ़वा दें । यदि मान्यवर, सदन में नही पढ़वाते हैं, तो कम से कम यह बता दें कि किस-किस माननीय सदस्य की कौन-कौन सी सूचनाएं हैं और उसका विषय क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं सुनाऊंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

विषय तो मान्यवर बता दें। आप विषय और माननीय सदस्य का नाम बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मैंने जो सुबह कार्य-सूची देखा, तो उसी सूची के अनुसार काय-स्थगन का प्रस्ताव मैंने नहीं दिया । तो मान्यवर, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मेरा अब ले लीजिए। मान्यवर, कार्य स्थगन के प्रस्ताव को जब आप नियम 301 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मेरा क्यों नही लेंगे ?

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। सदन में कोई चीज आपने स्वीकार कर ली, चाहे मेरी सूचना हो या दूसरे सदस्य की सूचना हो तो वह सदन की सम्पत्ति बन गयी, और जब वह सदन की सम्पत्ति बन गयी तो हर माननीय सदस्य को यह अधिकार हो जाता है कि उसके बारे में जानकारी करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है । मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं । वर्मा जी आप बैठिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपकी पीठ से मेरे अधिकारों को संरक्षण नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पूरा संरक्षण मिल रहा है । आप कक्ष में आकर देख लें । परेशान न हों ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली हृदय नारायण दीक्षित जी की है । इनकी सूचना के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पूर्व भी यह मामला उठाया गया था और माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि यह प्रश्न उनके विचाराधीन है । अतः दुबारा इस मामले को नहीं उठाया जा सकता है । दूसरी सूचना अनुग्रह नारायण सिंह जी की है , यह सूचना विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 8 के अन्तर्गत जांच बैठाने का अधिकार राज्य सरकार को है और राज्य सरकार ने जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है । अतः नियम 300 के अन्तर्गत यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, प्रदेश के विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम से संचालित होते हैं । इस अधिनियम के तहत राज्य-

पाल इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। यह पदेन पद धारण करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अध्यापकों कर्मचारियों कार्यकारिणी सदस्यों ने कई ज्ञापन दिये जिस पर राज्य सरकार ने फरवरी से जून तक तीन-तीन बार संस्तुति करके कुलाधिपति के पास जांच आयोग गठित करने के लिए भेजा। किन्तु महामहिम राज्यपाल ने उसको अस्वीकृत कर दिया। अन्त में 2 जुलाई को हड़तालों से मजबूर हो कर शासन ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत निरीक्षण पैनल गठित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) द्वारा राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य संचालन करेंगे। किन्तु इस मामले में अविश्वास करते हुये राज्यपाल महोदय ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इस मंत्रि परिषद् में राज्यपाल जी का विश्वास नहीं है। यह एक संवैधानिक संकट का मामला है। गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष --

राज्यपाल जी के आचरण पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। राज्यपाल पर आप कुछ नहीं कहेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, चूंकि कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं कहता कि प्रदेश में संवैधानिक संकट ो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कल समय नहीं मिला, तो उसके लिये नियम 300 है।

(श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े हो कर पोस्टर दिखाने पर।)

यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह से कोई प्रदर्शन नहीं होगा। सदन में किसी पोस्टर का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। माननीय राम सरन दास जी इसको आप रुकवाइये।

(व्यवधान)

यह कोई परम्परा नहीं है। यह पोस्टर की जगह नहीं है। आप इस काम के लिए यहां नहीं आये हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का विश्वास मन्त्रि परिषद् में नहीं है। मंत्रि परिषद् में भी सामूहिक उत्तर-दायित्व की भावना का लोप है। राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की जांच किये जाने के आदेश के बावजूद 2 जुलाई के बाद

(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मन्त्री माननीय श्री श्याम सूरत उपाध्याय तथा तमाम मन्त्र गण समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। यह एक संवैधानिक संकट उत्पन्न होने का स्पष्ट मामला है।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने शायद संविधान का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की स्थिति भी है और कुलाधिपति की स्थिति भी है। दोनों स्थिति में फर्क है। मन्त्रि परिषद् में कोई भी सलाह राज्यपाल को देता है तो राज्यपाल की स्थिति से देता है कुलाधिपति की स्थिति से , देता है।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े हो कर कुछ बोलने पर व्यवधान।)

इस तरह का सवाल सदन में उठाना ठीक नहीं है जो बातें रिकार्ड में आई हैं मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि उन सब बातों को रिकार्ड से निकाल दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

सब देख कर ही काम किया गया है।

(व्यवधान के पश्च)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 163 (1) और (2) को देखें । मान्यवर, इसमें साफ-साफ कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मन्त्री होगा । मान्यवर, दूसरा है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गयी किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जायेगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में नहीं उठाने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, संविधान और मेरे अधिकारों को यहां संरक्षण नहीं मिल रहा है । अतः मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने अभी एक आपत्ति उठायी । मान्यवर, अगर आप उस पर सहमत हों तो व्यवस्था दे दें कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

महामहिम राज्यपाल के विषय में जो बात होगी वह निकाल दी जायेगी, उनके बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत जो भी सूचना आई थी क्या उन पर निर्णय दे दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो वो ही निपटायी है । आपकी तो आगरा से आई है ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अभी अंचल जी ने एक कागज आपको दिया है, वह क्या हुआ, क्या वह सदन की प्रापर्टी हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उसे सदन की प्रापर्टी नहीं मानता हूं । यह माननीय सदन है । सदन-सदन है यह कोई प्रदर्शन घर नहीं है । यहां कोई प्रदर्शन नहीं होगा । मैं उसे एलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, उसे कुर्सी के पीछे लगवा दीजिए । मान्यवर, वह सदन की प्रापर्टी हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह सदन की प्रापर्टी नहीं होगी मैं इजाजत नहीं देता (श्री शारदानन्द अंचल, श्री किरन पाल सिंह तथा श्री शफीकुर्रह-

मान के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन को कोई प्रदर्शन घर नहीं बनाना है । आप लोग बैठिये, कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न सदन के समक्ष रखा है आपके माध्यम से तो उन्होंने 300 तो देखा ही होगा, जिसके अन्दर किसी प्रकार से यह प्रश्न नहीं आता है लेकिन उसके साथ 289 भी इन्हें देख लेना चाहिए था जिसमें यह साफ-साफ लिखा है कि इस सदन में राज्यपाल के किसी कंडक्ट की चर्चा नहीं होगी । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि अनुग्रह नारायण सिंह जो कृपया यह फर्स्ट कांस्टेट्यूट जो 1976 में इलाहाबाद का प्रकाशित हुआ था उसके पृष्ठ 3 पर पैरा (3) देखने का कष्ट करें ।

जिसके अन्दर चान्सलर को इस बात का अधिकार दिया गया है और मेरा ख्याल है कि उसी से प्रभावित होकर यह चीज लिखी गयी । उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऐक्ट के पृष्ठ 10 पर लिखा हुआ है ।

दि स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव दि राइट टू काज एन इन्सपेक्शन टू बी मेड बाई सच परसन आर परसन्स एज इट में डाएरेक्ट, अ.फ दि यूनिवर्सिटी आर ऐनी कन्सटीट्यूट कालेज आर एण्ड इन्सटीट्यूट मेनटेण्ड बाई दि यूनिवर्सिटी, इनक्यूडिंग इट्स बिल्डिंग्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, वर्कशाटस एण्ड इक्यूटमेंट एण्ड आलसो आफ दि इग्जामनेशन्स, टीचिंग एण्ड अदर वर्क कडक्टड आर डन बाई दि यूनीवर्सिटी आर सच कालेजेज आर इन्सटीट्यूट आर टू काज एन इनक्वाएरी टू बी मेड इन दि मैनर इन रेसपेक्ट आफ ऐनी मैटर कनेक्टेड विद दि एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड फिनानसेज आफ दि यूनीवर्सिटी आर सच कालेज आर सच इन्स्टीट्यूट ।

यह राज्य सरकार कुछ लोगों को इस बात के लिए निर्देश दे सकती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया जाय । मान्यवर, केवल यही नहीं बल्कि और जितनी चीजें हैं सबकी इन्क्वायरी राज्य सरकार अपने द्वारा करवा सकती है । मान्यवर, यहां पर यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार है और उसके हिसाब से राज्य सरकार ने कार्य किया है । यहां पर कौन सा ऐसा संवैधानिक प्रश्न आ गया जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं या कहीं इनको किसी प्रकार का तनाव नजर आ रहा है, ऐसी भी कोई बात नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नियमावली के नियम 300 को फिर से पढ़ने की कोशिश करें । राज्य सरकार जो कार्य कर रही है वह अपने अधिकारों के अन्तर्गत कर रही है । राज्यपाल का जहां तक सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है । मान्यवर, यहां पर इस तरह की बात कहकर सदन के सामने गलत तरीके से चीजें पेश की गई हैं इसलिए मान्यवर, आप इसको अस्वीकार करें मान्यवर, यहां पर इस प्रकार के जो पोस्टर्स और बनर्स दिखाये जा रहे हैं इसके लिए आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो और इस तरह के कार्य से चौराहे और सदन में कोई फर्क नहीं रह जाता है । हमारे इस आचरण को हमारी 13 करोड़ जनता देख रही है । हमें इस तरह का आचरण करना चाहिए कि उसके सामने हमारा एक आदर्श बने ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष--

राणा जी, आपने 300 के अन्तर्गत जो दिया है, यह कहीं से भी 300 में नहीं आता है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, संविधान की धारा 14 और 15 के अन्तर्गत स्पष्ट प्राविधान है कि इस देश के अन्दर व्यक्ति या संस्था के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर अथवा किसी स्थान पर जहां पैदा हुआ है उसके नाम पर कोई भेद नहीं किया जायेगा। मान्यवर, आगरा में दो ग्राम सभायें जो पहले ब्लाक के अन्तर्गत आती थीं वह ट्रांसफर कर दी गई और अब न तो ग्राम्य विकास से काम हो रहा है और न ही नगर विकास से काम हो रहा है। चोनी न तो ग्राम्य विकास के तहत मिल रही और न ही नगर विकास के तहत मिल रही है। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि वह हिन्दुस्तान की राजधानी में कहीं है कि नहीं। मान्यवर, जो गांव सभायें थीं उनके प्रधान को निरस्त कर दिया गया। ब्लाक प्रमुख जो उसी ग्राम सभा का रहने वाला है, उसे भी हट जाना चाहिए था। उसको नहीं हटाया गया आप बतायें कि वहां दो तरह की प्रणाली कैसे चलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रेवती रमण जी ने जौनपुर के होम्योपैथिक कालेज के डाक्टर सुरेश प्रताप सिंह की गर कानूनी सेवा बहाली के बारे में दिया है। इस मामले को माननीय सदस्य ने करण संख्या 218 तथा 219 में सूचना दी थी। इसका परीक्षण किया गया और शासन को निदेश दिया गया कि वह इस मामले में संशोधित उत्तर देने का कष्ट करें। दिनांक 30-8-86 को चिकित्सा विभाग से सूचना मिली है कि वह इस मामले में सूचना एकत्रित कर रहे हैं और वह शीघ्र ही संशोधित उत्तर देंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

एक साल हो गया उत्तर नहीं आया। दो सदन उठ चुका है आप नियमों को देखें। अगले सत्र के पहले हफ्ते में उत्तर दिया जाना चाहिए था। दो सदन और एक साल बीत गया और उत्तर नहीं आया। आप कोई निश्चित तिथि बता दें कि कब तक उत्तर आ जायेगा, प्रक्रिया नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

18, 19 तारीख तक प्रयत्न करेंगे कि उत्तर दे दें। यह सभी सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिये मैं इनको अस्वीकृत करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, वहां पर नल, बिजली और सफाई की व्यवस्था कोई करेगा या नहीं करेगा। न तो वहां नगरपालिका काम कर रही है और न तो ग्राम्य विकास कर रहा है। इस पर आवश्यक कार्यवाही करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 में आवश्यक कार्यवाही के लिये होगा तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, वहां पर जो ब्लाक प्रमुख ग्राम पंचायतों द्वारा चुना गया था उसको नहीं हटाया गया और न तो वहां पर नगरपालिका काम कर रही है और न ग्राम विकास कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं इनसे कुछ कहलवा दें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इनको कक्ष में बुलाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

कक्ष में बुला लीजिये।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

उपाध्यक्ष जी, आपने कहा कि 18, 19 को जवाब देगें तो क्या 18, 19 को सदन चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय नहीं हुआ है इसलिये में कुछ नहीं कह सकता हूं । सम्भावना ऐसी है ।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

आपने व्यवस्था दे दी हं तो 18, 19 को सदन चलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सदन चलेगा तो ।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

आपने अगर नहीं कहा ।

श्री उपाध्यक्ष--

सम्भावना पर कुछ नहीं कहा जा सकता हूं अगर सदन चलेगा तो 18, 19 को उत्तर दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने विचारोपरान्त सदन के दिनांक 9 सितम्बर, 1986 के कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित अतिरिक्त सिफारिशें की हैं ।

1--प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत प्राविधान को आंशिक रूप से निलाम्बित करते हुए संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 के अनुसमर्थन के संकल्प के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त संचार-पत्र, तत्सम्बन्धी विधेयक को प्रतिलिपि सहित सदन के पटल पर रखा जाय ।

2--सदन में निम्नलिखित कार्य लिये जांय :--

(1) निम्नलिखित विधेयकों प. विचार एवं उनका पारण :

क--उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

ख--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1986 ।

ग--उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 ।

घ--भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वंधीकरण) विधयक, 1986 ।

(2) निम्नलिखित सरकारी संकल्पों को प्रस्तुतीकरण एवं उन पर बिचार :--

क--भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

ख--संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसर्थन के सम्बन्ध में ।

अन्त में समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दिनांक 9 सितम्बर, 1986 को नियम-56 की सूचनाएं न ली जाएं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्पति से स्वीकृत हुआ)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, हुकुम सिंह जी जो खिजाब लगाते हैं, यह किस मिल में बनता है, यह बता दें, तो दूसरे लोग भी लगाने का प्रयास करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जैसा अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी के बारे में कहा गया, मान्यवर, कहीं ऐसा न हो वे जो खिजाब लगाते हैं, यही इनके बालों के बजाय चेहरे पर लग जाय ।

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, पिछले दिनों में माननीय निहाला सिंह जी का मामला सदन में आया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सोमवार तक इस मामले में निहाला सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही कर दी जायेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था, वह पूरा हुआ या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उस दिन यह आश्वासन दिया गया था कि सोमवार तक इसके सारे कागजात मंगा लिये जायेंगे । कल रात में देर हो जाने के कारण सारे कार्यालय बन्द हो गये थे । मैं आज इस सदन के उठने से पहले इस बारे में सूचित कर दूंगा ।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से (वित्त बिक्रीकर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-एस0 टी0-2-3685/दस-9 (169) 83-उ0 प्र0 अधि0-15/48-आदेश-86, दिनांक 31 जुलाई, 1986 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सम्बन्धित घटनाओं की जांच आयोग का प्रतिवेदन ††

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से सम्बन्धित घटनाओं की जांच आयोग का प्रतिवेदन, को ज्ञापन तथा विलम्ब के कारणों सहित कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

संविधान (चौबनवां संशोधन) विधेयक, 1986 ††

सचिव विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से मैं संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 द्वारा भारत के संविधान में किए जाने के लिए प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के

† छापी नहीं गयी ।

†† छापा नहीं गया ।

अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त संचार-पत्र को, उक्त विधेयक की प्रतिलिपि सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986

सचिव विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा 4 सितम्बर, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 8 सितम्बर, 1986 को वापस प्राप्त हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 9 बाद में ले लिया जायेगा ।

(मद संख्या 11 लिये जाने पर)

श्री हरि शंकर तिवारी—

माध्यवर, पिछले सत्र में मैंने विशेषाधिकार के हनन की सूचना दी थी, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं करायी गयी है कि उसके बारे में क्या निर्णय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उसका परीक्षण हो रहा है ।

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के बन्द छात्रावास को पुनः खुलवाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की सहमति हो तो वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाए ।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा

[डी० ए० वी० डिग्री कालेज, कानपुर के प्रबन्धतंत्र ने कानपुर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट दिनांक 24-11-1981 के आधार पर डी० ए० वी० कालेज के छात्रावास को स्थायी रूप से बन्द किये जाने का निवेदन किया था । प्रबन्ध समिति ने पूर्व में शासन को यह सूचित किया था कि छात्रावास में अधिकांश छात्र अनियमित रूप से रहते हैं । वे छात्रावास शुल्क तथा बिजली-पानी के शुल्क का भुगतान नहीं करते जिससे वर्ष 1980 तक 2,93,050 रु० का घाटा हो चुका था । इस छात्रावास में रहने वाले अराजक एवं असामाजिक तत्वों के कारण शान्ति व्यवस्था की समस्याएं प्रायः उठती रहती थी । इस प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त जिलाधिकारी, कानपुर को लिखे गये पत्र दिनांक 4-10-1982 द्वारा इस छात्रावास को बन्द करने के विषय में प्रबन्धतंत्र तथा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी की उप समिति के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया गया है कि इस छात्रावास को ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर को उपलब्ध करा दिया जाय जिससे प्रदेश में उदीयमान खिलाड़ियों के लिये आवासीय व्यवस्था के साथ ग्रीन पार्क में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सकें ।

2—छात्रों की मांग पर कुलपति ने पुनः एक समिति गठित की जिसमें छात्रों के रहने के भिन्न-भिन्न स्थानों का निरीक्षण कर छात्रावास खोलने की संस्तुति की किन्तु शासन के पत्र दिनांक 7-4-1983 के द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर को पुनः यह सूचित किया गया कि उक्त छात्रावास का खोला जाना जनहित में नहीं हैं । कालेज के प्रबन्धक इस छात्रावास में असामाजिक तत्वों का को प्रवेश से रोक नहीं सके हैं, अतः छात्रावास के पिछले इतिहास को देखते

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हुये उसका खोला जाना शान्ति और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकता है ।

3—शासन को कानपुर के पांच विधायकों का एक पत्र दिनांक 27-1-84 भी प्राप्त हुआ था जिनमें इस छात्रावास को पुनः न खोले जाने का अनुरोध किया गया है । यह भी अनुरोध किया गया है कि इस महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को यह निर्देश दिया जाय कि वे अगले सत्र के प्रारम्भ तक नया छात्रावास अवश्य निर्मित कर लें ।]

4—महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 2-2-1984 में शासन को यह सूचित किया है कि प्रबन्ध समिति शीघ्रातिशीघ्र नये छात्रावास के निर्माण हेतु कृत संकल्प है । यह बताया गया है कि छात्रावास की भूमि और भवन का स्वामित्व "दयानन्द शिक्षा संस्थान" कानपुर का है जो एक पंजीकृत सोसाइटी है । जनहित में संस्थान की कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके उक्त सम्पत्ति को डी० ए० वी० कालेज को भविष्य में छात्रावास के हेतु न दिये जाने का निर्णय किया है । संस्थान की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित-प्रस्ताव में राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि उक्त सम्पत्ति का अधिग्रहण "पोस्ट ग्रेजुएट, इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज" के लिये किया जाय और उक्त संस्था का नाम "डाक्टर वीरेन्द्र स्वरूप" के नाम पर रखा जाय ।

5—इस समस्या के विचार हेतु तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा एक बैठक दिनांक 20-2-1984 की बुलाई गई थी जिसमें प्रबन्ध तन्त्र के प्रतिनिधियों, प्रशासन के अधिकारियों, कुलपति तथा माननीय विधायकों और छात्र प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपना-अपना मत व्यक्त किया । सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह निर्णय लिया था कि आयुक्त, इलाहाबाद मंडल स्वयं इस समस्या से सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई कर गहराई से अध्ययन करें और अपनी आख्या एवं सुझाव से शासन को अवगत करायें । आयुक्त की आख्या दिनांक 5-11-1984 के पत्र के साथ प्राप्त हुई जिसमें निम्नलिखित 3 बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :—

(क) छात्रावास अत्यन्त खराब स्थिति में है और इस समय उपयोग करने योग्य नहीं है इसकी मरम्मत के लिये 10 लाख रुपये की आवश्यकता होगी ।

(ख) प्रबन्धतन्त्र छात्रावास चलाने में या उसकी देखरेख करने में रुचि लेता प्रतीत नहीं होता ।

(ग) छात्रावास सरकारी प्रबन्ध में ले लिया जाय और उसकी देख-रेख शासन के माध्यम से की जाय ।

6—शासन के पत्र दिनांक 1-2-1985 द्वारा कालेज के प्रबन्ध सचिव, श्री जगेन्द्र स्वरूप को यह सूचित किया था कि डी० ए० वी० कालेज छात्रावास राज्य सरकार को निःशुल्क आवास हेतु हस्तान्तरित कर दें । श्री जगेन्द्र स्वरूप ने इसके उत्तर में अपने पत्र दिनांक 11-2-1985 में यह लिखा है कि दयानन्द शिक्षा संस्थान की कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छात्रावास राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाय और इसमें मेडिकल इंस्टीट्यूट अथवा रिसर्च सेन्टर स्थापित किया जाय । छात्रावास राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने के सुझाव पर श्री स्वरूप ने लिखा है कि वह यह प्रकरण कार्यकारिणी में पुनः विचार हेतु रखेंगे और कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय से शासन को अवगत करायेंगे । अभी उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

7—उपरोक्त से यह स्पष्ट होगा कि प्रबन्धतन्त्र छात्रावास पुनः खोलने के लिये तैयार नहीं है और नये छात्रावास के निर्माण हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। छात्रावास इस समय रहने योग्य नहीं है और उसकी मरम्मत के लिये काफी धनराशि की आवश्यकता होगी। छात्रों के लिये रहने की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। अतः पूरे प्रकरण पर पुनः विचारोपरान्त डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर की प्रबन्ध समिति के सचिव को शासन के पत्र दिनांक 12 मई, 1986 को लिखा गया था कि प्रबन्ध समिति 200 छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था 31 जुलाई, 1986 तक कर लें। ऐसा न करने पर वर्तमान छात्रावास को शासन द्वारा लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जायगी। इस सम्बन्ध में दिनांक 4 अगस्त, 1986 को प्रबन्धक को पुनः लिखा गया है। प्रबन्धक ने शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) से अपने पत्र दिनांक 15-8-1986 द्वारा कालेज के विकास कोष तथा कुछ अन्य कोषों में उपलब्ध धन से 200 छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति मांगी है, ताकि किसी अन्य उपर्युक्त स्थान पर छात्रावास निर्मित कराया जा सके, यह छात्रावास वर्तमान स्थिति में रहने योग्य नहीं है, शासन का प्रयास है कि छात्रों की समस्या को देखते हुये प्रबन्ध तन्त्र द्वारा एक नया छात्रावास शीघ्र निर्मित कराया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

माननीय, मुझे आश्चर्य है कि उच्च शिक्षा के मन्त्री माननीय शिक्षा मन्त्री की तरफ से जवाब दे रहे हैं। मान्यवर, खोले जाने की जो बात थी जिससे जिक्र के अलावा जो लाठी चार्ज व गिरफ्तारी हुई थी उसका जिक्र नहीं है। मान्यवर, इसमें 72 छात्र आलमबाग में तथा 19 छात्र हजरतगंज में गिरफ्तार हुये थे। आधी सूचना पर वक्तव्य आया है। पूरी वस्तुस्थिति पर आधारित वक्तव्य हो तो कुछ सुवाल हो। मेरा नोटिस आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल कर लें।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस छात्रावास को खुलवाने के लिये कानपुर से भारी संख्या में जो छात्र लखनऊ आ रहे थे उनमें से अधिकांश को आलमबाग थाने में दिनांक 3-9-1986 को गिरफ्तार किया गया उनकी बस रोक दी तथा कुछ छात्र जो यहां आकर विधान भवन परिसर में घुसने में सफल हुए थे उन पर लाठी चार्ज हुआ था?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। जैसा माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, 65 छात्र 3-9-1986 को गिरफ्तार किये गये और उसी दिन छोड़ दिये गये। कोई जेल भी नहीं गया और कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, डी0 ए0 वी0 कालेज का छात्रावास आजादी का इतिहास लेकर खड़ा हुआ है। चन्द्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति इसमें निवास किये थे। मान्यवर, जब यह बात ज्ञात करने की कोशिश की गयी कि कुछ माननीय विधायकों ने इसे खुलवाने के लिये पत्र लिखा था। तो, यह ज्ञात हुआ कि 5 विधायकों का पत्र प्राप्त हुआ है जिन्होंने यह लिखा है कि न खुलवाया जाय। माननीय मंत्री जी कृपा कर उन 5 माननीय विधायकों के नाम बता दें जिन्होंने यह पत्र लिखा ताकि कानपुर के छात्र जान जायें?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, वह पत्र इस समय नहीं मिल रहा है, मैं इन्हें सूचना भिजवा दूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, यह पत्र तो अभिलेखों में रखना चाहिये था। जब इस पर वक्तव्य

निर्धारित था। तो आपको नामों की जानकारी रखनी चाहिये। चूंकि यह मामला वक्तव्य से सम्बन्धित भी है।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

इसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं जो छात्र उस छात्रावास को खुलवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे, उन्हें रासुका के तहत निरुद्ध किया गया ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

इनकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

*श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके पेज नम्बर-2 आयुक्त की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। जिस पर उन्होंने 3 मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट दी है। इसका जो (क) है, उस पर लिखा गया है कि छात्रावास अत्यन्त खराब अवस्था में है। यह उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, इसकी मरम्मत के लिए लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार "ख और "ग" है कहा गया है। लेकिन मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से यह छात्रावास बन्द किया गया है तब से वहां पर पी० ए० सी० रहती है। जब आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि वह रहने के योग्य नहीं है तो फिर पी० ए० सी० वहां पर कैसे रह रही है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि डी० ए० वी० कालेज का एक लड़का पवन दीक्षित, जो हास्टल खुलवाने के सम्बन्ध में यहां एक ज्ञापन देने आया था, उसमें इस बात की भी मांग की गई थी, कि उन पर जो रासुका लगाई गई है, उसे वापस लिया जाय ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, आयुक्त ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट लिखा है कि जो यह हास्टल है, वह रहने योग्य नहीं है। पी० ए० सी० तो कहीं पर भी रह जाती है। वह कठिन से कठिन जगह पर रह जाती है।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि पी० ए० सी० कठिन जगह पर भी रह जाती है। डी० एम०, एस० पी० और एम० एल० ए० के कहने पर आपने हास्टल बन्द करने का उल्लेख कर दिया। छात्रों को रासुका के अन्दर बन्द करने का जो दमन चक्र चलाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, छात्रों के हित में ही सरकार कार्य कर रही है। प्रबन्धक को सरकार ने लिखा है कि 31 जुलाई, 1986 तक वह 200 छात्रों के रहने के लिए प्रबन्ध कर दें नहीं तो गवर्नमेन्ट लैण्ड एक्वीजेशन ऐक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह स्वयं इसका अधिग्रहण कर लेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस पूरे प्रकरण की मुख्य समस्यायें दो हैं। जो विद्यार्थी इस जनहित के काम को लेकर कि छात्रावास खोला जाय, आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ जो प्रताड़ना की कार्यवाही हो रही है, उसे समाप्त होना चाहिये और दूसरी समस्या छात्रावास खुलवाने की है। जो शासन ने बार-बार पत्र लिखा और सरकार खुद इस आवश्यकता को समझती है और अन्तिम पत्र चला गया कि नहीं खोलेंगे तो अधिग्रहण कर लेंगे। क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार इस स्तर पर आश्वासन देने के लिये तैयार है कि चाहे अधिग्रहण करना पड़े या कोई और व्यवस्था करनी पड़े, छात्रावास की व्यवस्था निश्चित रूप से कर दी जायेगी ? जो विद्यार्थी आंदोलनरत हैं, उनके ऊपर "रासुका" लगाया गया है, उसको समाप्त करके स्थिति को सामान्य किया जायेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

शासन ने लिखा है और कहा है कि फिलहाल शीघ्र ही 200 छात्रों के लिये ही छात्रावास निर्मित कर दें। प्रबन्धक ने 15-8-86 को कालेज के विकास कोष से भूमि क्रय करने के लिये स्वीकृति मांगी है, जिससे छात्रावास निर्मित कराया जा सके। शासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द छात्रावास निर्मित कराया जाय और रहने की सुविधा दी जाय।

यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह सरकार भी छात्रहित में है। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जो प्राइवेट कालेजेज हैं, उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी हो छात्रावास चलाने की लेकिन फिर भी जोर डाला जा रहा है और पूरा प्रयास है कि कम से कम 200 छात्रों के लिये छात्रावास निर्मित करा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

छात्रावास बन्द होने का कारण आपने असामाजिक तत्वों का रहना बताया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वे असामाजिक तत्व कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार जब नियंत्रित नहीं कर पा रही है असामाजिक तत्वों को तो छात्रों को परेशान क्यों किया जा रहा है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

जो माननीय नेता विरोधी दल ने प्रश्न उठाया है, उस सम्बन्ध में शिकायतें मिली थीं। शिकायतें यह थीं कि परीक्षा के समय इन्डिसिप्लीन होती है और शासन के पास प्रबन्ध तंत्र ने भी शिकायतें की थीं कि छात्र बिजली और पानी का शुल्क नहीं दे रहे हैं और अनियमित रूप से भी रहते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिनके कारण यह बन्द है, वे कौन-कौन हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

बन्द होने के कारण मैंने बताये हैं।

श्री राम नरेश यादव--

यह मामला करीब 3-4 साल से चल रहा है, छात्रों के सामने बहुत जबर्दस्त परेशानी उत्पन्न हो गयी है। पृष्ठ 2 में यह कहा गया है कि "भूमि और भवन का स्वामित्व दयानन्द शिक्षा संस्थान कानपुर का है जो एक पंजीकृत सोसायटी है। जनहित में संस्थान की कार्यकारिणी परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके उक्त सम्पत्ति को डी0 ए0 वी0 कालेज को भविष्य में छात्रावास के हेतु न दिये जाने का निर्णय किया है"।

दूसरी तरफ यह बात आयी कि कमिश्नर की रिपोर्ट में यह आया है कि रहने लायक नहीं है। यह स्पष्ट रूप से जानकारी है, जैसा कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसमें आज भी पूरे छात्रावास में लोग रह रहें हैं। एक तरफ तो संस्थान का यह फैसला कि छात्रों को आवास के लिये नहीं दिया जायेगा भविष्य में, दूसरी बात रहने के लायक नहीं है। इसमें जो विरोधाभास है, क्या जो कमिश्नर की आख्या है, उसको देखते हुए और वहां की जो मौजूदा स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए दूसरे अधिकारी से जांच करायेंगे कि इसमें लोग रह रहें हैं ? दूसरी बात, रहने की स्थिति है तो 10 लाख रुपये लगाकर मरम्मत की बात ह

क्या उसको व्यवस्था करके रहने लायक सुविधा देंगे ? तीसरी बात यह है कि जो उनके रहने की स्थिति है, तो क्या उनको वहां तब तक रहने दिया जायेगा जब तक कि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मैं माननीय सदस्य का आदर करता हूं परन्तु जैसा कि श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि वहां पर पी० ए० सी० रह रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि महाविधालय के छात्रों की ऊंची पढ़ाई होती है, उनके रहने की सुविधा और आवश्यकता पी० ए० सी० से भिन्न है जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पी० ए० सी० तो खुले आकाश में भी रह लेती है। मैं इस संबंध में इतना ही कहूंगा कि छात्रों के रहन-सहन का स्टैन्डर्ड दूसरा होता है। दूसरी बात जो आपने कही कि कमिश्नर के द्वारा जांच करायी गयी है उसके अलावा किसी दूसरे अधिकारी के जरिये जांच फिर करायी जाय, तो इसके संबंध में मेरा कहना यही है कि बहुत सोच विचार के बाद मन्डलायुक्त, इलाहाबाद के द्वारा जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था और वह जांच पर्याप्त है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

अभी माननीय नेता विरोधी दल ने सीधा प्रश्न किया था कि कौन से असामाजिक तत्व थे जिनके कारण आपने वहां पुलिस और पी० ए० सी० लगा दी ? उनके क्या नाम हैं और क्या पते हैं, यह आप बताने की कृपा करें ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मैं पुनः वही जवाब देने के लिये तैयार हूं यदि आप आज्ञा दें तो मैं रिपोर्ट को पढ़ दूं ? आयुक्त महोदय की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं और कुछ लिखा नहीं किया गया है सिवाय इसके कि वह छात्रों के रहने के लिये अनफिट है यानी रहने के लायक नहीं है।

श्री अचल सिंह—

जिन पांच विधायकों का हवाला दिया गया है छात्रावास न खोलने के संबंध में उनके नाम क्या हैं और जिन्होंने छात्रावास खोलने की संस्तुति की है, उनके क्या नाम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वे उसे बाद म बता देंगे।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, सदन में ही प्रश्न का उत्तर आना चाहिये।

श्री राम सरन—

उनका प्रश्न वैलिड है तो उनको उत्तर देने में क्या कठिनाई है कि किन विधायकों ने छात्रावास न खोलने के लिये संस्तुति की है उनके नाम क्या हैं और जिन्होंने खोलने के लिये संस्तुति की है उनके क्या नाम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना हो तो दे दें।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मैं दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें। ये वक्तव्य का जवाब दे रहे हैं उन्होंने कह दिया है कि दे देंगे। अब उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री किरनपाल सिंह—

मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं और आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

शतरुद्र प्रकाश को बुला तो लिया ।

श्री किरन पाल सिंह—

मेरा नाम तो नहीं लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

किरनपाल सिंह जो आपका आचरण ठीक नहीं है, यह शोभनीय बात नहीं है। मैंने पहले शतरुद्र प्रकाश को बुला लिया है मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं आपको समय नहीं दूंगा ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं और आपसे निवेदन है कि आप उसका जवाब दिलवा दें । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कालेज के जो कुलपति हैं, उन्होंने एक समिति गठित की थी और उसके बाद कुलपति ने सिफारिश की थी कि छात्रावास को खोल दिया जाये लेकिन उनकी सिफारिश के बाद भी शासन ने छात्रावास न खोलने का निर्णय लिया, इसका क्या कारण हैं और क्या उन कारणों को दूर करने के लिये शासन के क्या प्रयास हैं और जब वह कारण दूर हो जायेंगे तो क्या छात्रावास को खोल दिया जायेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जैसा माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, कुलपति ने जो पत्र जिलाधिकारी, कानपुर को लिखा, उसमें यह है कि इन बियू आफ दि फैक्ट, काइन्डली इन्स्योर क्लोजर आफ दि हास्टल । मैं इसका हिन्दी अनुवाद करता हूं, यह कि हास्टल को बन्द कर दिया जाये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो वक्तव्य आया है, उसमें लिखा है कि कुलपति ने अपनी समिति गठित की है और उसके बाद छात्रावास खोलने की संस्तुति की और शासन ने कह दिया कि छात्रावास खोलना जनहित में नहीं है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुलपति की संस्तुति के बाद भी छात्रावास न खोलने का क्या कारण है और शासन ने उन कारणों को दूर करने का क्या प्रयास किया है और जब वह कारण दूर हो जायेंगे तब क्या छात्रावास खोल दिया जायेगा । मेरे प्रश्न के तीन पहलू हैं उनका साफ उत्तर आना चाहिये ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या समिति गठित हुई, तो मान्यवर दो बार गठित हुई । पहली समिति की रिपोर्ट मैंने सुनाई और दूसरी जब-जब छात्रों की मांग की तो वी० सी० ने एक समिति गठित की और हास्टल की मांग की थी । लेकिन यह देखा गया कि जनहित में यह होस्टल ठीक नहीं था, इसलिये नहीं खोला गया और यह कहना कि शासन क्या प्रयास कर रहा है, यह तो अभी पूछा गया और मैंने कहा कि उनसे कहा गया है और नोटिस भी दी गयी है कि 200 छात्रों के लिये इन्तजाम किया जाये और जल्दी से जल्दी 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था की जाये ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वहां पर छात्रों को सुविधायें नहीं मिलती हैं, तो क्या कभी छात्रों ने इस तरह की मांग की कि जो सुविधायें हैं वह पर्याप्त नहीं हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा सवाल यह है कि इससे दुर्गन्ध आ रही है कि इस सम्पत्ति को हथिया कर काम्पलेक्स बनाना चाहते हैं और जिसने यह घोषणा की है कि यह रहने के लायक नहीं है, उसकी टेक्निकल सेल से एकजामिन कराया है। तीसरी बात मेरी यह है कि चूंकि मंत्री जी के जवाब में इतना विरोधाभास है, कानपुर भी नजदीक ही है। क्या माननीय मंत्री जी इस सदन के 5 मेम्बरों की एक टीम बनाकर वस्तुस्थिति की जानकारी कराकर इस सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, शासन ने जितने भी प्रयास हो सकते थे, वह किये। जैसा कि मैंने बतलाया, कमिश्नर महोदय को इस काम में लगा दिया गया था।....

(व्यवधान)

मैं माननीय साथियों से कहूंगा कि वे मेरी पूरी बात सुन लें। मान्यवर, शासन ने इसीलिये कमिश्नर स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया था। वे स्वयं गये और उस हास्टल को देखकर आये। ऐसा नहीं है कि बैठे-बैठे आख्या दे दी हो। उन्होंने स्वयं देखा और यह बताया कि वह उनके रहने के लिए सेफ नहीं है। यह उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वह सेफ नहीं हैं, सुविधायें नहीं हैं। जहां तक आपने इसके प्रबन्धतंत्र के बारे में पूछा तो छात्रों को हास्टल की सुविधा देना, यह प्राइवेट कालेजों का काम है, गवर्नमेन्ट का कोई पार्ट नहीं आता....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सरकार ने मना किया कि छात्रावास न खोला जाय।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राणा जी, यह कानपुर का मामला है....

(व्यवधान)

आप उन्हें जवाब देने दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर के जन प्रतिनिधियों की जन भावना को देखते हुये, छात्रों की मांगों को देखते हुये और इस होस्टल में स्वर्गीय चन्द्र शेखर आजाद, बोस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बड़ा योगदान है, जिनका कि पूरे राष्ट्र में एक स्थान है, इसको देखते हुये पुनः प्रबन्धतंत्र पर दबाव डालकर क्या आप कालेज के पक्ष में इसको खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, शासन पूरी कोशिश करेगा कि छात्रों को वहां पर रहने के लिये सुविधा हो और इस बात के लिये पूरे प्रबन्धतंत्र पर जोर डालेगा कि छात्रों को रहने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दूसरा छात्रावास खुलवायेंगे। तो इस छात्रावास का क्या होगा ? इसकी जमीन कहां जायेगी ? आप दूसरा छात्रावास खोलने के लिये तैयार हैं लेकिन जो वर्तमान छात्रावास है, उसकी जमीन है उसे आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप समझते हैं कि असामाजिक तत्व वहां पर नहीं पहुंच पायेंगे ? तब आप क्या कार्यवाही करेंगे ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको बड़े आदमियों के लिये बिजनेस काम्प्लेक्स बनाने की योजना है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं उत्तर दे रहा हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात

कही और मैं समझता हूं कि वे सारगर्भित बात ही कह सकते हैं । तो इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट चलती रही हैं उसमें कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं था । अब जो माननीय माता प्रसाद जी ने सवाल उठाया, उन्होंने 4 तारीख को नोटिस दिया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

बिजनेस काम्प्लेक्स बनने का आपका इरादा है या नहीं यह हां या ना में जवाब दे दें ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

हमारा कोई नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

किसी और का ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अगर है तो उसे नहीं बनाने देंगे ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं जानकारी दे रहा हूं कि एक व्यक्ति वहां बिजनेस काम्प्लेक्स बनाने के लिये छात्रावास हटाने की कोशिश कर रहा है । क्या उसे सरकार यह करने देगी ? मैं निश्चित जानकारी दे रहा हूं ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

माननीय, इसको जैसा मैंने बताया

(व्यवधान)

पूरा उत्तर सुन लीजिये तो आपको उत्तर मिल जायेगा और मैं समझता हूं कि आप संतुष्ट भी हो जायेंगे । हमारे पास अभी तक जो पत्र आये थे वे उस विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव वगैरह से आये थे । अब पहली बार माननीय माता प्रसाद जी ने मामला उठाया है, शायद 4 ता0 को उठाया है जिसमें यह कहा गया है कि यह भूमि नजूल की है । इसकी हमने सूचना मंगाई है कि छात्रावास की जमीन नजूल की है अथवा नहीं ।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि मेरी निश्चित जानकारी है कि उसमें बिजनेस काम्प्लेक्स खोला जायेगा । तो उस जानकारी को सही मानकर सरकार जांच करायेगी और उसे खुलने नहीं देंगे ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, इसको दिखवा लेते हैं ।

जिला अलीगढ़ में मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसानों की जमीन का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

(श्रीमती पद्मा सेठ द्वारा वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर) क्या इसे भी पढ़ा हुआ मान लिया जाय ? (पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

[सूचना में यह कहा गया है कि अलीगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर 110 गांवों के लगभग 80,000 किसान परिवारों की 200 रुपये प्रतिवर्ग मीटर

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मूल्य वाली कृषि भूमि मात्र 2 रु0 प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुचित और अवैध रूप से अधिगृहित की जा रही है जिसके विरुद्ध अप्रैल, 1986 से कलक्ट्रेट, अलीगढ़ में किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है ।

2--मामले के तथ्य यह हैं कि अलीगढ़ में नगर भूमि (अधिकतम सीमाएवं लागू विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधान लागू हैं । इसके अनुसार ऐसी भूमि, जो वर्तमान में कृषि हेतु प्रयोग की जा रही है लेकिन मास्टर प्लान में इसका भू उपयोग कृषि से भिन्न अंकित है, रिक्त भूमि कीपरिभाषा में आती है और ऐसी भूमि का अधिग्रहण इस अधिनियम के अन्तर्गत किया जाताहै । 2,385 भूधारकों ने अपनी सीमाधिक्य रिक्त भूमि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विवरण-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें से 2267 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और इसके अन्तर्गत 2,42,74,113.82 वर्ग मीटर भूमि सीमाधिक्य पायी गयी जिनमें से अभी तक 80 मामलों में 2,41,703.62 वर्ग-मीटर भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है जो केवल 80 भूधारकों से सम्बन्धित है । सूचना में 80,000 की संख्या बढ़ा कर बतायी जा रही है ।

3--जांच से यह ज्ञात हुआ कि कुछ ऐसी भूमि भी सीमाधिक्य रिक्त घोषित कर दी गयी है जो वास्तव में कृषि भूमि है और मास्टर प्लान में भी इसका भूउपयोग कृषि ही है । अधिनियम की धारा 34 में यह प्राविधान है कि शासन स्तर पर पुनरीक्षण करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को रद्द किया जा सकता है । अलीगढ़ में कृषि भूमि के 232 मामलों का पुनरीक्षण शासन स्तर पर किया जा चुका है और उसके सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि को सीमा-धिक्य रिक्त घोषित करने के आदेश निरस्त किये गये हैं ।

4--जहां तक अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान का सम्बन्ध है, अलीगढ़ के लिए इसकी अधिकतम सीमा 5 रु0 प्रति वर्गमीटर निर्धारित है । किसानों की यह मांग थी कि उन्हें अधिगृहीत भमि के लिए बाजार दर से प्रतिकर दिया जाय और वह भी सारा प्रतिकर एक मुश्त नकद के रूप में दिया जाय । अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 25 प्रतिशत नकद व 75 प्रतिशत बाण्ड के रूप में किया जाता है । अतः किसानों की यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

5--किसानों ने यह भी मांग की थी कि सीलिंग की सारी कार्यवाही निरस्त कर दी जाय अथवा स्थगित कर दी जाय । यह भी मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि सीलिंग अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है और प्रदेश सरकार को इसका क्रियान्वयन स्थगित करने का अधिकार नहीं है ।]

*श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, यह बड़ा पेचीदा प्रश्न है और गम्भीर प्रश्न है । यह केवल अलीगढ़ से सम्बन्धित नहीं है यह अलीगढ़, आगरा, मुजफ्फरनगर, देहरादून, बरेली, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद से सम्बन्धित है । यहां पर अधिकतम भूमि सीमारोपण अधिनियम, 1976 लागू है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और एक मिनट का समय चाहता हूं वह इसलिये कि जो वक्तव्य दिया है वह स्वयं में अधूरा भी है और अस्पष्ट भी है । अभी गत 5 सितम्बर को माननीय मुख्य मंत्री से मेरे नेतृत्व में वहां के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिये साढ़े 7 बजे से 9 बजे तक विचार विमर्श हुआ और मेरे साथ माननीय किशन लाल दिलेर भी थे, वहां पर नगर विकास सचिव श्री ए0पी0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिंह भी मौजूद थे। वहां पर जो किसानों की जमीन की लूट की जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। सारी बातों पर चर्चा हुई। उन बातों से सहमत होते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि अलीगढ़ में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है चाहे सीलिंग ऐक्ट में अथवा मास्टर प्लान के अन्तर्गत अथवा दोनों के अन्तर्गत वह सारी कार्यवाही रोक दी जाय, भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही रोक दी जाय अग्रिम आदेशों तक। यह 6 सितम्बर को श्री ए0 पी0 सिंह, नगर विकास सचिव की ओर से अलीगढ़ के जिलाधिकारी को एक टेलेक्स चला गया जिसकी प्रति मेरे पास भी है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अलीगढ़ के अन्तर्गत, सीलिंग के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को और मास्टर प्लान के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को यदि किसानों की भूमि पर कब्जा लिया जा रहा है उसको अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया जाये और अगले सप्ताह लखनऊ से एक टीम जायेगी जो देखेगी, परीक्षण करेगी कि किसानों की कौन सी भूमि ऐसी है जो कृषि योग्य है। यह नगर भूमि सीमारोपण, 1976 में लागू हुआ। 1976 में जिस भूमि पर कृषि हो रही थी और 1976 के बाद आज तक कृषि जिस पर हो रही है उसको ऐक्ट के तहत नहीं लिया जा सकता है लेकिन घपला हुआ है और लिया गया है। इसको मैं दूसरे प्रश्न में चर्चा करूंगा। अभी स्थगन आदेश डी0 एम0, अलीगढ़ को भेजा है कि अग्रिम आदेश तक कार्यवाही रोक दी जाये।

मान्यवर, वक्तव्य के अंतिम अनुच्छेद में कहा गया है कि "किसानों ने यह भी मांग की थी कि सीलिंग की सारी कार्यवाही निरस्त कर दी जाय अथवा स्थगित कर दी जाय, इसका अधिकार नहीं है और यह प्रश्न नहीं उठता है। इसलिये जो कहा है उससे संदेह पैदा हो गया है। तो मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 6 तारीख को जो टेलेक्स श्री ए0 पी0 सिंह, सचिव, नगर विकास की ओर से जिलाधीश, अलीगढ़ को गया है कि वहां मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसानों की भूमि पर कब्जा लेने की कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया जाये और यहां से एक टीम वहां जाकर देखेगी, निरीक्षण करेगी, टेलेक्स की जानकारी मंत्री जी को है कि नहीं ?

श्रीमती पदमा सेठ—

मान्यवर, अलीगढ़ नगर बस्ती के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वहां का बनाया गया मास्टर प्लान सही नहीं है इसलिये उसके लिये एक समिति का गठन कर दिया गया है। जो कल या परसों चली जायेगी और इस समस्या का निराकरण करने के लिये अधिकारियों की एक टीम अलीगढ़ जाकर अध्ययन करेगी कि मास्टर प्लान में स्थल का वास्तविक वर्तमान स्थिति वह पिछले 10 वर्षों में उस क्षेत्र के उपयोग को देखते हुए यदि स्पाट जोनिंग या भू-उपयोग में कोई परिवर्तन उस क्षेत्र को हरित-पट्टी के रूप में घोषित करने की आवश्यकता हुई तो उसकी संस्तुति करेगी।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि डी0 एम0, अलीगढ़ को स्थगन आदेश गया है कि नहीं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, कमेटी चली जायेगी तो वह अपनी संस्तुति देगी।

श्री किशन लाल दिलेर—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि श्री ए0 पी0 सिंह ने क्या जिलाधिकारी, अलीगढ़ को टेलेक्स भेजा है कि अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही स्थगित कर दी जाये। इसका स्पष्ट उत्तर दे दें ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, जो कमेटी वहां जा रही है उसकी जो रिपोर्ट आयेगी उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दिया है कि कमेटी गठित कर दी है । दो-एक दिन में वह कमेटी वहां जा रही है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मास्टर प्लान को स्थगित किये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के सचिव और मुख्य मंत्री ने टेलेक्स भेजा है । तो क्या उसको स्थगित कर रही हैं ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, यह सेंट्रल ऐक्ट है । इसमें हमें स्थगित करने का अधिकार नहीं है । हमने एक टीम भेजी है । उसका जो निर्णय होगा उसको देखेंगे ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरे पास टेलेक्स की कापी मौजूद है । क्या श्री ए० पी० सिंह और मुख्य मंत्री जी ने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके यह टेलेक्स भेजा है ।

श्रीमती पद्मा सेठ—

टेलेक्स की जानकारी मुझको नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, क्या टेलेक्स की जानकारी करके जो स्टे आर्डर गया है उसके हिसाब से तुरन्त कार्यवाही करायेंगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि अगर कोई सेंट्रल ऐक्ट है भी और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तो क्या केन्द्रीय सरकार उसमें बाधा बन सकती है । इसीलिये मुख्य मंत्री जी ने जब माननीय कल्याण सिंह के साथ किसानों का दल मिला तो उन्होंने कमेटी बनाने के साथ-साथ इक्जीक्यूशन को रोकने का निर्देश पारित किया है । जब इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तो क्या कमेटी की रिपोर्ट आने तक कार्यवाही को तत्काल स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, टेलेक्स को देखवा लेंगे और उसके अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस ऐक्ट का हवाला आपने दिया है उसके अन्तर्गत कहा है कि जो रेट होंगे उस रेट पर 25 परसेंट नकद और 75 प्रतिशत बांड के रूप में पैसा दिया जायगा । तो मैं जानना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों की जोत 3 1/8 है, जो अलाभकर है और जो बहुत गरीब किसान हैं जिनके पास एक बीघा या दो बीघा जमीन है उनको बांड देने का क्या तुक है । उनको पूरा भुगतान नकद करें । गरीबों की जमीन को सेन्ट्रल ऐक्ट का सहारा लेकर अधिगृहीत करने की प्रवृत्ति बनती जा रही है । मेरा अगला सवाल है कि आपने जो कमेटी बनायी है उसमें कौन-कौन माननीय सदस्य हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, जहां तक अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर की बात है वह 5 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है । (शेम-शेम की आवाजें) किसानों की मांग है कि सारा पैसा इकट्ठा दे दिया जाय । तो वह नहीं हो सकता है । अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान होता है । अधिनियम में है कि 25 प्रतिशत नकद और 75 प्रतिशत बांड के रूप में किया जाय । जो टीम बनायी गयी है उसमें

एक अध्यक्ष हैं और 3 सदस्य हैं श्री एन0 एस0 जौहरी, श्री के0 पी0 श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, इसके सदस्य हैं। श्री पचौरी जो चीफ आर्किटेक्ट एण्ड टाउन प्लानर हैं, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के यह भी सदस्य हैं। श्री राम कुमार जी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, यह भी इसके सदस्य हैं।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने यह कहा कि यह केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है। मान्यवर, दो तरह के ऐक्ट अलग-अलग हैं, एक तो अधिकतम जोत सीमा अधिनियम और दूसरा नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि कृषि भूमि पर यह अधिकतम जोत सीमा अधिनियम तो लागू होता है, लेकिन अरबन सीलिंग ऐक्ट इस पर लागू नहीं होता है। तो मैं माननीया मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इसके बारे में आश्वासन दें कि कृषि भूमि पर यह अरबन सीलिंग ऐक्ट लागू नहीं किया जायगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, जो नियमों के अन्तर्गत होगा, उसको किया जायगा।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार-बार भूमि सीमारोपण अधिनियम, 1976 का हवाला दे रही हैं और यह कह रही हैं कि चूंकि केन्द्रीय अधिनियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन किसानों की कृषि भूमि को सरकार अधिगृहीत ही नहीं कर सकती, क्योंकि वह सप्लस भूमि नहीं है। आपकी किसान विरोधी सरकार ने किसानों की कृषि भूमि का गलत और गैर कानूनी तरीके से मास्टर प्लान के अन्तर्गत कृषि भूमि का भू-उपयोग बदल कर उसे बैकेंट लैंड घोषित कर रही है और मुआवजा के लिए यह जो भूमि सीमारोपण अधिनियम, 1976 को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है अगर किसान की कृषि भूमि ली जा रही है, तो उसका मोआवजा लैंड इक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत बाजार भाव के अनुसार उसको मोआवजा एक मुश्त नकद दिया जाना चाहिए। विभाग ने 2 करोड़, 42 लाख, 74 हजार 113.82 वर्ग मीटर भूमि को गलत तरीके से सीमा से अधिक घोषित किया है इसमें से 2 लाख 41 हजार 703.62 वर्ग मीटर भूमि पर सरकार ने कब्जा भी ले लिया है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है। जो कब्जा लिया है, उसके लिए 2 रु0 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मोआवजा दे रही हैं, जबकि वह जमीन 200-250 रु0 तक की कीमत की है। तो असल बेईमानी सरकार की इस नीति के कारण हो रही है। इस तरह से भूमि ली नहीं जा सकती है। वह नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम कृषि भूमि पर लागू ही नहीं होता, जिसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा है। माननीया मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगी कि जो मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसानों की कृषि भूमि ली गयी है, उनको निकाल दिया जायगा ? मेरा सवाल यह है कि दफा 34 के अन्तर्गत जो कुछ इन्होंने स्वयं माना है कि 232 मामले ऐसे हैं, जहां पर इस बात की पुष्टि हो गयी है, कि यह वह मामले हैं, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों ने बेईमानी करके किसानों की उस कृषि भूमि को भी भू-उपयोग बदल कर सीमा से अधिक भूमि दिखा कर उसका अधिग्रहण करके गलत कार्यवाही की है। अभी तो इनकी जानकारी में केवल 232 केसेज आये हैं, छानबीन की जायगी, तो यह 2 हजार से भी अधिक मामले इसी अनियमितता के निकल आवेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उन 232 मामलों में हेरा-फेरी, बेईमानी और

अनियमितता करने वाले कौन-कौन अधिकारी हैं और सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है या क्या कार्यवाही आगे करेगी ? सीलिंग आफिस अलीगढ़ का तत्कालीन सक्षम अधिकारी भार्गव ने औसतन रिश्वत के रूप में 3 लाख रु0 प्रति दिन के हिसाब से पैसा कमाया है । अगर जांच कमेटी में उसी भ्रष्ट भार्गव को रखा गया, तो उसे उस कमेटी से हटा दिया जाय । वह तो वहां के भ्रष्ट अधिकारी हैं । वह तो तीन हजार से कम रिश्वत नहीं लेते । मैं यह जानना चाहता हूं यह जो 232 मामले हैं इसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? और यह भी जानना चाहता हूं कि यह भार्गव वहीं तो अधिकारी नहीं है जो सक्षम अधिकारी के रूप में वहां काम कर रहे थे ।

श्रीमती पद्मा सेठ--

जो 232 मामले थे उनका पुनरीक्षण करने के आदेश पारित हो चुके हैं । बाकी मामलों की जांच हो रही है । उसमें जो भी दोषी व्यक्ति पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है...

(श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी के खड़े होने पर)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सबको बुलवा रहा हूं । कल्याण सिंह जी दो बफा खड़े हुए उनको दोनों दफा बुलवा दिया । अब और आप क्या चाहते ह ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है । इसमें दो चार सवाल और हो जाने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें जांच के लिए कमेटी बैठा दी गयी है । अब और आप क्या चाहते हैं ?

श्री शतरूद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित सूचना चाहता हूं । 2,42,703.62 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा किया जा चुका है । धारा 10, 5 के अन्तर्गत जो शहरी सीलिंग अधिनियम 176 है, में मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूं । शहरी सीलिंग अधिनियम में अधिनियम जो है वह मुआवजे के लायक नहीं है । भूमि धारकों की जमीन पर, जिन किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है क्या उनको बेदखल कर दिया गया है या नहीं । उन किसानों की जमीन पर धारा 45 के अन्तर्गत, क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है, जो सर्वेक्षण हुआ है वह सर्वेक्षण ग्रामीण अंचल का सर्वेक्षण नहीं है । विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी निश्चित जानकारी को आधार मानकर यह जांच करायेंगे कि जो सर्वेक्षण हुआ है वह प्रपत्र "ख" के अनुसार नहीं हुआ है । यदि नहीं हुआ है। तो सरकार धारा 45 के अन्तर्गत पुनर्विचार करने की कृपा करेगी । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जोनल प्लान, मास्टर प्लान की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी ।

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखकर जो गम्भीर शिकायतें आयी हैं ।

उन्हीं को देखते हुए हमने यह समिति गठित करी है कि वहां जाकर जो भी उनकी समस्यायें होगी, जो गलत प्लान बन गया है, उसे देखेगी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती है तब तक वहां की सारी कार्रवाई निरस्त करेगी ?

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने एक कमेटी घोषित की है जिनका मैंने नाम सुना वह सभी सरकारी अधिकारी हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे किसी माननीय सदस्य को जो गैर सरकारी हो उसे आप शामिल करने की कृपा करेगीं ? मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सुझाव भी दूंगा । ऐसे मामले के जो बहुत अच्छी तरह से जानकार हैं और इस सदन के माननीय सदस्य हैं माननीय कल्यान सिंह जी, उसी जिले से चुनकर आये हैं । तो क्या मान्यवर, कल्यान सिंह जी को उसमें शामिल करने की कृपा करेगीं ? दूसरी बात बड़ी चतुराई से इसमें कहा गया है कि जो भूमि ली जायेगी उसका उनके द्वारा अधिकतम मूल्य 5 रु0 वर्गमीटर होगा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि न्यूनतम क्या होगा ? इसके अलावा 5 रु0 वर्ग मीटर के हिसाब से लेकर किस दर से लोगों को दी जायेगी, यह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्रीमती पद्मा सेठ--

गैर सरकारी सदस्य के ऊपर विचार कर लिया जायेगा । समिति के सामने सझाव रख देती हूं, वह देखेगी ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जैसा कि माननीय कल्यान सिंह जी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों की समस्या है । और इन किसानों के लिए कमेटी इन्होंने बनायी है तो उस कमेटी के माध्यम से जो यह 11 जिले हैं वहां पर भी अरबन सीलिंग एक्ट के जो केसेज हैं, उनका परीक्षण भी उसी कमेटी के माध्यम से करने की कृपा करेगीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सवाल नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक आश्वासन चाहता हूं कि किसानों की जो भूमि सरकार अधिग्रहीत कर रही है, क्या सरकार इन किसानों को भूमि अधिग्रहीत अधिनियम के अन्तर्गत बाजार भाव से एक मुस्त नकद मुआवजा देगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, जो नियमों के अनुसार होगा, दिया जायेगा ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं आया है । सरकार की इस किसान विरोधी नीति के फलस्वरूप में और मेरा दल 5 मिनट के लिए सदन का त्याग कर रहा है ।

सहारनपुर में नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सदन की सहमति हो तो वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाए ।

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

[दिनांक 31-8-86 से सहारनपुर में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा दिनांक 4-7-36 से लागू की गयी चुंगी की नयी दरों के विरोध में बन्द का अह्वान किया गया था। जिला प्रशासन व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से वार्ता करके आन्दोलन समाप्त कराने के लिये प्रयासरत था। दिनांक 1-9-86 को आन्दोलनकारियों द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने, चक्का जाम करने तथा हरियाणा रोडवेज की एक बस को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया था।

2--दिनांक 2-9-86 को आन्दोलनकारियों के मंच से घोषणा की गयी कि वे स्कूलों, कालेजों और यातायात के संचालन में बाधा पहुंचायेंगे। उस दिन प्रातः लगभग 10 बजे 100-125 व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें कुछ बाहरी व्यक्ति भी सम्मिलित थे, प्रताप मार्केट की ओर से घण्टाघर की ओर आया। यह समाधान हो जाने पर कि इस जुलूस द्वारा शान्ति व्यवस्था एवं सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया जा रहा था, उसे नगर के विभिन्न भागों में जाने से रोका गया। जब चेतावनी देने का कोई असर नहीं हुआ तो जुलूस को तितर-बितर करने के लिये मामूली बल प्रयोग किया गया। 9 व्यक्तियों को मौके पर ही धारा 147/148/324/322/188/504/353/427/336 भा० दं० वि० एवं 25/4 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उसी दिन धारा 144 दं० प्र० सं० का उल्लंघन करने के आरोप में 15 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 2-9-86 की घटना में गिरफ्तार व्यक्तियों में से केवल दो को और 5 पुलिस कर्मियों को चोटें आयी थीं। दिनांक 3-9-86 को 107 और दिनांक 4-9-86 को 142 व्यक्ति शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये निरोधात्मक धाराओं के अधीन गिरफ्तार किये गये थे।

3--पूरी घटना में गिरफ्तार किये गये कुल 273 व्यक्तियों में से केवल 5-6 को मामूली चोटें आयी थीं। केवल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी थी। उसे भी केवल दो दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।

4--दिनांक 4-9-1986 को रात्रि में जिला प्रशासन से विचार विमर्श के उपरान्त, व्यापार मंडल द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गयी। सभी आन्दोलनकारियों को रिहा कर दिया गया है।]

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन से मजिस्ट्रेट साहब थे जिनके हुक्म से लाठी चार्ज हुआ है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, लाठी चार्ज नहीं हुआ है, जो भीड़ इकट्ठा हो गयी थी उसको सम्मान पूर्वक पीछे हटाने का काम किया गया है।

श्री राम सरन--

मैं उस मजिस्ट्रेट का नाम जानना चाहता हूं। सिटी मजिस्ट्रेट था या एस० डी० एम० था, कौन से मजिस्ट्रेट ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया था।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो आदेश का या मजिस्ट्रेट का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राम सरन--

आपका जो वक्तव्य है उसमें लिखा हुआ है।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दोबारा पूछ लीजिएगा ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि उस दिन प्रातः लगभग 10 बजे 100-125 व्यक्तियों का एक जुलूस जिसमें कुछ बाहरी व्यक्ति भी सम्मिलित थे, जब चेतावनी देने का कोई असर नहीं हुआ तो बल प्रयोग किया गया । मान्यवर, इसको आप पूरा पढ़वाइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ही पढ़ कर सुना दीजिए ।

श्री--राम सरन

दिनांक 31-8-86 से सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा दिनांक 4-7-86 से लागू की गयी चुंगी की नयी दरों के विरोध में बन्द का आह्वान किया गया था । जिला प्रशासन व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से वार्ता करके आन्दोलन समाप्त कराने के लिए प्रयासरत था । दिनांक 1-9-86 को आन्दोलनकारियों द्वारा मार्ग को अवरुद्ध करने, चक्का जाम करने तथा हरियाणा रोडवेज की एक बस को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया था ?

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया है, आप का निर्णय हो चुका है । इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

है पूरा तो पढ़ा हुआ मान लिया गया है । आप लाठी चार्ज वाले हिस्से को बता दीजिए ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह कहते हैं लाठी चार्ज नहीं हुआ । सुरेन्द्र कपिल शहर से एम० एल० ए० हैं कह दें कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, मैं मान लूंगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, यह किसी को कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने विकल जी को बुला लिया है । यदि वह कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, सिटी मजिस्ट्रेट ने जान बूझकर लाठी-चार्ज किया क्योंकि वहां पर कलेक्टर ईमानदार है, भाग जायगा । सुरेन्द्र कपिल अगर कह दें कि लाठी-चार्ज नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

माननीय गृह मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मामूली बल प्रयोग किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोई शान्ति व्यवस्था की गम्भीर स्थिति नहीं थी, वरना गम्भीर प्रयोग किया जाता । जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर 10 से अधिक गम्भीर धारायें लगाई गयीं हैं तो इन धाराओं की जरूरत क्या थी ? मान्यवर, घन्टाघर पर डा० पन्ना लाल, नन्द लाल, सचदेवा और ब्रज मोहन धरना पर बैठे थे इनको मारा गया 50 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हुये । इन तथ्यों को छिपाकर माननीय मन्त्री जी ने ऐसी बात कही है जो सत्य से परे हैं । मैं कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कुछ न कहें प्रश्न पूछ लें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

क्या यह सही नहीं है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर भयानक लाठी-चार्ज किया गया और पुलिस ने दो-दो फर्लांग तक दौड़ाया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

माननीय सदस्य श्री राम सरन जी वक्तव्य को पूरा पढ़ना चाहते थे, मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन आपने कह

दिया पढ़ा हुआ मान लिया जाय, वरना स्थिति स्पष्ट ह । एक चुंगी के मामले को लेकर व्यवसायी वर्ग की हड़ताल, धरना तथा रास्ता रोकने को, रास्ता जाम करने की योजना थी । असामाजिक तत्व ऐसे अवसरों पर इक्ट्ठा हो जाते हैं, इसलिये यह व्यवस्था की गई कि जुलूस शान्तिपूर्वक जाय । डेढ़-दो सौ लोग थे, उस वक्त केवल 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुये, जिन पर महत्वपूर्ण और गम्भीर धाराओं का उल्लेख किया गया हैं । उनकी संख्या 9 थी जिन्होंने जूलूस को भड़काया, बाकी 264 लोगों को पुलिस ने रोक लिया था कि किसी तरह की अशान्ति न हो, उन लोगों को उसी दिन छोड़ दिया गया और बाकी 9 लोगों को 5 तारीख को जमानत कर दी गई ।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में कहा कि हल्का बल प्रयोग किया गया । वक्तव्य में यह भी है कि लोगों को चोटें आयी तो क्या हल्के बल प्रयोग से चोटें आयीं हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

हल्की चोटें आयी हैं पुलिस उनको पीछे हटा रही थी । हटने-हटाने में कहीं कोई चोट आ गई । वह व्यक्ति जो अस्पताल में थे वह दूसरे दिन चले गये ।

श्री राम सरन--

मैं कलेक्टर से मिल कर आया हूं । सिटी मैजिस्ट्रेट ने लाठी-चार्ज किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान वक्तव्य की आखिरी पंक्ति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । "दिनांक 4-9-86 की रात्रि में प्रशासन से विचार-विमर्श के उपरान्त व्यापार मंडल द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई । सभी आन्दोलनकारियों को रिहा कर दिया गया है ।" रिहा तो कर दिया गया क्या उन सब पर जो मुकदमें थे उनको वापस लेने का फैसला ले लिया गया है यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार इस आशय का आश्वासन देंगी ?

जो लोग पकड़े गये, चूंकि पुलिस ने अपना केस बनान के लिये निरीह और निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या गृह मन्त्री जी यह आश्वासन देंग कि उन पर लगे सभी मुकदमों को वापस ले लिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, इसका हम पता करेंगे । अभी हम आश्वासन दे सकनें की स्थिति में नहीं हैं कि सभी केस वापस ले सकते हैं या नहीं ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें सभी तथ्यों को छिपा दिया गया है । जो घटना घटी है, यह वक्तव्य उसके बिल्कुल विपरीत है । आप कहते हैं मान्यवर, कि उस दिन प्रातः लगभग 10 बजे सौ-सवा सौ व्यक्तियों का एक जुलूस चला और गिरफ्तारी मे बताया गया है कि घटना में गिरफ्तार किये गये कुल 273 व्यक्तियों म से 5-6 को मामूली चोटें आयी ह । तो सौ-सवा सौ के जुलूस में से 273 व्यक्ति कसे गिरफ्तार कर लिये गय । दूसरे यह जो धारा 144 लगाई गयी, वह किस तारीख में लगाई गयी और तीसरे यह बतावें कि जो आप कहते हैं कि एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसको किस प्रकार प्रकार की चोट आयी ? कुल कितनी चोटें थीं और किस कारण से लगी थीं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, जुलूस जब चला तो उसमें सौ-दो सौ लोग थे । लेकिन आप जानते है कि जुलूस जब चलता है तो उसमें तमाशबीन भी आ जाते हैं । जब जुलस

को रोका जाता है तो उनको भी रोका जाता है । तो जो तमाशबीन उसमें मिल गये, उनको भी रोका गया । जहां तक अस्पताल में दाखिल व्यक्ति का सवाल है, उसको बहुत मामूली चोटें आई थीं । हाथ में चोट थी । वह एक दिन अस्पताल में रह कर दूसरे दिन चला गया ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कहते हैं कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठी-चार्ज नहीं किया । मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को चोटें आई हैं, उनको चोटें किस कारण से आई हैं । जिन लोगों को चोटें आई हैं, उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया या नहीं । यदि कराया गया तो किस तरह की चोटें आई हैं । बयान में लिखा हुआ है कि चोटें आईं, लाठी-चार्ज नहीं किया गया । बल प्रयोग किया गया इसलिये चोटें आ गयीं तो किस तरह से चोटें आईं ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जुलूस आ रहा था उसको रोकने के लिये वहां पर जो पुलिस दल था, उसके पास डण्डा होता है और वह इस तरह से रोकते हैं कि तमाम लोगों को चोटें भी न आएं और जुलूस पीछे हट जाय तो उनको पीछे हटाने के सिलसिले में कुछ चोटें आई होंगी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, जिन नौ व्यक्तियों पर धाराएं लगाई गयी हैं, उसमें मान्यवर, एक धारा 324 आई० पी० सी० भी है । इस धारा का मतलब है-फैक्चर, तो मान्यवर, कितने लोगों को फैक्चर हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, अब अगली मद लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि सदन सहमत हो तो वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी ।)

उत्तर प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के ब्रदरहुड यूनियन के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 11-8-86 को इलाहाबाद में महालेखाकार कार्यालय से सम्बन्द्ध रीजनल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट का उद्घाटन कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल द्वारा 10 बजे प्रातः निश्चित था । महालेखाकार कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की यूनियन द्वारा अपनी कतिपय विभागीय मांगों का समाधान न होने के कारण, विरोध स्वरूप यह तय किया गया कि वे इन्स्टीटयूट का उद्घाटन नहीं होने देंगे । इस पर महालेखाकार कार्यालय के सभी आवश्यक स्थानों पर पुलिस बल तथा पी० ए० सी० के अधिकारियों को तैनात कर दिया गया । 10.30 पर श्री अनुग्रह नारायण सिंह, विधायक तथा श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव, अध्यक्ष, ब्रदरहुड यूनियन के नेतृत्व में महालेखाकार कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जुलूस, शांतिपूर्वक चल रहे उद्घाटन समारोह की तरफ बढ़ा । चूंकि वहां पर धारा 144 दं० प्र० सं० लगी थी अतः पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा उधर जाने से रोका गया । रोकने पर भीड़ उग्र हो गयी तथा पुलिस बल पर भीड़ द्वारा पथराव प्रारम्भ कर दिया गया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस पथराव से अपर जिलाधिकारी, नगर, पुलिस अधीक्षक नगर, 10 पुलिस-कर्मी तथा श्री ज्ञान चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष, "बार" कौंसिल घायल हुए । पुलिस फोर्स द्वारा समुचित चेतावनी के बाद प्रदर्शन तथा पथराव कर रहे 31 व्यक्तियों को अ० सं० 311/86 के अन्तर्गत धारा 147/332/336/337/323/188 भा० दं० वि० में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जिसमें माननीय विधायक श्री अनुग्रह नारायण सिंह भी सम्मिलित थे । इसके बाद समारोह शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया ।

समारोह के सम्पन्न होते ही पुलिस फोर्स को यह सूचना मिली की जनरल वैद्य की हत्या के मामले को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इलाहाबाद के बाजार को बन्द करा रहे हैं । चूंकि महालेखाकार कार्यालय के आस पास कोई भीड़ नहीं थी इसलिए महालेखाकार कार्यालय में लगाई गई फोर्स को सिविल लाइन्स तथा चौक क्षेत्र में, जहां विश्वविद्यालय के छात्र बाजार बन्द करा रहे थे, लगा दिया गया इसी बीच लगभग 1.30 बजे अपराह्न महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों ने महालेखाकार कार्यालय में घुसकर दरवाजे, फर्नीचर, खिड़की के शीशे तथा मूल्यवान मशीनों की तोड़फोड़ प्रारम्भ कर दी तथा कुछ कर्मचारियों ने वहां के रिकार्ड को जलाने का प्रयास किया । तुरन्त स्थिति को नियंत्रण में कर फायर ब्रिगेड द्वारा आग को बुझा दिया गया ।]

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, संविधान के अध्याय-5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्राविधान है । वित्त सम्बन्धी मामलों का निरीक्षण करने के लिये एक आटोनोमस बाडी के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है । मान्यवर, आज जो देश की स्थिति है, बड़े से बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । अपने कारनामों को बचाने के लिये तमाम प्रयास करके उन लोगों ने इसे दो भागों में विभाजित करा दिया । उसी के सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों की कुछ मांगे थी । उसी मांगों के सम्बन्ध में 11 अगस्त को वे लोग अपने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सम्पर्क करना चाहते थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, वे लोग अपनी विभागीय मांगों को लेकर शांतिपूर्वक जुलूस में जा रहे थे । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वे विभागीय मांगे क्या-क्या थीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

विभागीय मांगे जिस विभाग से सम्बन्धित होंगी, वहां गयी होंगी । पुलिस का काम इतना था कि जब कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल वहां किसी मीटिंग में आ रहे हैं तो उनकी मीटिंग शांतिपूर्वक हो जाय कोई विघ्न उसमें न पड़े इसलिए पुलिस की व्यवस्था थी । मांगे उनकी क्या थी, इसकी सूचना हमें नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, वे लोग शांतिपूर्वक जुलूस लेकर जा रहे थे, उस जुलूस का नेतृत्व करने का आरोप मेरे ऊपर भी लगाया गया है । मान्यवर, उस समारोह में सम्मिलित होने का मुझे भी आमंत्रण था । यह कहा गया कि बहुत से अधिकारियों को चोटें आयीं । मैं यह जानना चाहता हूं किन-किन अधिकारियों को क्या-क्या चोटें आयीं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मान्यवर, अधिकारिबों को, जिनको चोटें आयी हैं, उनके नाम तो मेरे पास हैं लेकिन क्या-क्या चोटें आयीं इसका डिटेल नहीं है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, धारा 147/332/336/337/323/188 यह मेरे ऊपर भी लगायी गयी हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को कौन-कौन सी चोटें आयीं । इलाहाबाद में सारे मुकदमे फर्जी बनाये जा रहे हैं इसका जिक्र मैंने आपके समक्ष पहले भी किया है । यह फर्जी दफाएं हैं । यह निर्णय हो जाना चाहिए कि यह फर्जी दफायें क्यों लगायी जा रही हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है ? सरकार को जब वक्तव्य देने का निर्देश दिया गया तो यह अभिलेख होना चाहिये कि कौन-कौन सी चोटें आयीं ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

माननीय, सम्मानित सदस्य ने कहा कि शांतिपूर्वक जुलूस आ रहा था । 144 लगी हुई थी । सम्मानित सदस्य को स्वयं उसका सम्मान करना चाहिए था । 144 तोड़कर कोई जुलूस निकालना यह वे स्वयं जानते हैं कि अच्छा नहीं होता । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त जो दफायें लगी है यह उस वक्त की घटनाओं को देखकर के लगायी गयी हैं । उसकी मैं जांच करा सकता हूं ।

*श्री जवाहर सिंह यादव—

माननीय, इसमें एक एम0 एल0 सी0 और एक विधायक को चोटें आयीं । द्विवेदी जी एम0 एल0 सी0 तो कई हफ्तों तक अस्पताल में पड़े रहे । उनको भी गया मारा था । भीड़ में वह भी थे कि नहीं ? यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है । क्या रिपोर्ट में यह कहीं पर कहा गया है श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी को भी उस फंगशन में जाने के लिए निमंत्रण था और कहीं उन्होंने ही तो पत्थर नहीं चलाया, इसे माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

माननीय, यह तो जानकारी मेरे पास नहीं है कि उन्हें निमंत्रण था कि नहीं । लेकिन यह जानकारी अवश्य है कि जो वह जलूस जा रहा था, उसके साथ वह भी 144 को तोड़कर जा रहे थे ।

श्री जवाहर सिंह यादव—

इसका मतलब यह हुआ कि वह फंगशन में जा रहे थे और उनको कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । एम0 एल0 सी0 साहब जो हाई कोर्ट से जा रहे थे, वहां पर उनको चोटें आई और पुलिस ने उनको मारा । क्या एम0 एल0 सी0 श्री ज्ञान चन्द्र जी का कोई बयान आपके पास आया है कि उन्हें कर्मचारियों ने नहीं बल्कि पुलिस ने मारा है, यदि हां, तो इसकी सत्यता को आप बतायें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

माननीय, जिन एम0 एल0 सी0 साहब की यहां पर चर्चा की गई उन्हें चोटें साढ़े 10 बजे आई लेकिन पुलिस ने जो रोकने की कार्यवाही की वह डेढ़ बजे की । यह जलूस जो धारा 144 को तोड़ कर जा रहा था, उसको पुलिस ने रोका । पुलिस की तरफ से इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय, जनरल वैद्य की हत्या के सिलसिले में विश्वविद्यालय के छात्र दुकानें बन्द कर रहे थे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया । दूसरा, महालेखाकार कार्यालय में पुलिस कब घुसी और किसकी अनुमति से घुसी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

माननीय, प्रातः काल जो उद्घाटन समारोह था, वह शांन्तिपूर्वक निपटने के बाद यह सूचना मिली कि छात्रगण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनरल बैद्य की हत्या के सिलसिले में बाजार बन्द करवा रहे हैं। पुलिस फोर्स वहां से हटकर सिविल लाइन्स से चौक की तरफ चली गई। वहां कर्मचारियों ने अवसर पा लिया। वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। महालेखाकर कार्यालय की एक यूनियन उस फंक्शन को होने नहीं देना चाहती थी, उसने तोड़-फोड़ की कार्यवाही शुरू कर दी और फर्नीचर तोड़ दिया और महालेखाकार कार्यालय के अभिलेखों को भी जलाने का प्रयास किया गया। जब पुलिस फोर्स को इत्तला दी गई तो वह वहां पहुंची। पुलिस ने उन्हें आग लगाने से रोका और तोड़-फोड़ करने से भी रोका।

(सदस्य संख्या-15 पुकारे जाने पर श्री अनुग्रह नारायण सिंह अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय, उत्तर प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के जो नियंत्रक हैं, वे राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्य भी रहे हैं। उनके खिलाफ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1983-84 के प्रस्तर संख्या 7-10.01 में 61 लाख रु0 के घपले का आरोप है। क्या माननीय मन्त्री जी, चूंकि यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का है और उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है, क्या इस पर जांच करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इस प्रकार की सूचना है नहीं, आज आपने सूचना दी है ? कृपया लिखकर दे दें, जांच करा लेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं पर टैक्स लगाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(गन्ना विकास राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यदि सदन की सहमति हो तो वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)--

[उत्तर प्रदेश खाण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अन्तर्गत लाइसेंस कृत खाण्डसारी इकाइयों के अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति चालित कोल्हू की इकाई को गुड़ अथवा राब बनाने के लिए "उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961" के अन्तर्गत लाइसेंस लेने की व्यवस्था की गई है। सत्र 1968-69 में गन्ना बाहुल्य वर्ष था और शासन के समक्ष चीनी मिल को आपूर्ति से बचे गन्ने के निस्तारण की समस्या थी। अतः प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उस सत्र के लिए चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गुड़ बनाने के लिए केवल अपना ही गन्ना पेरने हेतु पावर क्रशर लगाने के लिए 300 रु0 फीस लेकर लाइसेंस दे दिये जायें। तदुपरान्त विभिन्न वर्षों में खड़े कोल्हुओं को विभिन्न प्रतिबन्धों के अधीन विभिन्न फीस की दरों पर चलने की अनुमति दी जाती रही और अन्ततोगत्वा सत्र 1978-79 से सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटाकर निजी गन्ना पेरने के लिए बिना फीस लिए खड़े कोल्हू लगा दिये जाने की नीति अपनाई जाने लगी। उक्त उदार नीति के फलस्वरूप खड़े कोल्हुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और अब अनुमान लगाया जाता है कि उनकी संख्या 40,000 के लगभग हो गई है। यद्यपि खड़े कोल्हुओं की अनुमति केवल निजी गन्ना पेरने के लिये दी गई थी, परन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि अपना गन्ना पेरने की आड़ में अधिकांश इकाइयां गन्ना क्रय

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करके भी उसकी पेराई करती हैं और इस प्रकार न केवल चीनी मिलों से गन्ने का व्यावर्तन होता है बल्कि शासन को भारी मात्रा में क्रय करके राजस्व की हानि भी होती है ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 1981-82 में उन्होंने शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं पर देय लाइसेंस फीस से छूट देने के कारण आपत्ति उठाई थी और उनका मत था कि लाइसेंस फीस के भुगतान से छूट देने के नियम में कोई प्राविधान नहीं है । सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील संख्या 2734/80, मै0 लक्ष्मी खाण्डसारी आदि बनाम उ0 प्र0 सरकार तथा अन्य जो पावर क्रशर/खाण्डसारी इकाई के आरम्भ होने की तिथि पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में थी, पर अपने निर्णय दिनांक 9 मार्च, 1981 को देते हुए यह स्पष्ट किया कि खड़े और आड़े शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं में वास्तविक भेद नहीं है और वह इन दोनों को एक ही वर्ग का मानते हैं । न्याय विभाग का मत था कि लाइसेंस हेतु खड़े कोल्हुओं एवं आड़े कोल्हुओं में भेद का अवसर उत्पन्न नहीं होता । न्याय विभाग ने यह भी स्पष्ट किया था कि जहां तक क्रय कर का प्रश्न है, वह खरीदे गये गन्ने या उस हेतु अनुमानित खरीद पर ही लगाया जा सकता है । यदि कोई व्यक्ति कोल्हू में प्रयोग के लिए गन्ना खरीदता ही नहीं है तो उस पर क्रय कर लगाये जाने का अवसर उत्पन्न नहीं होता है ।

उपरोक्त से स्पष्ट हुआ कि खड़े कोल्हुओं को निजी गन्ना पेर कर गुड़ बनाने के लिए जो सुविधा दी जा रही थी, वह न केवल विधिक दृष्टि से अनुचित थी, बल्कि उससे लाइसेंस फीस में राजस्व की भी हानि हो रही थी । अतः समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निजी गन्ना पेर कर गुड़ बनाने के लिए भी शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं को 200 रु0 फीस देकर "उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961" के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने का प्रतिबन्ध लगाया जाय । इससे निजी गन्ना पेरने की आड़ में गन्ना अनियमित रूप से क्रय करके पेरने के फलस्वरूप चीनी मिलों से हो रहे व्यावर्तन तथा उस उन्ने पर लगने वाले क्रय कर की क्षति पर भी अंकुश लगेगा । अपना गन्ना पेरने का लाइसेंस देने से पूर्व "बाण्डेड" गन्ने की मात्रा से अधिक निजी गन्ना उपलब्ध होने का प्रमाण-पत्र गन्ना समिति तथा जिला गन्ना अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा ।]

श्री किरन पाल सिंह--

यह कांग्रेस की सरकार किसानों के हित पर कुठाराघात कर रही है । इस वक्तव्य में भी स्पष्ट है कि जनता पार्टी की और लोकदल की सरकार ने जो रियायतें दी थीं, उनको यह सरकार समाप्त करती जा रही है, चाहे बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो या खाद के दाम बढ़ाने की बात हो । जब जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने कोल्हू पर जो लाइसेंस कर था और फीस थी उसको समाप्त कर दिया था, तो माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जनता पार्टी या लोकदल की सरकार ने उस वक्त जो कोल्हू पर से लाइसेंस को समाप्त किया था उस वक्त क्या परिस्थितियां थीं और क्या आज वह परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

लाइसेंस की प्रक्रिया 1967 से शुरू होकर 1977 तक रही, वर्ष 1978 में जनता पार्टी का नाम हमारे माननीय सदस्य ने लिया, उन्होंने खत्म किया लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस प्रक्रिया के खत्म करने से धीरे-धीरे कर की चोरी होने लगी और खड़े कोल्हू से लोग कर चोरी करने लगे । इसके बाद वर्ष 1982 में यह फैसला हुआ

कि पट और खड़े कोल्हू में कोई अन्तर नहीं है। जब हमने देखा कि कोल्हू खड़ा और पट लगवा कर के खड़े कोल्हू से गन्ना खरीद कर पेरने लगे तो 5 करोड़ रु० प्रति वर्ष टैक्स की हानि होने लगी। दूसरी चीज, खड़े कोल्हू द्वारा गन्ना खरीदकर 1 रु० टैक्स प्रति क्विं० न देने की वजह से हानि होने लगी।

(व्यवधान)

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

जहां 1977-78 में तेरह हजार खड़े कोल्हू थे वहां अब उनकी संख्या 40,000 हो चुकी है। उन कोल्हुओं ने लाइसेंस के अभाव में किसानों का गन्ना खरीद कर पेरना शुरू कर दिया जिससे कि हमारी मिलों को उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार गन्ना नहीं मिल पाया। आज भी नम्बर 2 के कोल्हुओं के चलने के आधार पर मिलें घाटे में रही। हमारी सरकार ने देखा कि कहीं लोग ऐसा न करें कि इस तरह से कर की चोरी करके हमारे सार्वजनिक हितों में चलने वाली मिलों को क्षति पहुंचायें तो इसलिये हमने इसको 200 रु० लाइसेंस फीस रखी है और इसको रखने का औचित्य क्या है कि अगर खड़ा कोल्हू 25 क्विन्टल गन्ना प्रति दिन पेरता है तो उसकी 200 रु० पर डे की आमदनी हो सकती है। तो मैंने 365 दिनों के लिए यह लाइसेन्स फीस बदल दिया। इस तरह से 40 लाख रु० लाइसेन्स फीस से मिलेगा और हमारी क्रय कर की चोरी रुकेगी और मिलों को गन्ना मिलेगा। इसलिए मैंने लाइसेन्स फीस लागू किया है।

श्री भोपाल सिंह--

उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत किसान गन्ने की फसल से रोजी-रोटी चलाता है और मंत्री महोदय यहां खड़े और पट कोल्हू का गाना गा रहे हैं। उनको कोई जानकारी नहीं है इसकी। उन्होंने स्वयं अपने मूल वक्तव्य में कहा है कि 1977-78 में गन्ना ज्यादा पैदा हो गया था इसलिए उन पर प्रतिबन्ध हटा कर निजी गन्ना पेरने के लिये बिना फीस लिये खड़े कोल्हू लगाये जाने की नीति अपनायी गई थी। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज गन्ने की फसल 1977-79 की तुलना में और भी ज्यादा अच्छी है। तो क्या मन्त्री उसी नीति के अनुसार आज भी लाइसेन्स फीस माफ करने पर विचार करेंगे?

श्री राम नाथ मुन्शी--

इसका प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी खड़े कोल्हुओं और पट कोल्हुओं में कोई भेद नहीं माना है।

श्री जयदीप सिंह बरार--

अपने वक्तव्य में मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यद्यपि खड़े कोल्हुओं को अनुमति केवल निजी गन्ना पेरने के लिये दी गयी थी, परन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि अपना गन्ना पेरने की आड़ में अधिकांश इकाईयां गन्ना क्रय करके भी उसकी पेराई करती हैं और इस प्रकार न केवल चीनी मिलों से गन्ने का व्यावर्तन होता है, तो माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि खड़े कोल्हू वाले लोग जब गन्ना खरीद रहे थे तो क्या इसके बारे में कोई लिखित रूप से शिकायत मंत्री जी को प्राप्त हुई थी या फिर किसी ने मंत्री जी के कक्ष में आ कर मौखिक रूप से इसकी शिकायत कर दी है कि इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय?

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, इसका साक्षात् प्रमाण है कि वर्ष 1977-78 में पट कोल्हुओं की संख्या 4,106 थी जो 1985-86 में घट कर दो हजार से भी कम हो गई।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मैंने तो यह प्रश्न ही नहीं किया था जिसका उत्तर मंत्री जी दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय अधिष्ठाता जी, आप कृपया इस पर अपनी व्यवस्था दें कि प्रश्न कुछ किया जाता है और मंत्री जी अपना कुछ भाषण चालू कर देते हैं उत्तर के नाम पर ।

श्री राम नाथ मुन्शी--

इस पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो चुका है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने वर्ष 1977-78 की जानकारी नहीं मांगी है । मैंने तो यह जानना चाहा है कि पिछले दो वर्षों में किसी खाण्डसारी अधिकारी ने किसी कोल्हू का चालान किया है । क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी के पास है, वह किस आधार पर वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, इस तरह की सूचना कार्यालय में होगी, मैं माननीय सदस्य को उससे सूचित कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, जो प्रश्न किया जा रहा है, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं, सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उनसे सही उत्तर के लिये कहें ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि खड़े कोल्हुओं की संख्या में वृद्धि हुई है और अनुमान लगाया जाता है कि उनकी संख्या 40,000 है और मान्यवर, एक कोल्हू में कम से कम 60 आदमी काम करते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ने उनके रोजगार के लिये कोई व्यवस्था की है ? जो खड़े कोल्हू हैं और पड़े कोल्हू हैं उनमें क्या अन्तर माननीय मंत्री जी समझते हैं ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, खड़े कोल्हू जो होते हैं, उनका आकार 12"×9" है और कुल संख्या का प्रतिशत 20 है 12"×9" से ऊपर प्रतिशत 70 है, 12" 1 12" से ऊपर के आकार के कोल्हुओं की कुल संख्या का प्रतिशत 10 है, यह मैं खड़े कोल्हू का बता रहा हूं ।

(व्यवधान)

*श्रीमती सरोज वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुल कितना गन्ना चीनी मिलें पेरती हैं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि व्यावर्तन होता है, तो वह गलत बयानी कर रहे हैं । जो गन्ना है वह केवल क्रशरों से ही नहीं पूरा का पूरा पेरा जा सकता है, तो जो किसानों का गन्ना है, अगर उनको पेरने की इजाजत नहीं देंगे तो उन किसानों का क्या होगा, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें और जो 31 अगस्त को तारीख रखी है लाइसेंस देने की और लेट फीस के साथ 30 सितम्बर, तो इससे किसानों को बड़ी असुविधा हो रही है । मेरठ जिले की स्थिति के बारे में मैं जानती हूं कि किसानों से प्रमाण-पत्र मांगे गये हैं और जिला गन्ना अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा । बहुत से किसान मेरे पास आये और बताया, उनको कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है । उन्होंने वर्ष 1986-87

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का लाइसेंस मांगा है लेकिन किसी को 3--3 महीने का और किसी को दो-दो महीने का दिया जा रहा है। इन प्रमाण-पत्रों के साथ खतौनी और खसरा की भी नकल लगानी होगी जो तहसील-दार से मिल पायेगी, इसमें गन्ना किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से गन्ना किसानों को लाइसेंस नहीं मिल पायेगा तो वह भूखों मर जायेंगे तो उन गन्ना किसानों का क्या होगा, जिनको लाइसेंस नहीं मिल पायेगा।

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, जहां तक लाइसेन्स देने की बात है वह नियमानुसार इसको सुनिश्चित कर दिया जायेगा और गन्ना जितना कि मिलों के परिप्रेक्ष्य में आयेगा उसको छोड़ कर शेष अपने गन्ने को कोल्हू में पेरने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, यह प्रश्न को समझते ही नहीं है।

श्रीमती सरोज वर्मा--

जो 33 प्रतिशत गन्ना मिलों में जायेगा उसको य क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

एक सदस्य--

एक भी प्रश्न का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री हरेन्द्र सिंह--

इस किसान विरोधी सरकार ने मिल मालिकों को खुश करने के लिये जो लाइसेंस प्रणाली शुरू की है, क्या उसको वापस लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राम नाथ मुन्शी--

मान्यवर, प्रश्न को दोहरा दें।

श्री हरेन्द्र सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस किसान विरोधी सरकार ने मिल मालिकान को खुश करने के लिये, किसानों का गला घोंटने का काम किया है। क्या किसानों के हित में कोल्हुओं पर लगाये गये लाइसेन्स प्रणाली को वापस लेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

यह सरकार की नीति है। वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

* श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैंने एक स्पष्टीकरण पहले पूछा था जिसके आधार पर यह लाइसेन्स प्रणाली जारी करने की बात उन्होंने कही थी। उसके बारे में वे कोई उत्तर न दे सके। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने अवतव्य के पृष्ठ 2 के अन्त में कहा है कि अपना गन्ना पेरने का लाइसेन्स देने से पूर्व "बांडेड" गन्ने की मात्रा- से अधिक निजी गन्ना उपलब्ध होने का प्रमाण-पत्र गन्ना समिति तथा जिला गन्ना अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो यह केवल 2 सौ रुपये के लाइसेन्स की बात नहीं है। इतना बड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया है कि जो काश्तकार गन्ना मिल को नहीं देना चाहता है और स्वयं पेरना चाहता है। उसको देना पड़ेगा। मान्यवर, बांडेड गन्ने की परिभाषा जो है उसमें पहले ही काश्तकार और चीनी मिल के बीच में बांड है और उसके पूरा न करने पर पेनाल्टी का प्राविजन है कि वह गन्ना उसे देगा और नहीं देगा तो पेनाल्टी होगी। अब टोटल प्रतिबन्ध लगा दिया कि वह बाध्य होगा। मैं इस परिप्रेक्ष्य में इतना जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने यह नीति तय कर ली है कि किसान अपना गन्ना न पेर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाये और अपने रोजगार के अवसर न बना पाय और वह सारा अपना गन्ना चीनी मिलों को डाइवर्ट कर दे । क्या यही स्पष्ट नीति सरकार की है ?

(इस समय 3 बज कर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती सिंह विशारद पीठासीन हुए)

श्री राम नाथ मुन्शी—

सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है । हमेशा यह सरकार किसानों के हित में सोचती रही है और भविष्य में भी सोचती रहेगी । जहां तक सुनिश्चित करने का प्रश्न है वह संहिता के अनुसार, नियमों के अनुसार जो कार्य होगा वही। किया जायेगा । मिल क्षेत्र में आने वाला गन्ना 25/30 प्रतिशत प्राविधानित ढंग से होगा और वह मिल को देना पड़ेगा । अपना शेष गन्ना पेरने के लिये दो सौ रुपये लाइसेन्स लेकर कोल्हू लगा कर पेरेंगे इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में जितनी बातें तस्लीम की हैं और जो कुछ बयान दिया है वह साफ नहीं है और न वह सदस्यों को मुतमईन कर पाये । यह मसला लाखों किसानों का है । अगर खड़े कोल्हू पर जैसा कह रहे हैं 40 हजार लग हुये हैं उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसका लाखों लोगों पर असर पड़ेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

यह बात सामने आ गयी, आप प्रश्न करिये ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रतिबन्ध लगाया है उसे हटाने पर पर विचार करेंगे ?

श्री रामनाथ मुन्शी--

श्रीमन्, पहले ही जवाब दे दिया है कि टैक्स की चोरी को बचाने के लिये यह प्राविधान किया है, उसे हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

काफी हो गया यह समाप्त किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह साफ-साफ उत्तर दे दें तो इतने सारे सवाल नहीं होंगे । एक सवाल जो माननीय बरार जी ने किया है जो सत्ता पक्ष के जागरूक सदस्य हैं और कांग्रेस की नीतियों और शासन से अवगत हैं तो उन्होंने पहला सवाल किया कि शासन ने जो आधार बताया है कि उन्हें शिकायत मिली कि किसान जो कोल्हू लगाये हैं वह गन्ना खरीद कर पेर रहें हैं । आखिर यह शिकायत शासन को किस स्तर पर प्राप्त हुई, क्या कोई इस तरह की दरखास्त आई है या अधिकारियों से रिपोर्ट आई ? यह बात साफ हो जानी चाहिये, या सुनी सुनाई बात पर किसानों को दण्ड दे दिया, पट और खड़ा कोल्हू में भेद क्या है ? क्या यह ऐसा ही है जैसा हरदेव जी और माननीय राम नाथ जी में जो अन्तर है । मैं माननीय राम नाथ जी की सराहना करता हूं, हमें खुशी है कि हमारे ऐसे व्यक्ति मन्त्री हुये हैं जो किसानों और गरीबों के बीच से आते हैं । उन्हें खुद किसानों की कठिनाइयों को महसूस करना चाहिये और मन्त्रि-परिषद् के लोगों को राजी करना चाहिए और किसान विरोधी यह जो लाइसेन्स लगाया गया है इसे वापस लेना चाहिए । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रतिबन्ध लगा है उसे वह वापस करायेंगे, उसके लिये सदन को आश्वस्त करायेंगे ?

श्री राम नाथ मुन्शी--

माननीय, हमारी सरकार हमेशा किसानों को आगे बढ़ान के लि? ही काम करती रही हैं । यह जो लाइसेन्स नीति हैं इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया ।

(व्यवधान)!

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी को जवाब देने दें ।

(व्यवधान)

(श्री हरेन्द्र सिह, श्री किरन पाल सिह, श्री भोपाल सिह तथा लोकदल के कुछ अन्य सदस्य नारे लगाते हुये सदन के पलोर पर आ गये)

माननीय मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं उसे सुन लें, आप लोग शान्त रहें ।

(घोर व्यवधान के बाद विपक्ष के कई माननीय सदस्य नारे लगाते हुये सदन के पलोर में आ कर बैठ गये और नारे लगाने लगे "किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" । "खड़े कोल्हू का प्रतिबन्ध नहीं चलेगा, नहीं चलेगा"। "खड़े कोल्हू का प्रतिबन्ध वापस लो, वापस लो")

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपना-अपना आसन ग्रहण करें जिससे आगे की कार्यवाही चल सके चूंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है ।

(व्यवधान)

(नारे लगाये गये कि "मिल मालिकों के दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" बंधुआ मजदूरों की विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" यह नारे सदन के पलोर में माननीय सदस्य लगाते रहे)

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग अपना 2 अपना आसन ग्रहण करें । मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य अपने आसन से प्रश्न कर लें । आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें ।

(माननीय सदस्य सदन के पलोर में नारे लगाते रहे)

(विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, के नारे लगाये)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं 5 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी । 3 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक के लिये बढ़ा दिया हैं ।

तदुपरान्त 4 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी)

श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने निवेदन किया था इस वक्तव्य द्वारा जो बहुत सी चीजें प्रकाश में आई, जिस पर हमारे सम्मानित सदस्य सहमत नहीं थे मेरा आप से अनुरोध ह इस पर आज चर्चा होने के बजाय 17 तारीख को बैठक बुला ली जाए और उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस पर वक्तव्य मांगा है या चर्चा की मांग की है, को बुला लिया जाय और इसके अतिरिक्त जो माननीय सदस्य आने के इच्छुक हों उनको बुला लिया जाय, सत्ता पक्ष के भी कुछ माननीय सदस्य इसमें रूचि ले रहे हैं तो इन सबको बुला कर एक बैठक 17 तारीख को कर ली जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य जो किसान विरोधी हो यह सरकार नहीं

करना चाहती हूं अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है, तो हम उन लोगों का आभार प्रकट करते हैं जो यह चीजें सामने लाते हैं, तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप इसको फिर ले लें ।

जिला देवरिया में लोकदल कार्यकर्त्ता श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 29-8-86 को 21·15 बजे थाना खामपार पर...

श्री रघुवर, दयाल वर्मा—

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की राय हो तो इसे पढ़ा मान लिया जाय ।

(कोई आपत्ति नहीं हुई)

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 29-8-86 को 21·15 बजे थाना खामपार पर श्री सुरेश लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव, साकिन बलुवन थाना खामपार जनपद देवरिया ने तहरीरी सूचना दिया कि करीब 6·30 बजे सायं श्री जनार्दन सिंह, साकिन शल्लापपुर थाना भटनी, राणा प्रताप सिंह, ग्राम कुसुमहा थाना मदनपुर, प्रभूनाथ यादव, साकिन हाटासहरा थाना गौरी बाजार, विल्लर यादव, ग्राम बसडोला, थाना कोतवाली, श्री रामशाही, साकिन पंकोली, थाना भलुवनी, कृष्ण मुरारी यादव, साकिन बांसपार थाना कोतवाली, पुरुषोत्तम सिंह साकिन गौवा बनकटा, मिथिलेश सिंह, साकिन भवानी छापर थाना खामपार जीप से ग्राम सिरसिया पवार बहद घोटा तपेसर के पास आये और उनके भाई श्री सुभाष लाल श्रीवास्तव को गोली मारकर हत्या कर दिये । उन्होंने यह भी सूचना दी कि मिथिलेश सिंह से भूमि सम्बन्धी विवाद से रंजिश थी, जिसका मुकदमा चल रहा था और जिसको पंचायत होती थी ।

इस सूचना पर थाना खामपार पर मु0 अ0 सं0 61/86 धारा 147/148/149/302 भाव द0 वि0 का अभियोग आठ नामित अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । सुभाष लाल श्रीवास्तव को गोलीमार कर भागते समय 6 अभियुक्तगण सर्वश्री जनार्दन सिंह, राणा प्रताप सिंह, प्रभुनाथ यादव, विल्लर यादव, श्री राम शाही तथा कृष्ण मुरारी यादव मय जीप नम्बर 6546, जिस पर कांग्रेस का झंडा तथा सर्च लाइट लगी थी, मय हत्या में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र के खामपार पुलिस द्वारा पकड़े गये । भागते समय पकड़े गये अभियुक्तों में से कोई भी अभियुक्त कांग्रेस मण्डलीय सचिव एवं जिला पदाधिकारी नहीं था । श्री पुरुषोत्तम सिंह जो युवा कांग्रेस के मण्डलीय सचिव हैं, प्रथम सूचना में नामित थे । उन्हें दिनांक 31-8-86 को उनके देवरिया निवास से बन्दी बनाया गया है । शेष एक अभियुक्त मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है ।

यह सही नहीं है कि घटना से इलाके में आतंक छा गया है तथा भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है । पुलिस गश्त एवं सतर्कता जारी है । हत्या का कारण राजनैतिक नहीं बल्कि भूमि सम्बन्धी विवाद है]

श्री शारदानंद अंचल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि छः अभियुक्तों

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को गोली मारकर भागते समय गिरफ्तार किया गया वह जीप नम्बर 6546, जिस पर कांग्रेस का झंडा तथा सर्च लाइट लगी थी, मय हत्या में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र के खामयार पुलिस द्वारा पकड़े गये । मान्यवर, इसमें स्थिति यह है कि जिस श्री सुभाष चन्द्र की हत्या हुई है, उनके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उनकी और गवाहों की जान खतरे में पड़ी हुई है । मान्यवर, कांग्रेस आई के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे शासन को भयभीत कर रहे हैं कि हम सरकार से दबाव डलवाकर कार्यवाही करवायेंगे । जब तक इन गवाहों और रिपोर्टकर्ता की सुरक्षा का प्रबन्ध आप नहीं करते हैं तब तक यह भय खत्म नहीं हो सकता है ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो बात कही है कि कांग्रेस के लोग थे, तो इसमें किसी दल का प्रश्न नहीं है, जो अपराधी है वह है । आप देखेंगे इसमें एक युवा कांग्रेस के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है । मैं उम्मीद करता था कि सम्मानित सदस्य इसके लिए धन्यवाद देंगे कि कितनी शीघ्रता से कार्यवाही हुई कितनी शीघ्रता से अपराधियों को पकड़ लिया गया एक अभियुक्त फरार है उसकी कुड़की के आदेश कर दिये गये हैं, वह शीघ्र कर ली जाएगी । मृतक के परिवार का जहां तक सम्बन्ध है, उसकी पूर्ण सुरक्षा की जाएगी ।

श्री शारदानन्द अंचल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स गवाहों को देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

अगर नियमानुसार होगा तो दिए जायेंगे ।

दिनांक 17-3-86 को श्री काशी सिंह ऐरी द्वारा पूछे गये

अल्पसूचित तारांकित

प्रश्न संख्या 2

के सम्बन्ध

में शोधन

वक्तव्य

*ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, दिनांक 17-3-86 को..

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाए ।

(सदन की राय से नत्थी "च" पढ़ा हुआ माना गया)

श्री प्रमोद कुमार--

[मान्यवर, दिनांक 17-3-86 को श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, जब यह पद रिक्त होते हैं तो कार्य में व्यवधान भी होता होगा तो माननीय मंत्री जी जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए कोई दूसरा प्रयास करने की कृपा करेंगे ?

2--उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि, मान्यवर, इसके लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं हमने हरिजन निदेशालय को पत्र लिखा है कि हरिजन निदेशालय यह सुनिश्चित करे कि जो यह परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठें, उनको विशेष कोचिंग दी जाए ताकि उनके चयन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिक गुन्जाइश रहे । इसके अलावा हमने यह भी प्रयास किया है कि उनका कोटा पूरा करने के लिए 18 प्रतिशत ही नहीं अबको जो वैकेन्सी हो उनमें 50 प्रतिशत तक स्थान सुरक्षित कर रहे हैं ।"

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :—

"मान्यवर, इसके लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं हमने हरिजन निदेशालय को पत्र लिखा है कि हरिजन निदेशालय यह सुनिश्चित करे कि जो परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठें, उनको विशेष कोचिंग दी जाय ताकि उनके चयन की अधिक गुन्जाइश रहे । इसके अलावा हमने यह भी प्रयास किया है कि उनका कोटा पूरा करने के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय से हिन्दी एवं अंग्रेजी टंककों का पैनल बनाने के लिए जितने अभ्यर्थियों के नाम मांगे जायं उसमें 50 प्रतिशत अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित हों जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को कोटे की सीमा तक अथवा उससे भी अधिक सीमा तक चुना जा सके ।"

4—इसके अतिरिक्त श्री नत्था राम रावत, सदस्य, विधान सभा ने अपने एक अनुपूरक प्रश्न में यह भी पूछा था कि "मान्यवर, यह सरकार बीसों वर्ष से यह उत्तर देती है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं जिसके कारण कोटा पूरा नहीं होता है । जब कि लिखित परीक्षा में लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं किन्तु मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये जाते हैं तो यह जो तरीका अपनाया गया है या यह जो अनियमितता की जाती है इसको रोककर उनका कोटा पूरा करने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी ?"

5—इस सम्बन्ध में भी उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "मान्यवर, बीसों साल से अपेक्षित अर्हता के उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं और यह समस्या तब तक आती रहेगी जब तक अपेक्षित अर्हता वाले नहीं उपलब्ध हो पायेंगे । जहां तक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उनको ले लेने की बात है, मान्यवर, लोक सेवा आयोग में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है और जब उसमें वह सफल नहीं होते हैं तो हम विवश हैं ।"

6—उक्त उत्तर भी ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है :—

"मान्यवर, बीसों साल से अपेक्षित अर्हता के उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं और यह समस्या तब तक आती रहेगी जब तक अपेक्षित अर्हता वाले नहीं उपलब्ध हो पायेंगे ।"

7—मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।]

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 212 पर)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

†दिनांक 3 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

मान्यवर, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में कहना चाहूंगा 1972, 1976, 1982, 1983 में यहां चोरियां हुई हैं। इससे पहले जो मौजूदा स्थिति थी वह यह है कि वहां पर चार महन्त थे जो इसको देखते थे आखिरी बार चोरी हुई तो भी काफी कीमती जो आभूषण थे वह चोरी हो गये। तो सरकार ने यह निश्चय किया तथा जनता की और सबकी यह मांग हुई कि सरकार इसको अपने कंट्रोल मे ले ले। एक कमेटी बन गई, बोर्ड आफ ट्रस्ट बन गया इसमें 7 अधिकारी और 7 नान आफिशियल लोग थे। इसके अध्यक्ष महाराजा बनारस, महाराज विभूति सिंह जी थे। उसके बाद मान्यवर, जो इसके सचिव हुआ करते थे वह समाज कल्याण विभाग से अधिकारी हुआ करते थे। यह मौजूदा जो संशोधन है यह बहुत छोटा सा है इसके अन्दर एक अलग विभाग बनाया गया है जिसके द्वारा इसका संचालन किया जायेगा। रिलीजियस मैटर जहां है उनके द्वारा यह देखेंगे तो इसमें संशोधन अब यह किया गया है कि जो कार्य, सोशल वेलफेयर के सचिव थे, उनके द्वारा यह देखा जाता था उनकी जगह पर अब रिलीजियस विभाग बना है।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न बीच में नहीं उठता है, जब वह बोल रहें हैं तो कैसे उठेगा ?

(श्री यदुनाथ सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसमें एक सचिव की जगह दूसरे विभाग के सचिव को यहां बनाया गया है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, महाराजा बनारस कोई नहीं है, राजा-रानी कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

पुरानी बात कह रहे हैं। पुराने महाराज हैं अब राजा नहीं कह रहे हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जो यह संशोधन विधेयक आया है और इसको प्रस्तुत करते समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि केवल विभाग बदलने का मामला है। पहले हरिजन समाज कल्याण विभाग इसे देखता था अब धर्मार्थ कार्य विभाग एक नया बन गया है, उसके जो सचिव हैं, सचिव नहीं तो विशेष सचिव इसके प्रभारी होंगे। इतना मात्र संशोधन है लेकिन संशोधन का उद्देश्य यह है कि जो मैं समझ पाया हूं कि कुछ धार्मिक ऐसे मंदिरों की व्यवस्था को और सुचारु-रूप से करने के लिए यह विधेयक लाया गया है लेकिन मान्यवर, जो यह प्रवर समिति में भेजने की बात रखी, जो यह धार्मिक मंदिर संस्थान हैं उनका प्रबन्ध सरकारी कब्जे से किया जाय या नहीं किया जाय, यह स्वयं में बड़ी विवादास्पद बात है। अभी एक व्यक्ति का नाम लिया गया, उस व्यक्ति का नाम लेते ही सदन में एक तनाव सा पैदा होने लगा तो किस व्यक्ति को रखा जाय और किसको न रखा जाए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह स्वयं में महत्वपूर्ण विषय है । अब मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से शासन का ध्यान यह जो मूल अधिनियम है उसकी धारा 37(ए) की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं । धारा 37(ए) में शासन ने काफी इस बात को स्वीकार किया था, इसका काम कैसे चलेगा, इस प्रदेश की एकाउन्टिबिलिटी किसकी तरफ होगी इसको उसमें रूल किया गया है । इस बात पर विचार करने के बाद 37(1) में व्यवस्था की गई थी--

न्यास परिषद् प्रतिवर्ष राज्य सरकार को मंदिर के कार्यों के प्रशासन के बारे में आख्या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार आधारित करें । मान्यवर, 7(2) में है--इस धारा के अधीन तैयार की गई आख्या विहित रीति से प्रकाशित की जायेगी और यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

मान्यवर, कई वर्ष हो गये इस कार्य को करते हुए, अभी तक सरकार ने इसके संचालन के रूल्स भी नहीं बनाये हैं । यह जो 37(1) और 37(2) की बात रखी गयी है सरकार के पास उसके क्रिया-कलापों की रिपोर्ट आनी चाहिए थी और उसको सरकार सदन में प्रस्तुत करती जिससे हमको इस बात की जानकारी मिलती कि जो ट्रस्ट बनाया गया है वह कैसा काम कर रहा है । मेरी जानकारी में है कि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है । पहले पंड़े इस व्यवस्था को करते थे और अब ट्रस्ट कर रहा है लेकिन वहां की गन्दगी, अव्यवस्था एवं सफाई में कोई सुधार नहीं हुआ है और न ही मन्दिर के काम में कोई सुधार हुआ है । शासन के पास रिपोर्ट नहीं आयी है जिस पर हम चर्चा करते इसलिए हम इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं ताकि यह बाध्यकारक हो जाय कि एक निर्धारित समय में वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । दूसरा एक और मेरा सुझाव है कि आखिर इतना पैसा इकट्ठा होता है मन्दिर के चढ़ावे आदि में वह पैसा किस कम में आता है । अनेक बड़े-बड़े मन्दिर हैं तिरुपति का मन्दिर इस सम्बन्ध में आदर्श समझा जायगा । जितना पैसा इकट्ठा होता है वह मन्दिर के विकास के लिए खर्च किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ मन्दिर के उस पैसे से उस कर्मकाण्ड से भिन्न कोई कार्य क्यों नहीं किया गया । आध्यात्मिक विकास के लिए, नैतिकता के विकास के लिये कार्य किया जाता तो नैतिकता का, सत्यता का विकास होता । मैं समझता हूं कि इन दो बातों को ध्यान में रखकर इस मन्दिर की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा और इसको उपयोगी बनाने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गुप्ता जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये । जहां तक मान्यवर, इस व्यवस्था का प्रश्न है, यह बात बिल्कुल निश्चित रूप से कही जा सकती है कि यह व्यवस्था पहली व्यवस्था से बहुत बेहतर है और इसमें काफी सुधार हुआ है । जो यहां पर लोग जाते हैं दर्शन करने, वे इसके साक्षी हैं । मान्यवर, कुछ सुझाव दिये हैं गुप्ता जी ने जैसे इसका पैसा अन्य कामों के लिए होना चाहिए, वह सुझाव अलग है । जहां तक प्रवर समिति के सामने इसको भेजने की बात है वह एक तरह से उचित नहीं है । यहां पर एक धर्मार्थ कार्य विभाग है जो केवल इसी कार्य के लिए है । धार्मिक कार्यों के लिए जो विभाग बना है उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह अपना पूरा ध्यान इस पर लगा सकेगा । अगर किसी और विभाग के सचिव या विशेष सचिव को रखते हैं तो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होगी इसलिए धर्मार्थ कार्य विभाग के अन्तर्गत यही अधिकारी इस कार्य को देखगा तो सुचारुरूप से चलाया जा सकेगा ।

मान्यवर, एक्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन वहां का डिवीजनल कमिश्नर होता है वही सारे कार्य देखता है। जो मौजूदा व्यवस्था है वह पुरानी व्यवस्था की तरह ही है, ऐसा कहा गया परन्तु ऐसी बात नहीं है। पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत अव्यवस्था हुई बाद में चोरियां हुईं और सारी चीजें हुई इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है। सिर्फ एक अधिकारी या सचिव को बदलने की बात है इसमें सुझाव दे सकते हैं, इसमें यह पूछ सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है? यहां पर रिपोर्ट अब तक आ जानी चाहिए थी तो क्यों नहीं आई है? जहां तक मौजूदा व्यवस्था की बात है वह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पहली व्यवस्था से बहुत ज्यादा सही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। इसके लिए मैं गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप प्रवर समिति के सुझाव को वापस ले लें और इसे पारित करें इसमें केवल एक अधिकारी की जो केवल इसी कार्य के लिए बनाया जा रहा है उसको रखने का प्रश्न है और कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्त जी, आप वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने विवादस्पद बात कही है, शासन के पास आख्या आयी होती तो हम विचार करते। शासन को कोई आख्या नहीं मिली है। इसको सदन की प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि रिपोर्ट आ जाय और इसका काम सुचारु रूप से चले।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 6 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"(ङ) सचिव और उनकी अनुपस्थिति में, विशेष सचिव, यदि कोई हो, उत्तर प्रदेश सरकार, धर्मार्थ कार्य विभाग-पदेन;"।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्मार रिजवी--

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य सूची की मद संख्या 20 तथा 21 को स्थगित किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अनुरोध हुआ है कि इस विधेयक पर आज चर्चा स्थगित कर दी जाय, जिसकी अनुमति दे दी गई है ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986†

*राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, आज एक ऐतिहासिक क्षण है । इस सदन के माननीय सदस्यगण यदि ऐसे क्रान्तिकारी संशोधनों का विरोध करते हैं या प्रवर समिति में भेज कर विलम्बित करना चाहते हैं तो आज कलई खुल जायेगी । क्योंकि आज तक जो आप कहते रहे हैं और जिन कमियों का आप अनुभव करते रहे हैं, उन्हीं आपके अनुभवों को दृष्टि में रख कर पहला क्रान्तिकारी संशोधन प्रस्तुत किया गया है । मैं भूमिका में अधिक समय न लेकर आपकी अनुमति के एक-एक बिन्दु पर आना चाहता हूं । मान्यवर जो संशोधन विधेयक प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 इसके द्वारा 7 राजस्व कानूनों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है । उनमें से पहला है यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, दूसरा, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 तीसरा उत्तर प्रदेश

†दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के असाधारण के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया :

भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 चौथा है जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 पांचवा है कुमांयू तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 छठां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन ।

तो मान्यवर, अभी तक इस राजस्व कानून के क्रियान्वयन के दौरान जो कठिनाई का अनुभव किया गया उनके निराकरण के लिये और निर्बलों के हितों की रक्षा हो सके, यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है । सन् 1975 में ग्राम सभा की भूमि आवंटियों के इंद्राज का अधिकार कानूनगो को दिया गया था क्योंकि तहसीलदार के कोर्ट में अनावश्यक रूप से समय और पैसा खर्च होता है । ग्राम सभा की भूमि के इंद्राज का अधिकार कानूनगो को दिया गया । हम उसी तरह से व्यवस्था (समय 4 बजकर 20 मिनट पर) प्रस्तावित कर रहे हैं कि सीलिंग की भूमि जिन आवंटियों को दी जाती है उसका इंद्राज भी कानूनगो द्वारा किया जायगा । मैं समझता हूं कि आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यह एक क्रांतिकारी कदम है और स्वागत योग्य है । मान्यवर, इसी तरह से द्वितीय संशोधन के खंड तीन में कृपा करके देखें । ग्राम सभा की जमीन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषकों और मजदूरों के अध्यासन में 30 जून, 1975 तक थी, उसको नियमित कर दिया गया था, अब उस तिथि को बढ़ाकर 30 जून, 1985 करने का संशोधन रखा गया है । यानी जो व्यक्ति इसकी पात्रता सूची में आते हैं अर्थात् जिनके पास 3.125 एकड़ से अधिक जमीन न हो, उनका यदि गांव सभा की जमीन पर कब्जा कायम है तो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह जमीन यदि 30 जून, 1985 तक उनके अध्यासन में है, तो उनको बेदखल नहीं किया जायगा । यह एक स्वागत योग्य क्रान्तिकारी कदम है । मान्यवर, इसी तरह से आप देखें आवास स्थलों के आवंटन के सम्बन्ध में आप देखें, ऐसे मामलों को मण्डलायुक्तों को राजस्व परिषद् को संदर्भित करने का अधिकार था । अब जो वर्तमान 1986 का बीस सूत्री कार्यक्रम आया है, उसमें जिला स्तर पर ही न्याय मिल सके और वादों के निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके तो अब वादों का निस्तारण केवल जिला स्तर पर ही हो सकेगा । मैं समझता हूं कि यह एक क्रान्तिकारी और स्वागत योग्य कदम है और इसमें मैं आपकी ओर से प्रशंसा की अपेक्षा करता हूं । मान्यवर, उसके खंड तीन में यह प्रस्तावित है कि अभी तक आवास स्थल के आवंटियों को उस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी जो गांव सभा की भूमि के आवंटियों को उपलब्ध है, अर्थात् गांव सभा की भूमि के आवंटियों की जमीन पर अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जा करने पर उसको फौजदारी अपराध माना जाता है और उसमें तीन हजार रुपये का अर्थ दण्ड और दो साल की सजा का प्राविधान है, आप स्वागत करेंगे कि कि हमने आवास स्थल के आवंटियों की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लेने पर उनके लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं । यह एक क्रान्तिकारी और स्वागत योग्य कदम है । मान्यवर, आगे हमारे संशोधन के खंड–5 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में एक नयी धारा 122–(घ) जोड़ी जा रही है । इसमें गांव सभा की भूमि के आवंटियों के लिये व्यवस्था की गयी है कि यदि उनकी भूमि पर कोई अनधिकृत कब्जा कर लेता है तो परगनाधिकारी द्वारा उसको कब्जा दिला दिया जायगा । लेकिन यदि वह अनधिकृत व्यक्ति दोबारा कब्जा कर लेता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम तीन माह की अवधि का कारावास दिया जा सकेगा और उससे न्यायालय में तीन हजार रुपया अर्थ

दण्ड भी दिया जा सकेगा । इस प्रकार के अपराध को संज्ञेय और अजमानती बना दिया गया है । यह एक क्रांतिकारी कदम है और आशा है आप सब इसका स्वागत करेंगे । हमने नये बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यह ठोस कदम उठाया है । मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । विधेयक के पांचवें संशोधन में जो व्यवस्था थी उसमें केवल 24 मई, 1971 तक गांव सभा की भूमि पर निर्मित मकानों पर या दूसरे खातेदारों की जमीन पर निर्मित मकानों पर, जो उनका हमने बंदोबस्त कर दिया था अर्थात् वैलिड कर दिया था, उसमें जो एक क्रांतिकारी निर्णय लिया था, उसकी अवधि को बढ़ाकर 30-6-85 तक करने जा रहे हैं । किसी व्यक्ति ने गांव समाज की भूमि पर झोपड़ी या मकान निर्मित कर लिया है और यदि वह पात्रता की सूची में आता है तो 30-6-85 तक उसे वैलिड कर दिया जायेगा और उसको भी बेदखल नहीं किया जायेगा । यह एक क्रांतिकारी कदम है मुझे विश्वास है कि आप सब इसका स्वागत करेंगे । मान्यवर, इसी तरह से आगे की व्यवस्था है । गांव समाज की आवंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जा में फौजदारी व्यवस्था की कार्यवाही की व्यवस्था 198-क में प्राविधानित है यही व्यवस्था सरकारी पट्टेदारों के सम्बन्ध में की जानी है । चूंकि गांव सभा के आवंटित असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं । इसीलिये अब सरकारी पट्टेदारों को भी इस श्रेणी में रखा जा रहा है । यह निम्न प्रकार के होंगे-भूमिधर (संक्रमणीय अधिकार वाले), भूमिधर (असंक्रमणीय अधिकार वाले), आसामी सरकारी पट्टेदार । तो, मान्यवर, इस तरह से प्राविधान किया गया है यह एक स्वागत योग्य कदम है आशा है माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे । सातवां, वह संशोधन 8वें खंड में है-अभी तक गांव सभा भूमि के आवंटी भूमिधर होने के नाते 3.125 एकड़ तक की जोतों को मालगुजारी की अदायगी के दायित्व से मुक्त हैं, सीलिंग भूमि के आवंटियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है क्योंकि उन्हें भूमिधर नहीं बताया गया है । अब इस संशोधन के द्वारा सीलिंग भूमि के आवंटियों को भी भूमिधर बनाया जा रहा है ताकि उन्हें भी 3.125 एकड़ तक की जोतों पर अवधारित मालगुजारी से मुक्त किया जा सके ।

मान्यवर, हमारे संशोधन में धारा 8-9-10 इकट्ठी यहां पर प्रस्तावित है । अधिनियम की धारा 142-143 में संशोधन करके जमींदारी विनाश अधिनियम की भावना तथा शासन की नीति को स्पष्ट करने के लिये यह व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है कि केवल संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर ही अपनी जोत में सम्मिलित भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं । इससे गांव सभा की भूमि, सीलिंग तथा भूदान भूमि की आवंटित अपनी भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजनों में जाकर और धारा 143 के अन्तर्गत जमींदारी विनाश अधिनियम में उपबन्धित व्यवस्था से मुक्त होकर अपनी भूमि को नहीं बेच सकेंगे और भूमिहीन होने से बच जायेंगे । यह कदम भी ऐसा है जिसकी सराहना की जानी चाहिये । इसी तरह 9वें संशोधन में व्यवस्था की जा रही है कि अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने के लिये नोटिस दिये जाने की अवधि 9-11-82 को समाप्त हो चुकी है उसे 9-11-87 तक बढ़ाया जा रहा है ताकि यदि कहीं अनियमित पट्टे निरस्त करने को शेष हैं तो उनके निरसन में कोई विधिक कठिनाई न आये । दसवें में यह है-धारा 198 में गांव सभा की भूमि के आवंटियों के साथ-साथ सरकारी पट्टेदारों को भी सम्मिलित किया जा रहा है ताकि उनकी भूमि की सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान एक जैसे हो सकें ।

संशोधन 11 में, इसमें 13-14 भी हैं, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, 1982 को प्रभावी बनाने हेतु चार अध्यादेश पहले जारी किये गये थे किन्तु अधिनियम में प्रथम अध्यादेश के तहत की गयी कार्यवाहियों को ही विधिमान्य माना गया ।

लेकिन बाद के 3 अन्य अध्यादेशों के तहत बहुत से कार्य हो चुके हैं, उनको भी विधिक मान्यता दिये जाने के लिए यह संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है । संशोधन 12 के खंड-15 व 16 पर आप दृष्टिपात करें । जौनसार बाबर, परगना तहसील चकराता में सरकारी पट्टेदारों को खातेदारों की श्रेणी में रखे जाने के लिए संशोधन में प्रस्ताव किया गया है और अन्य संशोधन भी तद्नुसार परिणामी होंगे । जिस प्रकार संशोधन-12 में प्रस्तावित किया गया है उसी प्रकार संशोधन-13 के खण्ड 17 व 18 में कुमायूं व उत्तरा-खण्ड में जमींदारी विनाश अधिनियम में व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है जो कि स्वागत योग्य है । संशोधन 14 जो आज तक चर्चा का विषय रहा है वह चकबन्दी के बारे में है । लोगों को यह आशंका रहती थी कि कहीं जल्दी चकबन्दी न आ जाय और उनका चक न चला जाय, इसलिए इसको भी एक सीमा के अन्दर बांधने का प्रस्ताव किया गया है । संशोधन-15 के खंड 20 को भी आप देखें । इसमें भी यहां प्राविधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है जो गांव सभा के भूमि पर अनियमित पट्टों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में समय बढ़ाया है, उसी प्रकार इसमें भी 9-11-87 तक सीलिंग भूमि पर अनियमित पट्टों को निरस्त किये जाने के लिए समय बढ़ाया है, इस प्रकार कई बिन्दु हमारे मस्तिष्क में और हैं, लेकिन समयाभाव के कारण यहां पर नहीं कह पाऊंगा । मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे माननीय सदस्य उधर के इसका स्वागत करेंगे नहीं तो उनके ये घड़ियालू आंसू जो हरिजनों और शोषित लोगों के लिए बहाये जाते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ में एक अन्योक्ति श्लोक के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं :

रे रे चातक सावधान मनसा
मित्र क्षणं श्रूयताम् ।

अम्भोदाः बहुभीहि सन्तिगगने
सर्वेतु नैतादृशा :

केचित् वृष्टि भिराद्रियन्ति वसुधाम्
गर्जन्ति केचित् वृथा ।

यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो
मा ब्रूहि दीनं वचः ॥

हे, चाचक सावधान मन से थोड़ी देरसुन । आसमान में बहुत से बादल होते हैं, लेकिन सब एक से नहीं होते हैं । कुछ तो बरस कर धरती को गीली करते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं । इसलिए तू जिस-जिस को देखता है, उसके सामने दीनवाणी में मत कह । इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि हरिजन रूपी चातक के मुंह में आप स्वाति रूपी पानी की बूंद को प्रदान करें ताकि उन्हें जीवन मिल सके और उनके अनुरूप व्यवस्था हो सके ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर जब माननीय मन्त्री जी अपने संशोधनों को एक साथ रख रहे थे और अपने विचार प्रकट कर रहे थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो ऐसा लग रहा था कि वही मात्र एक क्रान्तिकारी मन्त्री व उनके प्रति सोचने वाले हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि जो हरिजन गांव का है, लेकिन जब उससे वह बाहर आकर कुछ बड़ा हो जाता है तो वह अपने को बड़े लोगों में प्रदर्शित करता है न कि गरीबों में क्योंकि उसको भी अपने बराबर में बिठाने में स्वाभिमान गिर जाता है। यह कह देना कि आप ही अकेले हरिजनों के उद्धारकर्ता हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा था तो स्वर्गीय डा० लोहिया याद आये थे। उनके नेतृत्व में 1958–59 से संघर्ष करके जमींदारों को और जमीन चोरों को ध्वस्त किया। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिये जिनकी जमीन बचाने का प्रयास करते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है इसमें बताना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसके चलते आपका संशोधन निष्प्रभावी हो जायेगा। समाज में यह मगरमच्छ, जमीन चोर जो बैठे हैं, इस कानून से कोई न कोई फायदा उनको मिल जायेगा।

[माननीय सदस्य द्वारा बार–बार पत्रावली से कागज निकालने के लिये नीचे झुकने एवं बोलते–बोलते मुंह पीछे की तरफ फेर कर कुछ बात कह देने से भाषण की अस्पष्टता काफी बढ़ गयी।]

आपने कहा कि कानूनगो को ही अधिकार देते हैं कि वह उनका नाम दर्ज कर दें। अभी तक जो पात्रता की लिस्ट बनती थी तो लेखपाल और कानूनगो पात्रता की लिस्ट बनाते थे और उसको स्वीकृति एस० डी० एम० दिया करता था और एस० डी० एम० भी जब स्वीकृत कर देता था तो जमीन पर उनका नाम लिखने का अधिकार तहसील–दार, एस० डी० एम० की परमीशन से दिया करता था। आपने देखा होगा कि एक लाख मुकदमें ए० डी० एम० के न्यायालय में पड़े हैं और उन्हीं के निस्तारण के लिये जनतांत्रिक प्रणाली पर प्रहार करके जो जजों का अधिकार था, वह कमिश्नर को दे दिया, जो न्यायपालिका पर प्रहार किया, वह स्वतः जो पात्रता की लिस्ट बनेगी, वह उसमें अपनी बनाकर दे सकते हैं। इसमें सुझाव था कि कानूनगो को तो जरूर अधिकार दीजिये लेकिन पात्रता की लिस्ट का वेरीफिकेशन एस० डी० एम०, तहसील–दार स्तर पर होना चाहिये। जो पात्रता की लिस्ट बनाये, वही कागज में इन्द्राज करे तो दोष उत्पन्न हो जायगा। लाखों मुकदमें पूरे प्रदेश में ए० डी० एम० के यहां ऐसे ही चल रहे हैं कि यह सूची वैधानिक है। इसलिये मैं प्रवर समिति को भेजने को कहता हूं कि पूर्ण–रूपेण विचार हो जायगा जिससे कि सूची में गड़बड़ न होने पाये। सीलिंग से जो जमीन निकलती है, जो राजा लोग हैं, पहले से ही एडवान्स रुपया ले लेते हैं और अपने आदमियों से कहते हैं कि जमीन तुमको ही देंगे। कानूनगो को अपने घर बुलाते हैं और पैसा दिया, लिस्ट बनवाकर भिजवा दिया एक ही दिन में सारी इन्द्राज हो जाती है।

आपने कह दिया कि 3.125 एकड़ अथवा 1.26 हेक्टेयर से कम जोत वाले जो हरिजन या अनुसूचित जाति होंगे, उनको यदि किसी ग्राम समाज की जमीन पर या सीलिंग की जमीन पर कब्जा होगा तो उनका नाम दर्ज कर दिया जायगा और उनको भूमिधर बना दिया जायगा, लेकिन आपने इसमें यह नहीं बनाया कि कब्जा कैसे साबित होगा जब 115(सी) के तहत तहसील में लेखपाल प्रेषित करता है तब नोटिस आती है तो जिस आदमी का उस जमीन पर कब्जा रहता है वह प्रमाणित करता है कि यह जमीन उसकी है और यह किस अवधि से उस पर काबिज है और इसके लिये लेखपाल और ग्राम

प्रधान भी गवाही देते हैं । उसके बाद वह जमीन उसके नाम से दर्ज होती है । मेरा सुझाव है कि इसके लिये आपको एक सर्वे कराना चाहिये और तहसीलदार स्वयं मौके पर जाय और वह सुनिश्चित करे कि इस आदमी का कब्जा जमीन पर है या नहीं और वहीं दर्ज कर दें तब तो यह आपका क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता था, अन्यथा नहीं ।

अब होता क्या है कि आदमी स्वयं ही जमीन पर काबिज होने लिये दर्ज कराने के लिये मारा-मारा फिरता है इसलिये मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के पक्ष में हूं । मौके पर गांव मे जहां कहीं भी सूचना मिले वहां आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को जा कर देखना चाहिये और संतुष्ट होने के बाद वहीं पर उस आदमी के नाम से दर्ज कर देना चाहिये, नहीं तो राजाओं की जमीन आप पाने वाले नहीं हैं, चार गवाह आयेंगे और उसे पकड़ कर लिखवा लेंगे । इसलिये मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव कर रहा हूं ।

इसी प्रकार से आपने इसमें 122 (ध) में कर दिया है कि आबंटी को 198(क) में कार्यवाही करने का प्राविधान किया है । न्यायालय में कौन जायेंगे ? एस0 डी0 एम0 स्तर के ही आदमी तो स्पेशल न्यायालय में होंगे । माननीय मंत्री जी, क्या आपको यह जानकारी है कि पूरे प्रदेश में बिना कहीं मौका देखे लेखपाल और कानूनगो बैठ कर पट्टे बना देते हैं ? अब किसका दरवाजा और मुसलमान की खिड़की ? किससे कौन सटा हुआ है या घर बिना सहन के है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है । वो तो जब जबरदस्ती कब्जा दिलाना शुरू करेंगे तो आप समझिये कि इसमें बहुत ज्यादा अड़चन पड़ेगी । मैंने स्वयं किया है, मुसलमान के दरवाजे से सटी हुई हिन्दू की खिड़की पड़ गयी, चलो यह भी कोई बात नहीं लेकिन फिर उसने सुअर पालना शुरू कर दिया । तो इससे बिना मतलब में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है । इसलिये मौके पर जाकर देखना बहुत जरूरी है ।

श्री गौरी शंकर--

ठीक है, हम और आप बैठ कर बात कर लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

तो मैं यह कह रहा था कि परगना-धीश ही तो न्यायालय में न्याय करेंगे, यहां मौके पर भी लोग उनके अधीन होंगे । तो इसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जैसे कि आपने चकबन्दी वालों के लिये कर दिया है कि 40 साल के लिये । मुझे खुशी है कि जो हमारी और आपकी वार्त्ता हुई थी तब आपने इसे स्वीकार किया था कि चकबन्दी की प्रक्रिया जो 40 साल तक के लिये कर दी गयी थी वह एक आदमी के जीवन मे लौट कर आने वाली नहीं है । एक बार जिस गांव की चकबन्दी शुरू हुई तो 40 साल प्लस प्रक्रिया के आठ साल, तो कुल मिला कर 48 साल के बाद कहीं नम्बर दुबारा आये । । जबकि नये डेवलपमेन्ट के कार्य हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं, तो नहरें अगर निकालें तो वहां पर चकबन्दी करायें, अगर चकबन्दी नहीं होगी तो एक आदमी की जमीन से नहर निकल जायेगी और वह भूमिहीन हो जायेगा । तो मेरा निवेदन है कि आप उसमें जोड़ दीजिये, जिस गांव में रोजगार के केन्द्र खोले जायेंगे, नहर निकाली जायेगी, सड़क बनायी जायेगी, तो उस गांव में चकबन्दी अवश्य करा दी जायेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में भूमिहीनों की संख्या बढ़ती जायेगी, तो इसमें एक संशोधन कर दें । आपने कहा है कि 1987 तक कर दिया है, तो आप यह कौन सा क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं । आप संस्कृत में कह गये तो क्या महत्ता बढ़ जायेगी, आपने

अच्छा कहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अगर गलत पट्टा दिया गया है, तो उसको खारिज होना चाहिये, तब तो क्रान्तिकारी कदम है। अगर गलती हो गयी तो 1987 तक समाप्त हो, यह कौन सा क्रान्तिकारी काम है। आज गलती है तो उसको आज ही ठीक होना चाहिये। मान्यवर, हरिजन को वकील नहीं मिल पाता है, भूमिहीनों को वकील नहीं मिल पाता है, काफी लम्बी दूरी पर न्यायालय हैं, उनको जिला हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है, गरीब आदमी के पास किराया नहीं रहता है और जो अमीर आदमी होते हैं वह एकतरफा डिग्री करा लेते हैं और फिर खारिज करा देते हैं, तो इस प्रकार से 5-5 और 6-6 साल तक केसेज चला करते हैं। गोरखपुर कमिश्नरी की बात मैं कहना चाहता हूं, वहां पर एडीशनल कमिश्नर हैं, वह एक बोरा काला नमक चावल पर स्टे दे देते हैं। आप गोरखपुर में जितने फ्री पट्टे के मुकदमे चल रहे हैं, उनकी आप छान-बीन करा लें। मैं संस्कृत का श्लोक कहता हूं--

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।

मैं इसको साफ नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन इसका अर्थ है कि बिना प्रयत्न के कोई कार्य नहीं होता है, जिस प्रकार से सोते हुये सिंह के मुंह में मृग नहीं घुस जाता है। तो इस विधेयक से कुछ नहीं होगा, आपको क्रान्तिकारी बनना होगा। आप राजाओं के चक्कर में पड़ गये हैं, तो क्या होगा, इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, दीर्घा से एक नवयुवक ने कुछ कहा था, रक्षकों ने उसको पकड़ लिया। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ, आपने क्या निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह हो जायेगा, आप बैठें।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, जो संशोधन विधेयक रखा गया है उसमें माननीय पान्डेय जी ने बहुत सी कमियां बतायी हैं, डिफेक्ट बताये हैं। मान्यवर, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है। जितने भी कानून बने हैं, उनमें कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से अधिक हो सकता है फायदा गरीबों और हरिजनों को दिया गया है। और उनको सुरक्षा प्रदान की जाय। उनके केसेज जल्दी एक्सपीडाइट किये जायें। इसका उद्देश्य यह भी है कि इसमें जो 85 या उसके पहले की तारीख दी हुई है, उस समय तक जो काबिज थे उनको राइट्स दिये जायें। जैसा कि आपने धारा 5 में सेटिल किया वैसे ही उन्हें भूमिधरी के राइट दिये जायें। यह वास्तव में बहुत उचित कदम है। मैं मंत्री जी का ध्यान क्लाज 5 की तरफ दिलाना चाहूंगा। कुछ ऐसे लेबरर्स भी होते हैं जो मोबाइल होते हैं और वे कहीं पर अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। वह हमारी इजाजत से हमारे घर पर काम करने के लिए थोड़े समय के लिए अपनी झोपड़ी बना लेते हैं और जो सन् 1985 से पहले बना लिए हैं बाद में उसमें टेन्शन और झगड़ा पैदा हो जाता है तो आपको इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा। एक शब्द है लाइसेन्सी। एक तो वह है जो हमारी रजामन्दी से बनायेगा और दूसरा लाइसेन्सी वह है जिसको अधिकार मिला हुआ है। तो इस उद्देश्य से आप देखें। इसलिए जो उद्देश्य इसका है वह उचित है। माननीय पांडेय जी ने कहा कि प्रिविलेज्ड और अन-प्रिविलेज्ड के बीच जो गैप है वह कम नहीं हुआ है। उसमें कितना भी फर्क किया जाय, उसमें कुछ न कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमी रह जायेगी। सबको लैंड नहीं मिल सकती है। इसके लिए क्रांतिकारी कदम यह हो सकता है कि सारा जमीन को आप नेशनलाइज कर ले और फिर से सेटिल करें। वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रश्न नहीं उठ सकता है। यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। फिर भी सरकार जैसा हो सकता है, जितना हो सकता है, जमीन दिलाने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन जमीन के साथ-साथ उन्हें उद्योग और कम-धन्धे भी मिलने चाहिए। अभी पांडेय जी ने कहा कि आपने सीलिंग की जमीन कैसे ले ली। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिविल कोर्ट्स और टेक्निकल कोर्ट्स। जो जमीन निकलनी चाहिये वह नहीं निकलती। वह आर्गूमेन्ट्स में फंसी रहेगी। अभी तक जो रवैया रहा है वह लैंड को प्रोटेक्ट करने का रहा है। यही नहीं गोलकनाथ के केस में उन्होंने कहा कि पार्लियामेन्ट को अधिकार ही नहीं है कि वह कांस्टीट्यूशन को अमेन्ड कर सकें। यह उन्हीं केसेज के संदर्भ में यह बात कही जो लैंड के मामले में कही गई थी। जितने भी केसेस लैंड लाज के थे उन सबको उन्होंने एलाऊ किया, यह बहुत बड़ा काम है और बड़ा कठिन काम है। एक तो दीज राइट्स विल बी सेटिल्ड बाई दि कोर्ट्स। फंडामेन्टल राइट्स में क्या है? इसका मतलब है प्रापर्टी राइट्स। सुब्बा राव के केस में क्या हुआ, आल लीज आर नेचुरल लाज। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब उससे गवर्न होते हैं। प्रिवी पर्स के केसेज में भी यही हुआ कि जो नोटीफिकेशन हुआ, वह गलत हुआ और बाद में उसको ठीक करना पड़ा। कांस्टीट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इतना ऊपर ले गये कि उन्होंने न जाने क्या समझ लिया। बाद में उसमें भी संशोधन नेचुरल लाज के अनुसार करना पड़ा। फिर भी सरकार ने गरीबों को जमीन देने के लिए सीलिंग ऐक्ट लागू करन के लिए पूरी कोशिश की है। अभी आप एक और कंप्रिहैन्सिव विधेयक ला रहे हैं। तो जो चकबन्दी की बात आपने कही है उसके लिए भी संशोधन आने वाला है वह भी उचित है। तो जो पीरियड आपने कम कर दिया है वह अच्छा है जैसे-जसे अनुभव होता जाता है उसके हिसाब से कमियां दूर की जाती हैं। यह सही है बहुत से लोगों ने जमीन बचाने की कोशिश की है जो फ्यूडल हैं उनसे यह अधिकार निकल जायेगा और गरीबों को इससे फायदा होगा। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मैं माननीय मंत्री जी को इस बात को बधाई देता हूं कि उन्होंने दुर्बल और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। परन्तु इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उनको ध्यान में रखेंगे। मैं थोड़े से समय में निवेदन करना चाहता हूं। आप इस अधिनियम के पृष्ठ 2 पर देखें "उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन जो है इसके (4-च) की पंक्ति 6 में मजदूर शब्द लिखा है। तो मजदूर और निर्बल गरीब लोगों के हितों की रक्षा की बात आपने कही है वह बरखास्त होने के लिए लेखपाल कानूनगो और ए० डी० एम० के चंगुल में फंसेगा..

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात कहूं। माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन रखा है वह यहां पर मौजूद नहीं हैं, तो यह संसदीय परम्परा के विपरीत है और निन्दनीय आचरण है वह इसमें रुचि नहीं रखते हैं, इस बहस का कोई फायदा नहीं है या फिर माननीय सदस्य को इंगित करें कि वह क्यों उपस्थित नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

वह गये हैं, आ रहे होंगे ।

(व्यवधान)

नहीं आधा घंटा नहीं हुआ ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

इसका उद्देश्य तो ठीक है लेकिन जो उसको परेशानी होगी । इसमें कहा गया है कि जो जमीन किसी के पास है और उसमें वह अगर गांव समाज की जमीन पर काबिज होगा तो वह कुल मिलाकर 1·26 हैक्टेयर होगी वह जमीन उसको मान ली जायेगी । लेकिन इसमें आपने मजदूर शब्द लिखा है । इससे वह कोर्ट के चक्कर से वह छूट नहीं पायेगा इसी शब्द को लेकर भूमि प्रबंधक समिति उस गरीब को तबाह कर देगी । तो मजदूर शब्द की जगह किसान शब्द हो गया होता या व्यक्ति शब्द होता तो उसकी रक्षा हो जाती ।

इसी तरह यह सरकार सीमांत कृषकों को बहुत सुविधा देने की बात कहती है । सीमांत कृषकों की हालत बहुत खराब है । यह 1.26 हैक्टेयर की जगह माननीय मंत्री जी दो हैक्टेयर कर दिये होते तो बहुत से गरीबों का उद्धार हो जाता । इससे जो लोग मुकदमे बाजी में उलझे हैं उससे मुक्त हो जाते । दो हैक्टेयर करने से बहुतों को राहत मिल जायेगा अन्यथा बहुतों को मुकदमे-बाजी से छुट्टी नहीं मिल पायगी ।

आगे गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने की बात का उल्लेख है जो धारा 122 (घ) में दिया गया है । इसमें आपने कहा है कि जिसको जमीन आवंटित कर दी जायेगी अगर उस पर दूसरा व्यक्ति काबिज है तो उसके लिए आवंटी दरखवास्त देगा ए0 डी0 एम0 को । तो फिर वही बात होगी वह गांव से चल कर शहर तक चक्कर लगायेगा जिसको राह का उसे पता नहीं रहेगा । वह दरखवास्त ए0 डी0 एम0 से लेखपाल और कानूनगो तक चलती रहेगी जिसमें वह तबाह हो जायेगा । माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने कहा बड़े-बड़े लोगों ने जमीन पर अगर किसी गरीब को छप्पर बनाने के लिए दे दिया तो इस कानून के बन जाने के बाद वह वहां से हटा दिया जायेगा इस तरह वह बाहर घूमेगा फिर वह दरखवास्त लेकर कहां जायेगा ? यदि मंत्री जी दुर्बलों की रक्षा करनी है तो यह लिखें कि ऐसे ग्राम समाज और सीलिंग से निकली जमीनें जिन पर दूसरे लोग काबिज होंगे उनको मुक्त कराकर गरीब लोगों को आवंटित किया जायेगा, गृह निर्माण के लिए दिया जायेगा तब तो वह गरीब कचेहरी की तबाही से बचेगा और उसको जीतने के लिए और मकान निर्माण के लिए जमीन मिलेगी । अन्यथा मंत्री जी अपने भाषण में जो कहेंगे वह वैसे ही होगा जैसा 39 वर्षों से जो होता चला आ रहा है कि गरीब को कचेहरियों, ए0 डी0 एम0 और वकीलों के पीछे दौड़ना पड़ेगा और पहले जैसे ही उसकी हालत होगी । मान्यवर, मंत्री जी के उद्देश्य को मैंने बधाई दिया है लेकिन खामियों को वह दूर करें तभी गरीब की रक्षा होगी ।

मान्यवर, इस विधेयक में चकबन्दी के लिए 20 साल की मियाद दिया है । हमारे बस्ती में सरजू नहर निकल रही है जिससे पूरा जिला तबाह है । मान्यवर, बस्ती जिले में कुछ साल पहले चकबन्दी हुई और अब वहां बड़ी नहर निकाली जा रही है जिससे सारे गरीब किसान मिट रहे हैं इसलिए आप छूट दें कि जहां बड़ी नहर, बड़ी सड़क या विकास का कार्य चलेगा वहां पुनः चकबन्दी करा कर उसके लिए जमीन निकाल दी जायेगी चाहे जितने भी वर्षों पूर्व चकबन्दी हुई हो तभी गरीब की रक्षा हो पायेगी ।

इन शब्दों के साथ में कहना चाहूंगा कि इसे प्रवर समिति को भेज दें जिससे वहां इसकी खामियां दूर हो जाएं और आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाये ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी के प्रवर समिति में सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार सरकार द्वारा घोषणा किये जाने के बावजूद भी आजतक रेवेन्यू कोड तैयार नहीं हो सका और उसका दुष्परिणाम है कि बार-बार यह जमींदारी एवोलीशन ऐक्ट में, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में, सीलिंग ऐक्ट में कितनी बार अब तक संशोधन हुए हैं जिसका मंत्री जी को स्वयं पता नहीं चल सकता है । मान्यवर, यह जो विधेयक आया है यह खामियों से भरा पड़ा है । आज 9 सितम्बर, 1986 है लेकिन मंत्री जी जो संशोधन लाये हैं वह संशोधन 30 जून, 1985 तक के लिए लाया गया है और 1971 के स्थान पर 1985 कर रहे हैं । अब जब यह विवाद फिर से खड़ा होगा कि क्या वह व्यक्ति जो भूमिहीन कृषक मजदूर है वह 1984 में काबिज था या 1985 में, तो इसका विवाद फिर से एक नये सिरे से प्रारम्भ हो जायेगा । इसलिए मंत्री जी को चाहिये था कि इसकी तारीख 30 जून 1986 कराते और इस संशोधन को लाने के पहले आप सर्वे कराते, इस बात का लेखपालों और कानूनगो के माध्यम से कि कितने का गांव समाज की जमीन पर, कितने का बंजर और सीलिंग से निकली जमीन पर काबिज दखल हो गया है और इसके बाद जिम्मेदारी फिक्स करके कार्यवाही करते, तो लेखपालों और प्रधानों को जिम्मेदारी होती अन्यथा यह एडवर्स पजेशन की बात होती है । इस प्रकार ग्राम समाज और सीलिंग की जो थोड़ी बहुत अब जमीन बची है वह आगे नाजायज काबिज दखल में न जाये, आपके नियमों के अन्तर्गत आबंटन हो इसको आपको सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

(इस समय 5 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, दूसरा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो भी सीलिंग जमीन पर बहुत से जो नाजायज लोगों ने कब्जा कर रखा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के हमारे क्षेत्र के सांसद हैं ।

मान्यवर, वह मंत्री भी रह चुके हैं । मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं । सीलिंग की जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है । उनका नाम है श्री राज मंगल पाण्डेय, उन्होंने सपहा गांव में सीलिंग की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है । गांव के प्रधान ने उस जमीन का 80 लोगों में पट्टा किया । वह ग्राम प्रधान 1982 से निलंबित है उसका नाम राज मंगल यादव है । 4 व्यक्तियों ने दरख्वास्त दिया है कि कलेक्टर द्वारा पट्टा दिए जाने के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं मिला है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ इन लोगों को कब्जा दिलाने के बारे में आप संशोधन लाए हैं लेकिन दूसरी तरफ बड़े-बड़े लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को दंडित करने की कार्यवाही करें । आप 123 और 122-डी के अन्तर्गत जो संशोधन ला रहे हैं उसके अन्तर्गत ऐसे अतिचारियों पर कार्यवाही करें । दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि रेवेन्यू कोड में इतने ज्यादा संशोधन होते चले जा रहे हैं कि उनका न तो सरकार को पता है, न वकीलों को पता है, न न्यायालयों को पता है । हर 2-4 महीने पर आर्डिनेंस आ जाता है । इसलिए एक नया रेवेन्यू कोड लाना चाहिये ताकि नियम और कानून सरल हो सके । तीसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि ग्राम सभा के मुकदमें लगातार खारिज होते हैं, उनकी सुनवायी नहीं होती है । इसका कारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

यह है कि डी0 जी0 सी0 रेवेन्यू और पैनल लाइयर जो हैं उनका पारिश्रमिक बहुत कम है । उनको 2 रुपया फी केस मिलता है तो फिर वह कैसे ठीक से काम करेंगे । जिस मुकदमें मे 500 तारीखें पड़ती हैं 2 रुपये में पैनल लाइयर कैसे काम करेगा । डी0 जी0 सी0 सिविल और डी0 जी0 सी0 क्रिमिनल को एक निर्धारित वेतन दिया जाता है । 2 रु0 डी0 जी0 सी0 रेवेन्यू को प्रति केस देने से गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिये और सही ढंग से इनको पारिश्रमिक दिया जाय । अगली बात में यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन 3.125 एकड़ का इसमें किया गया है वह आप अनुसूचित जाति, उपजातियों, आदिम जातियों के सम्बन्ध में लाए हैं । मैं गुजारिश करूंगा कि आपके हृदय की विशालता तब साबित होती जब इसी पैमाने के भीतर अन्य सामान्य लोगों को जो यादव हैं, कुरमी हैं, कुम्हार हैं और अन्य गरीब लोग हैं, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त किया होता तो हम इस संशोधन को एप्रूव कर देते । आपने इसकी व्यवस्था नहीं की है । आपने अभी यह भी कहा है कि आप और भी संशोधन लाना चाहते हैं । यानी अप्प विचार कर रहे हैं, आप स्वयं महसूस करते हैं कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट, सीलिंग ऐक्ट, रेवेन्यू ऐक्ट अपने में परिपक्व नहीं है इसलिए आप संशोधन लाना चाहते हैं । जब आप स्वयं महसूस करते हैं कि कमी रह गयी है तो जैसा हम लोगों ने आपका ध्यान आकर्षित कराया इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और फिर उपयुक्त ढंग से अधिनियम को रखेंगे । आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शासन की ओर से भूमि सुधार के बारे मे बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है । घोषणाएं भी बहुत की जाती हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या उनके कार्यान्वयन के बारे में कोई सुनिश्चित नीति शासन के पास है ? मैं इस सम्बन्ध में दो उदाहरण देना चाहता हूं । मुझे स्मरण है कि बलिया जिले मे एक हरिजन परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गयी, यह भूमि का ही मामला था । माननीय मंत्री जी गए और उन्होंने बड़ी चिन्ता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि भूमि सुधार के लिए एक वरिष्ठ पी0 सी0 एस0 राजस्व अधिकारी नियुक्त किया जायगा । मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक क्या कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त हुआ ? अगर नहीं हुआ, तो मैं यह समझता हूं कि इसके बारे में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है । अभी मेरे पूर्व वक्ता ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की कि गांव सभाओं की जमीन पर असरदार लोगों ने कब्जा कर लिया ।

हमारे सीतापुर में उत्तर प्रदेश जेड0 ए0 एण्ड एल0 आर0 ऐक्ट 1950 की धारा 117 तथा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा मे निहित अथवा गांव सभा द्वारा धृत सम्पत्ति के रख-रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों के पालन का दायित्व गांव प्रधान को सौंपा गया है । प्रधान गांव सभा सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष भी हैं । अतः उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन का भार सीधे ही प्रधान गांव सभा पर है । जिलाधिकारी सीतापुर ने इस धारा के अन्तर्गत एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि गांव सभा में निहित भूमि अथवा सम्पत्ति पर अनाधिकृत कब्जा करने अथवा उसका दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध यू0 पी0 जेड0 ए0 ऐण्ड एल0 आर0 ऐक्ट की धारा 122 (ब) व उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115 (सी) के अन्तर्गत -य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाही हेतु तहसील के परगनाधिकारी अथवा तहसीलदार को बिना विलम्ब के लिखित आख्या दें। मान्यवर, यह कहा गया कि प्रत्येक गांव प्रधान 115 (सी) के अन्तर्गत जो कार्यवाही होती है, उसके बारे में अवगत करायेंगे। अब मान्यवर, बहुत से गांव प्रधान जो ईमानदार किस्म के थे उन्होंने इसकी सूचना दे दी, लेकिन सीतापुर में जिलाधिकारी की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाय। न जाने कितने कत्ल हो गये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गांव प्रधान खैराबाद जब सीतापुर में सूचना देकर लौट रहे थे, तो वह मारे गये और उनके खिलाफ 116/117 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही कर दी गयी। इसी प्रकार से हमारे सीतापुर में और भी कार्यवाही की गयी। अगर कोई कार्यवाही 115 (सी) के अन्तर्गत गांव प्रधान करता है और उस पर शासन की ओर से कई कार्यवाही नहीं होती है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि शासन की नीति इस सम्बन्ध में सही नहीं है। आपका जौनसार भावर का जो इलाका है, वहां के काश्तकारों के बारे में कुछ घोषणायें की गयीं। एक यह रवाई जौनपुर उत्तरकाशी जनजाति का क्षेत्र है, वहां के काश्तकार बराबर आन्दोलन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनकी मांग है कि जो जौनसार भावर के लिए सुविधाएं दी गई हैं, वही हमारे रवाई जौनपुर उत्तरकाशी को भी दी जाय। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि यह रवाई जौनपुर का इलाका उत्तरकाशी का भाग है, वहां के काश्तकारों को भी जौनसार भावर के काश्तकारों की भांति सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत क्रान्तिकारी भूमि विधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी कांग्रेस सरकार तथा वर्तमान सरकार हमेशा गरीबों भूमिहीनों और हरिजनों के लिए उदार रही है हमारी सरकार की नीति हमेशा दलित वर्ग को लाभ पहुंचाने की रही है।

मान्यवर, गरीबों भूमिहीनों के लिए जो कानून बनाये जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी जिन्हें मिलती है उसकी नीयत हरिजनों एवं भूमिहीनों के प्रति अच्छी नहीं रहती है और वर्षों बीत जाते हैं, उनका पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा नहीं मिलता है और मुकदमा लड़ते-लड़ते वह भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं।

मान्यवर, हमारी तथा हमारी पार्टी की नीति किसी के चरित्रहनन की नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हरिजन सेवक संघ, इलाहाबाद में है यह हरिजनों के बहुत बड़े ट्रस्ट के रूप में है। जनता पार्टी के शासन में उसमें राजनैतिक प्रवेश करके उसकी कई एकड़ भूमि पर बिक्री करके कब्जा करा दिया गया। सारा आश्रम बरबाद हो गया। मैं चाहता हूं कि इसकी एक रिपोर्ट मंगा लिया जाए और उसे सदन के पटल पर रखा जाए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, एक मिनट और लेना चाहूंगा। इस रिपोर्ट से जनता पार्टी की पोल खुलेगी। मान्यवर, हरिजनों को लीगल सेल मुफ्त कानूनी सहायता कहीं दी जाती है और न ही हरिजनों को इसकी जानकारी है।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, सीलिंग की भूमि की बात कही गई है।

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद में इनकी भूमि सीलिंग में होते हुए भी उसकी बिक्री की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह विषय से सम्बन्धित बात नहीं है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अभी तक मान्यवर, सागर पेशे में बसे हरिजनों को पट्टा नहीं दिया गया है । इस समय माननीय रेवती रमण जी नहीं हैं । उनके समय में स्वर्गीय बनारस दास जी अध्यक्ष थे, उत्तर प्रदेश हरिजन सेवक संघ के अन्तर्गत इलाहाबाद संघ के बारे में जानकारी दे सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राम सजीवन—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूं कि आज आप यह संशोधन विधेयक पेश करके इसको और बलशाली बनाना चाहते हैं ।

(समय 5 बजकर 20 मिनट पर)

आप देखते है तहसीलों के अन्दर मंत्री, जी एक भी पट्टा बिना केस के नहीं हो सकता है, एक भी पट्टा पूरे प्रदेश में और आपके प्रशासन को कोई अभिरुचि जमीन के बटवारे में नहीं है क्यों ? क्योंकि आपके ऊपर स्वास्थ्य मंत्री जी सवार हैं, नसबन्दी सवार है । जमीन का लालच देकर नसबन्दी करवाये सारे जिलाधिकारी, परगनाधिकारी का यही काम है । जमीन के बटवारे का सवाल तो आपके बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है, उसकी बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है शासन के द्वारा और पट्टा पैसे लेकर जमीन वालों को दिए जा रहें हैं । पट्टे पर कब्जा गरीबों को नहीं दिया जा रहा है इसकी शिकायत एस० डी० एम०, डी० एम० और पुलिस अधीक्षक से की जाती है, उनकी कोई सुनता नहीं है इसलिए कि शासन का कोई अभिरुचि नहीं है, शासन गम्भीर नहीं है । इसलिए कि एस० डी० एम० साहब तो राजस्व विभाग के अन्तर्गत

(इस समय 5 बजकर 22 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीत हुए ।)

आते नहीं और इसीलिये उस बात को सुनते नहीं । जो जमीने हरिजनों में बटनी चाहिए वह जमीने हरिजनों में भूमिहीनों में न बांटकर वन विभाग को दी जा रही है, हरिजन खेतिहर मजदूरों का महान अहित किया जा रहा है । खेती लायक जमीने, अच्छी जमीन भूमि हीनों को नहीं दी जाती है । जिलाधिकारी जहां आदेश दे देते हैं तहसीलदार वहीं उनको दे देता है । आपका जिलाधिकारी के ऊपर न कोई कंट्रोल है और न परगनाधिकारी के ऊपर कोई कंट्रोल है । जब तक शासन इस मुद्दे पर सख्त नहीं होता तब तक लगातार इस प्रदेश में हरिजनों का, भूमिहीनों का अहित होता रहेगा । माननीय लोकपति जी सुन ले आप जो नसबन्दी करवा रहें है उससे गरीब हरिजनों का बहुत अहित हो रहा है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है इसकी बिलकुल उपेक्षा कर रहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि यह शासन और इनका प्रशासन हरिजनों के ऊपर घोर अत्याचार कर रहा है । उनके हितों पर कुठाराघात कर रहा है । मैं पूरे शासन को चुनौती देना चाहता हूं कि हमारे बांदा जिले के तेन्दुरा गांव में 400 बीघे जमीन है और उस सारी जमीन को बांदा का जिलाधिकारी जो बड़ा भ्रष्टाचारी है वह वन विभाग में दे रहा है । इस तरह से हरिजनों का, भूमिहीनों का बड़ा अहित हो रहा है । जो कानून बनाते है वह केवल कागजों में पड़े रहते है उनको लागू कराइयें । जब लागू करायेंगे तभी गरीबों का हित होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, 6-7 दिन के लिए सदन बन्द हो रहा है और बहुत सारे लोग शाम को ट्रेन से जाना चाहते हैं और इस बिल के बाद कोरम भी अधूरा हो जायेगा। इसलिए मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं। मंत्री जी के जबाब के बाद आप इस पर वोटिंग करा लें। इसी के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बाकी का जो एजेन्डे का कार्यक्रम है, जब हम अगली बार बैठ रहे हैं तो अगली बार उसको रखने की व्यवस्था कर दें।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, 18 और 19 तारीख को कोई वक्तव्य नहीं लिया गया है। आज बहुत सारे वक्तव्य हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बात कर लें, वे राजी हो तो 18 तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष --

थोड़ी देर रुक जाइये। 6-00 बजे तक तो वैसे भी टाइम है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। कहना यह है, मान्यवर, कि पक्ष और विपक्ष के जितने भी माननीय सदस्यों ने इस संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त की सबने कहीं न कहीं त्रुटि का प्रदर्शन किया है और मान्यवर, इससे पूर्व एक राजस्व संहिता बनाकर रखी गई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उसको भी सदन के पटल पर रखें। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि क्षेत्रीय विधायक महीने के प्रथम शनिवार के दिन एस0 डी0 एम0 को साथ लेकर पट्टों के निरीक्षण के लिए जायेंगे परन्तु होता यह है कि शनिवार के दिन वह जिला मुख्यालय पर चले जाते हैं। जिला मुख्यालय पर डाक बंगले में उनके बीबी बच्चे रहते हैं तो आप इस पर जांच करायें। इसको आप अनिवार्य कर दीजिए कि एस0 डी0 एम0 विधायकों के साथ मौके पर जाकर देखें। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, माननीय, लाल प्रताप सिंह, माननीय हर्ष जी, शाही जी तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों ने किसी न किसी रूप में इसका समर्थन किया है। यहां तक कि उधर के माननीय सदस्यों ने परोक्ष रूप में हमारे संशोधन विधेयक की सराहा है यद्यपि उन्होंने कहा कि इस पर और चिन्तन की आवश्यकता है। हमने अभी यह दावा नहीं किया कि हमने इसको परफेक्ट बना दिया लेकिन उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम में हमने एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनके महत्वपूर्ण सुझावों के प्रति आभार व्यक्त करता हू लेकिन जो कुछ भ्रान्तियां हैं माननीय सदस्यों को उन भ्रान्तियों को मैं बहुत नम्रतापूर्वक दूर कर देना चाहता हूं। माननीय पाण्डेय जी को एक भ्रान्ति पात्रता सूची के विषय में है उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि वह अधिकार आज भी परगनाधिकारी को है। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि उसमें कोई परिवर्तन करने की प्रक्रिया है और वह यथावत् रहेगी। एक माननीय सदस्य ने शंका व्यक्त की कि इस तरह यह विधेयक का शक्ल ले लेगी तो गांव सभा भूमि पर कार्य संरक्षण हेतु शासनादेश जारी किया जायेगा, यह मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसी तरह मान्यवर, आहके सार्वजनिक प्रयोजनों में चकबन्दी को जो भूमि पड़ती है उसके सम्बन्ध में आपने जो चिन्ता व्यक्त की है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह किसी जनहित के कार्य के लिए, सड़क के लिए ही ऐसा किया जाता है। इस पर अलग से उसमें विचार हो रहा है। यह गम्भीर बिन्दु भी शासन के संज्ञान में और इसके सम्बन्ध में भी शासन को चिन्ता है। इसी तरह से एक बात कही गई धारा 122 के सम्बन्ध में तो उपधारा 4(च) में मजदूर का अर्थ खेतिहर मजदूर से है। यह भ्रान्ति भी न रहे इस बात के लिए भी हम कोशिश करेंगे। गोरखपुर आदि के लिये कुछ बातें कही गयी, रेवेन्यू बोर्ड के विषय में कहा गया और जो माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को सम्बद्ध किया है, यह 26 राजस्व विधियों के स्थान पर एक ऐसी राजस्व विधि की स्थापना कर सकें जिस पर चिन्तन करने के बाद ऐसी प्रक्रिया लायें जो सरल हो, प्रासंगिक हो और जिसमें कोई कमी न रह जाय। शासन अनुसूचित जाति जन जाति आदि के लोगों के लिये बहुत ही संवेदनशील है। यह सरकार पिछड़े, बहुत पिछड़े, अत्यन्त पिछड़े हुये लोगों के लिये चिन्तित है। यह तो हमारा प्रथम चरण है, अगले चरण में हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे। गुप्ता जी ने कहा कि कितने सी० आर० ओ० की पोस्टिंग हुयी है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको जानकर हर्ष होगा कि 15 के विरुद्ध 13 सी० आर० ओ० की नियुक्ति हो चुकी है। हर अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि वह शासन की मंशा के अनुरूप काम करें। भाई राम सजीवन सिंह ने कहा कि यह शासन हरिजनों की रक्षा नहीं कर रही है। यह आरोप लगाया है। मान्यवर हमने 7 राजस्व विधियों में 15 संशोधन प्रस्तावित किये हैं। शासन हरिजनों की पूर्णरक्षा कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि भाई राम सजीवन जी इसको गम्भीरता से लें और चिन्तन करें। एस० डी० ओज के बारे में कहा गया इसको देख लिया जायेगा। जो शासनादेश जारी किये गये हैं, उनके क्रियान्वयन के लिये शासन बचनबद्ध है। जो क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं और जिसकी सराहना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन लोगों ने की है, उन्हें धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने इस क्रान्तिकारी कदम की सराहना नहीं की, उनसे निवेदन करूंगा कि वह आत्म विश्लेषण करें और आत्म चिन्तन करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को आशीर्वाद दें ताकि हम शोषित समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। अन्त में कुछ पंक्ति कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा--

वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे
मिटना पड़ा है,

बच गया तलवार से तो फूल से
कटना पड़ा है,

चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे
जितनी ही कड़ी हो,

हर नदी को राह से चट्टान को
हटना पड़ा है।

अन्त में मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 2 से 18 तक

अध्याय दो

यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की धारा 33-क का संशोधन

2—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 33-क में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के उपबन्ध—

(एक) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 195 के अधीन किसी भूमि का सीरदार स्वीकार किया गया है या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उक्त धारा के अधीन असंक्रमणीय अधिकारवाला भूमिधर, या द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 197 के अधीन किसी भूमि का असामी हो गया है,

(दो) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन किये गये भूमि के प्रत्येक बन्दोबस्त के, सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122-ख में, उपधारा (4-च) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(4-च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के किसी खेतिहर मजदूर के अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1985 के पूर्व से हो और भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हैक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो तो ऐसे मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी, और यह समझा जायगा कि उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है।"

धारा 122-ग का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 122-ग में,--

(एक) उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 333" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 333 और धारा 333-क "रख दिय जायेंगे,--

(दो) उपधारा (8) निकाउ दी जायगी ।

धारा 122-घ का बढ़ाया जाना

5--मूल अधिनियम की धारा 122-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

प्रदेशन ग्रहीताओं को कब्जा दिया जाना

"122-घ--(1) जहां धारा 122-ग की उपधारा (2) में निदिष्ट कोई भूमि गृह-निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को जाय और प्रदेशनग्रहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन हो, वहां असिस्टेंट कलेक्टर, प्रदेशनग्रहीता के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उनके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो, उसका कुल या कोई भाग, जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप से प्रदेशनग्रहीता को दिया जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात किसी प्रक्रम पर शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि --

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही हैं, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन करके है, और

(ख) प्रदेशनग्रहीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए, अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और प्रदेशनगृहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्ध दोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का वह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) से अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है ।

(7) इस धारा के अधीन अपराधों पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें पचास मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।"

धारा 123 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 123 में,--

(1) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "24 मई, 1971" के स्थान पर, शब्द और अंक "30" जून 1985" रख दिये जायेंगे,

(2) उपधारा (2) और उसके स्पष्टीकरण में शब्द और अंक "15 मार्च, 1974" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1985" रख दिये जायेंगे ।

धारा 129 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 129 में, खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"(4) सरकारी पट्टेदार ।"

धारा 131 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 131 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(घ) 1 जुलाई, 1981 से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिस के साथ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 26-क या धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त किया जाय या किया गया है ।"

धारा 142 का प्रतिस्थापन

9--मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"142--(1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह भमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का और उसका किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा ।

भूमिधर का अपने खाते की कुल भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार

(2) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर हो, एकान्तिक कब्जे का और ऐसी भूमि का कृषि, उद्योगकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी भी है, से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये उपयोग करने का अधिकार होगा ।

धारा 143 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 143 में,--

(एक) 'उपधारा (1) में, शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "सक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

(दो) उपधारा (2) में शब्द "भूमिधर" के स्थान पर शब्द "सकमणीय अधिकार वाले भूमिधर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 198 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 198 में उपधारा (6) में,--

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे,

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो" रख दिये जायेंगे ।

धारा 198-क का प्रति-स्थापन

12--मूल अधिनियम की धारा 198-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"198-क (1) जहां किसी व्यक्ति को धारा 195 के अधीन किसी भूमि के असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 197 के अधीन किसी भूमि के असामी के रूप में स्वीकार किया जाय । (ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में प्रदेशन ग्रहीता कहा गया है) या जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति का राज्य सरकार द्वारा उठाई जाय (ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में पट्टेदार कहा गया है) और प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन है, जहां असिस्टेन्ट कलेक्टर, यथास्थिति, प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी

गांव सभा के प्रदेशन ग्रहीताओं या सरकारी पट्टेदार को कब्जा दिया जाना

भूमि का कब्जा दिलाया और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल उनका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में यथास्थिति, प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार को दिया जाय ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात किसी प्रक्रम पर शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि--

(क) अभियुक्त का उस भूमि पर अध्यासन, जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके है, और

(ख) यथास्थिति, प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है,

वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है और, यथास्थिति, प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त का सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायगी ।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में, अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का सरसरी तौर पर विचारण किया जा सकता है ।

(7) इस धारा के अधीन अपराध पर शीघ्र विचार किये जाने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1982 की धारा 28 का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

"28—सन्देहों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किन्हीं अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित अध्याय-दो, तीन, चार, पांच छः और सात में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित ऐसी अधिनियमितियों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

वैधीकरण

अनुसूची का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम में धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

अनुसूची

(धारा 28 देखिये)

1—उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1981),

2—उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1981),

3—उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982, (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 1982),

4—उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 1982 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1982),

अध्याय पांच

जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

15—जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) सरकारी पट्टेदार" — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1956 की धारा 31 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 36 में, शब्द और अंक "धारा 134 से 139" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 133-क, 137, 137-क" रख दिये जायेंगे। — धारा 36 का संशोधन

अध्याय छः

कुमायूं तथा उत्तरखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960 का संशोधन

17—कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींनदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 42 म खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(घ) सरकारी पट्टेदार" — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1960 की धारा 42 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 134 से 139" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 133-क, 137, 137-क" रख दिये जायेंगे। — धारा 47 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 18 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 19

अध्याय सात

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 4-क का संशोधन

19--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4-क की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "चालीस वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 19 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"19--उत्तर प्रदेश जात चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4-क की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :--

"प्रतिबन्ध यह है कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञाप्ति के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात् ऐसा प्रख्यापन जारी कर सकेगा ।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

"19--उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 4-क की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात :--

"प्रतिबन्ध यह कि उक्त धारा में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से बीस वर्ष के भीतर कोई ऐसा प्रख्यापन जारी नहीं किया जायेगा, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के पश्चात् ऐसा प्रख्यापन जारी कर सकेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधन खण्ड 19 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 20, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

अध्याय आठ

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 27 का संशोधन

20--उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 में, उपधारा (6) में,--

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "सात वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व" के स्थान पर शब्द और अंक "ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो", रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982, जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय अध्याय चार जो 20 अगस्त, 1982 को प्रवृत्त हुआ माना जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 20, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1986, जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986†

*राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह एक बड़ा मासूम सा संशोधन रखा गया है, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा । मान्यवर, अभी तक भूमि अध्याप्ति की जो प्रक्रिया है उसमें धारा-4 की विज्ञप्ति के बाद और धारा-6 की विज्ञप्ति के बीच में तीन वर्ष की अवधि रहती थी । इसमें 1984 में जो संशोधन हुआ उसमें धारा 4 के बाद 6 के बीच में तीन वर्ष की अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया, लेकिन अपनी अजेन्सी में धारा 17(4) में यह प्राविधान था कि अजेन्सी कभी भी आ सकती है । मान्यवर, इसी बीच में हाईकोर्ट में एक निर्णय हुआ, मेरठ का एक मामला था, उसमें धारा 17(4) के अन्तर्गत अर्जेन्सी में लैण्ड एक्वायर की गई थी । उसमें एक वर्ष का समय नहीं हुआ था । तो उसमें हाईकोर्ट की ओर से जजमेंट हुआ कि इस मामले में वे वैसी अर्जेन्सी नहीं समझते । हमारा मानना था कि धारा 17(4) में जब उसे लिया गया था तो उसको बंध माना जाना चाहिये । तो इन सब बातों में कोई भ्रांति न हो यह देखते हुए हमने धारा 17(4) में एक वर्ष के अन्दर भी कोई कार्यवाही की जाती है तो उसको बंध माना जाय, इस बात का प्राविधान किया है और इस संदर्भ में हाईकोर्ट के निर्णय का असर न पड़े, क्योंकि वहां पर लैण्ड एक्वायर करके वहां पर कान्स्ट्रक्शन कार्य हो रहा था, तो वहां बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था । इसीलिये रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से इसको लागू किया गया है ताकि कोई क्षति न हो । यह एक क्रांतिकारी संशोधन है । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसका स्वागत करते हुए इसको स्वीकार करें ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, यह भूमि अर्जन में जो गम्भीर अनियमितताएं होती हैं, उसी अनियमितताओं के परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने इनके नोटीफिकेशन को निरस्त किया है । यह जो काम करने वाली सरकार का जो वर्क कल्चर

†दिनांक 5 सितम्बर, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सेवलप्ड है, यह सरकार निर्धारित अवधि के भीतर कोई काम करे, यह सम्भव नहीं है। या तो कानूनों के इन्फार्समेंट की बात है या योजनाओं को पूरा करने की बात है, या लोगों को राहत देने की बात है या निर्धारित अवधि के अन्दर कोई काम करने की बात है, यह सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती, इसलिये ये चाहते हैं कि ऐसा लम्बा समय ले लिया जाय इस संशोधन के माध्यम से कि नोटीफिकेशन आज करा देंगे और भूमि का अर्जन करेंगे 10 वर्ष के बाद। मान्यवर, 10 वर्षों के बाद आज के नोटीफिकेशन की शर्तों के आधार पर ये करेंगे, लेकिन तब तक उसका स्वरूप परिवर्तित हो जायेगा। बाजार भाव में परिवर्तन हो जायेगा। उसकी प्रक्रिया में अन्तर हो जायेगा। इसलिये इस तरह का कोई संशोधन नहीं होना चाहिये मेरा निवेदन है कि इतनी धांधली है कि बाजार भाव से लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा निर्धारित करते हैं तो निर्धारित अवधि में उसका भुगतान नहीं हो पाता है। आज सुबह ही एक सवाल था सड़क बनाने के लिये जमीन का मुआवजा लोगों को नहीं मिला। मेरे क्षेत्र में 1966 में नेशनल हाइवे बना लेकिन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। इनको तय करना चाहिये कि निर्धारित अवधि के अन्दर मुआवजा देंगे। ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि एक बार नोटीफाई करके ले तो लेंगे लेकिन उसके बाद अनिश्चित काल तक मामला चलता रहेगा। माननीय हरीश जी ने कुछ बातों का उल्लेख किया है। इस वर्ष पहले के मामले में आज तक कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। आप इस संशोधन को रखते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी की जमीन ली जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बाजार भाव से एक वर्ष के अन्दर सुलभ करावें। इसकी आवश्यकता है अन्यथा इसको प्रवर समिति को भेजने का कष्ट करें। मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

माननीय हरीश जी के यहां जो कम्पेन्सेशन का मामला है, वह मैं आपके संज्ञान मे लाना चाहता हूं। इनके यहां असोगवा नगवां बांध, सोनखर टंडिया, नरकटहा प्रोटेक्शन बने 10 वर्ष से अधिक हो गये लेकिन अभी भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही ही चल रही है। यह 1967 में बना था।

श्री गौरी शंकर—

माननीय हरीश जी ने जो कम्पेन्सेशन का मामला बताया मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शासन ने पहले ही टाइम बाउन्ड कर रखा है। एवार्ड घोषित हो जाने के बाद एक वर्ष से अधिक हो जाय तो 9 प्रतिशत ब्याज और 2 वर्ष में 15 प्रतिशत ब्याज मिलने का प्राविधान किया गया है और साथ ही टोटल कम्पेन्सेशन का 30 प्रतिशत सोलेसियम के रुप में देने का भी प्राविधान किया गया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। लोग बाग भी इसमें रुचि रखते हैं। माननीय शाही जी ने जो आरोपित किया है वह सत्य से परे है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस संशोधन विधेयक पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या शाही जी आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड 2 व 3, खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने और उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के कतिपय अर्जनों को विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 1 सन् 1894 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है। धारा 17 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (4) में "पद धारा 4" की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय का अभिप्राय ऐसे की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय किन्तु धारा 6 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर से है, और ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा 6 के अधीन घोषणा करने में किसी विलम्ब का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि भूमि के सम्बन्ध में कोई आत्यधिकता नहीं थी या कि इस धारा के उपबन्ध प्रयोज्य नहीं थे ।"

कतिपय अर्जन का वैधीकरण

3—किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिए तात्पर्यित भूमि का कोई अर्जन और किसी भूमि के जिसके विषय में समुचित सरकार ने मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया हो कि मूल अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, ऐसे अर्जन के सम्बन्ध में कृत कोई कार्यवाही या बात (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश या की गयी घोषणा किया गया करार या प्रकाशित अधिसूचना भी है), जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हो, केवल इस आधार पर कि मूल अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् मूल अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा में विलम्ब हुआ है अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी या कभी भी अविधिमान्य हुई नहीं समझी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3, खंड । प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देना चाहता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 सितम्बर, 1986 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 सितम्बर, 1986 एवं 19 सितम्बर, 1986 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिश की हैं :

18-9-86 (गुरुवार)	(1) अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा ।
	(2) अपराह्न 5 बजे से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली की दरों में की गयी वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं में व्याप्त असंतोष के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।
19-9-86 (शुक्रवार)	(1) अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक "प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा ।"

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना उपाध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, इसमें आगे जो आज कार्यक्रम है, वह काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वक्तव्य आज के लिए निर्धारित हैं। उसमें माननीय सदस्यों को काफी रुचि है। मैंने निवेदन किया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि आज के जो शेष कार्यक्रम हैं, 18-19 सितम्बर के लिये जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के लिये सुविधाजनक हो, वे समायोजित कर दिये जायं। आज आखिरी दिन होने के कारण काफी माननीय सदस्य चले गये हैं, अधिकांश जाने की स्थिति में है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे मैं मान लेता कोई आपत्ति नहीं होती लेकिन जैसा आप देखें संविधान में जो संशोधन हुआ है जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, वह सीधे न्याय पालिका से जुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा माननीय सदस्य बैठकर सहयोग करें। मान्यवर, जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय, समय बढ़ाने की मांग की थी उस समय 9 बजे तक लोग यहां बैठे। अब यह न्यायपालिका से जुड़ा मामला है, थोड़ा बैठकर सहयोग दें।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, ऐजेन्डे की शेष कार्यसूची को आप निलम्बित कर सकते हैं लेकिन मद संख्या--33 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतएव इसे आप ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मद संख्या--33 आवेगा, तब देखा जायेगा।

(मद संख्या--26 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर मेरा एक सुझाव है। मान्यवर, बिजली की जो बढ़ी हुई दरों आदि पर 18 तारीख को जो एक घंटे की चर्चा रखी गई है, उसके साथ इस मद संख्या--26 को जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

हो सकता है, उनको इसमें कोई प्रशासनिक कठिनाई हो।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज के एजेन्डे में शेष सभी मदों को आपको लेना होगा। ऐसा न हो कि कोरम के अभाव में उन्हें स्थगित करना पड़े।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प

* ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट 1948 (ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से, जो सभा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा 22 फरवरी, 1983 को पारित एक संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 1,000 करोड़ रुपये मात्र (एक हजार करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गई थी :

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त ऐक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन 31-3-1985 तक 819.68 करोड़ (आठ सौ उन्नीस करोड़ अड़सठ लाख रुपये) का ऋण लिया है और आगे वर्ष 1989-90 तक स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये (एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की जाय। जिससे परिषद् ने अपने आयोजनागत कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके।

अतएव अब विधान सभा एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा तात्कालिक प्रभाव से 1,000 करोड़ रुपये (दस सौ करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए (एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए मात्र) निर्धारित करती है।

मान्यवर, सम्भवतः समय-समय पर सदन में यह मांग आती रही है कि विद्युत् व्यवस्था को सुधारा जाय। यह एक ऐसा समय आ गया था कि हमें जीवन बीमा स्वायत्तशासी संस्थाएं पैसा देना चाहती थी किन्तु हमारे ऊपर बन्धक था, इसलिए उस बन्धक से हम मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए इसे यहां पर लाया गया है। मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इस पैसे को विद्युत् वितरण व उसके सुधार में लगाया जायेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड एक सफेद हाथी है। अरबों रु0 का घाटा इसमें हो रहा है। इसमें मेरी जानकारी के अनुसार 18 अरब रु0 का घाटा अब तक हो चुका है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ और प्रति वर्ष सदन में प्रस्तुत किया गया है। अब तक 1,000 करोड़ रु0 के ऋण की बात थी, अब इसको ड्योढ़ा किया जा रहा है। यह ऋण लेते जायं, गारण्टी के लिये सरकार व्यवस्था करती जाय इसमें हमें आपत्ति नहीं हो सकती थी लेकिन घोर आपत्ति इसलिये है कि इसमें भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था का परिणाम यह है कि उपभोक्ताओं को बिजली मिलती नहीं है, किसानों को बिजली मिलती नहीं है, औद्योगिक कार्य के लिये बिजली मिलती नहीं है, लेकिन जितने भी साधन लगाये जा रहे हैं, उनसे यही सोचते हैं कि कैसे अधिक से अधिक पैसा उगाहा जाय। फरवरी में बिजली के रेट्स बढ़ाये गये थे, फिर एक महीने में रेट्स बढ़ा दिये गये। बहाना लिया गया कि बिजली के कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई, इसके बदले में करने जा रहे हैं। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अभी जो बिजली के रेट रिवाइज हुए हैं, उससे 76 करोड़ रु0 की आमदनी हुई है और कुल मिलाकर 28 करोड़ रु0 की लाइबिलिटी आ रही थी, उसके बदले 76 करोड़ रु0 का डाका जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई पर डाला है।

दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। निजी नलकूप हैं। काश्त के लिये 22.50 रु0 प्रति हार्सपावर के स्थान पर 30 रु0 प्रति हार्सपावर कर दिया। रेडियो और समाचार पत्रों में मिल जायगा कि कृषि कार्यों के लिये अमुक मात्रा में बिजली दी जा रही है, लेकिन देखा जाय तो उतनी नहीं दी जा रही है, हो सकता है कि रायबरेली के लिये दी जा रही हो। अभी एक आदेश गया इस वर्ष के प्रारम्भ में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्रत्येक जिले में जो कोटा निर्धारित किया गया था, उसमें कटौती कर दी। मैं जिस जिले से आता हूं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुसार । इस साल 250 ग्राम रायबरेली के इलेक्ट्रीफाईड होने थे, आपने उसमें कोई कटौती नहीं की, जब कि दो-दो मंत्री सीतापुर से हैं, फिर भी आपने 75 का 55 कर दिया ।

इन्होंने जनता से समाचार पत्रों के माध्यम से यह कहा कि जो मीडियम लोड या लार्ज लोड है, वह 20 से 15 कर दिया है । मिनीमम चार्ज बढ़ाकर 30 कर दिया, बीस का चालीस कर दिया । लोगों को बहकाने के लिये तो घोषणायें करते हैं, लेकिन वास्तव में दुगना हो गया है । उपभोक्ताओं को बिजली तक नहीं मिलती है । अगर किसी उपभोक्ता का मिनिमम लोड 100 हार्सपावर है और वह फिर से नीचे आना चाहता है तो 400 रु0 प्रति हार्सपावर के हिसाब से पेनाल्टी लेते हैं । एक तो बिजली मिलती नहीं है, उसका व्यापार घाटे में जा रहा है, उद्योग बन्द हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर वह अपनी बिजली की मात्रा को कम करना चाहता है तो 400 रु0 प्रति हार्सपावर की पेनाल्टी लेंगे । आज चारों तरफ स्थिति ऐसी बन रही है कि बिजली बोर्ड किसी भी स्थिति का ध्यान नहीं रखता है केवल रुपया उगाहने में लगा हुआ है ।

1982 में आदेश जारी किया कि कंपेसिटर फीस लगायी जायगी । लेकिन अभी लगाया नहीं है, कहा कि 1-11-86 से लागू हो जायेगी । औद्योगिक सेन्टर में यदि कोई नहीं लगायेगा तो उसके बिल में 4 परसेन्ट लिया जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह भार उपभोक्ता पर क्यों ? यदि आपको पावर फैक्टर के लिये यह करना है तो आप पावर फैक्टर के लिये जनरेशन सेन्टर पर लगाइये, आप उपभोक्ता पर जबरदस्ती क्यों लगायेंगे ? यह एक प्रकार की टैक्स उगाही है । बिजली बोर्ड ने पहले औद्योगिक सेन्टर पर इसे लगाना अनिवार्य कर दिया और इसकी पहले से कोई सूचना भी नहीं दी । मैं अभी लखीमपुर गया था तो मुझे वहां लखीमपुर के उपभोक्ताओं ने बताया कि उनको पहले से इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी और बड़ी भारी मात्रा में एक-एक औद्योगिक सेन्टर पर आप इसे चार्ज कर रहे हैं । बिजली बोर्ड जिस उद्देश्य से बनाया गया था वह समाप्त हो गया है और अब उसका केवल एक उद्देश्य रह गया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल किया जाय । आप कहेंगे कि कोयले की कीमत बढ़ गयी है तो मेरा कहना है कि आप फयूल चार्जेज तो आप पहले से ही ले रहे थे । इस तरह से कुल मिला कर उपभोक्ताओं का उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड के द्वारा शोषण हो रहा है और उनको बिजली मिलती नहीं है ।

जब माननीय मंत्रीगण बोलने के लिये खड़े होंगे चाहे यहां विधान सभा में या विधान सभा के बाहर तो बोलेंगे कि टेहरी प्रोजेक्ट बना दिया गया है जिससे बिजली इफरात में मिलेगी । मुझे लोक लेखा समिति के साथ दौरे पर जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि चिनिआलो में तीन टरबाईन जले पड़े हुए हैं और उसके जलने का कारण बताया गया कि पानी भर गया था । अगर वह टरबाईन जल गये तो जो टेहरी में बन रहा है इसके बारे में जब तक खोज बीन नहीं वहां सीतापुर में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत है 15, वहां इस साल 75 गांवों को इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य रखा था, रिवाइज्ड में 75 के स्थान पर 55 कर दिया है । रायबरेली में 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण है आपकी रिपोर्ट की जाती तब तक एक अन्धकारपूर्ण दृश्य पैदा है । हम जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं करते तब तक किसी प्रकार से इसे ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, जिस समय यह संकल्प माननीय ऊर्जा मन्त्री सदन में प्रस्तुत कर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रहें हैं तो तमाम परिस्थितियां हमारे सामने हैं। एक चित्र तो यह है कि इस प्रदेश के निवासियों को यह शिकायत है कि उन्हें समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होती। जहां ट्रान्सफार्मर्स लगे हुये हैं, वे जल जाते हैं और उन्हें बदलने की कोई चिन्ता नहीं की जाती है। तमाम जगह तार टूटे हुए हैं और अस्त-व्यस्त हालत में पड़े हुये हैं परन्तु उनकी तरफ भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मान्यवर, दूसरा चित्र है जिसमें किसानों की चिन्ता सम्मिलित है, कि बिजली के रेट बढ़ाये गये हैं उनको समय से बिजली नहीं मिलती है, तीसरा चित्र है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का कार्यालय है, जिसमें अक्षमता है, कार्य न करने की योग्यता है। कोई भी महीना न जाता होगा कि हड़ताल न होती हो, कोई विवाद न होता हो, चौथा सूत्र है कि बड़ी आवश्यकता है बिजली को विद्युत उत्पादन को बढ़ाना है और गांव-गांव में बिजली पहुंचानी है, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करना है और जो नये नये उद्योग धन्धे बढ़ रहे हैं, उनको बिजली चाहिये। तो श्रीमन् जब तक इन चारों सूत्रों की बात कोई नहीं सोचेगा, तल तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है: अगर पहले के जो तीन सूत्र हैं यह पूरे होते रहे तो सुधार हो सकता है, जहां तक बिजलों के रेट बढ़ाने की बात है शासन और परिषद् को सोचना चाहिये कि इस बारे में क्या करना चाहिये, बिजली के रेट कम करने चाहिये और जो अव्यवस्था फैली है, उसको समाप्त करना चाहिये। साधन और सुविधायें आप उपलब्ध करें, तो यह कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। यह आवश्यक है कि राज्य विद्युत परिषद् को सभी सुविधायें उपलब्ध करायें और शासन आगे आने वाली परियोजनाओं को बढ़ा सके मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह का राज्य विद्युत परिषद् का प्रशासन है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इन्जीनियर्स का एकाउन्ट मेम्बर से स्लिप लेने के सम्बन्ध में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और हड़ताल हो गयी तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिये। मेरा ऊर्जा मन्त्री जी से अनुरोध है कि इन कठिनाइयों को ध्यान में रखेंगे और इन शब्दों के साथ जो संकल्प रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, अगर कोई अपना अच्छा काम करे, तो उसकी सीमा बढ़ा दो, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप अच्छा काम करें, तो अच्छी तनख्वाह दे, तो बुरी बात नहीं है एक हजार के स्थान पर डेढ़ हजार कर दो, अगर निकम्मा काम करे तो उसे घटा दो। मान्यवर, पहले हम केवल क महकमे को भ्रष्टाचारी कहते थे, वह पुलिस विभाग है और जब चकबन्दी आया तो सभी लोग कहने लगे कि यह तो पुलिस का भी बाप है, उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें है। लेकिन इस समय जो बिजली विभाग है, वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, माननीय प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं, उनका यह विभाग बड़ा भ्रष्ट है। अब नम्बर एक पर बिजली विभाग और दो पर चकबन्दी और तीसरे पर पुलिस हो गयी है और फिर आप अपनी सीमा बढ़ा रहे हैं। यह ठीक तरह से पैसा वसूल नहीं कर पाते हैं, बिजली की चोरी करवाते हैं, नंगा तार डलवा कर बिजली की चोरी करवाते हैं। मैंने तो मिनिस्टर के यहां नंगा तार देखा है। यहां पर राजा साहब की सरकार थी तो आपके जो एक मिनिस्टर हैं वे बिजली की चोरी किया करते थे। मैंने यह बात हाउस में कही थी कि आप छापा मरवाओ। जब छापा मरवाया गया तो नंगे तार कारखाने के पड़े हुये पाये गये। फिर उस पर एक इंजीनियर सस्पेन्ड हुआ। मिनिस्टर को सस्पेन्ड नहीं किया। आज किसानों की इतनी बुरी हालत कर रखी है जितनी कि दुनिया

मे किसी की नहीं है । जब यहां पर ब्रह्मदत्त जी बिजली के मन्त्री थे उन्होंने एक दफे अपर हाउस में कहा था कि हमारी सरकार ने 53 हजार गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है । मैंने कहा ब्रह्मदत्त जी, 53 हजार तो छोड़ दीजिये, 53 सौ गांवों का भी कर दिया हो तो मैं मान जाऊंगा । हमारे यहां एक गांव है गसौती । सन् 72 में वहां पर जे0 सी0 पन्त जो कि आज शिक्षा सचिव हैं, कलेक्टर थे, वे उस गांव का विद्युतीकरण करने गये । उन्होंने वहां पर एक पत्थर लगवाया और एक बिजली का खम्भा खड़ा कर दिया...(व्यवधान) । आज तक वह पत्थर और खम्भा पड़ा हुआ है । ...(व्यवधान) मैं तो इनकी कारगुजारी बता रहा हूं । यह विषय नहीं तो क्या है । वह खम्भा और पत्थर दोनों खड़े हैं । बिजली का नाम नहीं है । आप सीमा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते रहिये । मान्यवर, तीन-तीन हजार रुपये में एक जूनियर इंजीनियर बिजली का कनेक्शन नीलाम करता है । वह ठेका लेता है और ठेकेदारी में में कनेक्शन दिलवा रहे हैं । अगर आप इस भ्रष्टाचार पर रोक लगा लें तो इसकी सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । अगले साल आप इसकी सीमा दो हजार करोड़ कर देंगे, फिर 3 हजार करोड़ कर देंगे । हम और मैनेजर सिंह जी यहां पर बैठे हो हुए हैं, पास कर देंगे । इसलिये आप अपने विभाग को चेक करिये, भ्रष्टाचार मिटाइये । मान्यवर, जहां मैं रहता हूं, वहीं पर बिजली बोर्ड का दफ्तर है, जब देखो तब, आये दिन वहां पर स्ट्राइक होती रहती है । आज दो हजार ने इस्तीफा दे दिया, कल तीन हजार ने इस्तीफा दे दिया ।

(व्यवधान)

माननीय प्रमोद तिवारी ने वहां पर कमरा बनवाया है । ऐसा कमरा बनवाया है कि वैसा अशोक होटल में भी नहीं होगा । उसमें जो सोफे और कौंच लगे हैं, वे ऐसे लगे हैं कि अगर आप बैठ तो एकदम ऊपर उछल जायं । ऐसे स्प्रिंग दार हैं । इस तरह से लूट रहे हैं, ठाठ से खा रहे हैं । और हम से कह रहें हैं कि सीमा बढ़ा दो । मैं कहता हूं भाई जान, कन्ट्रोल करो अपने ऊपर । इस बिजली बोर्ड को हमारे गुप्ता जी सफेद हाथी कह रहे थे । यह सफेद हाथी नहीं है, खूंखार हाथी है । यह जनता को फाड़कर खा जायेगा । इसलिये इस संकल्प को प्रस्तुत ही नहीं करना चाहिये था । इसके बजाय आप अपने ऊपर कंट्रोल करो ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन, यह संकल्प विद्युत परिषद को ऋण सीमा बढ़ाने के लिये सदन के सामन विचाराधीन है जो मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है । कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है । श्रीमन, मैं समझता हूं और इसमें दो राय नहीं है कि विद्युत का मसला एक ऐसा मसला है, एक ऐसी चीज है जो किसी पार्टी या किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, अगर परेशानी है तो उससे हम सबको समान रूप से हो ।

इस मसले की सिर्फ बहस करने से कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, केवल घोषणाओं से, आलोचनाओं से समस्या का हल होने वाला नहीं है । जैसा माननीय विशारद जी ने इशारा किया कि कभी किसी की हड़ताल कभी किसी की हड़ताल । तो जहां अरबों रुपया लगा हुआ हो उसमें एक पे स्लिप देने की बात को लेकर अभियन्ता हड़ताल कर देते हैं तो यदि सरकार उसमें सख्त कदम उठाती है तो बहुत से ऐसे दल हैं या ऐसे लोग हैं जो उनके पक्ष में बात करते हैं और सरकार की नीति को फेल करने का प्रयास करते हैं ।

अगर विद्युत परिषद को सही करना है तो हमें अपने दलगत विचारों से ऊपर उठ कर इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करना पड़ेगा सभी दलों को एक आमराय बनानी पड़ेगी । पिछले सत्र में

आपको ध्यान होगा यहां पर विजयवाड़ा प्लान्ट का जिक्र आया था जितना लोड फैक्टर वहां है उससे कहीं कम हमारे यहां हैं । माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि वहां से हमारे यहां स्टार्फिग पैटर्न तिगुना ज्यादा है । जब कि कैपेसिटी और इनवेस्टमेन्ट वही है तो यहां पर करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च होता है उतने ही बड़े बिजली घर पर इस प्रकार वह लोग हाथ बटाने के बजाय रोड़ा अटकाते हैं । तो इसके लिये जब तक एक आम राजनीतिक राय नहीं बनेगी तब तक विद्युत परिषद् की समस्या हल नहीं होगी ।

मैं अपने आपको इस संकल्प पर लाना चाहता हूं । यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है इसको अगर वह ध्यान से पढ़ें तो मालूम हो जायेगा कि यह विद्युत परिषद् को ऋण बढ़ाने के लिये है । जैसा माननीय राम सरन दास जी कह रहे हैं कि तनख्वाह हजार के बजाय 15 सौ रुपया करना है तो वह ऐसा नहीं है । माननीय गुप्ता जी चले गये वह जानते होंगे जब किसी का व्यापार बढ़ता है, या परिसम्पत्ति बढ़ती है तो उसके साथ उसे ऋण भी अधिक लेना पड़ता है सम्पति के अनुरूप बैंक ऋण की सीमा भी बढ़ा देता है आज जो माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं वही माननीय मन्त्री जी के कक्ष में पहुंच कर कहेंगे कि मेरे 50 गांवों में बिजली पहुंचा दो । तो एक गांव में विद्युतीकरण में 2 लाख रुपया विद्युत विभाग का खर्च होता है लेकिन उसको उससे रेवेन्यू क्या मिलता है "शून्य" । क्योंकि गांवों में एक भी कनेक्शन लोग नहीं ले पाते थे । अभी जो 14 रु0 प्रति माह फ्लैट रेट किया है उससे कुछ पैसा मिलेगा लेकिन आप कहते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है । अगर कहीं पर कोई अकरमण्यता है, अकुशलता है तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है चाहे वह किसान हों, चाहे मजदूर हों या कोई हो । ग्रामीण विद्युतीकरण की बात आप करते हैं तो उस मद में 850 करोड़ रुपये का घाटा विद्युत परिषद उठा चुकी है और ग्रामीण विद्युतीकरण से विद्युत परिषद को दो लाख रुपये का प्रति ग्राम खर्च करना पड़ता है । तो अगर कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाना है जैसा माननीय गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारे यहां 50 गांवों के बजाय दो सौ गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिये, तो इस ऋण सीमा को बढ़ाने से होगा यह संकल्प उसी के लिये है इसे आप स्वीकार करें । अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अन्तर है यह माना जायेगा ।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, विद्युत परिषद के बारे में यह पुरानी कहावत सोलहों आने चरितार्थ होती है "ऋण कृत्वा घृतं पिवेत" यानी कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिये । यह ऋण सीमा बढ़ रही है और इनकी फिजूल खर्ची भी बढ़ रही है । अरबों रुपयों का घाटा विद्युत परिषद को है और जैसा माननीय राम सरन दास जी ने कहा आलीशान इमारतें बन रही हैं ।

उस आलीशान इमारत में एक से एक साज-सज्जा का भरमार हो रहा है । जिन गरीब किसानों से विद्युत टैक्स के रूप में पैसा आता है उनकी हालत खराब है और उन्हें विद्युत भी नहीं मिल रही है, आज उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, किसानों के ट्यूबवेल बन्द हो रहे हैं, छोटे-छोटे कारीगरों का काम बन्द हो रहा है क्योंकि विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है । आजकल हालत यहां तक बिगड़ी है कि यहां विधान सभा में भी दिन में दो तीन चार बिजली चली जाती है । आज स्थिति क्यों सुधर नहीं रही है ? मान्यवर, एक तो ऐसे ही यह जो मंत्रि परिषद शंकर जी की बारात है । यह ऐसा ही एक अद्भुत नमूना है । इसमें विद्युत विभाग का काम जिनके हाथ में दिया गया है वे भी अपने आप में

नमूने हैं। मुझे कष्ट होता है। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र श्री सुनील शास्त्री हैं। इसलिये कुछ नहीं बोलना चाहता लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि श्री सुनील शास्त्री पर एक कौड़ी भी स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का असर नहीं है। आज वे श्री सुनील शास्त्री बड़े अधिकारियों के हाथ के कठपुतली हो गये हैं विद्युत विभाग के अधिकारी उनको नचा रहे हैं। इससे बड़ा विचित्र नमूना क्या होगा कि 15 दिन के लिये श्री शाह, चेयरमैन, विद्युत परिषद, छुट्टी पर गये तो एक अवकाश प्राप्त, सड़ियल अधिकारी को, जिसके कारनामें अच्छे नहीं रहे हैं, 15 दिनों के लिये श्री सुनील शास्त्री ने अध्यक्ष नियुक्त करवा दिया, इसका क्या सरकार के पास जवाब है ? कहीं 15 दिन के लिये कोई अध्यक्ष नियुक्त होता है। यह आपके काम करने का खोखलापन है, आपकी बुद्धि पर तरस आता है। यदि आप जैसे अपरिपक्व लोगों के हाथ में यह विभाग रहेगा तो 1500 करोड़ रुपये नहीं, 15,000 करोड़ नहीं बल्कि 15 लाख सौ करोड़ रुपये ऋण लेंगे तो भी यह विभाग नहीं सुधरेगा। ऐसे लोग मन्त्री बनाये जाते हैं जो इस सदन में गम्भीरता से बात नहीं करते हैं। अभी मान्यवर, चर्चा हो रही थी कि सदन के कुछ कार्यक्रम स्थगित किये जांय और उसे 18–19 सितम्बर को ले लिये जायं। बहुत गम्भीरता से चर्चा हो रही थी। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कृपा करके सुझाव तो माना और एक सुझाव दिया कि एक आवश्यक कार्यक्रम है उसको ले लिया जाये। इधर से भी कहा गया ले लिया जाये। विद्युत विभाग का मामला था कि ऋण सीमा बढ़ाने का ही था। यदि यह अति आवश्यक था तो माननीय मन्त्री जी को शिष्टता से बताना चाहिए था कि यह बहुत जरूरी है और इसके बगैर विद्युत परिषद का कल जनाजा निकल जायेगा, इसलिये ले लिया जाये, निश्चय ही ले लिया जाता। लेकिन जिस दम्भ के साथ इसको माननीय राज्य मन्त्री प्रमोद तिवारी ने वाचना शुरू कर दिया, क्या इससे सदन और विद्युत परिषद चलेगा ? क्या आप अपने को बहुत काबिल समझते है ? संसदीय कार्य मन्त्री जी आप हमारी भावना से मुख्य मन्त्री को अवगत करा दें कि विद्युत परिषद को वह संभाले नहीं तो यह लोग इसको चौपट कर देंगे।

मान्यवर, पंडित प्रमोद तिवारी को पर्यटन विभाग में रहने दिया जाए एक डिप्टी मिनिस्टर भी बना दिया है। दोनों का जोड़ा ठीक रहेगा। माननीय सुनील शास्त्री जी आ गये हैं इसलिये 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। माननीय सुनील शास्त्री जी आपकी देखरेख में इस विद्युत परिषद का दिवाला निकल रहा है। चन्द दिन पहले आपके सदस्य (लेखा) ने मुख्यालय में ही गुन्डागर्दी करवायी। किराये के गुन्डे बुलाकर इंजीनियरों को पिटवाया। जब इस तरह के आपके यहां लेखा के मेम्बर रहेंगे तो फिर विद्युत परिषद कैसे चलेगा ? मैं बलिया जिले के बारे में कहना चाहता हूं। विद्युत सब स्टेशनों पर मुश्किल से वहां 1–2 कर्मचारी मिलते हैं। मैंने 2 महीने पहले अपने यहां 4 सब स्टेशनों का दौरा किया था। रेवती, बैरिया, बांसडीह, सोनवानी, इन स्टेशनों का बार–बार दौरा किया था। कहीं पर एक कर्मचारी मिला कहीं कोई नहीं मिला। सब स्टेशनों पर जहां पर लाखों रुपयों का सामान रखा है वहां ताला लगा था। रेवती में एक कर्मचारी मिला। आपने एक बेईमान को वाराणसी का जोनल चीफ बनाया है।

श्री उप ध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी, अब समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह—

सब स्टेशनों पर कई सालों से कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जाता है। वह लोग वहां

पर भ्रष्टाचार करते हैं। 15-15 साल से लोग एक सब स्टेशन पर पड़े हैं एक भी वहां से नहीं हटाया गया हैं। आप क्या करते हैं, आप बड़े अफसरों की कठपुतली बने हुये हैं। आप आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। यह विभाग आपसे नहीं चलता है तो आप इस्तीफा दे दीजिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, हम इस पर बोलना चाहते हैं आप हमको समय दीजिये।

श्री मूल चन्द--

आपने अनेक माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया है आप मुझे भी बोलने का समय दे दीजिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, इस पर चर्चा होगी। हम लोग बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत रात हो जायगी, लोगों को जाना भी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इस पर बोलने की अनुमति दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय सुरेन्द्र कपिल को पुकार लिया है।

*श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, यह जो संकल्प ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने रखा है, मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूं, जो विरोधी पक्ष की तरफ से आलोचना की गयी है, वह आलोचना बेदम है। यह सही है कि जितनी आकाक्षाएं जनता को विद्युत परिषद् से हैं, उतनी आकाक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जरूरत प्रगति का बढ़ता चरण है, जहां आवश्यकताएं बढ़ती हैं, वहां तरक्की के रास्ते खोलने पड़ते हैं, क्योंकि विरोधी दल के मेरे साथियों ने यह नहीं देखा, जैसे माननीय मैनेजर सिंह एक बात कह रहे थे, एक तरफ तो वह जरूरतें पूरा न होने की वजह से विद्युत परिषद् व अभियंताओं को कोस रहे थे और गालियां दे रहे थे, दूसरी ओर अनुशासनहीन अभियंताओं का पक्षपात कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

किसको गालियां दी ?

श्री सुरेन्द्र कपिल--

यह इनके दो मुहेपन व राजनैतिक विद्वेष का सबूत है। हमें अपना दृष्टिकोण प्रदेश की प्रगति के लिए प्रगतिशील रखना पड़ेगा। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। आज क्यों उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् को 1 हजार करोड़ से 1500 करोड़ की ऋण सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी है ? 1970-71 से लेकर 1982 तक वह सभी चीजें जो हमारी आवश्यक वस्तुयें हैं, उनमें भारी वृद्धि हुई है। अभी विद्युत परिषद् के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जितनी भारी वृद्धि हुई है, वह इस प्रकार है--जैसे-कोयला 1970-71 से अक्टूबर, 1982

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक 239.4 प्रतिशत व माह अक्टूबर, 1982 से माह जनवरी, 1986 तक 28.5 प्रतिशत तथा लोहा व इस्पात 1970–71 से माह अक्टूबर, 1982 तक 186 प्रतिशत तथा माह अक्टूबर, 1982 से माह जनवरी, 1986 तक 38.2 प्रतिशत । इसी तरह से अगर हम अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं को देखें, जिनके द्वारा हम विद्युत् परिषद् की प्रगति करते हैं, उन सब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बहुत भारी वृद्धि हुई है । अभी हम देखते हैं कि हमें औद्योगिक संस्थानों की जितनी तरक्की करनी है, उनके लिए हमें 400 किलो–वाट के सब–स्टेशन्स बनाने की जरूरत है । एक 400 किलोवाट का सब–स्टेशन बनाने के लिए 19 करोड़ रुपये की लागत आती है और 220 किलो–वाट का सब–स्टेशन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत आती है । इस तरह से आप देखें, इस वक्त प्रदेश के अन्दर 400 किलोवाट और 220 किलोवाट के सब–स्टेशनों की भारी जरूरत है । मान्यवर, यह हमारे विद्युत् परिषद् को अनुमति दी जा रही है कि वह अपना कर्ज 1 हजार करोड़ रुपये से लेकर 1500 करोड़ रुपये तक ले सकें । इस सदन की अनुमति के बगैर विद्युत् परिषद् सीमा से अधिक कर्जा नहीं ले सकता । 400 किलोवाट के सब–स्टेशन के लिए 17 लाख रुपये प्रति किलो मीटर का खर्च डबल सर्किट पारेषण लाइन व सिंगिल सर्किट के लिए 12 लाख रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है । इसी तरह से 220 किलोवाट सब–स्टेशन के लिए पारेषण लाइन की लागत डबल सर्किट के लिए 7 लाख रु0 प्रति किलोमीटर व सिंगिल सर्किट के लिए 5 लाख रु0 प्रति किलोमीटर है । इससे यह विदित होता है कि उद्योगों व कृषि की विद्युत् आपूर्ति के लिए सब–स्टेशन और पारेषण लाइन बनाने में कितना खर्च होता है । आज हम गांवों के अन्दर विद्युत् आपूर्ति ढंग से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब–स्टेशन कम क्षमता के हैं और उन पर विद्युत् लोड अधिक है । इसलिए सब–स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है और उस पर लागत खर्च बहुत अधिक है । इसलिए मैं विद्युत् परिषद् द्वारा कर्ज लेने की सीमा 1 हजार करोड़ से 1500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रबल समर्थन करता हूं ।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि सभी हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य और हमारे पक्ष के सदस्य इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देना चाहते हैं और मैं इन सबके सुझावों का स्वागत करता हूं । तो मैं चाहता हूं कि जब 18 तारीख को हमारी चर्चा विद्युत् विभाग की लगी हुई है, उसी दिन इसको ले लिया जाय, ताकि उसी दिन विस्तार से चर्चा हो जाय ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

यह तो पहले ही कहा जा रहा था ।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 को अंगीकृत किये जाने का संकल्प

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, चूंकि इस विधान सभा का यह विचार है कि पशु–चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय के विनियमन के लिए और उससे सम्बद्ध या सहायक और आनुषंगिक विषयों के लिए सम्पूर्ण भारत में एक–सी विधि का होना वांछनीय है,

और चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु "भारत का संविधान" की सातवीं अनुसूची में, सूची दो की प्रविष्टि 15

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और 32 में और सूची तीन की प्रविष्टि 26 में प्रगणित विषयों से मुख्यतया सम्बन्धित हैं ।

और चूंकि संसद को उपर्युक्त सूची दो की प्रविष्टि 15 और 32 में में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में राज्यों के लिए, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 249 और 250 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन शक्ति के आधार पर और हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदनों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में, संसद ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) पारित किया है,

और चूंकि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) का विस्तार प्रथमतः सम्पूर्ण हरियाणा, बिहार, उड़ीसा हिमांचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर है,

और चूंकि उक्त अधिनियम का विस्तार ऐसे अन्य राज्यों पर भी होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत करें,

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 32) को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाना चाहिए,

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद् द्वारा संकल्प करती है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए ।"

माननीय, यह विधेयक नहीं है यह एक अधिनियम, जैसा इण्डियन बार कौन्सिल....

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो संकल्प आया है वह यह है कि यह सदन भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए । माननीय, लोक सभा ने इसको पारित कर दिया तो इसने अधिनियम का रूप धारण कर लिया, इन सब चीजों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि मेडिकल कौन्सिल के समान यह विधेयक अधिनियम बना है, तो जब तक हम इसको देख न लें तो इस पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं कर सकते हैं । नियमों में व्यवस्था है कि कोई भी विधेयक किसी पत्र पर या पत्रावली पर आधारित है तो उसकी जानकारी सदन को दी जाएगी । यहां मूल विधेयक ही देखने को नहीं मिला, तो हम चर्चा क्या करेंगे । माननीय, अब तक परम्परा थी कि लोकसभा या राज्य सभा द्वारा पारित कोई संविधान या कोई चीज आती थी, तो उसकी प्रतियां मिलती थीं कभी-कभी प्रतियां नहीं ज्यादा होती थी तो सूचना भिजवा दी जाती थी और उन प्रतियों को पुस्तकालय में रख लिया जाता था हम जाकर उन प्रतियों को पुस्तकालय में देख लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय, जहां तक संकल्प का मतलब है वह यहां इसलिए लाया गया है कि यह संविधान 1984 में बन चुका है इसकी जानकारी सबको है, तो जब यह कोर्ट में लागू हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता है । यह कई जगह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उड़ीसा, बिहार, हिमांचल प्रदेश आदि जगहों पर लागू हो चुका है । बस उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ है । सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इसको बनाने से हमारे विभाग में कुछ न कुछ प्रगति होगी, इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, यह अंगीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । गुप्ता जी की आपत्ति वैधानिक है और औचित्यपूर्ण है । जिस अधिनियम को अंगीकार करने का यह संकल्प माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको सदन अंगीकार करने जा रहा है, उस अधिनियम की प्रति यहां पर होनी चाहिए थी । चाहिए तो यह था कि एक-एक प्रति सारे माननीय सदस्यों के विजन होल में पहुंचा दी जाती । पर्याप्त कापी नहीं है तो पटल पर रख दी जाती ताकि माननीय सदस्य जिनकी रुचि होती वह देखते कि अधिनियम क्या है जिसको हम अंगीकार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं । यह बहुत वैधानिक सवाल है । आप भी इस पर व्यवस्था दे दें । इसमें आपत्ति नहीं है । यह वैधानिक सवाल उठाया गया है, यह औचित्यपूर्ण है । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियम 182 केवल संविधान संशोधन के बारे में है । मान्यवर, एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त है । हम जिसका समर्थन या विरोध करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए । संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही थी कि यह आशा की जाती है कि जितने भी ऐक्ट पारित होते हैं कलियामेन्ट या विधान सभा से उसके बारे में अपेक्षा की जाती है कि हमें जानकारी होगी । मान्यवर, एक बैग एजेन्डा में यह बात आई यहां पटल पर ऐक्ट की कापी नहीं थी कि हम देख सकते । माननीय मंत्री जी ने जो तर्क एडवांस किये हैं उससे यह लगता है कि आने वाले जमाने के लिए वह एक परम्परा प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं । भविष्य में भी वह इस तरह के आचरण करते रहेंगे तो मान्यवर, अगर इस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, और भविष्य के लिए निर्देश नहीं दिया तो यह संसदीय परम्परा के विपरीत होगा और हमारे अधिकारों का हनन होगा । हमें, जो विषय विचारणीय है, उसके बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है और मान्यवर, हमारे उस अधिकार पर भी एक तरह से हमला किया जा रहा है । इसलिए मैं स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, अभी जो विषय उठाया गया । मान्यवर, इग्नोरेंस आफ ला इज नो इक्सक्यूज । जब वह गजट में आ गया और पब्लिश्ड हो गया तो यह प्रोजम्पशन है इस बात का कि हर व्यक्ति उसको जानता है तो इसलिए यह बहाना नहीं लिया जा सकता है कि कापी मिलनी चाहिए या उसकी जानकारी होनी चाहिए । यह जो बात उठायी गयी है यह उचित नहीं है ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, विधान सभा में संविधान का संशोधन नहीं कर सकते हैं । जो पास करने जा रहे हैं कम से कम उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलती स्वीकार करें, खेद प्रकट करें कि विशेष परिस्थिति में त्रुटि हो गयी है और

यह सदन मान ले तब तो हमें आपत्ति नहीं होगी मान्यवर, यह गलत परम्परा स्थापित हो जायेगी और हमारे अधिकारों का हनन हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सम्मानित मैनेजर सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है मैं उनका सम्मान करता हूं अगर वह हमारी गलती दे रहे हैं तो मैं खेद व्यक्त करने के लिए तैयार हूं । विशेष परिस्थिति है इसलिए इसे लाया गया है । इसके पूर्व भी कई बार संकल्प आ चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि चूंकि इस विधान सभा का यह विचार है कि पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय के विनियमन के लिए और उससे सम्बद्ध या सहायक और आनुषंगिक विषयों के लिए सम्पूर्ण भारत में एक सी विधि का होना वांछनीय है ।

और चूंकि ऐसी विधि को विषय वस्तु "भारत का संविधान" की सातवीं अनुसूची में, सूची दो की प्रविष्टि 15 और 32 में और सूची तीन की प्रविष्टि 26 में प्रगणित विषयों से मुख्यतया सम्बन्धित है,

और चूंकि संसद को उपर्युक्त सूची दो की प्रविष्ट 15 और 32 में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में राज्यों के लिए, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 249 और 250 में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं है,

और चूंकि संविधान के अनुच्छेद 252 के खन्ड (1) के अधीन शक्ति के आधार पर और हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के विधान मंडलों के सभी सदनों द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में, संसद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) पारित किया है,

और चूंकि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) का विस्तार प्रथमतः सम्पूर्ण हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर है,

और चूंकि उक्त अधिनियम का विस्तार ऐसे अन्य राज्यों पर भी होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में उस निमित पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकृत करे,

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) को उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाना चाहिए,

अतएव, अब संविधान के अनुच्छेद 252 के खन्ड (1) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) उत्तर प्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 के अनुसमर्थन का संकल्प

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं यह संकल्प आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं ।

यह सदन "भारत का संविधान" में, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खन्ड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है ।"

उपाध्यक्ष जी, यह चौवनवां संशोधन विधेयक, 1986 पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया वगैर किसी विरोध के सर्व सम्मति से । इसमें मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी तन्खवाह में वृद्धि की गई है । मान्यवर, जो न्याय-पालिका है उसको हमने ऐसा बना दिया है कि उसमें किसी प्रकार का लोभ और असर न हो सके । यह चौवनवें संशोधन के द्वारा जो आजादी के बाद तक के ग्रेड्स थे उनमें परिवर्तन किया गया है । अभी तक मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5 हजार रु0 प्रति माह था और दूसरे जजेज का 4 हजार रु0 था चीफ जस्टिस का वेतन 4 हजार रु0 था और दूसरे जजेज का 3500 रु0 था लेकिन मान्यवर, अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन बस हजार और दूसरे जजेज का नौ हजार रु0 कर दिया गया है । हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 9 हजार रु0 और दूसरे जजेज का 8 हजार रु0 किया गया है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी न्याय पालिका का सम्बन्ध है इसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए । मान्यवर, यह स्थिति इंग्लैंड की पार्लियामेंट में आई थी तो सर विंसटेन चर्चिल ने न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने के लिए विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा था--

"दि सर्विस रेन्डर्ड बाई जजेज डिमान्ड्स दि हाईयेस्ट क्वालीफाइड आफ लर्निंग ट्रेनिंग एण्ड कैरेक्टर । दोज क्वालिटीज आर नाट टू बी मेजर्ड इन टर्म्स आफ पाउन्ड्स शिलिंग्स एण्ड पेन्स एकार्डिंग टू दि क्वालिटी आफ वर्क डन । ए फार्म आफ लाइफ एण्ड कन्डक्ट फार मोर सीनियर एण्ड रिस्ट्रक्टेड दैन दैट आफ आरडिनरी पियुपिल इज रिक्वायर्ड फ्राम जजेस एण्ड/दो अनरिटेन, हैंड बीन मोस्ट स्ट्रिक्टली आबजर्व्ड ।"

उसको पैसे से नहीं तौला जा सकता है । जिस प्रकार की जिन्दगी वह बसर करते हैं एक वक्त में बहुत उचित है और दूसरे लोगों से अलग है, एक खास किस्म की जिन्दगी उनकी होती है । मेरा सदन से अनुरोध है कि 54वां संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत का संविधान में, संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खन्ड (2) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके जाने की घटना

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना सदन को दे दूं । आज लगभग 12 बजकर 30 मिनट पर दर्शक दीर्घा नं0 4 से एक व्यक्ति ने 5 पर्चे शासन पक्ष की ओर फेंके तथा नारे भी लगाये । उक्त व्यक्ति को तुरन्त अभिरक्षा में लेकर दीर्घा से हटा दिया गया । उस व्यक्ति का नाम लाल बिहारी है तथा उसे दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र श्री काजी कलीमुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की संस्तुति पर जारी किया गया है ।

उक्त व्यक्ति के उपरोक्त कार्य से सदन के कार्य में बाधा पहुंची किन्तु ऐसे गैर-जिम्मेदार व्यक्ति को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए ।

अतः यदि सदन सहमत हो तो उपरोक्त व्यक्ति को सदन के उठने तक मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाय तदुरान्त छोड़ दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भ में दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को देखते हुए उन्हें उक्त दीर्घा की ड्यूटी से हटाये जाने के आदेश दे दिये जांय और यह भी निदेश दे दिया जाय कि दीर्घाओं में मारपीट न की जाय ।

इससे सदन सहमत है । (सदन सहमत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन सहमत है, गुप्ता जी छोड़िये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने जो सदन की सहमति मांगी थी, उसके पहले 2 शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, उस लड़के को मारा गया और आप कहते हैं कि किसी को नहीं मारा गया । हम लोगों ने मारते हुए देखा है । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि तहकीकात करेंगे और कार्यवाही करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सी0 आई0 डी0 के लोग यहां से बाहर रहें और यहां पर काउन्सिल गार्डों की तरह की व्यवस्था करा दें तो यह मारा पीटी बन्द हो जायगी । मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि आज की कार्य सूची में मद संख्या 29 और जो उसके आगे का कार्य है, उसको 18-9-86 तक के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी आपने जो सदन की सहमति मांगी थी उस पर मैं दो मिनट कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दर्शक दीर्घा में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई और जो मारा गया, उस सम्बन्ध में जो आपकी रिपोर्ट है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन जो अव्यवस्था फैली है, उसका एक कारण है, उसको दूर नहीं किया गया तो आगे और भी अव्यवस्था हो सकती है । इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है, आपने देखा होगा यहां पर सी0 आई0 डी0 के लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है, उनको यहां की गरिमा का, यहां की कार्यशैली का कोई अनुभव नहीं होता । न ही उनके पास ऐसा कोई चिंतन या प्रशिक्षण होता । मेरा सुझाव है । कि यहां पर जो हाउस गार्ड हैं उसी प्रकार से इन गैलेरीज के लिये भी सीधे आपके नियंत्रण में नियुक्त गार्ड लगाए जांय तो व्यवस्था में सुधार हो सकता है । यहां पर सी0 आई0 डी0 के लोगों को नहीं लगाना चाहिये । मैं यही सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इस वक्त लोगों को जाना है, हम सब लोग इससे सहमत हैं । इसलिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आगे के एजेन्डे को स्थानान्तरित कर दिया जाय । दूसरी सूचना में आपके माध्यम से सदन को यह देना चाहता हूं कि 5 तारीख को मैंने यह कहा था कि सोमवार तक माननीय निहाल सिंह जी को पत्रावली जो है उसे मंगा लिया जायेगा। मान्यवर, जैसा कि मैंने सबेरे निवेदन किया था कि कल रात को बैठक अविश्वास प्रस्ताव के कारण काफी देर तक चलती रही इसलिए में उसे मंगा नहीं सका । आज पत्रावली सचिव के माध्यम से माननीय अध्यक्ष को प्रेषित कर दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । 18 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बज कर 55 मिनट पर बृहस्पतिवार 18 सितम्बर, 1986 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
9-9-1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

सूची

प्रश्न में उल्लिखित मोहल्लों में नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु जो कार्य नगर महापालिका द्वारा विश्व बैंक योजना, गंगा एक्शन प्लान, सिटी-पैकेज के अन्तर्गत तथा मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं अथवा कराये जा चुके हैं उसका विवरण निम्नवत् है :—

प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्रम सं0	मोहल्ले का नाम	कराये गये या कराये जा रहे कार्य का विवरण	विश्व बैंक परियोजना	मलिन बस्ती सुधार योजना	गंगा ऐक्शन प्लान सिटी पैकेज के अन्तर्गत
1	2	3	4		5
1	राजापुर	रु0 70,809 की धनराशि से सड़क का सुधार	..	..	..
2	नेवाबा	रु0 55,060 से सड़क का सुधार व पुलिया का निर्माण	स्लम अप्रग्रेडिंग	..	सड़कों का सुधार
3	बेली गांव	रु0 68,972 से सड़क का सुधार व पुलिया का निर्माण	..	..	तदेव
4	नया पुरा	रु0 49,962 से सड़क का सुधार	..	..	..
5	स्टैनली रोड	रु0 1,52,849 से खड़ंजे का निर्माण	..	..	..
6	मेहंदौरी	रु0 1,60,682 से सड़क का सुधार	..	पानी की लाईन सड़कों का नाली खड़न्जा व सुधार स्थान गृह	..
7	रसूलाबाद	रु0 24,276 से सड़क का सुधार	..	मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत कार्य कराया गया है तथा शेष प्रस्तावित है	तदेव

1	2	3	4	5
8	चिल्ला	..	स्लम अपग्रेडिंग ..	..
9	गोविन्दपुर	रु0 3,24,580 की धनराशि से सड़क नाली एवं गली का निर्माण	.. ..	सड़कों का सुधार
10	सबियाबाद	..	नालों का कार्य ..	..
11	बवाड़ा	.. ..	..	सड़कों का सुधार
12	सलोरी	रु0 1,44,266 से पुल के दोनों तरफ मिट्टी भरने तथा नाली एवं गली का निर्माण	स्लम अपग्रेडिंग ...	.
13	चांदपुर			
14	वारागंज	रु0 6,71,600 से रोड का नवीनीकरण नालियों की मरम्मत तथा शौचालय का निर्माण	.. ..	सड़कों का सुधार

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 सं0 प्र0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

गन्ना विकास परिषद्, विलासपुर (रामपुर) द्वारा विगत पांच वर्षों में नव निर्मित सड़कों का विवरण

वर्ष		सड़क का नाम	लम्बाई (कि0 मी0)	किस्म सड़क	परिषद् द्वारा किया गया कुल व्यय	चीनी मिल से प्राप्त सहायता	शक्कर विशेष निधि से प्राप्त सहायता
1		2	3	4	5	6	7
					रु0	रु0	रु0
1981–82	1	हजरतपुर मार्ग	1.00	पेन्टेड	1,67,726.52	50,000.00	60,000.00
	2	चन्दैन सिहोरा मार्ग प्रथम भाग	0.50	,,	1,10,285.86	..	1,17,639.21
	3	,, ,, द्वितीय भाग	1.00	,,	1,24,992.57	..	..
		वर्ष 1981–82 का योग ..	2.50		4,03,004.95	50,000.00	1,77,639.21
1982–83		..	..	..	..	..	..
1983–84	1	बेगमाबाद खण्डिया मार्ग प्रथम भाग	1.00	पेन्टेड	1,35,350.01	..	..
	2	,, ,, ,, द्वितीय भाग	0.50	,,	67,883.51	22,999.98	2,01,550.95
	3	,, ,, ,, तृतीय भाग	0.20	,,	26,853.96		
	4	,, ,, ,, चतुर्थ भाग	1.00	,,	1,79,374.36		
		वर्ष 1983–84 का योग ..	2.70		4,09,462.64	22,999.98	2,0 1,550.95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3	4	5	6	7
1984-85	1	पी0 डब्लू0 डी0 रोड से टेमरा मार्ग	0.50	फेक्टेड	85,984.98	..	..
	2	बगइया बीहट मार्ग	1.50	इन्टरएकोट	60,567.35	..	..
	3	बेगमाबाद खण्डिया मार्ग	0.90	खड़ंजा	1,13,563.33	1,00,000.00	..
		वर्ष 1984-85 का योग ..	2.90		2,60,115.66	1,00,000.00	..
1985-86		पिपलिया नाव से नवाबगंज मार्ग	1.70	इंटरकोट	69,750.31	..	..
		वर्ष 1985-86 का योग ..	1.70		69,750.31	..	..
		वर्ष 1981-82 से 1985-86 तक का महायोग ..	9.80		11,42,333.56	1,72,999.98	3,79,190.16

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के 100 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों की सूची

क्रम-सं0	प्राचीन मन्दिर	ग्राम	तहसील
1	प्राचीन देवालय–पाताल भुवनेश्वर	पाताल भुवनेश्वर	डीडीहाट
2	एक हथिया देवाल	अस्मयां	,,
3	प्राचीन मन्दिर समूह	धामी	,,
4	प्राचीन सूर्य मन्दिर	बोपाता	,,
5	प्राचीन देवालय	मंगोली हाट	,,
6	पुंगेश्वर महादेव	कन्डेला	,,
7	प्राचीन देवालय	खरानी	पिथौरागढ़
8	भगवती मन्दिर	दिमास	,,
9	मकुलेश्वर महादेव	डावरी	,,
10	प्राचीन देवालय	मारसोली	,,
11	वालेश्वर मन्दिर	चम्पावत	चम्पावत
12	प्राचीन शिव मन्दिर	चंकुनी	,,
13	प्राचीन शिव मन्दिर	सेटूघड़ा	,,
14	प्राचीन शिव मन्दिर	बबलांग	,,
15	प्राचीन शिव मन्दिर	मादली	,,
16	घटोत्कछ मन्दिर	चौकी	,,
17	प्राचीन शिव मन्दिर	देवलनाद	,,
18	एक हथिया नौला	ढ़कना	,,
19	नृसिंह मन्दिर	खेतीखान	,,
20	प्राचीन रक्षादेवी मन्दिर	गड़सारी	,,
21	बाराहदेवी मन्दिर	देवीधुरी	,,

तत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

श्री ए0 के0 विष्ट तत्कालीन जिलाधिकारी, उन्नाव के कार्यकाल (दिनांकित 1-8-83 से 30-6-86 तक) में स्वीकृत किये गये लाइसेन्सों की थानावार सूची

नाम थाना	स्वीकृत किए गए लाइसेन्सों की संख्या
1--कोतवाली उन्नाव	53
2--अचलगंज	11
3--गंगाघाट	5
4--पुरवा	18
5--मौरावां	11
6--असोहा	3
7--बीघापुर	24
8--वारासगवर	11
9--विहार	9
10--हसनगंज	18
11--औरास	8
12--अजगैन	25
13--आसीवन	18
14--माखी	17
15--सफीपुर	26
16--बांगरमऊ	35
17--फतेहपुर चौरासी	24
सरकारी कर्मचारी	64
योग ..	380

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 167 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

1—श्री राम प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद शान्ती निवास, शिवपुरी, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ	अनुसूचित जाति
2—श्री राम लाल पुत्र श्री खुशीराम, विधायक निवास–6, पार्करोड, लखनऊ	अनुसूचित जाति
3—श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी पुत्र श्री राम दुलारे त्रिपाठी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2, सचिवालय, लखनऊ	सामान्य जाति
4—श्री हंसादत्त जोशी पुत्र श्री एस0 डी0 जोशी, नैनीताल क्लब, नैनीताल	सामान्य जाति
5—श्री राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री मेवा लाल, कार्यालय–बाल परियोजन अधिकारी, बछरांवा, रायबरेली	अनुसूचित जाति
6—श्री मातादीन प्रसाद पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद कार्यालय–उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, लखनऊ	अनुसूचित जाति
7—श्री भूपेश पन्त पुत्र श्री जनार्दन, पन्त, पुराना किला, कैन्टरोड, लखनऊ	सामान्य जाति
8—श्री अनिल कुमार रस्तोगी पुत्र श्री देव प्रकाश रस्तोगी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली	सामान्य जाति
9—श्रीमती मंजू बिष्ट पत्नी श्री गोपाल सिंह बिष्ट नैनीताल, क्लब, नैनीताल	सामान्य जाति
10—श्री गिरीश चन्द्र पन्त पुत्र स्व0 श्री विशमदत्त पन्त, नैनीताल क्लब, नैनीताल	सामान्य जा-

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 158 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के लिए निर्धारित श्री काशी सिंह ऐरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में 31 दिसम्बर, 1985 को कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है ? क्या यह इस श्रेणी हेतु आरक्षित कोटे के बराबर है ? यदि नहीं तो इस कोटे को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?	31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार समूह "ग" तथा "घ" में स्थिति निम्न प्रकार थी :— समह—ग अनुसूचित जाति—399 अनुसूचित जनजाति—4 समूह-घ अनुसूचित जाति—295 अनुसूचित जनजाति—4 सफाई कर्मचारियों को छोड़कर जो शत प्रतिशत इसी श्रेणी के हैं । समूह "घ" में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटे (18%) से अधिक है किन्तु अनुसूचित जनजाति की आरक्षित कोटे से कम है। समूह "ग" में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों ही श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या आरक्षित कोटे से कम है । कोटे को पूरा करने का प्रयास जारी है किन्तु कोई तिथि निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है । वीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—18 वि० सभा—9-9-86—813. (पी०डी०) ।